हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

अब जनगणना

भारत में आगामी जनगणना के अभियान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतिम मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 11,718.24 करोड़ रुपये की लागत से भारत की जनगणना 2027 आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। यह स्पष्ट रूप से संसार की सबसे बड़ी जनगणना होगी और इस पर एक तरह से पूरी दुनिया की नजर होगी। बहरहाल, यह अवश्य लिखना चाहिए कि सब कुछ ठीक रहता, तो जनगणना 2021 हमारे सामने आ गई होती, पर महामारी कोरोना की वजह से समय से जनगणना नहीं हो पाई। जब महामारी का आतंक घटा, तब देश लोकसभा चुनाव में लग गया और अब लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना के कार्य को मंजूरी मिली है। यहां यह कहने में हर्ज नहीं कि इस बार जनगणना का प्रारूप तय करने में काफी वक्त लगा है। यह जनगणना 2027 देश की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें जाति संबंधी आंकड़े विशेष रूप से जुटाए जाएंगे। जाति आधारित जनगणना की मांग विभिन्न पार्टियां करती रही हैं और जब इस बारे में आम सहमति है, तो इसे कराने में कोई हर्ज नहीं है।

यह पहले से ही विदित है कि यह जनगणना दो चरणों में होनी है। साल 2026 के अप्रैल से शुरू होकर साल 2027 के मध्य तक जनगणना संपन्न हो जाएगी। उसके आंकड़े भी अपेक्षाकृत कम समय में सामने आ जाएंगे, क्योंकि पहली बार डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल जनगणना में किया जा रहा है। लोगों को भी डिजिटल भागीदारी का मौका मिलेगा। अतः यह जनगणना केवल अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहेगी। इसमें लोग भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। वैसे भी जनगणना एक राष्ट्रहित का कार्य है और उसके लिए सभी को स्वतः आगे बढ़कर योगदान देना चाहिए। आशंका है, जिस तरह की परेशानियां मतदाता गहन पुनरीक्षण में गिनाई जा रही हैं, वैसी ही स्थिति जनगणना में भी पैदा हो सकती है। सरकार के अनुमान के अनुसार, लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी राष्ट्रीय महत्व के इस विशाल कार्य को अंजाम देंगे। अगर सरकार ने अपने जनगणना संबंधी एप और पोर्टल को आसान व सुलभ रखा, तो यह जनगणना अब तक हुई तमाम जनगणनाओं की तुलना में ज्यादा आसानी से संपन्न हो जाएगी। मोबाइल एप और पोर्टल के ठीक काम करने से जनगणना अधिकारियों या कर्मचारियों पर ज्यादा दबाव नहीं आएगा। एक जरूरी कार्य जनगणना संबंधी प्रशिक्षण का है, जिसमें कमी नहीं रहनी चाहिए।

भारत में 16वीं जनगणना 2027 दो चरणों में होनी है। साल 2026 के अप्रैल से शुरू होकर साल 2027 के मध्य तक जनगणना संपन्न हो जाएगी।

यह जनगणना अनेक अर्थों में अभूतपूर्व होगी। पहली बात, जब सारा डाटा पहली ही बार में लोड कर दिया जाएगा, तब उसकी विवेचना ज्यादा सहज हो जाएगी। किसी व्यक्ति की गणना दो जगह नहीं हो पाएगी। कोई व्यक्ति गणना से छूटना नहीं चाहिए और किसी व्यक्ति की अतिरिक्त गणना भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जनगणना फॉर्म को लेकर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह फॉर्म आसान रहे और समयबद्ध रूप से उसमें जरूरी सूचनाओं को दर्ज किया जाए। एक भी घर और व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। तीसरी बात, राज्य सरकारों को सावधान रहना होगा, ताकि जनगणना से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा न प्रभावित हो। मतदाता पुनरीक्षण की तरह ही जनगणना के काम में भी मुख्य रूप से शिक्षकों को लगाया जाता है। शिक्षा विभाग और स्कूल स्तर पर शिक्षकों को परस्पर समन्वय दिखाते हुए शिक्षा पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ने देना चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले
13 दिसम्बर, 1950

भाग्य के चौराहे पर

अंग्रेजी राज्य के समय से हमारे देश में यह परम्परा चली आ रही है कि अंग्रेज व्यापारियों की संस्था (एसोशियेटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स) के वार्षिकोत्सव पर सरकार का कोई प्रमुख व्यक्ति निमंत्रित होकर जाता है और वहां के अध्यक्षीय भाषण में उठाये गये मुद्दों का जवाब देते हुए देश की स्थिति का सिंहावलोकन करता है। स्वतंत्रता के बाद भी इस परम्परा को हमने नहीं छोड़ा है और अंग्रेज शासकों की जगह अब भारतीय शासक वह रस्म अदा करते हैं। इस बार हमारे वित्त-मंत्री श्री चिंतामणि देशमुख को यह रस्म अदा करने का सुयोग मिला और इस सिलसिले में जो भाषण उन्होंने दिया वह हमारे सामने है। अपने इस भाषण में श्री देशमुख ने यह बिल्कुल ठीक कहा है कि 'आज भारत भाग्य के चौराहे पर है।' उन्होंने बताया कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण गम्भीर आशंकाओं से भरपूर है, हमारी आन्तरिक कठिनाइयां निश्चय ही बहुत गम्भीर हैं तथा वर्तमान अस्थिर परिस्थितियों से हमारी समस्याओं का सुलझना और अधिक कठिन हो गया है। फिर भी आशा की यह वाणी उन्होंने सुनाई कि 'तात्कालिक कठिनाइयों के बावजूद स्थिरता के चिन्ह देखकर मैं सोत्साह हूं और मुझे लगता है कि निकट भविष्य की (तात्कालिक) कठिनाइयों को हम पार कर सकते हैं।' निश्चय ही ये ऐसे उद्गार हैं, जो निराशा में आशा पैदा कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि भाग्य के चौराहे पर खड़े हुए हम ठीक मार्ग ही ग्रहण करें, जिससे इस आशा को पूर्ण होने का अवसर मिले।

वित्त-मंत्री का भाषण एसोशियेटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स या व्यापारमण्डल के अध्यक्ष सर एडवर्ड बेंथल द्वारा उठाये गये मुद्दों के जवाब में था, जिसमें शुद्ध व्यापारी दृष्टिकोण से सरकार के घाटे के बजट, कर-व्यवस्था तथा मुद्रास्फीति प्रतिबन्ध और जीवन-व्यय में तथा कीमतों में कमी लाने में सफलता-हीनता की आलोचना की गई थी। वित्त-मंत्री द्वारा इन मुद्दों पर उन्हें आश्वस्त करना और सरकारी दृष्टिकोण तथा तत्सम्बन्धी सरकारी कार्यों का भान कराना स्वाभाविक था। यह सब उनके भाषण में मिलता है। वित्त-मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आर्थिक नीति में सरकार ने राजनीति को हस्तक्षेप नहीं करने दिया है तथा कानून-व्यवस्था के पालन द्वारा ऐसी आर्थिक स्थितियां उत्पन्न करने का उसे भान है, जिनसे कि उत्पादन वृद्धि हो।

चुनाव सुधार एक बार फिर चर्चा में है। विपक्षी दल सुधार के लिए तरह-तरह के सुझाव दे रहे हैं। हालांकि, चुनाव सुधार संबंधी ये सुझाव नए नहीं हैं। संसद में सुधार पर अवश्य बहस होनी चाहिए, पर 20 अगस्त, 1981 को लोकसभा में हुई बहस पर भी गौर कर लेना उपयोगी रहेगा। तब भी एक वरिष्ठ विपक्षी सांसद ने अनेक जरूरी सुझाव दिए थे, लेकिन उन सुधारों के लिए पहल को तत्कालीन सरकार ने जरूरी नहीं माना था।

आमने-सामने

प्रजातंत्र की कमियों को दूर किया जाए

यहां स्कैन करें

मधु दंडवते | तत्कालीन सांसद

- निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन द्वारा निर्वाचित निडर संसद होनी चाहिए।
- स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, जहां निर्वाचन संबंधी अपीलें की जाएं।
- स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होना चाहिए, जिसे किसी का भय न हो।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'यह सभा सिफारिश करती है कि निर्वाचन सुधारों को लागू करने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए, जिससे वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके और उन्हें त्रुटियों, कमियों से मुक्त किया जा सके।'

इस प्रस्ताव का हमारे देश में संसदीय प्रजातंत्र के कार्यकरण की दृष्टि से बहुत महत्व है। यदि देश में संसदीय प्रजातंत्र के कार्यकरण का पुनरीक्षण किया जाए, तो आपको ज्ञात होगा कि तीन तत्व निर्वाचन प्रक्रिया के विकास तथा संसदीय प्रजातंत्र के कार्यकरण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, हमारी संसद निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन द्वारा निर्वाचित निडर संसद होनी चाहिए। हमारी एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, जिसको निर्वाचन संबंधी अपीलें की जाएं और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होना चाहिए, जिसे किसी का भय न हो। जो लोग प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, वे इन तीन मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे, लेकिन जो प्रजातंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, वे बंधुआ मतदाताओं द्वारा निर्वाचित बंधुआ संसद लाना पसंद करेंगे। वे एक आज्ञाकारी न्यायपालिका लाना पसंद करेंगे, जिस पर दबाव डाला जा सके और आबद्ध निर्वाचन आयोग लाना पसंद करेंगे, जिसको फुसलाया जा सके और ब्लैकमेल किया जा सके। प्रजातंत्र में विश्वास रखने वालों तथा सत्तावाद में विश्वास रखने वालों, जिनका लोकतांत्रिक जीवन से कोई सही संबंध नहीं है, दोनों के बीच यही अंतर है।

जहां तक देश में निर्वाचन सुधारों का संबंध है, मैं नहीं समझता कि किसी ऐसी समिति या आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता है, जो समस्या की गहराई में जाए और पता लगाए कि हमारी प्रणाली की वास्तविक कमियां क्या हैं, हमारी निर्वाचन प्रक्रिया की क्या असफलताएं हैं और वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं। हमारे सौभाग्य से पिछले कई सालों में कई समितियों तथा आयोगों ने समस्या का गहन अध्ययन किया है। जहां तक धन शक्ति का संबंध है, यह सब स्वीकार करते हैं कि यह सबसे गंभीर खतरा पैदा करती है। स्वयं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कई सेमिनारों में भाग लेते समय स्पष्ट रूप से कहा है कि धन शक्ति स्वतंत्र तथा न्यायोचित चुनाव के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसलिए उन्होंने चुनाव के लिए राज्य निधि बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी हिसाब लगाया है कि उनके सुझाव के कारण कितनी राशि खर्च होगी और यह सुझाव दिया कि आगामी पांच वर्षों के लिए, विभिन्न स्तरों पर खर्च करने के लिए 100 करोड़ रुपये की राज्य निधि स्थापित की जाए। कुछ प्रचार के लिए, कुछ मान्यता प्राप्त दलों को राज्य सहायता के रूप में देने के लिए और कुछ निर्वाचन पैटर्न का मूल ढांचा तैयार करने के लिए खर्च की जाए।

माध्यम का दुरुपयोग एक बड़ी बात है। माध्यम का उपयोग उचित ढंग से किया जा सकता है और इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। लोकतांत्रिक देशों में लोक संचार माध्यम की सुविधा सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाती है। वे अपने दृष्टिकोण का प्रचार कर सकते हैं। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि संचार माध्यम का दुरुपयोग किया गया है। कुछ वर्गों के विरुद्ध इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग कुछ वर्षों के लाभ के लिए किया जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे कि उचित रूप से इसका उपयोग किया जाए...।

इसके अतिरिक्त अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू पुलिस तथा अन्य प्रकार के प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का है। गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र में, उस बात को छोड़कर जो कुछ राजनीतिक दलों द्वारा कही गई है और उस बात को भी छोड़ कर, जो कुछ शासक दल अथवा विरोधी दलों द्वारा कही गई है, हमें निर्वाचन आयोग द्वारा कही बात को समझने का प्रयास करना चाहिए।...चुनाव केंद्रों का प्रबंध, चुनाव केंद्रों का निरीक्षण, चुनावों केंद्रों की रक्षा, सभी बातों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना होगा। जब वास्तव में मत पेटिकाओं को चुनाव केंद्रों से केंद्रीय स्थान तक ले जाया जाता है, तब एजेंटों को समस्त प्रक्रिया की अवश्य ही निगरानी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित तारकुंडे समिति के सुझावों में से एक मुख्य सुझाव है। उस समिति ने कहा है कि यदि निर्वाचन आयुक्त के पद को लोकतांत्रिक बनाना है और इस संस्था को लोकतांत्रिक बनाना है, तो यह आवश्यक है कि अनिवार्य रूप से निर्वाचन आयोग में केवल एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें देश के प्रधानमंत्री, विरोधी पक्ष के नेता अथवा उसके स्थान पर विरोधी पक्ष द्वारा चुना गया विरोधी पक्ष से संबंधित लोकसभा का कोई सदस्य और तीसरे सदस्य के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। यदि निर्वाचन आयोग में तीन व्यक्ति अर्थात देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता अथवा संसद में विरोधी मनोनीत तथा चुना गया व्यक्ति और भारत के मुख्य न्यायाधीश हों, तो यह निर्वाचन आयोग की संस्था का लोकतंत्रीकरण होगा और इसके निर्णय व्यापक आधार वाले होंगे और लोगों को अधिक स्वीकार्य होंगे।...

मैं एक अन्य पहलू का उल्लेख करना चाहूंगा। प्रायः शिकायत सरकार के आचार के संबंध में होती है, जिसका चुनाव की घोषणा के समय से पालन किया जाता है। तारकुंडे समिति द्वारा एक स्वस्थ परंपरा की सिफारिश की गई है। उस समिति ने सुझाव दिया है कि चुनावों की घोषणा होने के समय से केंद्र अथवा राज्यों में संबंधित सरकार को कामचलाऊ सरकार के रूप में कार्य करना चाहिए और उसे समय के बाद उन सरकारों की नई नीतियां लागू नहीं करनी चाहिए और कोई आर्थिक लाभ नहीं पहुंचाना चाहिए और वेतनों में कोई वृद्धि नहीं करनी चाहिए।...

यदि हम अपनी चुनाव प्रणाली में सुधार करते हैं, मूल परिवर्तन करते है, उसमें सुधार लाते हैं और उन्हें प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करते हैं, तो इस दुनिया को बता सकेंगे कि महात्मा गांधी के इस देश में गोली नहीं, बल्कि मतदान की जीत होती है। उस विश्वास के साथ मैं इस प्रस्ताव को आपकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन के अंश)

RK Meena ji 9414969176

तत्काल चुनाव सुधार की जरूरत नहीं

यहां स्कैन करें

पी शिवशंकर | तत्कालीन केंद्रीय विधि, न्याय मंत्री

- वह प्रमाणित नहीं कर सके कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का स्वरूप क्या हो?
- संविधान में चुनाव आयुक्त की शक्तियों के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है।
- यह तर्कसंगत आधार नहीं है। आपमें कानून की बिल्कुल समझ ही नहीं है।

चुनाव तथा चुनाव सुधार की आड़ में विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। विशेषकर गढ़वाल में हुए चुनावों के दौरान हुई कुछ घटनाओं के संदर्भ में विपक्ष ने काफी भर्त्सना की है। मेरे पक्ष के सदस्यों ने - मैं उनमें से अनेक को बधाई देता हूं - गढ़वाल मध्यावधि चुनाव के संदर्भ में उनके आरोपों का उत्तर दिया है। जहां तक इस चुनाव का संबंध है, मैं मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा पास किए गए आदेश का केवल सरसरी तौर पर उल्लेख करूंगा। मेरे निवेदन का अभिप्राय उनका किसी भी प्रकार से अपमान करना नहीं है, और ना ही ऐसा करने की मेरी धारणा है। मैं केवल उन कतिपय पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा, जिनका मुख्य चुनाव आयुक्त के आदेश में उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में मैं कहूं, संकल्प के प्रस्तोता (मधु दंडवते) चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाते रहे हैं। मैं यह नहीं समझ सका, क्योंकि वह अपने इस कथन को किसी भी तथ्य से प्रमाणित नहीं कर सके कि चुनाव आयोग की अपेक्षित स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होना चाहिए?...

महोदय, यही कुछ उच्चतम न्यायालय ने गिल के मामले में कहा है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि अनुच्छेद- 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है, उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, तब तक कार्य करना होता है, जब तक कि कोई कानून नहीं बना लिया जाता और जब तक संसद कानून नहीं बना लेती है। दूसरे पहलुओं के बारे में उनकी शक्तियां अनुच्छेद- 324 द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। कोई व्यक्ति यहां तक कह देता है कि क्या यह कहा जाना चाहिए कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कम करने का यह एक मामला है? मैं यह दुख के साथ कह रहा हूं कि यह अनुचित बात है, यह तर्कसंगत आधार नहीं है। आप में कानून की बिल्कुल समझ ही नहीं है। यदि आप शून्यकाल में प्रत्येक या सारे मामले को राजनीतिक रंग देना चाहेंगे, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, किंतु आप में से कइयों ने इतने अधिक तर्क दिए हैं कि मुझे अपनी राय में संशोधन करना पड़ रहा है। उससे अधिक मैं कुछ नहीं करूंगा। इसके बारे में हमें भूल जाना चाहिए।...

मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हर समय कुछ अधिकारियों, कुछ संस्थाओं के बहाने हमें उपदेश दिए जाते हैं। जैसा कि हम उनसे कम सचेत हैं। उनके कहने का अभिप्राय क्या है? मैं कहना चाहता हूं, इन संस्थाओं की स्वतंत्रता में बड़ी आस्था है। यदि मुझे यह कहने दिया जाए, तो मैं कहूंगा कि विपक्षी सदस्य ऐसा शायद ठीक तरह समझे बिना करते हैं या कि वे जान-बूझकर इन संस्थाओं की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को समझना नहीं चाहते हैं। मैं इस मामले को अधिक विस्तार देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसा किया जाना जरूरी नहीं है।...चुनाव याचिका दायर किए बिना कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती और परिणाम घोषित किए बिना चुनाव याचिका भी दायर नहीं की जा सकती। यदि आप अब भी समझना न चाहें, तो और मैं क्या कह सकता हूं। मैं इस बारे में कह चुका हूं और मैंने इस बात को आप के फायदे के लिए दोहराया है। चुनाव सुधारों के बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं। दूसरे पक्ष की ओर से एक महत्वपूर्ण बात सूची प्रणाली के बारे में कही गई है। उनमें से कुछ ने कहा है कि इसका कुछ भाग वर्तमान प्रणाली अर्थात साधारण बहुमत के अनुसार होना चाहिए और कुछ भाग सूची प्रणाली के आधार पर होना चाहिए।

यदि आपको व्यापक चुनाव करने हैं, तो आपको देश की वर्तमान चुनाव प्रणाली से प्राप्त अनुभवों के हर पहलू पर विचार करना होगा। हमारे 30 वर्ष के अनुभव से उत्पन्न सभी प्रश्नों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को संबोधित करने हेतु विचार करना पड़ेगा। मैं किसी भी माननीय सदस्य के साथ बैठने तथा बातचीत करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता चला है कि सरकारी अथवा विरोधी पक्ष प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए लगभग सभी सुझाव सरकार के पास विचाराधीन हैं। एक सुझाव मतदान मशीनों का भी है, सरकार यह अनुभव करती है कि इन इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का पहले नगरपालिका चुनावों में या कुछ उपचुनावों में प्रायोगिक तौर पर प्रयोग करके देखा जाए, जिससे बाद में इन उपकरणों के कार्य से प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर इन्हें मतदान के लिए विस्तृत क्षेत्र में काम में लाया जा सके।

मैं अन्य पहलुओं पर बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें काफी समय लग जाएगा, परंतु मैं इन मामलों पर बात करने को तैयार हूं और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री महोदया स्वयं चाहती हैं कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मिलकर किसी विशेष समय पर इन सभी विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए। इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मैं केवल यह विश्वास दिला सकता हूं कि यदि विपरीत मुद्दों पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु मुझे अपने मंत्रालय में लगभग 17 से 18 महीने लग गए हैं, तो इसे समय लेने वाला कार्य नहीं कहा जा सकता है कि हमने अपना समय बेकार गंवा दिया है। मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह पूर्णतया आवश्यक है कि निर्णयों के प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए, जब तक स्वयं सरकार कोई निर्णय नहीं ले लेती और आपसे बातचीत के लिए आगे नहीं आती, तब तक संभवतः आपको और अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

मैं प्रोफेसर मधु दंडवते से संकल्प को वापस लेने का निवेदन करूंगा, क्योंकि संकल्प की भाषा ऐसी है कि इसे लागू करना कठिन कार्य है। उनका कहना है, 'तुरंत कदम उठाए जाएं।' मेरी समझ में नहीं आता कि तात्कालिकता से क्या मतलब है? यदि तात्कालिकता से आपका मतलब तीन-चार वर्ष है, तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम यथासंभव शीघ्र कदम उठाने का प्रयत्न करेंगे। इन परिस्थितियों में, इस संकल्प को पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे यह भी पता है कि इस चुनाव सुधार संकल्प की आड़ में वह केवल कुछ व्यक्तियों के प्रति अपनी शिकायतों को प्रकाश में लाना चाहते हैं, जो कि यहां एक गलत बात है।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन के अंश)

मनसा वाचा कर्मणा

आतंक की जड़

आतंकवाद रातोंरात पैदा नहीं होता, इसे बचपन से ही गलत शिक्षाओं के माध्यम से लोगों के मन में बोया जाता है। यह खतरनाक धारणा कि किसी की हत्या करने से स्वर्ग में जगह पक्की हो जाती है। इस तरह की विकृत मान्यताएं, जो कोमल मन में बिठाई जाती हैं, असल समस्या हैं। यदि मानवता को एक शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण की ओर बढ़ना है, तो इस विकृत सोच को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा।

जो लोग कभी चरमपंथी मानसिकता को बढ़ावा देते थे, वे खुद उस माहौल से पीड़ित हैं, जिसे उन्होंने खुद बनाया था और अब उन्हें इसे नियंत्रित करना नहीं आता, इसीलिए आध्यात्मिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह धर्म से परे है। यह हमें *वसुधैव कुटुंबकम* के विचार की ओर ले जाती है, कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। सनातन धर्म ने हमेशा अहिंसा का पालन किया है, लेकिन समय के साथ इसके वास्तविक अर्थ को गलत समझा गया है। इसके कारण भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी है।

एक समय था, जब हमारे देश ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जो अहिंसा पर विशेष बल देता है। ऐसे नाजुक समय में, आदि शंकराचार्य ने भिक्षुओं को शस्त्र वापस सौंपते हुए उनसे कहा, 'देश की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो!' इस प्रकार अखाड़ों या योद्धा-भिक्षु संघों का उदय हुआ। सनातन धर्म का पुनरुद्धार हुआ और भारत का पुनर्निर्माण हुआ।

आप धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में शहीद हो सकते हैं और इससे स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, लेकिन यह सोचना कि मैं किसी को मारूंगा और स्वर्ग प्राप्त करूंगा, गलत है। ऐसी धारणाओं को सुधारने की आवश्यकता है।

श्री श्री रविशंकर

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

नौजवान पीढ़ी मुखर होकर अपने लिए निष्पक्ष दुनिया मांग रही है, पर भ्रष्टाचार उनसे उनके सपनों और उनकी उम्मीदों को छीन रहा है। हमें उनकी पुकार सुननी चाहिए और अपना भविष्य बनाने के लिए उन्हें सशक्त बनाना चाहिए।

अनुलोम-विलोम
आतंकवाद

कभी नहीं भूल सकते संसद पर वह हमला

साल 2001 के 13 दिसंबर को भला कौन भूल सकता है, जब लोकतंत्र के मंदिर संसद पर पाकिस्तान-परस्त आतंकियों ने हमला बोल दिया था। तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के शब्दों में कहें, तो यह हमला भारत के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया था। यह तो भला हो हमारे सुरक्षा बलों का, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर धब्बा न लगने दिया। आज इतने सालों के बाद भी उस घटना की याद इसलिए आ रही है, क्योंकि आतंकवाद आज भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, और तमाम सुरक्षा उपायों के बावजूद हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है।

देखा जाए, तो यह घटना आज भी प्रासंगिक है। जैश-ए-मोहम्मद, जिसने इस हमले को अंजाम दिया था, आज भी पाकिस्तान में मौजूद है और अपने संगठन को बनाए रखने में सफल रहा है। फिर, पाकिस्तान में जिस तरह की अस्थिरता है और छद्म गुटों के प्रति उसकी जो नीति है, वह यही बात रही है कि भारत के लिए खतरा कम नहीं हुआ है, बल्कि इसका ढांचा आज भी कमोबेश पुराने रूप में बना हुआ है। इस बीच, आतंकवादियों ने अपने दायरे को बढ़ाया ही है, जैसे अब वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और डिजिटल भर्ती और माइक्रो-फाइनेंसिंग पर जोर देने लगे हैं। इससे भारत के सुरक्षा बलों को अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ रही हैं। इतना ही नहीं, संसद आज भी हमले का प्रतीकात्मक केंद्र है। 2023 की ही घटना को याद कीजिए, जब संसद के भीतर उपद्रव किया गया था। यह ठीक है कि उस घटना में कोई घातक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था और सब सुरक्षित रहे, लेकिन वह घटना बताती है कि खतरों का स्तर भले बदल जाए, लेकिन आतंकी संगठनों की मंशा नहीं बदल सकती। वे भारत को अस्थिर करने के प्रयासों में जुटे रहेंगे।

साफ है, 13 दिसंबर की घटना कभी भूली नहीं जा सकेगी। इसने सुरक्षा कमजोरियों को बेपरदा किया था। आज भी अपने देश में सुरक्षा की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। बड़े स्टेशनों तक पर बिना जांच के बैग स्टेशन के अंदर तक पहुंच रहे हैं। मॉल आदि की सुरक्षा भी कोई रहस्य नहीं है। पिछले दिनों लाल किले के पास कार में विस्फोट की घटना भी हुई ही थी। ऐसे में, इस हमले को याद करना सिर्फ श्रद्धांजलि देना नहीं है, बल्कि इस बात को स्वीकार करना है कि जिस चुनौतियों का पता इस घटना से चला था, वे खत्म होने के बजाय अपना स्वरूप बदल चुकी हैं।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

आतंकवाद की कमर बहुत टूट चुकी

यह सही है कि 13 दिसंबर, 2001 के आतंकी हमले को भूलना असंभव है, लेकिन बीते दो दशकों में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कई बार कार्रवाई की है, जो सफल भी रही है और जिसका सकारात्मक असर भी पड़ा है। भले ही पाकिस्तान में उन आतंकियों या आतंकी संगठनों को खाद-पानी दिया जा रहा है, जो भारत के खिलाफ सक्रिय रहते हैं, लेकिन जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है, उससे लगता यही है कि भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने से पहले वे सौ बार सोचेंगे।

ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2016 के सितंबर माह में भारत ने उरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के भीतर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में की गई इस कमांडो कार्रवाई में कई आतंकियों को खत्म किया गया था और उनके ठिकाने नष्ट किए गए थे। यह ठीक उसी तरह की कार्रवाई थी, जिस तरह से अमेरिका किया करता है। गौरतलब है कि अमेरिका ने कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन को इसी तरह मारा था। अपनी कार्रवाई में भारतीय सेना विफल नहीं रही और सफलतापूर्वक घर लौटी। इसी तरह एयर स्ट्राइक भी की गई। पाकिस्तान ही नहीं, म्यांमार सीमा के भीतर भी अलगाववादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभी हाल ही में जब दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका हुआ, तो उससे पहले 3,000 किलोग्राम तक विस्फोटक बरामद कर लिए गए थे और आरोपी की तलाश जारी थी, जिसने बाद में लाल किले के पास कार में खुद को उड़ा लिया। कहने का मतलब है कि अब हमारी सुरक्षा एजेंसियां काफी सक्रिय हैं और आतंकी संगठनों की मंशा को ध्वस्त कर रही हैं।

रही बात महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा की, तो हमारी एजेंसियां इस मोर्चे पर भी मजबूती से सक्रिय हैं। 2023 में भले ही संसद में असामाजिक तत्व घुस आए थे, लेकिन अब कोई ऐसी हिमाकत कर सकता है भला? अगर आज कोई जबरन संसद परिसर में दाखिल होना चाहे, तो उसे गोली मार दी जाएगी। यही सिद्धांत सैन्य इमारतों पर भी लागू होता है। वहां भी घुसपैठियों को देखते ही गोली मार देने का नियम है। वास्तव में, आज की सरकार आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और उसका काफी अच्छा असर भी दिख रहा है। आज कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हो रही, तो यह कहीं न कहीं देश की सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ती ताकत का नतीजा है। इस सच को नकारने की कोई वजह नहीं है।

मोहित, टिप्पणीकार

CCI NG 3.7 Product: NBTLucknowBS PubDate: 13-12-2025 Zone: Lucknow Edition: 1 Page: NBTLP10 User: rishi.yadav Time: 12-13-2025 00:30 Color:

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । कानपुर (कानपुर व लखनऊ में एक साथ प्रसारित) । शनिवार, 13 दिसंबर 2025

बात हुई, डील हो

द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर प्रतिबद्ध भारत-US

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर चल रही वार्ता के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप में बातचीत होना एक अच्छा संकेत है। यह दिखाता है कि दोनों देश द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर प्रतिबद्ध हैं और इसमें जो बाधा आई है, उसे जल्द से जल्द हटाकर आगे बढ़ना चाहते हैं।

मोदी-ट्रंप बातचीत

उतार-चढ़ाव भरा रिश्ता । ट्रेड डील को लेकर दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर कई दौर की वार्ता हो चुकी है। इसी हफ्ते व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मार्च में बातचीत शुरू होने से लेकर अभी तक, रिश्तों में उतार-चढ़ाव के कई दौर आए हैं। इसी दौरान अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया। अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका होने के बावजूद इस पर तल्खी दिखाने के बजाय भारत ने दृढ़ता और संयम का परिचय दिया।

सबसे अच्छा प्रस्ताव । जहां तक ट्रेड डील की बात है तो अब तो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर भी मान चुके हैं कि भारत ने अब तक का सबसे अच्छा प्रस्ताव दिया है। हालांकि इसके बावजूद अभी तक ट्रंप प्रशासन की तरफ से टैरिफ में छूट देने या डील फाइनल करने के संबंध में कोई संकेत नहीं मिले हैं।

अमेरिका की अनिश्चितता । केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना कि अगर अमेरिका प्रस्ताव से संतुष्ट है, तो साइन कर दे - दरअसल अमेरिकी रुख की इसी अनिश्चितता को दर्शाता है। यह अनिश्चितता कई अन्य स्तरों पर भी प्रकट हो रही है। मसलन- एक तरफ द्विपक्षीय बातचीत में सहयोग बढ़ाने की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ ट्रंप भारतीय चावल पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे।

संतुलित नीति । भारत और अमेरिका के बीच बातचीत में हालिया प्रगति के दौरान की एक बड़ी घटना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन का भारत दौरा है। इस यात्रा की टाइमिंग ने सबका ध्यान खींचा। नई दिल्ली ने इससे यह संदेश तो पश्चिम तक पहुंचा ही दिया कि अपनी स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति पर कोई समझौता उसे मंजूर नहीं। भारत ने रूस के साथ पुरानी दोस्ती निभाई है, लेकिन अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। अब इसी संतुलन की उम्मीद ट्रंप प्रशासन से भी है। उसे भारत जैसे सहयोगी देश की जरूरतों और चिंता को समझना चाहिए। यह डील जितनी जल्दी अंजाम तक पहुंचेगी, दोनों देशों को उतना फायदा होगा।

खुले मन से

वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से

सुधीर मिश्र

वसीम बरेलवी का शेर है-

वो झूट बोल रहा था बड़े सलीक़े से
मैं एतिबार न करता तो और क्या करता

लेकिन जब बड़े फैसले करने हों तो पहचान करनी पड़ती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। इसका सबसे बेहतर तरीका है -तथ्यों को परखना, सभी पक्षों से बात करना और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना। बात अगर मीडिया इंडस्ट्री की हो तो सूचनाएं देने में इसका और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि आपकी छोटी सी गलती किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है।

कुछ दिन पहले लखनऊ की एक जानी-मानी यूनिवर्सिटी के एक प्रफेसर का फोन आया कि मदद नहीं की गई तो एक डॉक्टर आत्महत्या की स्थिति की ओर जा सकते हैं। उन पर उनकी ही विभागाध्यक्ष ने यौन शोषण की कोशिश का आरोप लगा दिया था। मामले की शिकायत प्रशासन और राज्य महिला आयोग से भी की गई। मामला सनसनीखेज था, ज्यादातर अखबारों ने बड़ी-बड़ी हेडलाइनों के साथ यह खबर प्रकाशित की। अगले दिन पड़ताल हुई तो विभाग के भ्रष्टाचार से जुड़ा एक पुराना मामला सामने आया। इसमें विभागाध्यक्ष और आरोपित डॉक्टर के बीच आरोप-प्रत्यारोप हुए थे और मामले की जांच उच्च स्तर पर चल रही थी। कुछ महीने पहले डॉक्टर ने प्रशासन को लिखित रूप में सूचना भी दी थी कि विभागाध्यक्ष ने उन्हें इसी तरह के किसी आरोप में फंसाने की धमकी दी थी।

बहरहाल, जब रिपोर्टर ने पड़ताल शुरू की तो आरोप लगाने वाली प्रफेसर का फोन आया। उन्होंने जोर देकर कहा कि देखिए इस मामले में दूसरे पक्ष की बातें न सुनी जाएं, वरना कोई भी महिला अपने साथ होने वाले अत्याचार की शिकायत करने से डरेगी। यह बात एक पत्रकार या जांच एजेंसी के लिए कैसे उचित हो सकती है कि वह दूसरे पक्ष को न सुने। एनबीटी ने दूसरे पक्ष की भी बात सुनी और अगले दिन फॉलोअप प्रकाशित किया। बिना किसी नतीजे पर पहुंचे सिर्फ तथ्य सामने रखे गए, इस हेडिंग के साथ, 'आखिर सच्चाई क्या है?' सच्चाई जानने का काम विश्वविद्यालय में बनी विशाखा कमिटी का था। उन्होंने शिकायत में दी गई जानकारी के आधार पर सीसीटीवी फुटेज चेक किए, सीन रिक्रिएट करवाया, सबकी गवाही ली और सच सामने आ गया। ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। इस तरह एक निर्दोष, इतने संगीन अपराध के आरोप से बच गया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा अखबार सिर्फ एक पक्ष पर भरोसा करके खबर छापता, या खुद ही फैसला दे देता तो क्या होता? ऐसे दौर में जहां महिलाएं वाकई तरह-तरह के शोषण झेल रही हैं, ऐसी एक भी झूठी शिकायत पूरे समुदाय का पक्ष कमजोर करता है। पढ़ी-लिखी विद्वान प्रफेसर का भी और मीडिया का भी। बहरहाल, ऐसे हालात अक्सर लोगों को तोड़ भी देते हैं और तब हसीब सोज़ का यह शेर याद आता है कि-

यहाँ मज़बूत से मज़बूत लोहा टूट जाता है
कई झूटे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है

ऑफ़ दि ट्रैक

चकमा देता है कैंसर

दिलीप लाल

कैंसर उपचार के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कई बार ट्यूमर दवाओं से मिटता हुआ लगता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर लौट आता है। हाल में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो के शोधकर्ताओं ने इसके पीछे का कारण खोज निकाला है। शोध के अनुसार मेलानोमा, फेफड़ों और स्तन कैंसर जैसे मामलों में कुछ Persister Cells दवा के असर से पूरी तरह मरती नहीं। स्टडी में शामिल डॉ. मैथ्यू हैंगॉअर के मुताबिक, दवा से बची हुई कोशिकाएं 'सब-लीथल' यानी आंशिक मृत्यु संकेत प्राप्त करती हैं, जो इन्हें खत्म करने के बजाय दोबारा बढ़ने में मदद देता है। महत्वपूर्ण बात है कि यह प्रक्रिया गैर-आनुवंशिक है, इसलिए यह दवा-प्रतिरोध के शुरुआती चरण में ही सक्रिय हो जाती है, किसी नए म्यूटेशन का इंतजार किए बिना।

1990 की तरह एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ा है भारत

डिग्री नहीं, अब स्किल की दौड़

आजकल हर कंपनी की एक ही मांग है, 'हमें डिग्री नहीं, स्किल चाहिए।' डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) के इस दौर में काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। मशीनें रोजमर्रा के कई काम संभाल रही हैं, और इंसानों से उम्मीद है कि वे रचनात्मक सोचें, लगातार सीखते रहें और नई परिस्थितियों में खुद को जल्दी ढाल सकें। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था इन नई जरूरतों के हिसाब से खुद को बदल पा रही है?

विमल कुमार

NIIT की कहानी । AI इस दुनिया को नए सिरे से रच रहा है। हम अपने सामने पुरानी सीमाओं को टूटते और असंभव को संभव होते देख रहे हैं। आज यह सब भले हैरत में डालता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। 90 के दशक में भी एक बड़ा बदलाव आया था - कंप्यूटर क्रांति का दौर। उस समय कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा लगभग अनुपस्थित थी। तब NIIT और Aptech जैसे निजी संस्थानों ने उस स्किल गैप को भरा। उन्होंने युवाओं को बुनियादी कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग सिखाई, और लाखों छात्रों को नई नौकरी के अवसर दिए। उन दिनों का संदेश साफ था कि कभी-कभी डिग्री से बड़ा हुनर साबित होता है। उस समय जिन्होंने यह मौका पहचाना, वे देश के पहले डिजिटल वर्कफोर्स बने।

स्किल सब कुछ नहीं । स्किल जरूरी है, लेकिन केवल यही जरूरी नहीं है। जिनके पास मजबूत शैक्षणिक नींव थी - जिन्होंने सोचने, समझने और समस्याएं हल करने की क्षमता विकसित की - वही आगे बढ़ पाए। कई लोग केवल छोटे कोर्स करके रुक गए। कुछ समय तक तो उनकी मांग बनी रही, लेकिन कुछ वर्षों में उनकी स्किल अप्रासंगिक हो गई। इससे पता चलता है कि स्किल दरवाजा खोल सकती है, पर रास्ता आखिरकार शिक्षा ही दिखाती है। इसलिए यह बहस डिग्री बनाम स्किल की नहीं, बल्कि डिग्री और स्किल के मेल की है।

आज की जरूरत । आज की तस्वीर भी 90 के दशक जैसी है, जहां टेक क्रांति हो रही है। हालांकि आज का कैनवास कहीं ज्यादा बड़ा है। AI, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल टेक्नॉलजी हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। नए रोल उभर रहे हैं - डेटा साइंटिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, UX डिजाइनर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। नौकरी के लिए कंपनियां अब पहले यह नहीं पूछतीं कि आपने क्या पढ़ा है। उनका पहला सवाल होता है - आप क्या कर सकते हैं? भारत सरकार की स्किल मिशन और डिजिटल इंडिया जैसी पहल सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, लेकिन शिक्षा और स्किल के बीच की दूरी अब भी बहुत ज्यादा है।

AI Image

नीति और संस्थान । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) में भले ही 'फ्लेक्सिबल लर्निंग' और 'लाइफ लॉन्ग एजुकेशन' की बातें की गई हों, लेकिन जमीन पर इसका कई खास असर अभी तक नहीं दिखता है। मिसाल के तौर पर न तो विश्वविद्यालयों ने अपने सिलेबस और परीक्षा के तरीकों में कोई बड़ा बदलाव किया है, और न ही शिक्षकों को नए दौर के हिसाब से दोबारा ट्रेन करने पर गंभीरता से ध्यान दिया गया है।

> **आज की जरूरत**
> - शिक्षा और स्किल की दूरी मिटाई जाए
> - छात्रों को अलग स्किल सेंटर न जाना पड़े
> - शिक्षकों को दी जाए नए दौर की ट्रेनिंग

फोकस बदलना होगा । 1990 के दशक में NIIT ने जैसे कंप्यूटर सीखने की हवा चला दी थी, आज उसी तरह के नए 'डिजिटल NIIT' या एडटेक संस्थान फिर से बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उनको केवल सर्टिफिकेट देने तक सीमित न होकर सच में कौशल सिखाने पर फोकस करना होगा। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि ऐसे संस्थान सिर्फ सहायक की भूमिका निभा सकते हैं। असल बदलाव तब आएगा जब IITs, IIITs और बाकी विश्वविद्यालय अपने कोर्स और पढ़ाने के तरीकों को इस तरह बदलें कि छात्रों को अलग से स्किल सेंटर ढूंढने की जरूरत ही न पड़े। आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती यही है - शिक्षा और कौशल को एक साथ चलाना।

शिक्षा का दार्शनिक पक्ष । ई उम्र के NIIT की तरह, हमें नई उम्र के विश्वविद्यालयों की भी जरूरत है। ऐसी संस्थाएं, जो समाज की बदलती जरूरतों को महसूस करें और अपने भीतर सुधार की क्षमता रखें। शिक्षा कोई स्थिर वस्तु नहीं, यह एक जीवंत प्रणाली है जो तभी प्रासंगिक रहती है जब वह समाज के साथ विकसित होती रहे।

जरूरी विमर्श । दुर्भाग्य से, हमारे कई संस्थान आज तेजी से बदलते समय की तुलना में स्थिर या जड़ होते जा रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम अब भी वर्षों पुराने हैं। यह सवाल अगले दशक का सबसे अहम विमर्श बनेगा कि क्या हमारे विश्वविद्यालय समाज की गति के साथ बदल पा रहे हैं? भारत फिर एक मोड़ पर है, जैसे 1990 में था। तब एक नए संस्थान (NIIT) ने तकनीकी युग का द्वार खोला था, अब समय है कि शिक्षा व्यवस्था स्वयं वह भूमिका निभाए। क्योंकि हुनर बदलती दुनिया की जरूरत है, पर टिकाऊ तरक्की की बुनियाद समझ और शिक्षा ही है।

(लेखक IIT कानपुर में प्रफेसर हैं)

सवा लाख का वो हिंदी मंतर

खुद अपनी आंख से

सैयद परवेज

पूरे मचिआंव गांव के हाज़ीदादा, जो साधु बन गए थे, मकनपुर शरीफ, कानपुर में हज़रत सैय्यद बद्दउदीन शाह जिंदाशाह मदार की दरगाह में रहने लगे थे। इसके पीछे दो कारण थे। एक तो उनके खानदान में कोई नमाज़ी न था और दूसरा यह कि गांव में कोई मस्जिद नहीं थी। हाज़ीदादा के जो भी गुरु रहे हों, उन्होंने दादा को कुरान शरीफ मुंहजुबानी याद करा दी थी। वे शाकाहारी जीवन व्यतीत करते थे। कहीं किसी रिश्तेदारी में जाते, तो अपने मिट्टी के बर्तन साथ ले जाते थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते और लोगों की भावनाओं का बहुत ख्याल रखते थे। बाद में मकनपुर शरीफ से उनके घर के लोग बड़ा आग्रह कर उन्हें गांव ले आए। यह वास्ता देकर कि उनके लिए एक मस्जिद बनेगी और घर के लोग नमाज़ पढ़ेंगे। हालांकि हाज़ी दादा के इंतकाल तक न मस्जिद बनी और न ही उनके घर के लोग पांच वक्ती नमाज़ी बने।

मेरे बाबा हाज़ीदादा के शिष्य थे। बाबा भी अक्षर और दुनियादारी ज्ञान से दूर। पर हाज़ीदादा ने उन्हें अज़ान देना और नमाज़ पढ़ना सिखा दिया था। एक बार बाबा एक मंत्र पढ़कर किसी को दुआ कर रहे थे, मैंने यह सुना और सोचा आखिर यह कैसी दुआ है, जो कुरान से मेल नहीं खाती। पूछने पर बाबा ने बताया कि यह हिंदी मंत्र है, यह हिंदू लोगों के लिए है। मंत्र सुनकर मुझे हंसी आई, लेकिन लोग उनसे कभी-कभार दुआ करवाने आते। मंत्र हिंदी-भोजपुरी में इस प्रकार है - 'बढ़ई बेटी-बढ़ई बेटी। तोर बाप कहां गईल/ चंदन छ्वे, चन्दन छ्वे/ चंदन छेव के का होई, चन्दन छेव के का होई/ कोईल फुकाई, कोईल फुकाई/ कोईल फुका के का होई, कोईल फुका के का होई/ 56 छुरी गढ़ाई, 56 छुरी गढ़ाई/ 56 छुरी गढ़ा के का होई, 56 छुरी गढ़ा के का होई/ 170-171 रोग कटाई, 170-171 रोग कटाई/ आईल रे कहल रे, करावल रे, जादू रे, टोना रे, रोग रे, बलाय रे, निहारल रे, भूत रे, प्रेत रे/ सवा लाख का मंतर/ हरिश चंद्र गौरा पार्वती के ईश्वर महदेव पर्वत के ऊपर सुरैया गाय/ ओकर नाम गोरुआ रहे। नाम के विश्वासी रहे। कोढ़ी कमिक्षा के माई बात कहे पुरानी, लंका की दिये धराई/ लंका पढ़ के चारो कोन बंधाई। गौरा पार्वती पर्वत बात का हरासी और नाम का विश्वासी रहे, सत्य का विश्वासी रहे/ पर्वत गौधरा नाम का विश्वासी रहे, सवा लाख का मंतर, रोम-रोम अलंग-अलंग, पुर्जे-पुर्जे से निकलकर भाग जा/'

यह हाज़ीदादा का एक हिंदी मंत्र है जो गंगा जमुनी तहजीब का एक उदाहरण है। हाज़ीदादा और उनके मंत्र का लोगों पर जो असर मैं देखता था, उसके पीछे शायद उनकी जीवन शैली का भी हाथ था। वो अन्न के एक दाने को भी नहीं फेंकते थे। खाना खाने के बाद अपने मिट्टी के बर्तन को पानी से खंगाल कर पी लेते थे। वो अपने साथ सिर्फ एक काला कंबल, कुछ मिट्टी के बर्तन, एक घड़ा रखते थे।

चलते-चलते...

वर्जीनिया टेक के एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड, जैसे चिप्स, पिज्जा, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड स्नैक्स का प्रभाव 18–21 वर्ष के युवाओं पर अधिक पड़ता है। ऐसे फूड के प्रति इस उम्र के युवा जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, जिससे वजन बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। अध्ययन में पाया गया कि 22–25 वर्ष के बाद यह आदत कम हो जाती है।

AI Image

5 पॉइंट

उम्र की सीमा हो...

ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है, जहां 16 साल से कम उम्र के किशोर-बच्चे फेसबुक, इंस्टा, X, यूट्यूब, स्नैपचैट वगैरह नहीं चला सकते। क्या भारत को भी ऐसे कानून की जरूरत है?

1 बैन की ज़रूरत
ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर हिंसात्मक और अश्लील कंटेंट से बुरा असर पड़ रहा है। वहां 10 से 15 साल के 70% बच्चे ऑनलाइन हानिकारक कंटेंट देख चुके हैं।

2 ऑनलाइन के खतरे
बच्चों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बॉडी शेमिंग का खतरा ज्यादा। आत्महत्या के विचार तक आने लगते हैं। इटिंग डिसऑर्डर और नींद न आने जैसी समस्या सामान्य। स्क्रीन को सच मानने लगते हैं।

3 दुनिया पर असर
यूनिसेफ और इंटरनैशनल टेलिकम्युनिकेशन यूनियन के मुताबिक, दुनिया में एक तिहाई इंटरनेट यूजर नाबालिग हैं। हर दिन 1.75 लाख से ज्यादा बच्चे पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यह बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा है।

4 भारत में भी चिंता
भारत में एक चौथाई बच्चे इंटरनेट यूजर हैं, 5 की उम्र वाले भी। 2021 की एक स्टडी बताती है कि 10 साल के 37% बच्चों के फेसबुक और 24% के इंस्टा अकाउंट हैं। यह विषय गंभीर चिंता की ओर इशारा करता है।

5 जानलेवा लत
ब्लू व्हेल चैलेंज और PubG जैसे ऑनलाइन गेम की वजह से भारत में कई हादसे हो चुके हैं। बच्चों के साथ फ्रॉड बढ़े हैं। ट्रोलिंग से परेशान होकर आत्महत्या के केस सामने आ रहे हैं।

प्रस्तुतिः शैलेंद्र पांडेय

एयर पैसेंजरों के हक़ में बनाने होंगे क़ानून

*देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। नए FDTL नियमों के हिसाब से तैयारी न होने का खामियाजा उन हजारों यात्रियों को भुगतना पड़ा, जो घंटों विभिन्न एयरपोर्ट पर परेशान रहे। यह संकट कैसे आया, नए नियम किस तरह लागू होते हैं और क्या वाकई इंडिगो ने एविएशन सेक्टर में अपना एकाधिकार कायम कर लिया है - ऐसे कई सवालों को लेकर DGCA के रिटायर्ड जॉइंट डीजी जे. एस. रावत से **अजय प्रताप तिवारी** ने बातचीत की। पेश हैं खास अंश :*

NBT सप्ताह का इंटरव्यू

जे. एस. रावत

> एयरलाइंस कंपनियां चाहे जितनी व्यवस्था कर लें, यात्री अगर सेवाओं से संतुष्ट नहीं होंगे, तो कंपनी अपनी साख मजबूत नहीं कर पाएगी। यात्रियों के हितों के अनुरूप कानून बनाने की जरूरत है। मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं हैं और जो हैं भी उनका पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है।

■ इंडिगो संकट के पीछे क्या ऑपरेशंस से जुड़े कारण हो सकते हैं, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं?

इंडिगो को लेकर मीडिया, इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स के बीच काफी चर्चा हो रही है। यदि यह घटना वास्तव में ऑपरेशंस से जुड़ी होती, तो इसके कुछ संकेत जरूर मिलते, जैसे पायलटों का हड़ताल पर चले जाना या किसी तकनीकी खराबी का सामने आना। लेकिन, जब ऐसी कोई बात हुई ही नहीं, तो इसे अचानक से घटी घटना कहना उचित नहीं है।

■ यह संकट इसलिए भी बड़ा हुआ क्योंकि इंडिगो ने एक तरह से एकाधिकार बना लिया है। क्या देश को और एयरलाइंस की जरूरत है, यह कैसे होगा?

एकाधिकार बनाने जैसी कोई बात नहीं है। एकाधिकार ऐसे ही नहीं बनता। सभी को पता है कि इंडिगो के आने से पहले और बाद में देश में बहुत एयरलाइंस आईं और बंद हुई हैं। ऐसे में देश में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ती गई तो इंडिगो को अवसर मिला और उसने अपनी अच्छी नीतियों के साथ अपना विस्तार किया। हां, आबादी और मांग को देखते हुए देश को और एयरलाइंस की जरूरत है।

■ इंडस्ट्री में क्या बदलाव करना चाहिए ताकि ज्यादा कंपनियां इस सेक्टर में आएं?

इस इंडस्ट्री में अगर कोई नई कंपनी आती है, तो उसे पहले खुद को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रखना होगा। इस क्षेत्र में एयरलाइन को स्थापित करने के लिए काफी पूंजी की आवश्यकता होती है। यह आसान बिजनेस भी नहीं है। पहले कुछ एयरलाइंस बंद हो गईं तो कुछ को दूसरी कंपनियों ने खरीद लिया। लेकिन अगर आपके पास डिलीवरेबल पॉलिसी है, तो उन स्थापित कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी जिनका मार्केट शेयर में अच्छा प्रभाव होता है। सरकार का भी मानना है कि यह कंस्यूमर मार्केट ड्रिवेन इंडस्ट्री है। अगर आप मार्केट के अनुरूप कार्य करेंगे तो मार्केट में बने रहेंगे।

■ जब भी ऐसा कोई संकट आता है तो हवाई किराया इतना क्यों बढ़ जाता है? यह तो आपदा का फायदा उठाने की फितरत है। ऐसे मामलों में हर बार क्यों सरकार को दखल देना पड़ता है?

किराये का निर्धारण बाजार में मांग के आधार पर होता है। अभी जैसे रेलवे ने भी कुछ ट्रेनों में यही सिस्टम अपनाया हुआ है, जिसे फ्लेक्सी फेयर कहते हैं। अगर डिमांड बढ़ रही है तो किराया बढ़ जाएगा, डिमांड कम होने पर किराया कम हो जाएगा। यह पूरी तरह मार्केट पर निर्भर करता है और यही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होता है।

■ DGCA के कामकाज में क्या किसी तरह के बदलाव की जरूरत है, ताकि एयरलाइंस की निगरानी बेहतर हो सके?

यह एक प्रक्रिया है, जैसे-जैसे एयरलाइंस इंडस्ट्री का विस्तार होता है, उसी के अनुरूप डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA को भी अपने ढांचे का विस्तार करना पड़ता है। इसलिए देश की एयरलाइंस इंडस्ट्री में जितना विस्तार होगा, DGCA को सेफ्टी ओवसाइट के लिए मैनपावर में भी बढ़ोतरी करनी होगी।

■ हवाई परिवहन को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जिससे ग्राहक संतुष्ट हों?

वर्तमान में सबसे बड़ी जरूरत यात्रियों के हितों को सुरक्षित करने की है। फिलहाल इस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। एयरलाइंस कंपनियां चाहे जितना विस्तार कर लें, यात्री अगर सेवाओं से संतुष्ट नहीं होंगे, तो कंपनी अपनी साख मजबूत नहीं कर पाएगी। एयरलाइंस कंपनियों को पैसेंजर फ्रेंडली बनना होगा। यात्रियों के हितों के अनुरूप कानून बनाने की जरूरत है। मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं हैं और जो कानून हैं भी, उनका पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा है।

■ भविष्य में इंडिगो जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या सुधार किए जाने चाहिए?

एयरलाइन उद्योग एक अत्यधिक विनियमित उद्योग है और इसे निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ही चलना होता है। ये प्रक्रियाएं सामान्य और असामान्य, दोनों स्थितियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित हैं। वर्तमान मामले में, माननीय न्यायालय ने नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का आदेश दिया क्योंकि पायलटों की थकान और विमान संचालन की सुरक्षा से संबंधित परिवर्तनों को एयरलाइन स्वीकार नहीं कर रही थी। इन परिस्थितियों में नियामक के लिए एयरलाइन की तैयारी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक था। उम्मीद है कि सभी स्टेक होल्डर इस घटना से सबक लेंगे।

रीडर्स मेल

कानून का सही इस्तेमाल हो

नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने विशेष रूप से नफरत फैलाने वाले भाषणों को लक्ष्य बनाकर कानून पेश किया है। इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना और हेट स्पीच के मामलों में कम सजा दर की समस्या को दूर करना है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून समस्या सुलझाने के बजाय अपने आप में नई समस्या साबित हो सकता है। विधेयक में नुकसान, दुर्भावना जैसे अस्पष्ट, व्यक्तिपरक शब्दों का उपयोग इसकी सबसे बड़ी कमजोरी माना जा रहा है। चिंता का दूसरा पहलू यह है कि राज्य सरकार इस कानून का मनमाना इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों, आलोचकों और मीडिया संगठनों के खिलाफ कर सकती है। इसी आशंका के कारण इसे नागरिक स्वतंत्रताओं पर संभावित नकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताया जा रहा है। इसको लेकर अब सभी जगह नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है।

श्यामलाल, लखनऊ

ताकि पारदर्शिता बनी रहे

12 दिसंबर का लेख 'सुधर सकता है इलेक्शन सिस्टम' में लेखक ने चुनाव पर विस्तृत विचार रखे हैं। उनका यह कहना सही है कि बैलेट पद्धति पर वापस जाने की मांग उचित नहीं। हमारे यहां चुनाव पहले बैलेट सिस्टम से ही होता था. और सबको पता है कि तब अक्सर गरीब और खासकर दलित वर्ग को वोट डालने ही नहीं दिया जाता था। मतपेटियों को लूटना भी आम बात थी। अब ईवीएम से वोटिंग हो रही है, तो वोट चोरी का शोर मचाया जा रहा है। बहरहाल, समझने की बात यह है गड़बड़ी मशीन में नहीं सिस्टम में होती है और इसलिए जरूरी है कि चुनाव संपन्न कराने वाली मशीनरी ईमानदार हो। फुटेज भी यदि संभव हो तो लंबे समय तक सहेज कर रखी जानी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

राजकुमारी, बुराड़ी

आर.एन.आई. नं. UPHIN/2019/78296 © सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कंपनी लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक रितेश माथुर, टाइम्स हाउस, 16/79G, सिविल लाइंस, कानपुर-208001 से प्रकाशित तथा बैनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, प्लॉट नं. 407, ग्राम-उत्तरधौना, पी.ओ. चिनहट, अयोध्या रोड, लखनऊ 226028 से मुद्रित। फोन: 0512-2380312, 0522-4154444, पंजीकृत कार्यालय: दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई- 400001। स्थानीय संपादक: सुधीर मिश्र (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी. आर. बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी)।

संपादकीय

हमसे जुड़ने के लिए QR Code स्कैन करें

दैनिक नवज्योति
आपके लिए, आपके साथ
dainiknavajyoti.com
जोधपुर, शनिवार, 13 दिसंबर, 2025

90 विश्वसनीयता के
dainiknavajyoti.com

दीपावली अब विश्व धरोहर

यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया है। यह देश के लिए न केवल गौरव बल्कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि का विषय है। आखिर यह भारतीय पर्व हमारी संस्कृति और प्रकृति से जुड़ा है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। यह वैश्विक सभ्यता संवाद में भारत को अग्रणी राष्ट्र के रूप में भी प्रस्तुत करेगी। इस पर्व का न केवल हिंदू बल्कि अनेक धर्मों में महत्व है। मसलन हिंदू परंपरा में यह पर्व राम के अयोध्या लौटने का प्रतीक है। तो जैन धर्म में यह भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्य समाज, सिख एवं बौद्ध धर्म में यह प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। देश में दीपावली की विविध परंपराएं हैं। तमिलनाडु में नरक चतुर्दशी तो बंगाल में काली पूजा। इसका बहुलतावादी स्वरूप मानव सभ्यता के लिए आदर्श रूप का प्रतिनिधित्व करता है। इसके भीतर विविधता में एकता का भाव प्रदर्शित होता है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं बल्कि जीवन की संतुलित दृष्टि का प्रतीक भी है। यह स्वच्छता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने और सामुदायिक सहयोग के मूल्यों को भी सिखाता है। वर्तमान समय में जब विश्व में जलवायु संकट, भौतिकवाद और सामाजिक अलगाव जैसी चुनौतियों बढ़ रही हों तब अंतर्मन की स्वच्छता, प्रकृति से प्रेम और इसके जिम्मेदार उपभोग की प्रेरणा देता है। यह पर्व भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़ा है। इस अवसर पर वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, स्वर्णाभूषण, मिठाइयां और ई-कॉमर्स में भारी लेनदेन होता है जिससे देष की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से यह भारतीय सांस्कृतिक कूटनीति के रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि है। जो देश में पर्यटन उद्योग को विस्तार दे सकता है। आज विश्व में यूरोपीय देश इटली अपनी 61 वैश्विक सांस्कृतिक धरोहरों के मामलों में सबसे अग्रणी देश बना हुआ है। हर साल सात करोड़ से अधिक विदेशी पर्यटक वहां भ्रमण को आते हैं। दूसरे नंबर पर चीन आता है। वहां के नववर्ष और ड्रेगन बोट पर्व विश्व भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते है। आश्चर्य इस बात का है कि भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में आता है।

सांस्कृतिक रूप से काफी वैभवशाली है। लेकिन सांस्कृतिक कूटनीति के मामले में यह क्यों पीछे रह गया, यह गौर करने वाला विषय है। यही मुख्य वजह है कि इतने प्राचीन और विशाल सांस्कृतिक थाती समेटे बैठे भारत में सालाना एक करोड़ से अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। अभी तक भारत के सोलह अमूर्त विश्व धरोहर-वेद पठन, कुटियट्टम, रामलीला, राम्मन, मुदियेट्टू, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य, छऊ नृत्य, लद्दाख में बौद्ध पाठ, मणिपुर में संकीर्तन, जंडियाला गुरु के ठठेरा बर्तन निर्माण, योग, नवरोज, कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गापूजा, गुजरात का गरबा और अब दीपावली है। दीपावली पर्व को देखने अब हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आएंगे। ऐसे में सरकार, निजी क्षेत्रों, विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों को सामूहिक प्रयास करने होंगे।

हाल के अपराध आंकड़े प्रशासनिक सक्रियता का प्रमाण हैं

राजस्थान में कानून व्यवस्था की बेहतर होती तस्वीर

जवाहर सिंह बेढम
गृह राज्य मंत्री, राजस्थान

"मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से यह दृष्टिकोण अपनाया है कि कानून-व्यवस्था केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सुशासन की आधारशिला है। हमारी प्राथमिकता रही है कि सुरक्षा व्यवस्था प्रतिक्रियात्मक न होकर रणनीतिक, तकनीक-आधारित और परिणामोन्मुख बने।

किसी भी राज्य की वास्तविक प्रगति नागरिकों के मन में बसे विश्वास से मापी जाती है। यह विश्वास तभी पनपता है, जब आम व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करे, कानून को प्रभावी माने और न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखे। राजस्थान में बीते कुछ समय के दौरान कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वह इसी विश्वास को मजबूती देने की दिशा में एक ठोस और सकारात्मक कदम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से यह दृष्टिकोण अपनाया है कि कानून-व्यवस्था केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सुशासन की आधारशिला है। हमारी प्राथमिकता रही है कि सुरक्षा व्यवस्था प्रतिक्रियात्मक न होकर रणनीतिक, तकनीक-आधारित और परिणामोन्मुख बने। हाल के अपराध आंकड़े इस राजनीतिक संकल्प और प्रशासनिक सक्रियता का प्रमाण हैं।

प्रयासों का परिणाम

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच राज्य में भारतीय दंड संहिता/भारतीय न्याय संहिता तथा स्थानीय और विशेष अधिनियमों के अंतर्गत कुल 2,83,648 अपराध दर्ज हुए थे। इसके मुकाबले दिसंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच यह संख्या घटकर 2,57,541 रह गई। मात्र एक वर्ष में 26,107 मामलों की कमी और 9.20 प्रतिशत की गिरावट यह दर्शाती है कि अपराध नियंत्रण अब नीति और क्रियान्वयन के स्तरों पर प्रभावी हुआ है। दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक की तुलना करें, तो उस समय राज्य में 3,01,977 प्रकरण दर्ज थे। दिसंबर 2024 से नवंबर 2025 तक इनकी संख्या में 44,436 की कमी अर्थात 14.72 प्रतिशत की गिरावट से स्पष्ट है कि यह सुधार निरंतर और योजनाबद्ध प्रयासों का परिणाम है। यह प्रवृत्ति इस बात की पुष्टि करती है कि पुलिसिंग व्यवस्था अब बेहतर तालमेल, जवाबदेही और निगरानी की दिशा में आगे बढ़ रही है।

सकारात्मक संकेत

सकल अपराधों के आंकड़े भी इसी दिशा में सकारात्मक संकेत देते हैं। दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच 2,03,196 सकल अपराध दर्ज हुए थे, जो नवंबर 2025 तक घटकर 1,77,826 रह गए। 12.49 प्रतिशत की यह गिरावट प्रशासनिक नियंत्रण, फील्ड स्तर पर सतर्कता और तकनीक के प्रभावी उपयोग का नतीजा है। नवंबर 2023 की तुलना में सकल अपराधों में 18.61 प्रतिशत की कुल कमी यह स्पष्ट करती है कि यह बदलाव गहराई से जड़ पकड़ चुका है। इस सुधार प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में आई कमी है। राज्य सरकार की यह स्पष्ट मान्यता है कि यदि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो समाज प्रगति नहीं कर सकता। बालिग से दुष्कर्म के मामलों में नवंबर 2024 तक 4,656 प्रकरण दर्ज थे, जो नवंबर 2025 में घटकर 3,724 रह गए। 932 मामलों की कमी और 20.02 प्रतिशत की गिरावट केवल आंकड़ों का परिवर्तन नहीं, बल्कि महिलाओं के भीतर बढ़ते सुरक्षा बोध का भी संकेत है।

सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बार-बार यह दोहराया गया है कि राजस्थान की बहन-बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार और पुलिस प्रशासन के ठोस प्रयासों के कारण यह प्रतिबद्धता अब धरातल पर साकार होती दिखाई दे रही है। सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में आई कमी भी हमारी जीरो टॉलरेंस नीति को रेखांकित करती है। बालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले नवंबर 2024 में 823 थे, जो नवंबर 2025 में घटकर 630 रह गए अर्थात 23.45 प्रतिशत की गिरावट। नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में भी 463 से घटकर 401 रह जाना यह दर्शाता है कि संवेदनशील अपराधों पर सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। लूट जैसे अपराध, जो आम नागरिकों में तुरंत भय पैदा करते हैं, उनमें आई उल्लेखनीय कमी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है।

न्याय की दिशा में

दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 के दौरान जहां 1,722 लूट के मामले दर्ज हुए थे, वहीं दिसंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच यह संख्या घटकर 930 रह गई अर्थात लगभग 46 प्रतिशत की गिरावट हुई। 2023 की तुलना में 2025 में लूट के मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी यह दर्शाती है कि अपराधियों के मनोबल को तोड़ा गया है। इसमें हाईवे पेट्रोलिंग, सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार, मोबाइल पुलिस यूनिट और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों में आई कमी सामाजिक न्याय की दिशा में एक सशक्त संकेत है। दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच 8,899 ऐसे मामले दर्ज हुए थे, जो नवंबर 2025 तक घटकर 7,373 रह गए।

पुलिस व्यवस्था

जांच प्रक्रिया में आई तेजी और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से पुलिस व्यवस्था और अधिक परिणामोन्मुख बनी है। अनुसंधान समय में कटौती, तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग और समयबद्ध निस्तारण ने न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया है। आज पुलिस का फोकस केवल अपराध दर्ज करने तक सीमित नहीं, बल्कि अपराध विश्लेषण और रोकथाम आधारित रणनीतियों पर भी केंद्रित है। यह स्वीकार करना आवश्यक है कि साइबर अपराध, नशा-तस्करी, संगठित अपराध और घरेलू हिंसा जैसी चुनौतियां अभी भी सतर्कता की मांग करती हैं। लेकिन राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इन चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर अपनी क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह संदेश कि सुरक्षित राजस्थान शासन, प्रशासन और समाज के साझा प्रयास से ही संभव है,हमारी कार्य-प्रणाली का मूल मंत्र है।

जीवन बोध

नवाध्यात्म

गहन संस्मृतियों के साथ निर्मित जागरूक अंतदृष्टि ही नवाध्यात्म के पथ का निर्माण करती है। नवाध्यात्म क्या है, यह है मानव द्वारा जीवन में निज उपस्थिति को नवस्वरूप प्रदान करना तथा इस स्वरूपण के अनुसार आत्मबल में वृद्धि करनेवाले अपूर्व कार्य करना। सर्वप्रथम मानव स्वयं को शासन, समाज एवं परिवार की रचना न माने। वह स्वयं को प्राकृतिक संरचना समझे। वह गूढ़तापूर्वक अनुभव करे कि उसका शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास व्योम, भूमि, वायु, जल एवं अग्नि द्वारा हुआ है। अत यदि वह पंचतत्वों के स्वरूप में एकांश बनकर जीवित है, श्वास-प्रतिश्वास ग्रहण कर रहा है, तो इसमें संपूर्ण योग पंचतत्वों का है। यह ज्ञान प्राप्त होने पर वह पांचों तत्वों की मौलिक स्थापना के प्रति दायित्वबोध ग्रहण करे। वह इनकी विकृतियों हेतु दोषी किसी भी गतिविधि, कार्य व अन्य उपक्रम में लिप्त न हो। वह केवल अध्यात्म में प्रवाहित मन बने। आधुनिकता से प्रभावित जटिल दिल न बने। सदैव यह आत्मविवेक जाग्रत रहे कि जीवित रहते हुये परिपक्व तन-मन के साथ मनुष्य दो ही आश्चर्यों पर विचार करे। एक, जीवन। दो, मृत्यु। जीवन व मृत्यु के मध्य ही साधारण जीवन से लेकर साधारण अध्यात्म उत्पन्न होता है। नवाध्यात्म इन दो आश्चर्यों से आगे का विचार करने पर साकार होता है।

विकेश कुमार बडोला

हेल्थ इज वेल्थ

हड्डियां हमारे शरीर का ढांचा होती हैं, जिन पर पूरा शरीर खड़ा है।

- इसलिए हमें हमेशा हड्डियों के स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना चाहिए।
- खराब लाइफस्टाइल के कारण हड्डियां कमजोर होना एक आम समस्या बन गई है।
- इसका असर बच्चों और युवाओं में भी दिखाई देता है।
- इस समस्या से बचने के लिए आपको अपने खानपान में बदलाव कर लेना चाहिए।
- ऐसे फूड्स जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर हों।
- दूध, दही, पनीर और छाछ कैल्शियम के सबसे बढ़िया स्त्रोत हैं।
- नियमित रूप से इनका सेवन करने से हड्डियां खोखली होने से बचती हैं।
- हरी सब्जियों में कैल्शियम पाया जाता है।
- ये सब्जियां हड्डियों की डेंसिटी को बनाए रखने में मदद करती हैं, जिससे शरीर स्ट्रॉन्ग रहता है।

जल तरंग

पिज्जा की संस्कृति

अभी लोग शादी का विरोध कर रहें हैं। तीस-तीस, चालीस-चालीस के लोग लिव-इन में रह रहें हैं। कारण की ये रेडिमेड युग है, ये रेडीमेट लोग हैं। ये लोग पैदा नहीं हुए हैं। डाऊनलोड हुए हैं। जिनको संस्कार की बातें बकवास लगती हैं। जो संयुक्त परिवार नहीं चाहते। जो सप्ताह में वीकेंड चाहते हैं। जो लैपटॉप पर घंटों बैठे रहना पसंद करेंगे, लेकिन अपने कपड़े धोना उनको पसंद नहीं है। महीनों बिना नहाए पड़े रहेंगे। इनको सेंकने के लिए धूप चाहिए। जो बच्चों की जिम्मेदारी संभालने से बचना चाहते हैं। जो हरदम,ओ माई गॉड,ओ माई गॉड कहते नहीं थकते। ये वो जेनरेशन है। जिन्होंने कांटे-चम्मच से खाना खाया है। जिनको बटर, ब्रेड और पिज्जा-बर्गर भाता है। जिनको दौलत विरासत में मिली है। जिन्होंने कभी काम नहीं किया। जिनकी फरमाईश पर मिनटों में चीजें उनको मिली हैं। जिन्होंने शकरकंद नहीं देखा। जो ये समझ नहीं पाते कि आलू के पेड़ नहीं होते वो जमीन के भीतर होता है। उनको तो शादी बेकार लगेगी ही। ये वैसे लोग हैं जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया। जिन्होंने कभी फर्श नहीं पोंछा। जिन्होनें कभी खाना नहीं बनाया। जिन्होंने कभी भाजी तरकारी नहीं खरीदी। जिनको पता नहीं है,कि मूंगफली पेड़ पर नहीं उगती, बल्कि जमीन के भीतर उगती है। जिन्होंने हल-बैल नहीं देखा। जिन्होंने खेती की मेहनत नहीं देखी। शादी का विरोध वही लोग कर रहें हैं, जिन्होंने कभी मेहनत ही नहीं की। अचानक से उनके सामने मेहनती दुनिया दिखाई पड़ती है। जिसमें सुबह उठकर तरकारी भाजी लाना है। राशन पानी जुटाना है। जिन्होंने कभी तिनका भी उठाकर इधर -उधर नहीं किया। उनको काम करना पड़े। बर्तन धोना पड़े, कपड़े साफ करना पड़े तो शादी तो शोषण ही लगेगी। भाई आपने लड़ने से पहले तो कोई तैयारी की ही नहीं है। शादी जैसे जंग के मैदान में कूदने से पहले तैयारी तो करनी ही चाहिए थी। जिन्होंने ब्रेड और जैम खाया है। जिनको उबले अंडे चाहिए। जिनको रोस्टेड टोस्ट खाना है। जिन्होंने कभी कपड़े हाथ से नहीं धोए। जिन्होंने खाना कभी कोयले या लकड़ी पर नहीं पकाया। जिनको गीजर चाहिए। जिन्होंने कभी लकड़ी या कोयले के चूल्हे पर पानी गर्म नहीं किया। उनको टंकी के ऊपर गीजर चाहिए। सोने को एसी रूम चाहिए। आप कहेंगे ये लोग कौन हैं, ऐसे जो हमारे समाज में इस तरह की सोच रखते हैं, कि शादी आउटडेटेड फैशन की चीज है। इनकी पहचान क्या है। जो अभी कैरियर पर फोकस कर रहें हैं। वो एक्स्ट्रा लोड नहीं ले सकते हैं। जिनको लगता है कि कौन करे शादी का झमेला। ये जरा सा धूप में चलते हैं, तो इनका चेहरा कुंभलाने लगता है। ये नर्सरी में तैयार किए गए पौधे होते हैं। इसके मुकाबले जो शादी-शुदा लोग हैं। वो तपे हुए लोग हैं। ये मेहनती लोग हैं। शादी जैसी व्यवस्था में अटूट विश्वास रखते हैं। इनका आत्मविश्वास ही सबकुछ बयान कर देता है। ये ज्यों- के-त्यों रहेंगे।

महेश कुमार केशरी
यह लेखक के अपने विचार हैं।

आज का विचार

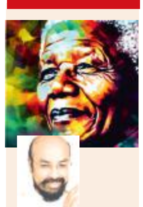

इंसान की गुणवत्ता को महत्व दीजिए, उसके रंग या नस्ल को नहीं। केवल किसी के काले होने से उसे क्यों इन्कार किया जाए,काली तो कस्तूरी भी होती है, पर सोने के भाव बिकती है।
श्री चन्द्रप्रभ जी।

विंडो टू द वर्ल्ड

खूबसूरत लोटस वैली, इंदौर

इंदौर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित मशहूर गुलावट गांव लोटस वैली के नाम से जाना जाता है,यह लोटस वैली 300 एकड़ में फैली है,यहां के फूल इंदौर के साथ दिल्ली-मुंबई तक सप्लाई किए जाते हैं। यह यशवंत सागर डेम के बैक वाटर से प्राकृतिक रूप से बनी झील है। इसके पास ही बांस का बगीचा है।

अपनों से अपनी सी बात

वाणी का संयम

वाणी का दान विधाता ने मनुष्य को इस उद्देश्य के साथ दिया कि वह जो कुछ भी सोचे-विचारे उसको वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त कर सके। वाणी की अभिव्यक्ति इन्सान की प्रथम अभिव्यक्ति कही जा सकती है। यही सर्वाधिक सुलभ माध्यम भी है। छोटे छोटे बच्चे भी इसलिए लिखना सीखने से पहले बोलना सीख जाते है, क्योंकि बिना स्वयं को अभिव्यक्त करे, मनुष्य के लिए अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख पाना शायद सम्भव न हो सके। जहां वाणी हमारे अस्तित्व का, अभिव्यक्ति का एक प्रमुख आधार है, वहीं इसके माध्यम से हमारी मानसिक शक्तियों का सर्वाधिक ह्रास भी होता है। अहंकार, क्रोध, द्वेष, तृष्णा, वासना की अभिव्यक्ति का माध्यम भी वाणी ही बन जाती है। इसलिए वाणी की शक्ति का संरक्षण, संयम व सदुपयोग भी शक्ति संरक्षण का एक महत्वपूर्ण आधारा कहा जा सकता है। कई लोगों की आदत होती है कुछ भी बोल देना, बिना विचारे बोल देना। बोलने में जितनी शक्ति खर्च होती है और आत्मिक ऊर्जा का जितना ह्रास होता है, उतना शारीरिक श्रम में नहीं होता। इसलिए कुछ भी बोलने व वाणी की शक्ति को व्यर्थ गंवाने से पहले हमें गम्भीर रूप से विचार कर लेना चाहिए। वाणी की वाचलता सम्बन्धों में कटुता भी उत्पन्न करती है। जिनको दूसरे की चुगली करने की, निन्दा करने की, दोषपूर्ण बातें करने की आदत पड़ जाती है, उनके सम्बन्ध सदा ही कटु बने रहते हैं। वाचाल व्यक्ति को बिना सोचे समझे कुछ भी बोल पड़ने की आदत पड़ जाती है। इसलिए वह यह भी नहीं सोच पाता कि वह जो कह रहा है, उसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

ललित अकिंचन

Feedback@dainiknavajyoti.com

चिंतन

कीटनाशक अब केवल खेतों या फसलों तक सीमित नहीं रहे

प्रदूषण से उड़कर बादलों में घुलते कीटनाशक

"हमारी धरती, वायु से लेकर खानपान की चीजों तक कीटनाशकों की मौजूदगी के प्रमाण पहले ही मिल चुके हैं। ताजा अध्ययनों के नतीजे यकीनन डराने वाले हैं। हाल में इस अध्ययन की रिपोर्ट आई है, जिससे पता चलता है कि कीटनाशक अब केवल खेतों या फसलों तक सीमित नहीं रहे।

कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल के दुष्प्रभावों से दुनिया भर के लोग परेशान हैं। हमारी धरती, वायु से लेकर खानपान की चीजों तक कीटनाशकों की मौजदूगी के प्रमाण पहले ही मिल चुके हैं। ताजा अध्ययनों के नतीजे यकीनन डराने वाले हैं। हाल में इस अध्ययन की रिपोर्ट आई है, जिससे पता चलता है कि कीटनाशक अब केवल खेतों या फसलों तक सीमित नहीं रहे। यह रासायनिक जहर अब बादलों में भी पहुंच चुका है। यानी जो बादल कभी जीवनदायी जल के रूप में अमृत बरसाते थे, अब वही प्रदूषित बूंदों के जरिए धरती पर जहर बरसा रहे हैं। भारत में भी बादलों में कीटनाशकों के मौजूद होने की पुष्टि हो चुकी है। हाल में यह भयावह सच्चाई फ्रांस के क्लेरमोंट औवर्गे विश्वविद्यालय की टीम के अध्ययन में सामने आई है। इस टीम ने फ्रांस और इटली के बादलों व बारिश के नमूनों का विश्लेषण किया तो परिणाम चौंकाने वाले आए। अध्ययन में पाया गया कि बारिश के पानी में 32 तरह के कीटनाशक पाए गए, जिनमें से कई कीटनाशक यूरोप में एक दशक से प्रतिबंधित हैं।

अध्ययन में पाया गया

अध्ययन में पाया गया है कि यह जहर हवा में घुल चुका है और बारिश के साथ खेतों, झीलों, तालाबों, जंगलों, यहां तक कि पहाड़ों तक पहुंच रहा है। यह वही स्थिति है, जैसी कुछ दशक पहले माइक्रो प्लास्टिक के साथ देखी गई थी। माइक्रो प्लास्टिक पहले नदियों में, फिर मछलियों में पाया गया। यह चिंताजनक है कि हमारे देश के बादलों में भी कीटनाशक पहुंच जाने की पुष्टि हो चुकी है। कोलकाता स्थित भारतीय विज्ञान एवं शिक्षा अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं के मुताबिक, पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र के बादलों में लगभग 12 प्रकार की विषैली धातुओं की मौजूदगी दर्ज की गई है। इनमें कैडमियम, क्रोमियम, तांबा और जस्ता जैसी धातुएं शामिल हैं। ये खतरनाक तत्व निचले इलाकों में फैले प्रदूषण से उड़कर बादलों में घुल जाते हैं और फिर पृथ्वी के सबसे ऊंचे व संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं।

दूषित होना चिंताजनक

पूर्वी हिमालय के बादलों में प्रदूषण की मात्रा पश्चिमी घाट की तुलना में लगभग डेढ़ गुना अधिक है। भारत विश्व के सबसे बड़े कीटनाशक उपभोक्ता देशों में से एक है। मानसूनी बादलों का दूषित होना चिंताजनक है। अगर कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं रोका गया, तो इससे बारिश की हर बूंद खेतों को सींचने के साथ-साथ उनमें नया जहर भी मिला सकती है, जिससे नदियां, भूजल और खाद्य श्रृंखला तक सब कुछ प्रभावित होगा। जो अध्ययन हुए हैं, हमें चिंता इसलिए करनी चाहिए, क्योंकि देश में कीटनाशकों के लिहाज से स्थिति पहले से ही गंभीर है। पंजाब, हरियाणा समेत कई हिस्सों में भूजल में कीटनाशकों के अंश पाए जा चुके हैं। पंजाब और राजस्थान के श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों को तो कैंसर बेल्ट कहा जाने लगा है, जहां कीटनाशकों से दूषित पानी गंभीर बीमारियों का कारण बन रहा है। श्रीगंगानगर जिले में बीस साल पहले ही मांओं के दूध में अत्यधिक कीटनाशक पाए जा चुके हैं। हरियाणा की हिसार यूनिवर्सिटी के शोध में भी मां के दूध में जहर की पुष्टि हो चुकी है। यह चिंताजनक है कि विभिन्न राज्यों में फसलों पर अत्यधिक छिड़काव से मिट्टी की उर्वरता घट रही है। अध्ययन से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि गंगा नदी में मिले विषैले रसायनों का खतरनाक स्तर लुप्तप्राय गंगेटिक डाल्फिन के स्वास्थ्य और अस्तित्व के लिए खतरा बन रहा है।

विश्वव्यापी समस्या

कुल मिलाकर, जब कीटनाशकों का जहर धरती, पानी और हवाओं में पहले ही पहुंच चुका है, वहां बादलों में इसकी पहुंच भयभीत करने वाली है। कीटनाशक अब किसी एक खेत, देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रहे। यह विश्वव्यापी समस्या हैं और प्रकृति के साथ समन्वय समाप्त कर हमने इसे खुद खड़ा किया है। अब अगर बादल भी दूषित हो गए हैं, तो यह सबसे बड़ी चेतावनी है। समय आ चुका है कि हमें स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से बचाने के लिए आगे आना चाहिए। कई पुराने और प्रतिबंधित कीटनाशकों का इस्तेमाल अब भी खेतों में किया जा रहा है। इसे रोकना होगा। कीटनाशकों के नियंत्रित इस्तेमाल की नीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश में तेजी लानी होगी। प्राकृतिक खेती समाधान की ओर बढ़ने का जरिया है। खेती और बागवानी में वैकल्पिक जैविक उपायों को बढ़ाना होगा। इससे भी जरूरी है कि भारत के मानसूनी बादलों और बारिश के नमूनों में कीटनाशकों की उपस्थिति की निगरानी शुरू की जाए। देश में बारिश और बादलों के नमूनों की जांच होनी चाहिए। क्योंकि जीवन का प्रतीक रहे बादल अब प्रदूषण के वाहक बन रहे हैं। अगर हमने रासायनिक खेती से मुख नहीं मोड़ा तो आने वाले समय में इसके परिणाम क्या होंगे, इसकी कल्पना ही डरा देने के लिए काफी है।

अमरपाल सिंह वर्मा
यह लेखक के अपने विचार हैं

राष्ट्रीय सहारा
गोरखपुर ● शनिवार ● 13 दिसंबर ● 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जहां सम्मान है वहां डर है, पर ऐसी हर जगह सम्मान नहीं है, जहां डर है, क्योंकि संभवतः डर सम्मान से ज्यादा व्यापक है।

-सुकरात

वंदे मातरम और राष्ट्रीय आत्मा का पुनर्स्मरण

राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में हुई चर्चा केवल एक औपचारिक बहस नहीं थी, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास, उसकी सांस्कृतिक चेतना और स्वतंत्रता संघर्ष की जड़ों को पुनः समझने का अवसर भी थी। घंटों तक चली बहस में पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी-अपनी बात रखी, बीच-बीच में तीखी तकरार भी हुई, लेकिन इस सबके बीच यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभरा कि वंदे मातरम् आज भी भारतीय राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इतिहास के दो महत्वपूर्ण पड़ावों का उल्लेख किया वंदे मातरम्के 50 वर्ष और 100 वर्ष पूरे होने के समय का राजनीतिक-सामाजिक परिदृश्य। जब इस गीत के 50 वर्ष पूरे हुए थे तब देश अंग्रेज़ी गुलामी के बोझ तले दबा था। भारतीय समाज आज़ादी का स्वप्न देखते हुए संघर्ष के कड़े दौर से गुजर रहा था। और जब गीत के 100 वर्ष पूरे हुए, तब देश आंतरिक आपातकाल की बेड़ियों में जकड़ा था। इन दोनों संदर्भों में उनका संदेश स्पष्ट था। वंदे मातरम् हमेशा उन परिस्थितियों में आशा, साहस और प्रतिरोध का प्रतीक रहा है जब देश कठिनाइयों का सामना कर रहा हो।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी और यह रेखांकित किया कि राष्ट्रीय प्रतीकों को राजनीतिक खेमाबंदी का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि वंदे मातरम् केवल किसी एक दल या विचारधारा का नारा नहीं, बल्कि पूरे भारत की साझा धरोहर है। यह दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रगीत किसी

भी लोकतंत्र में एकता, व्यापकता और समावेशिता का प्रतिनिधित्व करता है। संसद में यह दृष्टिकोण सामने आना आवश्यक था ताकि यह स्पष्ट रहे कि राष्ट्रभक्ति का अर्थ किसी एक राजनीतिक स्वर का वर्चस्व नहीं, बल्कि विविध स्वरों का सामूहिक संगम है।

संसद में हुए इस विमर्श को दो दृष्टियों से देखने की जरूरत है। प्रथम, यह बहस इस तथ्य को पुष्ट करती है कि भारतीय लोकतंत्र अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति संवेदनशील है और अपने प्रतीकों का सम्मान करना जानता है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों पर चर्चा जब राजनीतिक कटाक्षों और वाकयुद्ध में बदल जाती है, तो उसका मूल उद्देश्य धुंधला पड़ जाता है। संसद जैसा सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच इस योग्य है कि वहां से उभरने वाली सोच देश को दिशा दे, प्रेरणा दे और विचार-विमर्श की मर्यादा का उदाहरण बने। आज जब वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे हो रहे है, तो यह स्मरण करना आवश्यक है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में इस गीत को केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लिखा था, बल्कि यह भारतीय आत्मा की ऊर्जा, जागरण और स्वतंत्रता के संकल्प का प्रतीक था। इस गीत ने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया, आज़ादी की चिंगारी को प्रज्वलित किया और भारतीय राष्ट्रभावना को स्वर दिया। इसलिए इस अवसर पर संसद की बहस का महत्व तभी है जब वह हमें यह सोचने पर मजबूर करे कि क्या हम आज भी विभाजनों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय प्रतीकों को एक साझा गौरव के रूप में स्वीकार कर पाते है? वंदे मातरम् का 150वां वर्ष हमें यही संदेश देता है राष्ट्र पहले, राजनीति बाद में। राष्ट्रगीत की गरिमा बरकरार रखना हर भारतीय की जिम्मेदारी है, चाहे वह सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में। और यही लोकतांत्रिक परंपरा का सार है। वंदे मातरम की आवाज़ में एकता का स्वर।

धर्म-कर्मः मोह के कारण हमारा भाग्य साथ नहीं देता

एक बार दो देवताओं में विवाद हो गया कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ विवाद हर व्यक्ति के मन में पैदा होता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो। निश्चित हुआ, परीक्षा करें। एक देवता ने कहा- देखो। भाग्य बड़ा नहीं होता, पुरुषार्थ बड़ा होता है। दूसरे ने कहा- नहीं। उस आदमी को देखो। तुम्हें साक्षात प्रमाणित करूंगा कि पुरुषार्थ बड़ा नहीं होता, भाग्य बड़ा होता है। पति-पत्नी जा रहे थे। देवता ने रास्ते के बीच रत्नों का ढेर लगा दिया। रत्न ही रत्न बिखेर दिए। जब आस-पास आए पति-पत्नी ने कहा अभी तो हमारी आंखे अच्छी है, हम देख सकते है, हमें सब कुछ दिखाई देता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बुढ़ापा आने के साथ-साथ हमारी आंखें चली जाएं, हम अन्धे हो जाएं। फिर काम कैसे चलेगा? पति ने कहा परीक्षा कर लें। देखें, कैसे काम चलेगा? दोनों ने आंखों पर पट्टी बांध ली। दोनों चले। जहां रत्न बिखरे हुए पड़े थे, ढेर लगा था आस-पास में, उससे आगे निकल गए। कुछ आगे जाकर पति बोला- आंखो के बिना काम तो चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। खोल लो पट्टी। पट्टी खोल ली। देवता ने कहा- देखा तुमने भाग्य में नहीं था. कुछ नहीं मिला। भाग्य बड़ा है पुरुषार्थ से। भाग्य और पुरुषार्थ की चर्चा को हम छोड़ दें किन्तु इस बात को हम नहीं छोड़ेंगे कि जब तक आंख पर मोह की पट्टी बंधी हुई है, तब तक हमारे आस-पास में, हमारे सामने, दाएं-बाएं, चारों तरफ जो सम्पदा बिखरी पड़ी है, उसका हमें कुछ भी पता नहीं चलता। हम उस सम्पदा से अनजान रह जाते है।

राजनीतिक दलों की गले की फांस बना SIR

विचार

शंभूनाथ शुक्ल

कहीं नाम कटने की टेंशन, तो कहीं नागरिकता साबित करने का संकट SIR राजनीतिक दलों के लिए गले की फांस बन गया है। कहीं नाम कटने की टेंशन है तो कहीं नागरिकता साबित करने का संकट. आखिर लोग करे तो करे क्या! 11 दिसंबर की डेडलाइन के बाद भी छह राज्यों में इसकी समय सीमा फिर से बढ़ाई गई है। राजनीतिक दलों के लिए गले की फांस बना SIR, कहीं नाम कटने की टेंशन, तो कहीं नागरिकता साबित करने का संकट राजनीतिक दलों के लिए गले की फांस बना SIR। उत्तर 24 परगना, नदिया और माल्दा पश्चिम बंगाल के ऐसे जिले है, जहां हिंदू, मुसलमान दोनों गहन पुनरीक्षण (SIR) से परेशान है। किसी के भी पास ऐसे डाक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, जिससे पता चल सके कि वे और उनके मां-बाप या दादा-दादी भारत के नागरिक थे। उनके पास आधार तो है, पूर्व के चुनावों में वोट देने के सबूत भी किंतु निर्वाचन विभाग इन्हें सबूत नहीं मानता है। 11 दिसंबर की डेडलाइन है और गुरुवार यानी आज से SIR का काम समाप्त। मगर अभी तक शायद ही कोई BLO अपना काम पूरा कर पाया होगा। 12 राज्यों और आठ केंद्र शाषित प्रदेशों के मतदाताओं की पुष्टि कैसे होगी? अभी तक इसका कोई सर्व मान्य हल नहीं आ पाया है. सबसे अधिक जटिल स्थिति उन राज्यों की है, जो बांग्ला देश से सटे हुए है. कई हजार किमी की सीमा के इस क्षेत्र में वोटर आईकार्ड की पुष्टि हंसी-खेल नहीं है।

85 के ऊपर के मतदाता पर शक : पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने SIR में कोई बाधा नहीं डाली और चुनाव आयोग को अपना काम करने दिया। मगर वहां इतने किंतु-परंतु है कि पूरी संभावना है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में डेड लाइन बढ़ा दी जाए। सबसे बड़ी परेशानी आ रही है लोगों की उम्र की तस्दीक़ में। 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के वोटर आई कार्ड को लेकर चुनाव आयोग ने सवाल खड़े कर दिए है और कहा है कि BLO उनके घर जाएं और उनकी फोटो ले कर आएं। पश्चिम बंगाल में इसे लेकर रोष उत्पन्न हो गया है। लोगों का कहना है कि भारत में औसत उम्र अब 70-75 वर्ष है, ऐसे में 85 वर्ष की आयु पाना कोई असंभव बात तो नहीं। यह बुजुर्गों का अपमान है और साथ ही BLO पर निरर्थक शक किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदू मतुआ समुदाय की बड़ी तादाद है, जिनके ऊपर तलवार लटक रही है।

शरणार्थी बनाम घुसपैठिया : कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में रह रहे प्रख्यात कवि और पत्रकार प्रभात पांडेय कहते है कि SIR एक निरर्थक प्रक्रिया है। इसने बांग्ला देश से आए शरणार्थियों और घुसपैठियों को परस्पर मिला दिया है। हर एक के सिर पर तलवार लटक रही है कि यदि आज वे अपने पुरखों का बायोडाटा नहीं दे पाए तो उनको सदा-सदा के लिए शरणार्थी मान लिया जाएगा। मगर वे अपने मां-बाप अथवा दादा-दादी के भारतीय नागरिक होने का सबूत लाएं कहां से? क्योंकि उनमें से अधिकांश का जन्म पूर्वी बंगाल (आज के बांग्ला देश) में हुआ था। अधिकांश मतुआ समदाय के लोग 1971 में आए जब पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हुआ और शेख़ मुजीबुर्रहमान के नेतृत्त्व में बांग्ला देश बना।

सभी पर SIR की तलवार : इस गृह युद्ध के निशाने पर हिंदुओं के यही मतुआ लोग थे इसलिए वे भारत आ गए थे. ऐसे में आज 54-55 वर्ष बाद उन्हें घुसपैठिया कैसे माना जाए। जबकि अभी तक उन्हें यहां बाकायदा भारतीय नागरिक होने का दर्जा प्राप्त था। यह दिलचस्प है कि इस दौरान इनमें से कई लोगों ने वोट भी डाले। बांग्ला देश से सटे भारतीय इलाकों में मुसलमान आबादी भी बहुत है। इन मुसलमानों के समक्ष संकट है कि वे अपने को पश्चिम बंगाल का मूल निवासी होने की तस्दीक़ कैसे करें। पश्चिम बंगाल में CAA तो हो नहीं पाया। उसका भारी विरोध हुआ था।

ममता का दांव : CPM की राज्य और केंद्रीय कमेटी के बड़े नेता अरुण माहेश्वरी का कहना है कि वैसे तो तृणमूल और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू है। मगर SIR के मामले में ममता बनर्जी भाजपा पर भारी पड़ गई. उन्होंने SIR के मामले में कोई अड़ंगा नहीं डाला। उन्हें पता था कि यदि उन्होंने SIR में अड़ंगेबाजी की तो ऐन विधानसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है। इसलिए ममता बनर्जी ने SIR को होने दिया। BLO की नियुक्तियों में भी सहयोग किया। पर वहां भाजपा ने पाया कि मतुआ तो परंपरा से उनका वोटर रहा है और उसी का वोट ख़तरे में पड़ गया है। भाजपा ने मतुआ समुदाय को भरोसा दिया था कि वे CAA के तहत अपने नाम दें परंतु यदि वे ऐसा करते है तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि वे पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से आए हुए है। फिर तो कभी भी वे सवालों के घेरे में आ जाएंगे।

कांग्रेस की कड़ी नजर : पश्चिम बंगाल कांग्रेस के उपाध्यक्ष संतोष पाठक कहते है कि च्क्ष्ड चुनाव आयोग का एक बेहतर कदम है। यद्यपि हमारी पार्टी भी इस बात पर नज़र रखे है कि SIR की बिनाह पर किसी मतदाता का नाम न कटे किंतु इसमें भी कोई शक नहीं कि CPM और TMC के राज में फ़र्ज़ी मतदाता पहचान पत्र भी खूब बने है. अपनी जीत पक्की करने के लिए इन दोनों दलों ने घुसपैठियों को वोटर बनाया। इसलिए SIR तो होना ही चाहिए ताकि असली-नक़ली का पता चल सके। पर चुनाव आयोग को इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को भी भरोसे में लेना चाहिए।

मतुआ भड़क गए हैं : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने स्पष्ट कह दिया है कि यदि वे भाजपा नेता शान्तनु ठाकुर के कहने पर दस रुपए का फ़ॉर्म और 750 रुपए दे कर मतुआ महासंघ से यह सबूत पा लेते है कि वे बांग्ला देश से शरणार्थी बन कर आए तो यह ठप्पा उन पर लग जाएगा। इससे मतुआ समुदाय का बड़ा वर्ग भड़क गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) एक दुधारी तलवार है। खुद शान्तनु ठाकुर मतुआ समुदाय के बड़े नेता हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी है। किंतु बड़ा सवाल यह है कि कोई केंद्रीय मंत्री किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होने का प्रमाण पत्र कैसे दे सकता है।

मतुआ का बंटना भाजपा के लिए ख़तरा : पश्चिम बंगाल में पूर्वी बंगाल के हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है. पूर्व में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे कई राजनेता पूर्वी बंगाल से आए थे। खुद ज्योति वसु पूर्वी बंगाल से थे। लेकिन वे लोग 1947 में आए थे इसलिए सहज ही वे आज़ाद भारत में नागरिक होने का सबूत पा गए। लेकिन मतुआ समुदाय 1971 में आया और आज पश्चिम बंगाल में उसकी आबादी 25 प्रतिशत के आसपास है।

2003 के पहले का ब्योरा कहां से लाएं : इसलिए SIR अब हर राजनीतिक दल के गले की फांस बनता जा रहा है। SIR चुनाव आयोग का मामला है। इसे केंद्र सरकार का निजी कार्यक्रम नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कह दिया है कि SIR कार्यक्रम में बाधा नहीं डाली जा सकती। हालांकि, पहले एक बार इसकी डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है इसलिए उम्मीद है कि इसकी डेडलाइन की तारीख़ बढ़ाई जाएगी। मामला सिर्फ़ पश्चिम बंगाल का नहीं है। असली संकट तो उत्तर प्रदेश का है, जहां अभी तक बड़े हिस्से में BLO अपना काम पूरा नहीं कर पाए है। सबसे कठिन काम है 2003 के पहले की वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम छांटना। अपना जन्म प्रमाण पत्र और अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र जुटाना कितना मुश्किल है। जबकि लगभग सभी के पास आधार कार्ड है। बहुत से लोगों के पास सरकारी नौकरी है और वोटर आई कार्ड भी पर SIR की जो चाहिए उससे वे कैसे साबित कर पाएँ अपनी नागरिकता। कुछ लोग तो अपना पासपोर्ट भी दे रहे है किंतु BLO को 2003 के पहले का वोटर आई कार्ड चाहिए।

अध्यात्म प्रेम | संत राजिंदर

प्रत्येक इंसान चाहता है कि वह औरों से प्रेम करे और दूसरे भी उससे प्रेम करें। मनोवैज्ञानिक आधार पर जब इंसान की बुनियाद जरूरतों जैसे भोजन, वस्त्र, मकान और सुरक्षा की बात की जाती है, तब उसमें प्रेम की जरूरतों को भी शामिल किया जाता है। अक्सर लोग बाहरी दुनिया में माता-पिता, भाई-बहन और रिश्तेदारों से प्रेम की उम्मीद करते हैं। जैसे-जैसे वे बड़े होते हैं तो वे अपने दोस्तों से प्रेम पाना चाहते हैं। युवा अवस्था में वे अपने जीवन साथी, बच्चों और सहकर्मियों से प्रेम पाना चाहते हैं। संत-महापुरुष हमें समझाते हैं कि इस दुनिया के सभी प्रेम अस्थायी हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है कि समय बीतने पर रिश्तों में अनबन हो जाती है, बच्चे अपने कार्यों की वजह से दूर चले जाते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग माता-पिता आदि धीरे-धीरे इस दुनिया से चल बसते हैं। ऐसी स्थिति में इस दुनियावी प्रेम के खोने पर हम दुःखी हो जाते हैं। इस प्रेम के खोने पर अक्सर हम दुःखों से राहत पाने के लिए परमात्मा की तरफ रुख करते हैं। प्रभु जब हमारी करुण पुकार को सुनते हैं, तब वे हमें किसी ऐसी हस्ती (सतगुरु) के पास भेजते हैं, जो हमें बता सके कि पिता-परमेश्वर का स्थायी प्रेम हमारे अंतर में मौजूद है, जोकि दुनियावी प्रेम से कहीं ज्यादा है। हमारे सतगुरु हमें परमात्मा के इस अनंत प्रेम से जोड़ देते हैं। युगों-युगों से आध्यात्मिक गुरु इस धरा पर आते रहे हैं, जिन्होंने हमें अनंत प्रेम को पाने का मार्ग दिखाया है। वे हमें ध्यान-अभ्यास का तरीका सिखाते हैं, जिससे हम अपने अंतर में पिता-परमेश्वर के प्रेम को पा सकते हैं। हम इन आंखों से परमात्मा को नहीं देख सकते, आध्यात्मिक सतगुरु हमें अंतर की आंखों से परमात्मा को अनुभव करने का मार्ग दिखाते हैं। जब हम उनके बताए रूहानी रास्ते पर चलते हैं, तब हम अपने अंतर में परमात्मा के प्रेम का अनुभव करते हैं। परमात्मा का अनुभव बुद्धि के जरिए नहीं किया जा सकता। परमात्मा प्रेम है, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम है और परमात्मा को पाने का रास्ता भी प्रेम है। पिता-परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें मन-माया की वह सारी परतें हटानी होंगी, जो हमें उस दिव्य-प्रेम का अनुभव करने से दूर रखती हैं। जब हम आध्यात्मिक सतगुरु के पास जाते हैं तो वे हमें परमात्मा के प्रेम का अनुभव कराते हैं।

रीडर्स मेल

गरीबों का सशक्तीकरण

शहरी गरीबों को घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसा मिशन बन गयी है जिसे आवास एजेंसियां अगर ईमनदारी से लागू करें तो वास्तव में अगले कुछ वर्षों में सबका आवास का सपना साकार हो सकता हैं। गरीबों को घर मिलने से उनका सशक्तीकरण होगा। प्रदेश में इस साल करीब डेढ लाख आवास इस योजना के तहत बनाने का फैसला किया गया है। अगर सरकार इस योजना के तहत गरीबों को आवास देने में सफल होती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में हर साल 50 लाख घरों का निर्माण होता रहे तो अगले चार-पांच साल में सभी को घर मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल के वर्षों में इस योजना का काम तेज हुआ है और लाखों गरीबों को घर मिला है। यह अच्छी बात है लेकिन जिस तरह से सरकारी एजेंसियों नेकी कार्यप्रणाली है उससे लोगों को निराश होना पड़ता है।

मधुर मोहन तिवारी, डालीगंज, लखनऊ।

letter.editorsahara@gmail.com

जराकुश के जरिये दूर भगाएं रोग

■ **दर्द और सूजन में राहत**

इसमें प्राकृतिक एनाल्जेसिक (दर्द कम करने वाले) गुण पाए जाते हैं।

जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द और सूजन में लाभकारी।

■ **पाचन तंत्र को मजबूत करना**

गैस, अपच और कब्ज में राहत देती है।

भूख बढ़ाने और पाचन क्रिया को संतुलित करने में मदद करती है।

■ **रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए**

शरीर में इंफेक्शन से लड़ने की शक्ति बढ़ाती है।

सर्दी-जुकाम में उपयोगी मानी जाती है।

■ **त्वचा के लिए फायदेमंद**

त्वचा की एलर्जी, खुजली और जलन में राहत देती है।

शरीर की अंदरूनी गर्मी को संतुलित करती है।

स्रोत : मीडिया इनपुट्स

'हमारे मेहुल भाई', नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय मालया, सभी अरबपति हैं, और सभी पर बैंकों का अरबों रुपया बकाया है, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी संगठित लूट है, ये सभी देश को छोड़ कर भाग चुके हैं। यह सब 'सरकार की अरबपतियों के भाग निकलने में मददगार सेवा' का हिस्सा है।

स्वाति चतुर्वेदी, पत्रकार
@bainjal

हर किसी की जरूरत पूरी करती पीएम सूर्य घर योजना

मनोज कुमार तिवारी
वरिष्ठ पत्रकार

बिजली आज के युग में हर मनुष्य की जरूरी आवश्यकता हो गई है चाहे महानगर हो या फिर कोई ग्रामीण इलाका हर जगह इसकी जरूरत है। सभी देशवासियों को निर्वाध बिजली मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत की है। फरवरी 2024 में 75000 करोड़ की इस योजना को 2026- 27 तक पूरे देश में लागू करने की का प्रयास गंभीर रूप ले चुका है। इसे एन सी आई ए और एस आई ए ए के माध्यम से लागू किया जाना है। इस योजना के तहत सरकार को 75000 करोड रुपए की बचत के साथ 30 गीगावाट सौर क्षमता हासिल करना भी है। इससे 17 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन और 700 मेट्रिक टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी का अनुमान है। सरकार की योजना के अनुसार डिस्काम अपने-अपने क्षेत्र में सूर्य ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं को कई सुविधाएं दे रहा है। इसमें समय पर निरीक्षण, नेट मीटर की उपलब्धता,विक्रेता पंजीकरण और प्रबंधन शामिल है। सरकार की इस योजना में 1 किलो वाट के लिए 30 हजार, 2 किलोवाट के लिए 60000 और 3 किलो वाट के लिए अधिकतम 78000 सब्सिडी की व्यवस्था है। सौर पैनल लगाने के उपयुक्त खुले छत वाला हर भारतीय नागरिक जिसके पास वैध बिजली कनेक्शन हो इस योजना का पात्र है। आम लोगों को 25 वर्ष तक मुफ्त बिजली और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। एक किलो वाट के सोलर पैनल की कीमत 96 हजार से लेकर 125000 तक होती है इसमें सरकार की ओर से 3 0000 की सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के खाते में दी जाती है। यदि 5 किलो वाट के संयंत्र का खर्च 3 लाख से ऊपर है तो इसमें भी 78000 की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावे कई राज्य सरकारें भी अलग से छूट प्रदान कर रहीं है। देश के हर कोने में सस्ती और साफ बिजली पहुंचाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। हर घर की छत पर जहां संभव है वहां सौर पैनल लगाकर उस घर को बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। जानकार बताते है कि इस योजना से उपभोक्ता को हर माह लगभग 300 तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। इसके अलावा वह अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर पैसा भी कमा सकता है। इस योजना का लाभ किराएदार को भी मकान मालिक की लिखित अनुमति के बाद मिल सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विक्रेता से ही सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करना होगा।

इस योजना में फिलहाल गुजरात सबसे ऊपर है। यहां लगभग 3.30 लाख सौर पैनल स्थापित कर इसके माध्यम से लगभग 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र यहां लगभग 2 लाख सोलर पैनल लगाए जा चुके है इसके बाद उत्तर प्रदेश केरल और राजस्थान का नंबर आता है।

इस योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश में लंबी छलांग लगाई है। प्रदेश में 3 साल में 25 लाख सोलर रूफटॉप लगाने की योजना है। आंकड़े बताते है कि अब तक यूपी में 300000 से अधिक घरों में सोलर पैनल का इंस्टालेशन किया जा चुका है। इससे 40 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है। इसके लिए प्रदेश भर में 4000 से अधिक वेंडर काम कर रहे है जिसमें 48000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। अगर

इसमें सप्लाई चैन व मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ लिया जाए तो लाखों लोग अप्रत्यक्ष रोजगार भी पा रहे हैं। एक आकड़ा बताता है कि इस योजना के चलते 3800 एकड़ भूमि की बचत की हुई है। इस मद में केंद्र सरकार की ओर से 1808 करोड़ और राज्य की सरकार की ओर से 584 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है। यही नहीं प्रदेश सरकार ने अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में नवंबर 2025 तक लगभग 24 लाख घरों में 7 गीगावॉट स्वच्छ ऊर्जा की स्थापित क्षमता के साथ रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके है। पूरे देश में पीएम सूर्यघर योजना के तहत 13464 .6 करोड़ की सब्सिडी जारी की जा चुकी है। पूरी योजना घरों को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, बिजली बिल के भार को कम करने और रोजगार पैदा करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई है। सौर पैनल के इंस्टॉलेशन के लिए लिए कुछ बैंक 90 प्रतिशत तक लोन भी दे रहे हैं। सरकार ने योजना के सही कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पोर्टल और मोबाइल एप भी बनवाए है। हालांकि सरकार की अपेक्षा के अनुरूप अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की प्रगति धीमी है। आशा है आम लोग इस योजना का लाभ उठाकर स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के क्षेत्र में एक मानक स्थापित करेंगे और पर्यावरण की सुरक्षा में मदद करेंगे।

राष्ट्रीय सहारा
+ राष्ट्रीयता + कर्तव्य + समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा राष्ट्रीय सहारा काम्पलेक्स, पार्क रोड, गोरखपुर में मुद्रित तथा प्रकाशित। । **वरिष्ठ स्थानीय संपादक -पीयूष बंका। स्थानीय संपादक-दीप्त भानु डे *।**
गोरखपुर कार्यालय- पी.बी.एक्स- 0551-2202362, 63, 64, फैक्स- 0551-2202365

वर्ष-26, अंक 315 | आर.एन.आई.सं.यू.पी.ए.आई.एन./2000/1707

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

जन एक्सप्रेस

सम्पादकीय

हिंदू आस्था का मान रखने वाले जज के खिलाफ पूरे विपक्ष का एकजुट होना चिंताजनक

राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील दायर कर दी है। वहीं 5 दिसंबर को खंडपीठ ने मंदिर प्रबंधन का पक्ष रखते हुए यह चेतावनी दी कि न्यायपालिका का अपमान करने वाली टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर को अदालत ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव और एडीजीपी (कानून-व्यवस्था) को 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का आदेश दिया, क्योंकि प्रशासन ने न्यायालय के पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया। दूसरी ओर, यह विवाद इसी बीच संसद तक पहुँच गया है।

हिंदू-बहुल भारत में आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हो गई है कि किसी हिंदू को अपने ही प्राचीन धर्मस्थल पर दीपक जलाने या पूजा करने के लिए अदालत से अनुमति लेनी पड़े? यह स्थिति आखिर क्यों पैदा हो गयी है कि न्यायालय पूजा की अनुमति दे दे तो सरकार उस अनुमति के क्रियान्वयन को ही रोक दे? यह स्थिति क्यों बन गयी है कि अदालत अनुमति दे दे तो कुछ राजनीतिक दल उस न्यायाधीश को ही पद से हटाने की मांग करने लगें जिसने हिंदुओं को अपने धर्म स्थल पर पूजा करने की अनुमति दी? क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक दृश्य है? सवाल उठता है कि तुष्टिकरण की राजनीति की आड़ में हिंदू आस्था को बार-बार क्यों चोट पहुँचायी जाती है? क्या बहुसंख्यक धर्म की परंपराएँ केवल इसलिए संदेह के घेरे में हैं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की राजनीति को धर्म और इतिहास से ऊपर रख चुके हैं? और क्या अब न्यायपालिका तक को इस आधार पर निशाना बनाया जाएगा कि उसका निर्णय किसी समुदाय को राजनीतिक रूप से असुविधाजनक लगा? इन मूलभूत प्रश्नों के बीच तिरुप्परनकुंद्रम का दीपथूण विवाद केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का मामला नहीं रह गया है; यह प्रशासनिक निष्पक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रही राजनीति की वास्तविकता का आईना बन चुका है। हम आपको बता दें कि मदुरै के तिरुप्परनकुंद्रम में अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और उससे सटे 'दीपथूण' (पत्थर के दीप-स्तंभ) पर दीप प्रज्ज्वलन को लेकर उठा विवाद लगातार कानूनी और राजनीतिक टकराव का रूप लेता जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा 'दीपथूण' पर दीप जलाने की अनुमति देने के बाद राज्य सरकार ने न केवल इस आदेश को चुनौती दी बल्कि जिला प्रशासन ने भी पर्वत की तलहटी पर ही श्रद्धालुओं को रोक दिया। इस घटना ने न्यायपालिका और राज्य सरकार के बीच तनाव को सार्वजनिक रूप से उद्घाटित कर दिया। हम आपको बता दें कि 1 दिसंबर को न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने हिंदू तमिलर कच्ची के संस्थापक राम रविकुमार की याचिका पर आदेश देते हुए भक्तों को तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथूण पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। लेकिन 3 दिसंबर के कार्तिगई दीपम उत्सव के दिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया जिसके बाद रविकुमार ने अवमानना याचिका दायर की। उसी दिन न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने दस भक्तों को दीपथूण तक जाने और वहाँ दीप प्रज्ज्वलित करने की अनुमति दी तथा उनकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ कवर प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद पुलिस ने समूह को रोक दिया और राज्य सरकार ने अवमानना कार्यवाही से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हम आपको बता दें कि इस मामले की जड़ें लगभग सौ वर्ष पुरानी हैं। तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी, जो भगवान मुरुगन के छह प्रमुख पवित्र स्थलों (अरुपडई वीड़कु) में से एक है, वहां पर स्थित मंदिर और एक दरगाह के बीच 1920 से ही स्वामित्व और धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद रहा है। उस समय सिविल कोर्ट और बाद में प्रिवी काउंसिल ने पहाड़ी को मंदिर सम्पत्ति घोषित किया था। किंतु दीप प्रज्ज्वलन की परंपरा को लेकर न्यायालय ने 1996 में यह कहा था कि पारंपरिक स्थान मंदिर परिसर का उचिपिल्लैयार कोविल मंडपम है; हालांकि भविष्य में किसी वैकल्पिक स्थान पर दीप प्रज्ज्वलन की अनुमति विभाग द्वारा दी जा सकती है, बशर्ते वह दरगाह से दूर हो। इसके बाद भी दीपथूण को पारंपरिक स्थल बताकर कई याचिकाएँ दायर हुईं।

एक्सप्रेस आलेख

बिना लाइसेंस चल रहे क्लब, होटल या रेस्तरां को बंद कराने के साथ यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ये खुल कैसे जाते हैं और फिर कैसे धड़ल्ले से चलते रहते हैं। हमें यह मानना होगा कि जीवन की कीमत केवल शब्दों में नहीं, व्यवस्था में भी झलकनी चाहिए। जब तक हमारी नीतियों में कठोरता नहीं आएगी, जब तक भ्रष्टाचार की जड़ें नहीं काटी जाएंगी और जब तक नागरिक-केंद्रित शासन स्थापित नहीं होगा, तब तक मनोरंजन के नाम पर मौतें होती रहेंगी। गोवा का नाइट क्लब हादसा केवल आग नहीं-हमारे विवेक, शासन और मानवता की विफलता है। अब यह हमारे हाथ में है कि हम इसे भूलें या इसे परिवर्तन की शुरुआत बनाएं।

गोवा हादसा : झुलसती संवेदनाएं और नाकाम होती व्यवस्था

ललित गर्ग

हर घटना के बाद नेताओं के बयान आते हैं 'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन क्या कभी हमने दोषियों को सजा होते देखा है? कभी किसी अधिकारी को बर्खास्त होते देखा है? क्या किसी क्लब या होटल की अनुमति स्थायी रूप से रद्द की गई? जवाब अधिकतर 'नहीं' है। यही वह सत्य है जो बताता है कि हमारा समाज हादसे को दुख तो मानता है पर समस्या नहीं मानता।

एक बार फिर एक भीषण आग ने 25 मासूम जिंदगियों को छीन लिया। गोवा के नाइट क्लब में हुई यह त्रासदी केवल आगजनी नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की जड़ता, गैर-जिम्मेदारी और नैतिक पतन की ज्वलंत मिसाल है। गोवा का जो नाइट क्लब आग की चपेट में आया, वह नियमों की अनदेखी करके तो चलाया ही जा रहा था, उसमें आग से बचाव के उपाय भी नहीं किए गए थे। रही-सही कसर इससे पूरी हो गई कि नाइट क्लब में आने और जाने का रास्ता बेहद संकरा था। आग की चपेट में आने वालों की संख्या इसलिए अधिक बढ़ गई, क्योंकि बचने के लिए उन्होंने जिस रास्ते को सुरक्षित समझा, वहां पहले से ही लोग फंसे हुए थे। इस तरह से आनंद और उत्सव का स्थल अचानक जीवन समाधि में बदल गया, वह अनेक सवाल हमारे सामने खड़े करता है, क्या हम सीखने की क्षमता खो चुके हैं? क्यों हर हादसे के बाद जांच समितियां बनती हैं, मुआवजा घोषित होता है, कुछ दिन हंगामा होता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है? पूर्व में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सूरत और अनेक शहरों में समान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। होटल, मॉल, थिएटर, अस्पताल, फैक्ट्री, कोचिंग सेंटर-लापरवाही की आग में झूलसनों वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारी संवेदनशीलता का स्तर छोटा होता जा रहा है। आगजनी की घटनाओं का सिलसिला तो लगातार है, परंतु सुरक्षा मानकों के प्रति हमारी उदासीनता और घोर लापरवाही भी उतनी ही स्थायी है। यह बात स्पष्ट है कि हादसे किसी तकनीकी गलती का परिणाम भर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक मिलीभगत की देन भी हैं। गोवा अपनी पहचान पर्यटन से बनाता है। नाइट लाइफ, समुद्री तटों का आनंद, मनोरंजन गतिविधियां और विदेशी पर्यटक इसका स्वाभाविक आकर्षण हैं। ऐसे प्रदेश में इस प्रकार का हादसा केवल मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि छवि और अर्थव्यवस्था का गहरा नुकसान भी है। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री पहले ही प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा को लेकर चुनौतियों से जूझ रही है। यह घटना विश्व के सामने एक सवाल बनकर खड़ी है-क्या भारत सुरक्षित पर्यटन देश है? क्या यहां गैर-जिम्मेदाराना ढांचे और भ्रष्ट तंत्र के बीच किसी का जीवन सुरक्षित रखा जा सकता है? इस प्रकार के हादसों में दो बड़े चरित्र सामने आते हैं-सरकार की सुस्ती और आयोजकों की लालचपूर्ण मानसिकता। अधिकांश नाइट क्लब, बार, पार्क या मनोरंजन स्थल ऐसे होते हैं जहां प्रवेश शुल्क, अवैध संचालन और आर्थिक लाभ का बड़ा खेल चलता है। इमारतों की मंजूरी, फायर सुरक्षा की अनुमति, बिजली के तारों का रखरखाव, निकास मार्ग-ये सभी चीजें फाइलों में तो दर्ज होती हैं, लेकिन जमीन पर गायब रहती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की सजगता की जगह 'संबंध' और 'सुविधा शुल्क' काम करता है। निरीक्षण के नाम पर औपचारिकता ढहती है और बीते हुए हादसे केवल याद बनकर रह जाते हैं। नाइट क्लब तक

गोवा अपनी पहचान पर्यटन से बनाता है। नाइट लाइफ, समुद्री तटों का आनंद, मनोरंजन गतिविधियां और विदेशी पर्यटक इसका स्वाभाविक आकर्षण है। ऐसे प्रदेश में इस प्रकार का हादसा केवल मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि छवि और अर्थव्यवस्था का गहरा नुकसान भी है। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री पहले ही प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा को लेकर चुनौतियों से जूझ रही है।

पहुंचने का रास्ता इतना संकरा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 400 मीटर दूर खड़ा होना पड़ा। सजावट के लिए ताड़ के सूखे पत्तों का इस्तेमाल किया गया था, जिसने आग और भड़का दी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर एंट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इस क्लब में लगता है कि इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कई लोग भटक कर किचन में पहुंच गए, जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। यह नाइटक्लब बिना मंजूरी के चल रहा था। लोकल अथॉरिटी के मुताबिक, निर्माण अवैध था। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हम हादसों को नियति क्यों मान लेते हैं? हर घटना के बाद नेताओं के बयान आते हैं- 'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, 'उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन क्या कभी हमने दोषियों को सजा होते देखा है? कभी किसी अधिकारी को बर्खास्त होते देखा है? क्या किसी क्लब या होटल की अनुमति स्थायी रूप से रद्द की गई? जवाब अधिकतर 'नहीं' है। यही वह सत्य है जो बताता है कि हमारा समाज हादसे को दुख तो मानता है पर समस्या नहीं मानता। अजीब विडंबना यह है कि हादसे के शिकार गरीब या आम नागरिक होते हैं, लेकिन इस त्रासदी से गुजरी व्यवस्थाओं को कोई चोट नहीं लगती। वे फिर उठते हैं, नए सजावटी बोर्ड लगा लेते हैं और जनता को फिर से आकर्षित कर लेते हैं। व्यवस्था में भ्रष्टाचार और मानव-मूल्यों का ह्रास दोनों मिलकर ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं। यह केवल प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि सामूहिक नैतिक ह्रास भी है। आयोजक केवल लाभ देखते हैं; प्रशासन केवल कागजों पर निशान देखता है; समाज घटना को क्षणिक दुख समझकर भूल जाता है। वैश्विक स्तर पर देखें तो किसी भी विकसित या उत्तरदायी समाज में जन-स्थलों पर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। नियमित निरीक्षण, कठोर दंड, मानकों का अनिवार्य पालन और पारदर्शिता बुनियादी तत्व हैं। भारत में ये मानक केवल कानूनी पुस्तकों में रहते हैं। सवाल यह नहीं कि हादसे क्यों होते हैं, सवाल यह है कि सीख क्यों नहीं ली जाती। गोवा का यह हादसा एक चेतावनी है, अकेले गोवा के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। हम विकास, पर्यटन और आधुनिक जीवनशैली की बात करते हैं, लेकिन सुरक्षा, नियंत्रण और मानवीय संवेदनशीलता को हाशिए पर छोड़ देते हैं। यह घटना बताती है कि यदि व्यवस्था की लापरवाही और लालच के बीच नागरिक की सुरक्षा कुचलती रही तो हम आधुनिक ढांचे बनाकर भी असुरक्षित रहेंगे। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों की सुरक्षा पर टिकी होती है, न कि केवल चमक-दमक पर। गोवा घटना ने सरकार की छवि को ध्वस्त किया है। पर्यटन उद्योग की नींव हिलाई है और नागरिक विश्वास को चोट पहुंचाई है। गोवा के जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 16 प्रतिशत से ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से सितंबर के बीच 6.23 प्रतिशत ज्यादा टूरिस्ट गोवा पहुंचे। ऐसे में यह घटना राज्य की अच्छी छवि पेश नहीं करती, जहां पहले ही टैक्सी चालकों की मनमानी और पर्यटकों के साथ अभद्रता की कुछ समस्या रही है।यदि घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी है तो कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, वास्तविक निरीक्षण प्रणाली, भ्रष्टाचार पर अंकुश और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर दंड। परंतु दुख यह है कि हमारा इतिहास बताता है, हम कठोर कदम उठाने से बचते हैं। आज इस त्रासदी के बाद शोक जताना पर्याप्त नहीं है। इस पर गंभीर चिंतन जरूरी है। हम केवल जिम्मेदारी टाल देने की प्रवृत्ति में नहीं जी सकते।

आज का पंचांग

किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सही मुहूर्त, सही समय, और सही नक्षत्र का होना जरुरी होता है, आज हम आपको आज के दिन का सही समय जो की सही कार्य करने का है, और आज कब कौन सी दशा कौन से टाइम में चल रही है उसका समुचित विवरण हिन्दू कैलेंडर और हिन्दू पंचांग के अनुसार दे रहे है, आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। आज का दिन शुभ कार्य के लिए सही कार्य है या नहीं आज के चौघड़िया के अनुसार जानें। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, गृह निर्माण कर रहे है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या कोई अन्य शुभ कार्य करने के लिए सोच रहे है तो पहले यहाँ सही समय देख लें, आपका कार्य शुभ और सफल होगा, यही हमारी ओर से शुभ मंगल कामना है।

तिथिः	अष्टमी 15:00 तक
नक्षत्रः	उत्तर फाल्गुनी 29:45
पक्षः	कृष्ण
वारः	शुक्रवार
योगः	प्रीति, 11:13
सूर्योदयः	07:08
सूर्यास्तः	17:20
चंद्रमाः	सिंह राशि में
राहुकालः	10:58-12:14
विक्रमी संवत्:	2082
शक सम्वतः	1947
मासः	पौष
शुभ मुहूर्तः	11:54-12:35

जन एक्सप्रेस

गर्म है बाज़ार !

दे देंगे हम मौका ।
आओ तनिक पास ।।
होगी वही सीट ।
आपको जो रास ।।
मिल रहा है सुनने को ।
यही बार बार ।।
लगता चारा डाल कर ।
कर रहे तैयार ।।
पर आया जवाब भी ।
छोड़ें मेरा ध्यान ।।
करें खुद की चिंता ।
खतरे में निशान ।।
अब चुनावी मौसम का ।
गर्म है बाज़ार ।।
ऐंठ रहे हैं वो भी ।
बन चुके जो भार ।।

- कृष्णेन्द्र राय

एक्सप्रेस स्वास्थ्य

सर्दियों में खून की कमी से हैं परेशान? करें मेथी के पत्तों का सेवन

आज के समय में ज्यादातर लोग शरीर में खून की कमी की समस्या से परेशान रहते हैं। इसके कारण लोगों को थकान होने, कमजोरी होने, त्वचा के पीला होने, सांस लेने में परेशानी होने, चक्कर आने, दिल की धड़कन के तेज होने, सिर दर्द होने और पैरों में ठंड होने जैसी कई समस्याएं होती हैं। ऐसे में शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए अक्सर लोगों को हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इन्हीं सब्जियों में से एक है मेथी। मेथी में बहुत से पोषक तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए कई तरीकों से फायदेमंद होते हैं। डाइटिशियन एवं न्यूट्रिशनिस्ट अर्चना जैन के अनुसार, मेथी के पत्ते आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी, और कई तरह के मिनरल्स से भरपूर होते हैं। खून की कमी का मुख्य कारण शरीर में आयरन और फोलिक एसिड का स्तर कम होना है। मेथी में मौजूद पोषक तत्व लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है।

शरीर को गर्मी दे: सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और ऊर्जा बनाए रखने के लिए अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मेथी के पत्ते आयरन के साथ-साथ आयरन के अवशोषण में मददगार विटामिन ष्ट भी प्रदान करते हैं।

खून की कमी को दूर करे: सर्दियों में मेथी के पत्ते ताज़े मिलते हैं और इनके पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस समय इनका सेवन शरीर को खून की कमी से लड़ने में मजबूत बनाता है।

पाचन में सुधार करे: सर्दियों में पाचन प्रणाली सुस्त हो जाती है। मेथी में फाइबर अधिक होता है, जो पाचन सुधारता है और पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण में मदद करता है।

एक्सप्रेस विशेष

भूख से युद्ध के साथ शिक्षा की लौ जलाता अक्षय पात्र

उमेश चतुर्वेदी

यानी भोजन के खराब होने या बासी होने की कोई वजह नहीं है। भोजन में तेल, सब्जी, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि जिस भी चीज का इस्तेमाल होता है, उनकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है।

महाभारत में एक कथा आती है..जुए में अपना सबकुछ हारने के बाद पांडव वनवास काट रहे हैं..उसी दौरान वे सूर्य की उपासना करते हैं..सूर्य देव प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को एक पात्र देते हैं..उस पात्र की विशेषता है कि उसमें रखा भोजन कभी खत्म ही नहीं होता...वह सदा भरा ही रहता है। अक्षय का अर्थ ही होता है, जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जिसमें कभी कोई कमी ना हो..कहना न होगा कि इस्कॉन का अक्षय पात्र भी पांडवों के अक्षय पात्र की तरह हो गया है..भूखे, बेसहारा, गरीब, बेघर बुजुर्ग माताओं, आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चों की भूख मिटाने का आज यह बड़ा सहारा बन गया है। साल 2000 में शुरू इस संकल्प ने चौथाई सदी की यात्रा पूरी कर ली है। अक्षय पात्र सोलह राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 24 लाख बच्चों को नियमित रूप से उनके स्कूलों में भोजन करा रहा है। साल 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना को लागू करने का आदेश दिया। देश की सर्वोच्च अदालत में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया था कि खाद्य निगम के गोदामों में काफी मात्रा में अन्न सड़ जाता है। उस अन्न के जरिए मध्यान्ह भोजन योजना लागू की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को यह तर्क जंचा और उसके ही आदेश पर समूचे देश के स्कूलों में दोपहर में बना हुआ भोजन देना जरूरी कर दिया गया। इसके पहले केंद्र की नरसिंह राव सरकार ने 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय पोषण योजना की चुने हुए ब्लॉकों में शुरूआत की, जिसके तहत स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन मुहैया कराना शुरू हुआ। बाद में इसके तहत बच्चों को मुफ्त चावल दिया जाने लगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब पका हुआ खाना देना अनिवार्य कर दिया गया। अब इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम कर दिया गया है। अक्षय पात्र फाउंडेशन की शुरुआत के पीछे अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद का भी एक संकल्प कार्य कर रहा है। स्वामी प्रभुपाद पश्चिम बंगाल के मायापुर में भगवान कृष्ण के भजन में लीन रहते थे। एक बार उन्होंने अपनी खिड़की से देखा, कूड़े में फेंके भोजन को लेकर कुत्ते और कुछ बच्चों में खींचतान चल रही थी। यह कारूणिक दृश्य देखकर प्रभुपाद परेशान हो गए। उन्होंने तब संकल्प लिया कि वे ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिसकी वजह से उनके आसपास कोई भूखा रहने को मजबूर ना हो सके। इस्कॉन के मंदिरों में यह व्यवस्था अहर्निश अब तक जारी है। उनके यहां भोजन के वक्त कोई भूखा नहीं रहता। बहरहाल दीन-दुखियों, बच्चों, विधवा और बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरूषों, स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को भोजन मुहैया कराने के लिए इस्कॉन से जुड़े दो संतों ने अक्षय पात्र की साल 2000 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में की। इस्कॉन से जुड़े मधु पंडित दास और चंचलापति दास ने मिलकर अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थापना की। पहले साल साल इस योजना के तहत बेंगलुरू के पांच स्कूलों के 1,500 बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया गया। तब से यह फाउंडेशन लगातार कार्य कर रहा है और आज स्थिति यह है कि अक्षय पात्र सोलह राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी विद्यालयों के करीब चौबीस लाख बच्चों को रोजाना दोपहर का भोजन मुहैया करा रहा है। अक्षय पात्र का उद्देश्य भूख की वजह से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को भोजन मुहैया कराना और उन्हें शिक्षा हासिल करने में सहयोगी बनना है। शुरुआत में सीमित पैमाने पर काम करने के बाद, संस्था का विस्तार तेजी से हुआ। आज यह भारत में सबसे बड़े मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों में से एक का संचालन करता है, जिसके दायरे में अब करीब चौथाई करोड़ बच्चे आ चुके हैं। अक्षय पात्र के जरिए अब तक चार अरब से ज्यादा थालियां खिलाई जा चुकी हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो चार अरब लोगों को अब तक भोजन मुहैया कराया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि भारत की आबादी के करीब ढाई गुना ज्यादा लोगों को अब तक यह गैरलाभकारी संगठन खाना खिला चुका है।

इसकी वजह यह है कि अक्षय पात्र सिर्फ सरकार से मिलने वाले चावल, दाल और गेहूं और दूसरी सहूलियतों पर ही निर्भर नहीं है। अक्षय पात्र फाउंडेशन दान दाताओं से भी मिले सहयोग पर भी निर्भर है। दान में मिली रकम से अक्षय पात्र ने ना सिर्फ भोजन की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखी है, बल्कि पौष्टिकता और पोषण का भी ध्यान रखा है। उसके पास जो 78 रसोईघर हैं, वे पूरी तरह मशीनीकृत हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशकः अरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा ए0वी0बी0 रेप्रोग्राफिक्स, ए-59, इंडस्ट्रियल एस्टेट, ताल कटोरा, लखनऊ से मुद्रित तथा अय्यूब कॉम्प्लेक्स, 82/68, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ पिन-226004, उ0प्र0 से प्रकाशित। संपादकः अरुण कुमार त्रिपाठी, (प्रबन्ध संपादक- मनोज तिवारी, सह-संपादकः इमरान खान, राज्य ब्यूरो प्रमुख- सन्तोष कुमार दीक्षित) आर.एन.आई. पंजीयन संख्या : UPHIN/2009/30003, फोन नं.: 0522-4330955 मोबाइल नं. 8933805555, (नोटः सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ स्थित न्यायालय होगा।)

अमेरिका ने पाक पर लगाया करोड़ों डॉलर का दाँव, बलूचिस्तान के बारूद पर बैठकर सोना खोदेंगे ट्रंप !

नीरज कुमार दुबे

हम आपको बता दें कि रिकोडिक दुनिया के सबसे बड़े अविकसित तांबाझसोना भंडारों में से एक है। माना जाता है कि यहां 15 मिलियन टन तांबा और 26 मिलियन औंस सोना है। कनाडा की दिग्गज कंपनी बैरिक गोल्ड पहले ही 2028 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य तय कर चुकी है।

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के सबसे अस्थिर और विद्रोह-ग्रस्त प्रांत बलूचिस्तान में स्थित रिकोडिक (Reko Diq) तांबा-सोना खदान के लिए 1.25 अरब डॉलर के यूएस EXIM बैंक वित्तपोषण को मंजूरी दे दी है। यह वही परियोजना है जिसे वर्षों से सुरक्षा संकट, राजनीतिक विवाद और बलूच विद्रोहियों की हिंसा ने कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। इस निवेश के साथ निकट भविष्य में 2 अरब डॉलर तक की अमेरिकी मशीनरी और सेवाएँ पाकिस्तान भेजी जाएँगी। अमेरिकी चार्ज द'अफेयर्स नटाली बेकर ने कहा है कि यह परियोजना अमेरिका के लिए 6,000 और बलूचिस्तान में 7,500 नौकरियाँ उत्पन्न करेगी। उन्होंने रिकोडिक को दोनों देशों के लिए लाभकारी आदर्श मॉडल बताया है।

हम आपको बता दें कि रिकोडिक दुनिया के सबसे बड़े अविकसित तांबा-सोना भंडारों में से एक है। माना जाता है कि यहां 15 मिलियन टन तांबा और 26 मिलियन औंस सोना है। कनाडा की दिग्गज कंपनी बैरिक गोल्ड पहले ही 2028 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य तय कर चुकी है। इस परियोजना का 50% मालिकाना बैरिक के पास है, जबकि पाकिस्तानी संघीय व बलूचिस्तान सरकार के पास 25-25% हिस्सेदारी है। रिपोर्टों के अनुसार इस परियोजना से 37 वर्षों में 70 अरब डॉलर से अधिक मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न होने की संभावना है।

हालाँकि, सुरक्षा खतरे सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। बलूच विद्रोही गुट लगातार सेना, खनन परियोजनाओं और विदेशी निवेश पर हमले करते रहे हैं। हाल ही में बलूच नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि कोई भी विदेशी निवेशक बलूचिस्तान के कब्जे को वैधता देने की गलती नहीं करे। बलूच नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष नसीम बलूच ने इसे बलूच जनता की संपत्ति पर पाकिस्तानी कब्जे को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। इसी बीच विश्व बैंक की क्ख्, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अन्य वैश्विक उधारदाता 2.6 अरब डॉलर से अधिक का वित्त पैकेज जोड़ रहे हैं। साथ ही सऊदी अरब की मनारा मिनरल्स भी 10-20% हिस्सेदारी खरीदने पर बातचीत कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या पाकिस्तान इतने लंबे समय तक सुरक्षा, बुनियादी ढाँचे और राजनीतिक स्थिरता की गारंटी दे पाएगा? देखा जाये तो अमेरिकी निवेश ऐसे समय में आया है जब वाशिंगटन चीन-प्रभुत्व वाली खनिज आपूर्ति शृंखलाओं से बाहर निकलने के लिए नए स्रोत तलाश रहा है। फिर भी, रिकोडिक पर यह दाँव एक हाई-रिस्क जुआ माना जा रहा है।

यह भी देखने में आ रहा है कि रिकोडिक में अमेरिकी निवेश सिर्फ आर्थिक सौदा नहीं बल्कि यह भू-राजनीतिक शतरंज की बिसात पर फेंकी गई भारी-भरकम चाल है। पाकिस्तान इसे बड़ी जीत बताकर छाती ठोक रहा है पर असलियत यह है कि अमेरिका ने यह पैसा दक्षिण एशिया के सबसे अस्थिर इलाके में आग से खेलने के अंदाज में डाला है। सवाल यह नहीं कि अमेरिका क्यों आया? सवाल यह है कि वह इतना देर से और इतनी जगह पर क्यों आया?

हम आपको बता दें कि यह निवेश उस समय हो रहा है जब बलूचिस्तान में विद्रोह चरम पर है। बलूच नेता साफ चेतावनियाँ दे रहे हैं कि यह निवेश उनके लिए शोषण का नया अध्याय है। बलूच नेता कह रहे हैं कि प्रांत में दशकों से मौजूद असंतोष और सैन्य दमन को देखते हुए कोई भी समझदार निवेशक पहले सौ बार सोचे। लेकिन अमेरिका ने शायद जानबूझकर जोखिम को स्वीकार कर लिया है। ऐसा लगता है कि यह सौदा पाकिस्तानी नहीं, बल्कि अमेरिकी एजेंडे का हिस्सा है। दरअसल, अमेरिका का असली मकसद है चीन को पछाड़ना। आज की सच्चाई यह है कि दुनिया में तांबा, सोना और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स नई सदी का तेल बन चुके हैं। चीन खासकर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में इस क्षेत्र में भारी पकड़ बना चुका है। अमेरिका बड़ी तेजी के साथ नए स्रोत ढूँढ़ रहा है और पाकिस्तान का रिकोडिक, जो तिब्बती-ईरानी खनिज बेल्ट का हिस्सा है वह अमेरिकी रणनीति में एक खूबसूरत चेकमेट जैसा दिखता है। इसके साथ ही बलूचिस्तान का भौगोलिक महत्व इस कदम को और तीखा बनाता है। ईरान की सरहद पास है, अफगानिस्तान की अनिश्चितता बगल में है, चीनझपाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) ठीक सिर के ऊपर है। ऐसे में अमेरिका एक ही प्रहार में चीन को संकेत देता है कि हम अभी भी आपके बगल में मौजूद हैं और आपके बंदरगाह (ग्वादर) के पीछे की जमीन पर निवेश करने की ताकत रखते हैं। वहीं पाकिस्तान इस निवेश को आर्थिक राहत समझ रहा है, लेकिन असल में वह एक रणनीतिक जाल में फँसता दिख रहा है। देश की सुरक्षा एजेंसियों का इतिहास बताता है कि वह बलूचिस्तान को सेना-प्रभुत्व वाला इलाका मानती हैं। पर विदेशी निवेश वहीं चलता है जहाँ जनता को न्यूनतम सहमति या सुरक्षा मिले। यह दोनों ही पाकिस्तान के पास नहीं हैं। रिकोडिक के लिए न रेल लाइन है, न स्थायी सड़कें, न विश्वसनीय सुरक्षा तंत्र। ऊपर से बलूचिस्तान में हर विदेशी निवेश, चाहे चीनी हो, सऊदी हो या अब अमेरिकी, यह विद्रोही गुटों का प्राथमिक निशाना बन जाता है। सवाल उठता है कि कनाडा की बैरिक गोल्ड इतने वर्षों में हिल-डुल भर नहीं सकी तो अमेरिका किस आत्मविश्वास से यहां आ रहा है?

अमेरिका के इस क्षेत्र में आने से यह भी आशंका है कि चीनझअमेरिका प्रतिस्पर्धा नई तीव्रता पर पहुँचेगी। दरअसल, अमेरिका रिकोडिक को चीन की आपूर्ति शृंखला का प्रभुत्व तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। ऐसे में पाकिस्तान दोनों महाशक्तियों के बीच रस्साकशी में फँस जाएगा। इस परियोजना से ईरान भी असहज होगा क्योंकि अमेरिका समर्थित विशाल रणनीतिक परियोजना उसकी सीमा के ठीक पास उभरना तेहरान को बिल्कुल रास नहीं आएगा। साथ ही अमेरिकी परियोजना से अफगानिस्तान का प्रभाव भी बढ़ेगा क्योंकि इसकी सुरक्षा और आपूर्ति रूट तालिबान द्वारा नियंत्रित इलाकों के बेहद करीब हैं। तालिबान इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। साथ ही इस परियोजना से बलूच विद्रोह को नई ऊर्जा मिलेगी। विदेशी निवेश उनके लिए हमेशा दमन के नए प्रतीक के रूप में देखा गया है। परिणामस्वरूप सुरक्षा स्थिति और बिगड़ सकती है।

बहरहाल, यह निवेश पाकिस्तान के लिए आर्थिक संजीवनी नहीं बल्कि शक्ति के वैश्विक खेल में एक गैंबलिंग चिप है। अमेरिका को चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स, पाकिस्तान को चाहिए डॉलर, लेकिन बलूचिस्तान को चाहिए न्याय, अधिकार और सुरक्षा जो किसी भी सौदे में शामिल नहीं हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रिकोडिक आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की नई भू-रणनीतिक लड़ाई का केंद्र बन सकता है। साथ ही अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की राजनीतिक समस्या को सैन्य तरीके से संभालने की भूल जारी रखी, तो अमेरिकी निवेश भी उसी तरह डूबेगा जैसे पहले के तमाम विदेशी प्रोजेक्ट डूब चुके हैं। यह सही है कि अमेरिका ने एक बड़ा दाँव लगाया है लेकिन यह भी सच्चाई है कि यह दाँव जितना चमकदार दिखता है, उतना ही बारूद के ढेर पर रखा हुआ है।

संपादकीय

चुनाव सुधार अर्थात 'वोट चोरी'

लोकसभा में चुनाव सुधार के मुद्दे पर बहस हुई, लेकिन कोई सुधार या संवैधानिक संशोधन सामने नहीं आया। सरकार की ओर से भी कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया कि अमुक सुधार किए जा सकते हैं। यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक बहस थी। चुनाव सुधार की आड़ में 'वोट चोरी' का आरोप संसद के भीतर गूंजता रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत, सांठगांठ से चुनाव जीते जाने का बेहद गंभीर आरोप चस्पां किया। उन्होंने मौजूदा चुनाव आयुक्तों को लगभग धमकी दी कि जब हम सत्ता में आएंगे, तो आपको ढूंढ कर दंडित किया जाएगा, क्योंकि 'वोट चोरी' के जरिए आपने 'लोकतंत्र-चोरी' का काम कराया है। नेता प्रतिपक्ष ने इस कानूनी संशोधन पर भी सवाल उठाया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तय करने वाले पैनल में से देश के प्रधान न्यायाधीश को क्यों हटाया गया? चुनाव आयुक्तों के किसी भी फैसले अथवा काम के मद्देनजर उन्हें इम्युनिटी, कानूनी छूट, क्यों दी गई है? उनके खिलाफ कोई भी कानूनी केस दायर क्यों नहीं किया जा सकता? सीसीटीवी की फुटेज चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने के 45 दिन बाद नष्ट क्यों की जाए? यह कानून गलत और भ्रामक है। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेसी सत्ता के इतिहास को नहीं जानते, जब सरकार, यानी प्रधानमंत्री ही, मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन और नियुक्ति करते थे। बाद में उन्हें मंत्री भी बना दिया जाता था अथवा किसी उच्च ओहदे पर बिठा दिया जाता था। तब सत्ता न तो संसद और न ही देश के प्रति जवाबदेह होती थी। तब नेता प्रतिपक्ष को इतना भी अधिकार नहीं था कि वह अपनी 'असहमति' जता सकता। कमोबेश आज प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के चयन-पैनल में विपक्ष का प्रतिनिधि अपनी असहमति का नोट तो दर्ज करा सकता है।

कांग्रेस के ही वरिष्ठ सांसद मनीष तिवारी ने व्याख्या की कि एक साथ कई राज्यों में या एक ही पूर्ण राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) नहीं कराया जा सकता। चुनाव आयोग को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि जहां उसे मतदाता सूची में विसंगति लगे, वह उसी क्षेत्र में एसआईआर का अभियान शुरू कर सकता है। यह बहस सर्वोच्च अदालत में भी उभर कर सामने आई है। एसआईआर को देश के 'जनप्रतिनिधित्व कानून' का उल्लंघन करार दिया गया है। आज 2025 में कई राज्यों में मतदाताओं से पूछा जा रहा है कि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में था अथवा नहीं। अर्थात मतदाता को पुष्टि करनी है कि अतीत में वह मतदाता रहा था। दरअसल मतदाताओं को न तो पुरानी मतदाता सूची उपलब्ध है और न ही चुनाव आयोग के पोर्टल और वेबसाइट काम कर रहे हैं। यह पुष्टि देश का औसत मतदाता कैसे कर सकता है? 2003 या इतने पुराने मतदाता की पुष्टि सिर्फ चुनाव आयोग ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास तमाम रिकॉर्ड हैं और वह मतदान कराता आया है। लिहाजा सर्वोच्च अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एसआईआर को एक ह्यअसंवैधानिक प्रक्रियाह्ण करार दिया है। सर्वोच्च अदालत को इस संदर्भ में अपनी व्याख्या देनी है।

चिंतन-मनन

व्यवहार की दुनिया

बहुत बड़ा कवि था इमरसन। वह घूमने निकला। अकस्मात वर्षा आ गई। उसके पास अपनी कविताओं की एक पांडुलिपि थी। भीगने के डर से उसने वह पांडुलिपि एक दुकानदार के पास रख दी। इमरसन चला गया। दुकानदार ने कहा कि पन्ने भरे हुए हैं, कुछ खाली हैं वह भरे हुए पन्नों में वस्तुएं लपेटकर ग्राहकों को देता रहा। कुछ देर बाद जब वर्षा रूकी, इमरसन आया। पांडुलिपि मांगी। दुकानदार ने कहा, माफ करना, भरे पन्नों का मैंने उपयोग कर लिया है। खाली पन्ने ज्यों के त्यों हैं। भरे काम के नहीं थे। खाली लिखने के काम आ सकते हैं। यह सुनते ही इमरसन का माथा ठनका। उसकी महत्वपूर्ण कविताओं के पन्ने निकल चुके थे। शेष बचे थे केवल कोरे कागज।

व्यवहार की दुनिया में खाली का मूल्य नहीं होता, भरे का मूल्य होता है। खाली पन्ने का क्या मूल्य हो सकता है व्यवहार की दुनिया में? इसी प्रकार खाली चित्त और खाली मन का भी क्या मूल्य हो सकता है व्यवहार की दुनिया में? व्यवहार में जीने वाले यही चाहते हैं कि ये सब सदा भरे ही रहें, कभी खाली न हों। जब अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है तब भरे का क्या मूल्य है और खाली का क्या मूल्य है, स्पष्ट हो जाता है।

उस यात्रा में अनुभव होता है कि लिखा हुआ कागज चला गया, अच्छा हुआ। भरा हुआ मन, भरी हुई बुद्धि, भरा हुआ चित्त खाली हो गया तो अच्छा हुआ। वहां खाली होना ही श्रेयस्कर माना जाता है। जब खाली होने की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है, तब उस क्षण में जो अनुभव होता है, वही वास्तव में चैतन्य का अनुभव है।

वंदे मातरम् पर विवाद देश की मूल भावना से खिलवाड़

मनोज कुमार अग्रवाल

इस से ज्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है कि आज लोकतंत्र के पावन मंदिर में राष्ट्रगीत को लेकर खेमेबाजी हो रही है जबकि इस पर समूचे राष्ट्र को एकमत होना चाहिए था। वंदेमातरम् गीत के 150 वर्ष पर चर्चा होने के अवसर पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम् गीत की गूंज ने न सिर्फ अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी बल्कि पूरे भारत में उत्साह का ऐसा माहौल तैयार किया था जो न सिर्फ स्वतंत्रता का मंत्र बना बल्कि आजाद भारत के लिए भी विजन बनकर सामने आया। यह गीत आजादी का उद्गार बन गया था और हर देशवासी इस गीत से प्रेरित होकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहा था। इस गीत से देश में बने नये माहौल को देखकर अंग्रेज बौखला गये थे इसलिए उन्होंने इस गीत पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे गाने को अपराध मानकर लोगों पर जुल्म ढहाने शुरू कर दिए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम् पर चर्चा में कोई पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं है क्योंकि इसी गीत से मिली प्रेरणा के कारण हम सब यहां बैठे हैं और यह हम सबके लिए पावन पर्व है।

आपको पता रहे वंदे मातरम को 1950 में भारत के संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। वंदे मातरम की की रचना शुरू में स्वतंत्र रूप से की गई थी और बाद में इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया गया। इसे पहली बार रवींद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। एक राजनीतिक नारे के रूप में वंदे मातरम का पहली बार प्रयोग 7 अगस्त 1905 को हुआ था। इस वर्ष, 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ थी, जिसका अनुवाद मां, मैं आपको नमन करता हूं, है। आज 8 दिसंबर को सदन में इस पर चर्चा हुई। जिस पर सरकार एवं विपक्षियों ने अपनी अपनी राय रखी। यह रचना, एक चिरस्थायी गान ने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निमार्ताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है, जो भारत की राष्ट्रीय पहचान और सामूहिक भावना के स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित, वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुआ था। बाद में, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने अमर उपन्यास आनंदमठ में भजन को शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। इसे रवींद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया था। यह राष्ट्र की सभ्यता, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का एक अभिन्न अंग बन गया है। इस मील के पत्थर को मनाने का अवसर एकता, बलिदान और भक्ति के कालातीत संदेश की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करता है। बंदे मातरम पर संसद में आज 8 दिसंबर सोमवार को विशेष चर्चा हुई और, ये ऐसे दौर में हो रहा है जब विपक्ष एसआईआर पर चर्चा चाहता है। राज्यसभा बुलेटिन में वंदे मातरम को भी जय हिंद और दूसरे शब्दों के साथ शामिल किया गया है। ममता बनर्जी का भी इस मुद्दे पर मुखर हो जाना, वंदे मातरम के बंगाल कनेक्शन की तरफ खास इशारे कर रहा है। संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हुई। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस विषय पर अपनी राय रखी। वंदे मातरम् पर यह बहस केवल एक रस्म नहीं है बल्कि यह ऐसे समय पर हो रही है जब इस गीत को लेकर राजनीति गरम है। नवंबर महीने में इस गीत के 150 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने 1937 के अधिवेशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के कुछ जरूरी हिस्से हटा दिए। कांग्रेस का यह कदम विभाजन के बीज बोने जैसा था। पीएम मोदी का आरोप था कि राष्ट्रगीत को टुकड़ों में बांटकर इसकी मूल भावना कमजोर कर दी गई है। सबसे पहले वंदे मातरम् की रचना की बात करें तो बॉकम चंद्र चटर्जी ने इस राष्ट्रगीत की रचना की थी। इसे पहली बार सात नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित किया गया था। उस दिन से लेकर आजतक यह गीत करोड़ों देशवासियों के हृदय में देशभक्ति को अलख जगा रहा है। मातृभूमि की आराधना के प्रतीक इस गीत को सुनते ही ब्रिटिश अफसरों के कान खड़े हो जाते। अंग्रेजों द्वारा वंदे मातरम् गीत को गाने या छापने पर भी बैन लगा दिया गया था। आगे चलकर यह छह छंदों वाला गीत मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ का हिस्सा बना जो 1882 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह की कहानी के माध्यम से बंकिम ने ने भारत को मां दुर्गा के रूप में चित्रित किया इसमें सुफला, सुफला, मलयजशीतलाम...। यह गीत गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को समृद्धि और शक्ति का सपना दिखाता था। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को एक नई पहचान मिली। रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतमय रूप दिया और इसे कलकत्ता के अधिवेशन में गाया। संगीतमय प्रस्तुति ने इस गीत को अमर कर दिया। यह गीत जनमानस में तेजी से लोकप्रिय होने लगा। हर तरफ वंदे मातरम् की गूंज सुनाई देने लगी। तब ब्रिटिश राज ने इसे अपनी सरकार के खिलाफ खतरनाक मान लिया। उसके बाद 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन में यह नारा बन गया। कालांतर में इस गीत को लेकर मुसलमानों की तरफ से आपत्ति जताई जाने लगी। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम् गायन के समय तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर मंच से उठकर चले गए थे। इस गीत को लेकर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति है कि वंदे मातरम् के जरिए उन पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा का दवाव डाला जा रहा है। वंदे मातरम् में मंदिर और दुर्गा शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। कांग्रेस कार्यसमिति ने 1937 में तय किया कि राष्ट्रीय आयोजनों में इस गीत के केवल पहले दो पद ही गाए जाएंगे। यही कारण रहा कि 1937 में पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम् के केवल दो छंद ही गाए गए। उस समय से इसी नियम का पालन किया जाने लगा। आजादी के बाद इसे नियम बनाते हुए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम् को राष्ट्रगीत घोषित कर दिया।

संसद में व्यर्थ बातों पर नहीं जनहित पर चर्चा आवश्यक

संजय गोस्वामी

संसद में यदि बंदे की चर्चा जोरों पर है क्योंकि इसकेसाल 2025 भारत के राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम के लिए एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक मील का पत्थर होगा, क्योंकि इसके पहले पब्लिकेशन के 150 साल पूरे हो रहे हैं। बंदे मातरम पर बोलने से कोई आपत्ति करता पर तूल देना ठीक नहीं है बंदे मातरम एक राष्ट्रगान है जिसपर संसद में खुब चर्चा हुई कुछ मुस्लिम सांसद की नारजगी हुई इसे तूल में भी उसके जगह जय श्री राम बोलता हूँ तो क्या होगा क्योंकि जब देश में ही मिलावटी लोग हैं तो मेरा भगवान राम राष्ट्र से भी ऊपर है मैं भगवान राम को ही संसार का मालिक समझ कर उनका नाम लेता हूँ क्योंकि जब भगवान राम का अस्तित्व रहेगा तभी हम शांति और चैन से जी सकते हैं जब ऐ गान पहले से संसोधित हो गया तो मैं भगवान राम के अलावा किसी के सामने झुकना पसन्द नहीँ करूँगा क्योंकि मेरे संस्कार में ही वो हमेशा रहे हैं और अन्त में राम नाम सत्य होना ही है तो अभी ही ले लूँ यहीं हमारा धर्म और उनके मयार्दा का पालन करना कर्म है अब दोनों ही एक मतलब हो गए क्योंकि भगवान राम ही इस धरती में हमें हमेशा मानवता की रक्षा और देशद्रोही से लड़ना सिखाता है एक गाना खुब चला, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू।।। किसी पर किसी वाक्य बोलने से क्या फर्क पड़ता है तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे मेरा, वाणी वही बोले जो अंतरात्मा की आवाज कहती है अंतरात्मा दरअसल आत्मा, आंतरिक स्व (inner self), या आंतरिक स्व (inner self), या जमीर, जो सही और गलत की पहचान करने वाली आंतरिक आवाज या अंतःप्रज्ञा है, जो हमें नैतिक निर्णय लेने में मदद करती है; इसे आंतरिक स्व की ज्योति या आत्मा की आवाज भी कहा जाता है, जो हमारे अंतःकरण में विद्यमान होती है। यह हमारे मन और आत्मा का वह हिस्सा है जो हमें सही राह दिखाता है, भले ही बाहरी नियम या तर्क सीमित हों अतः जो अंतरात्मा की आवाज कहती है वही बोले इसलिए हमें पहले अपने अंदर झाँक कर देखना चाहिए मैं कितना सही हूँ आज अगर भारत माता की रक्षा के लिए हमें बलिदान देना पड़े तो क्या हम तैयार हैं।अतः देश के सेना ही हमारे असली नायक हैं जो देश की रक्षा के लिए जान की बाजी भी दे देते हैं अतः देशभक्त होना जरुरी है भाषा कोई विवाद नहीँ है राम यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम भारत की आत्मा है जब ऐ समझ आएगी तभी देश के प्रति सेवा का भाव पैदा होगा। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है।दरअसल हिन्दू की अंतिम विदाई में यानी शवयात्रा में 'राम नाम सत्य है' यह बोलकर मृतक को सुनाना नहीं होता है, बल्कि साथ में चल रहे परिजन, मित्र और वहां से गुजर रहे लोग इस तथ्य से परिचित हो जाएं कि राम का नाम ही सत्य है। साथ ही जब मनुष्य जब राम का नाम लेगा तभी उसकी सदगति होगी। इसलिए इसका मकसद यह कहकर परंपरा शुरू की गई थी कि मृतक के मरने के पीछे जब मनुष्य इतना लड़ते हैं, धर्म जाति पाती बड़ा छोटा के लिए वाद-विवाह करते हैं और अपनो से ही यश के कारण आपमें घमंड के कारण लड़ा करते हैं, लेकिन अन्य व्यक्ति को भी यह मालूम होना चाहिए कि राम का नाम सत्य है क्योंकि सबसे बड़ा घमंड जो रावण के पास आया उसको भगवान राम ने ही तोड़ा यानि जिसने इस धरती पर जन्म लिया, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए घमंड ना करें जीवन में मिल जुल कर रहे गरीबों की सेवा और सत्य की राह पर चले यही मान्यता है और इन्हीं सब कारणों की वजह से शवयात्रा में 'राम नाम सत्य है' बोलते हैं।इससे मृतक के आत्मा को शांति मिलती है शरीर मरता नहीँ है क्योंकि उसमें ऊर्जा है शिथिल होता है और ऊर्जा का पतन होने लगता है बाद में यही ऊर्जा प्राण के रूप में बाहर निकल जाती है और स्थूल से सूक्ष्म में रूपांतर हो जाता है और अनुभूति होती है और राम के राम की ध्वनि से उसमें प्रभु को यादकर अपनी जीवन में हुए गलत कर्म के लिए माफी मांगता है और इस तरह वह शांति की ओर अग्रसर होता है और कई योनियों में जन्म लेने के बाद तब कहीं पुनः मनुष्य में जन्म मिलता है इसका कारण यह है की आप अपने शरीर की ऊर्जा को पहले ही कामवासना से नकारात्मक कर देते है और जब मोह टूटटी है तो आत्मा को शांति मिलती है जैसे किसी भी क्षेत्र में पारंगत होने के लिए प्रैक्टिस करना जरुरी है तब आप उसमें आप दक्ष होते है इसलिए हर समय शांति से रहना कम बोलना और समय पर सटीक बोलना उस परमात्मा भगवान राम को हमेशा याद करते रहने से आप में मौत का डर खत्म हो जायेगा और लोभ लालच में कामवासना से मुक़्त होकर जब शांति की ओर अग्रसर होंगे तो सच सामने आएगा कि मृत होना एक दिन तय है इसलिए अपनी ऊर्जा सकारात्मक की ओर अग्रसर करें ज्यादा बोलने से आपकी ऊर्जा बेबजह नष्ट होती है जो आजकल संसद में वोट शुद्धिकरण पर चर्चा हो रही है घुसपैठिये, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जरूरी है और उसी का नाम एस आई आर है मुख्य विपक्षी पार्टी का एक के बाद एक चुनाव हारने का कारण इवीएम या वोट और ना जाने क्या क्या बहस हो रही है इसका मतलब यह है की पक्ष विपक्ष दोनों को आपकी नहीं अपनी चिंता ज्यादा दिखाई दे रही है संसद में सही गलत पर तर्क वितर्क से कुछ नहीं मिलेगा यदि चुनाव जितना है तो जनता के लिए काम करना होगा, पहले विपक्ष बिलकुल कमजोर या नहीं था लेकिन पहले जो संसद में सोते थे आज सत्ता पक्ष को यह ध्यान देना जरुरी है कि आखिर विपक्ष में इतना ताकत कहाँ से आई वो भी उसी चुनाव प्रक्रिया से गुजर चूंके होंगे और अब सत्ता पक्ष को शांत रह कर काम करने की ज्यादा जरुरत है जिस तरह विपक्ष मजबूत हुआ है तो जनता के बल पर ही जीता, घुसपैठ कितना होगा इधर तो नजर नहीं आ रहा है उसकी संख्या उतनी नहीं है कि सरकार को बना या बिगाड़ दे जो सही में वोटर है वो तो पुरी तरह जाते ही नहीँ है कभी सुना है 90 परसेंट मतदान हुए हैं अतः ऐ सब व्यर्थ की बातें हैं काम की बातें करना ज्यादा जरुरी है जो देश के गरीबों के कल्याण के लिए हो अगर घुसपैठिये आये तो ऐ भी प्रशासन की लापरवाही होगी क्योंकि क्या अपने बाउंड्री को पूरा सील किया है जैसे बाकी के देश ने किया है एक ऐसा दिवार बना दिया है जिस पर जाना नामुमकिन है अमेरिका ने तो अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा करीब 2000 मील (लगभग 3200 किमी) लंबी है। अमेरिका में अवैध घुसपैठ के लिए ये रास्ता बदनाम रहा है। दीवार बनने से पहले इस पर बाड़ लगी हुई थी। 2016 में ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान यहां पर दीवार बनाने का वादा किया। जनवरी 2017 में जब वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस वादे को निभाने पर काम शुरू करवाया। 2017 से लेकर 2021 तक करीब 727 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई। इसे ट्रंप वॉल भी कहा जाता है। अतः इसपर चर्चा करना जरुरी है क्योंकि आए दिन कहीं पाकिस्तान से सटे इलाके में हमारे जवान मरते हैं कहीं चीन से अब तो बांग्लादेश भी उसी राह पर चल निकला है अतः जब सीमा सुरक्षा बल है तो सवाल ऐ है कि घुसपैठ आखिर हो कैसे जा रहा है जो हमारी एकता और संप्रभुता पर खतरा है ऐ सिर्फ पश्चिम बंगाल की समस्या नहीँ है ऐ तो उत्तर प्रदेश में भी आ गए और योगी जी के डिटेनशन सेंटर के डर से लापता हो रहे हैं अतः वाद विवाद मुद्दे जो देशहित में हो यही करना चाहिए अनर्थ वार्ता से बचना चाहिए संसद कोई अखाड़ा तो है नहीँ अपनी बात रखने का अधिकार सबको है लेकिन जो सार्थक हो चुनाव में हार मिली है तो उस पर पार्टी को अपनी छवि सुधार करना चाहिए ईवीएम कोई मुदा नहीँ है क्योंकि जब वोटिंग होती है तो विपक्ष के तरफ से भी एजेंट होता है इसका मतलब ऐ हुआ कि एजेंट ही उससे मिल गया ऐसा नहीं है चुनाव एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया है और वीवीपैट के आने के बाद तो पारदर्शिता बढ़ी है ना जाने कितने लोग इसमें कड़ी मेहनत करते है जब इलेक्शन ड्यूटी होता है और काउंटिंग में वही फॉर्म एजेंट काउंटर पर ले कर जाता है जो चुनाव के समय का डाटा होता है अतः इस पर सवाल करना व्यर्थ है।

प्रधानमंत्री @narendramodi के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने आज कोयला लिंकेज की नीलामी हेतु CoalSETU नीति तथा 2026 सीज़न के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को स्वीकृति प्रदान की है। 2026 सीज़न के लिए मिलिंग कोपरा (Fair Average Quality) का MSP 12,027 प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा का MSP 12,500 प्रति क्विंटल तय किया गया है। -केशव प्रसाद मौर्य

अब लखनऊ के सचिवालय में बैठकर नहीं, खेती की बात किसान के खेत पर होगी। आज जनपद बाराबंकी में कृषि उन्नति के 150 वर्ष पर 'खेती की बात खेत पर' प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं किसान पाठशाला का शुभारंभ किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी किसानों को चेक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। -योगी आदित्यनाथ

संपादकीय

बढ़ता टेरिफ संकट

दुनिया अमेरिका के टेरिफ वॉर से अभी जूझ ही रही थी कि मैक्सिको ने भी टेरिफ बम फोड़कर नया हड़कंप खड़ा कर दिया है। उसके इस टेरिफ बम से भारत के निर्यातकों का संकट और गहरा जाएगा। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टेरिफ के चलते वैसे ही टेक्सटाइल उद्योग तकरीबन बंद हो जाने के मुहाने पर पहुंच चुका है। निर्यात आधे से भी कम हो गया है। ऐसे में मैक्सिको की सीनेट ने भारत व चीन सहित अन्य एशियाई देशों से आयातित सामानों पर 50 फीसदी तक टेरिफ बढ़ाने का जो फैसला लिया है,वह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए और बड़ा संकट हो साबित हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैक्सिको द्वारा बढ़ाया गया यह टेरिफ अगले साल 2026 से प्रभावी होगा। फिलहाल उसके इस अप्रत्याशित फैसले से जो देश सर्वाधिक प्रभावित होंगे,उसमें भारत,चीन,दक्षिण कोरिया,थाईलैंड और इंडोनेशिया सबसे ऊपर हैं। इन सभी देशों से निर्यात किये जाने वाले ऑटो पार्ट्स,टेक्सटाइल,स्टील जैसे कई अन्य सामान मैक्सिको की बाजार में बहुत मंहगे हो जाएंगे और उनकी मांग व खपत घट जाएगी। माना जा रहा है कि मैक्सिको ने यह फैसला अमेरिका के इशारे पर लिया है। फिलहाल उसके इस फैसले से भारत सहित अन्य एशियाई देशों पर टेरिफ की दोहरी मार पड़ जाएगी। इसका असर किस हद तक पड़ेगा,यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आशंका है कि हालात मुश्किल भरे हो सकते हैं। हालांकि व्यापार समूहों ने टेरिफ की इस अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक,'मैक्सिको टेरिफ हाइक' के इस कदम को लेकर विश्लेषकों और निजी क्षेत्र ने तर्क दिया है कि यह फैसला संयुक्त राज्य अमेरिका को खुश करने और अगले साल 3.76 अरब डॉलर का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए लिया गया है। क्योंकि मैक्सिको का राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया है,जिसे वह कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के नजरिए से यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीते कुछ सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार मे काफी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। साल 2022 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 11.4 अरब डॉलर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। हालांकि वित्तीय वर्ष 2023 में इसमें मामूली गिरावट हुई और यह घटकर 10.6 अरब डॉलर पर आ गया। लेकिन 2024 में फिर इसमें वृद्धि दर्ज हुई और यह बढ़कर 11.6 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इसमें भी व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में ही झुका हुआ है। 2024 में भारत द्वारा मैक्सिको को 8.9 अरब डॉलर का निर्यात किया गया,जबकि आयात केवल 2.8 अरब डॉलर का ही रहा। हालांकि इन तमाम उतार-चढ़ाव के बीच एशियाई विकास बैंक ने अपनी ताजा जारी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारत की विकास दर वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्व अनुमान 6.5 फीसदी से बढ़कर 7.2 फीसदी हो जाएगा। रिपोर्ट दावा करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बावजूद अमेरिका के बाद अब मैक्सिको द्वारा फोड़ा गया टेरिफ बम हमारी अर्थव्यवस्था के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है। इससे भारत का निर्यात घट सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत काफी निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत- अमेरिकी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और सभी क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की मजबूती पर संतुष्टि जाहिर की। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि अमेरिका के साथ चल रहा टेरिफ विवाद जल्द ही सुलझ सकता है और दोनों देश नए व्यापार समझौते के जरिए किसी सर्वमान्य निर्णय पर पहुंच जाएंगे। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था की जो प्रगति चल रही है वह और तेजी से आगे बढ़ती रहेगी।

स्वास्थ्य के अधिकार की लड़ाई

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत में स्वास्थ्य का अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त है, पर इसे अभी तक स्पष्ट रूप से स्वतंत्र मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया है। इसका बड़ा कारण यह है कि राज्य अभी तक ऐसी बाध्यकारी जिम्मेदारी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है जिसमें हर नागरिक को समान, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके। भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देश विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, परंतु स्वास्थ्य पर होने वाला सार्वजनिक व्यय आज भी दुनिया के सबसे कम आंकड़ों में शामिल है। जब राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त बजट नहीं देता, तब स्वाभाविक रूप से रिक्त स्थान निजी क्षेत्र भरता है और यहीं से उत्पन्न होती है अनियंत्रित शुल्क, अनावश्यक चिकित्सा प्रक्रियाएँ और आम व्यक्ति की आर्थिक तबाही।

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा और उसकी दिशा तेजी से बदल रही है। चिकित्सा, जो कभी सार्वजनिक दायित्व और कल्याणकारी राज्य की बुनियादी जिम्मेदारी माना जाता था, अब अधिकाधिक निजी क्षेत्र के हाथों में जाता दिख रहा है। एक ओर, सरकारी स्वास्थ्य ढांचा सीमित बजट, कम मानव संसाधन और कमजोर बुनियादी ढांचे से जूझ रहा है; दूसरी ओर, निजी अस्पतालों और कॉरपोरेट मेडिकल चेन की पहुंच और उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों के बीच आम नागरिक, विशेषकर गरीब-ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदाय, स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत और असमान पहुंच के बोझ तले दब रहे हैं।

इसी बदलते परिदृश्य में, यह बहस तेज हो गई है कि क्या स्वास्थ्य को न्यायसंगत और लागू करने योग्य मौलिक अधिकार बनाया जा सकेगा। यह कानूनी के साथ-साथ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रश्न भी है।

भारत में स्वास्थ्य का अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त है, पर इसे अभी तक स्पष्ट रूप से स्वतंत्र मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया है। इसका बड़ा कारण यह है कि राज्य अभी तक ऐसी बाध्यकारी जिम्मेदारी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है जिसमें हर नागरिक को समान, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके। भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देश विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, परंतु स्वास्थ्य पर होने वाला सार्वजनिक व्यय आज भी दुनिया के सबसे कम आंकड़ों में शामिल है। जब राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त बजट नहीं देता, तब स्वाभाविक रूप से रिक्त स्थान निजी क्षेत्र भरता है और यहीं से उत्पन्न होती है अनियंत्रित शुल्क, अनावश्यक चिकित्सा प्रक्रियाएँ और आम व्यक्ति की आर्थिक तबाही।

निजीकरण के विस्तार का दूसरा पहलू यह है कि यह केवल स्वास्थ्य सुविधाओं के संचालन तक सीमित नहीं है; यह स्वास्थ्य नीति, दवाओं की कीमतों, बीमा योजनाओं और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की दिशा को भी प्रभावित कर रहा है। जब स्वास्थ्य एक लाभ आधारित उद्योग में बदल जाता है तब उपचार की प्रकृति, लागत, पहुंच और गुणवत्ता सभी बाज़ार के नियमों के अधीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य का अधिकार कागज़ पर तो हो सकता है पर धरातल पर वह व्यापक रूप से लागू नहीं हो पाता।

एक और गंभीर समस्या है क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 2010 का कमजोर क्रियान्वयन। जिन राज्यों में यह लागू भी है, वहाँ भी नियमन और पारदर्शिता कमजोर हैं। मरीज़ों से मनमाना शुल्क, अनावश्यक जाँच की सलाह, महंगे पैकेज और अत्यधिक दरों पर सर्जरी जैसी शिकायतें आम हैं। यह स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब मरीज़ की ओर से शिकायत या न्याय पाने की व्यवस्था कमजोर और अप्रभावी हो।

इसके साथ ही, भारत में आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर अभी भी कुल स्वास्थ्य व्यय का 40% के आसपास है। यानी मरीज़ों को अपनी जेब से भारी राशि खर्च करनी पड़ती है। आयुष्मान भारत जैसी सरकारी बीमा योजनाओं का उद्देश्य भले आर्थिक सुरक्षा देना हो, पर इनके दायरे में आने वाली प्रक्रियाएँ सीमित हैं और निजी अस्पतालों द्वारा इनका उपयोग कई बार मनमाने ढंग से किया जाता है। बीमा आधारित मॉडल ने स्वास्थ्य खर्च की समस्या को हल नहीं किया है बल्कि कई बार यह निजी क्षेत्र के लिए नया ग्राहक-स्रोत बन गया है।

स्वास्थ्य अधिकार को न्यायिक रूप से लागू करना तभी संभव है जब स्वास्थ्य क्षेत्र का ढांचा मजबूत हो। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य पर जीडीपी का कम-से-कम 5% खर्च होना चाहिए; जबकि भारत अभी 2% से भी कम खर्च करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किए बिना, विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाए बिना, दवाओं और जांचों को सस्ता किए बिना और स्वास्थ्य संस्थानों में जवाबदेही मजबूत किए बिना, इस अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की कोशिशें बेमानी होगी।

दवाओं की ऊँची कीमतें और दवा कंपनियों का प्रभाव, इसमें कोढ़ में खाज जैसी स्थिति पैदा करता है। लगभग 80% दवाएँ अभी भी मूल्य नियंत्रण से बाहर हैं। जब तक आवश्यक दवाओं पर सख्त मूल्य नियंत्रण नहीं होगा तथा जन औषधि प्रणाली का विस्तार नहीं होगा, गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार महंगी दवाओं के भार तले दबते रहेंगे।

साथ ही, स्वास्थ्य कर्मियों की स्थितियाँ भी इस संकट का एक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अस्थायी नियुक्तियाँ, कम वेतन, कार्यभार का दबाव- ये सभी कारक चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तभी संभव है जब सरकार मानव संसाधन में उचित निवेश करे।

स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लंबी अवधि का कार्य है; परंतु इसकी शुरुआत तत्काल बजट बढ़ाने, निजी अस्पतालों को सख्त नियामक दायरे में लाने, दवाओं की कीमतें नियंत्रित करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य ढाँचे को मजबूत करने से हो सकती है। यह मजबूत स्वस्थ ढांचा की नींव रखेगा।

यह स्वीकार करना चाहिए कि स्वास्थ्य केवल आर्थिक विकास का फल नहीं, मानव गरिमा की बुनियाद है। जब तक इस बुनियाद को समान रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा, स्वास्थ्य का अधिकार कागज़ पर तो रहेगा पर जनता के जीवन में नहीं।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

ऊर्जा-संकट से बचने लिए जरूरी है ऊर्जा संरक्षण

गिरीश्वर मिश्र

भारतवर्ष की विशालकाय जनसंख्या और आर्थिक गतिविधि में तेजी के कारण यहाँ ऊर्जा की माँग निरंतर बढ़ती जा रही है। आज भारत विश्व में ऊर्जा की खपत की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। परंतु हमारा बुनियादी ढांचा कमजोर पड़ रहा है जिसके चलते बिजली आपूर्ति में बड़ी बाधा पहुँचती है और उसका दुरुपयोग भी होता है। साथ ही देश में ऊर्जा की ग़रीबी भी बनी हुई है। दुर्बल वर्ग के लोगों को बिजली और अन्य आधुनिक ऊर्जा के संसाधन अभी भी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। यह भी गौरतलब है कि जीवाश्म ऊर्जा (फॉसिल फ्यूल) के अत्यधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन की मात्रा भी तेजी से बढ़ रही है।

ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भौतिक नियम बताता है कि ऊर्जा न पैदा की सकती है न समाप्त; उसका सिर्फ़ रूपांतरण ही होता है। मानव जीवन की सारी गतिविधियाँ इस मायावी ऊर्जा पर ही टिकी हुई हैं। ऊर्जा ही अपना रूप बदल-बदल कर हमारी कल्पनाओं को साकार करती है। सामान्यतः अदृश्य-सी रहने वाली ऊर्जा हमारे दृश्य जगत को रचते हुए हर जगह हावी है। ऊर्जा के नए-नए स्रोत खोजे जाते रहे हैं जो आणविक ऊर्जा तक पहुँचे हैं। ईंधन से भोजन बनाने में ही नहीं उसके लिए प्रयोग में आने वाली सामग्री हम तक पहुचे इसके लिए हर कदम पर जरूरी मशीन, उर्वरक, पानी सबके लिए अलग-अलग तरह से ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही परिवहन, मौसम से सुरक्षा और वस्तुओं के निर्माण के लिए भी ऊर्जा आवश्यक है।

दरअसल, आधुनिक जीवन शैली, पारिस्थितिकी, प्रदूषण और ऊर्जा के उपयोग के प्रश्न आपस में बुरी तरह से गुँथे हुए हैं। विकास के साथ प्रति व्यक्ति ऊर्जा की माँग बढ़ रही है। समृद्ध देशों में जीवन स्तर को उन्नत रखने के लिए अधिकाधिक ऊर्जा चाहिए, उभरते देशों में कृषि अर्थ व्यवस्था से औद्योगिक व्यवस्था की तरफ़ आगे बढ़ने में भी ऊर्जा चाहिए। परंतु यह भी जरूरी है कि उन 80 प्रतिशत लोगों के साथ मिल कर काम किया जाय जिनके पास केवल एक चौथाई संपत्ति है। ऊर्जा की समस्या वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कई जटिल समस्याओं का परस्पर गुँथा समूह है।

भारतवर्ष की विशालकाय जनसंख्या और आर्थिक गतिविधि में तेजी के कारण यहाँ ऊर्जा की माँग निरंतर बढ़ती जा रही है। आज भारत विश्व में ऊर्जा की खपत की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। परंतु हमारा बुनियादी ढांचा कमजोर पड़ रहा है जिसके चलते बिजली आपूर्ति में बड़ी बाधा पहुँचती है और उसका दुरुपयोग भी होता है। साथ ही देश में ऊर्जा की ग़रीबी भी बनी हुई है। दुर्बल वर्ग के लोगों को बिजली और अन्य आधुनिक ऊर्जा के संसाधन अभी भी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। यह भी गौरतलब है कि जीवाश्म ऊर्जा (फॉसिल फ्यूल) के अत्यधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन की मात्रा भी तेजी से बढ़ रही है। इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव है और वह ख़तरनाक साबित हो रहा है।

भारत की ऊर्जा मुख्यतया जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल तथा गैस आदि से उपलब्ध होती है। आज देश में बिजली उत्पादन का 70 प्रतिशत कोयले पर टिका है। आयात और घरेलू आपूर्ति में कमी के चलते यह अब बड़ा मंहगा पड़ रहा है। इस पर निर्भरता, ऊर्जा की बढ़ती मांग, अन्य देशों पर निर्भरता, पुराने क़िस्म का ढाँचा और नवीकरण की संभावना वाले ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में धीमी गति ने देश के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इनसे ऊर्जा-सुरक्षा, विकास के टिकाऊपन और पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी समस्याएं जन्म ले रही हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में निवेश तो बढ़ा है फिर भी कच्चे तेल और कोयले के आयात के कारण आर्थिक दबाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है। आज आवश्यकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार हो और ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाय। देश को अपने संसाधनों की खोज बढ़ानी होगी ताकि ऊर्जा की दृष्टि से आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। बिजली के ट्रांसमिशन और वितरण के नेटवर्क को अविलंब सुधारना होगा ताकि ऊर्जा चोरी और दुरुपयोग की रोकथाम हो सके।

विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक स्तर पर ऊर्जा समस्या अगले सौ वर्षों में मानवता की शीर्ष दस समस्याओं में से एक गंभीर समस्या बनेगी। वह मानवता के सम्मुख खड़ी समस्याओं में विकटतम हो रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले खाड़ी युद्धों और सद्यः चल रहे युद्ध की पृष्ठभूमि में ऊर्जा का प्रश्न भी मौजूद है। बढ़ती जनसंख्या से ऊर्जा की ज़रूरतें निरंतर बढ़ रही है। नवीकरणीय ऊर्जा समस्या से निपटने की एक अच्छी युक्ति है। सौर ऊर्जा मानव जाति की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भी है। इस विशाल ऊर्जा स्रोत का दोहन एक समाधान है। ऊर्जा संरक्षण के प्रश्न पर विचार करते हुए कम खर्चीले और प्रदूषणमुक्त ऊर्जा स्रोतों की खोज जारी है। हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में प्रगति हुई है।

कविता

वह अकेला नहीं है

सोचने के बाद, और
सोचने से ठीक पहले,
एक क्षण ऐसा था
जब उसे लगा
वह अकेला है।
फिर उसने सोचा
शायद वह अकेला नहीं,
क्योंकि उसके सोचने के बीच
बहुत-से लोग आए
वाह-वाह की तरह,
पसंदगी की तरह,
तारीफ़ के फूलों की तरह
जो बिना सुगंध के भी
उसकी ओर भेज दिए गए ।
हज़ारों अदृश्य मित्र,
एक छोटे से डिब्बे में कैद,
मायाजाल के महीन तंतुओं पर चलते,
जिनसे हम खेलते नहीं,
पर वे हमें हर वक्त खिलाते रहता ।
पर वे लोग कहाँ गए?
जो गलबहियाँ डालकर
हँसते थे, खिलखिलाते
उनकी हँसी अब
एक इमोजी की तरह
गोल होकर चमकती ,
पर गूँजती नहीं।
कोई आहट नहीं,
कोई पदचाप नहीं,
सब कुछ मशीनी
हँसी भी,
खुशी भी,
शाबाशी भी
बस एक अंगूठे की तरह
दूर से उठ आती ।

संजीव ठाकुर

आपका मत

भारतीय राजनीति में उपनामों की परंपरा

भारत हो या विश्व का कोई भी देश, राजनीति में राजनेताओं को दिए जाने वाले उपनाम केवल संबोधन के लिए नहीं होते, बल्कि जनता के मन में बसे उनके व्यक्तित्व, योगदान और छवि का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आज़ादी के पहले या बाद में, यह परंपरा निरंतर चलती रही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। यह उपनाम उनके बच्चों के प्रति विशेष लगाव और उनकी कोमल, सहृदय छवि का प्रतीक बन गया। दूसरी ओर, देश को एकजुट करने वाले प्रथम उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया। यह उपनाम उनके कठोर इरादों और देश को सैकड़ों रियासतों से जोड़ने की अद्वितीय क्षमता का परिणाम था।राजनीति में महिला नेतृत्व की पहचान भी उपनामों के माध्यम से ही मजबूत हुई है। भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके दृढ़ फैसलों और निर्णायक नेतृत्व के कारण आयरन लेडी कहा गया। वहीं तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता को जनता अम्मा के रूप में पूजती थी, क्योंकि उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक सीधे लाभ पहुंचाया का काम किया था। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दीदी के नाम से जाना जाता है। यह उपनाम उनकी सादगी और संघर्षशील छवि को दर्शाता है।

डॉ अतुल मलिकराम
(राजनीतिक रणनीतिकार)

लोकसत्य

आप अपना मत व लेख हमें इस ई-मेल भेज सकते है।
loksatyaedit01@gmail.com

सोशल मीडिया का बढ़ता वर्चस्व और खोता हुआ बचपन

ललित गर्ग

घंटों मोबाइल पकड़े बैठने से बच्चे शारीरिक सक्रियता से दूर हो रहे हैं। मोटापा, नींद की कमी, सिरदर्द, रीढ़ संबंधी विकार और यहां तक कि किशोरावस्था में मधुमेह जैसे रोगों के मामले बढ़ रहे हैं। मानसिक रूप से स्थिति और भी भयावह है। लगातार स्क्रॉल करने की आदत बच्चों की एकाग्रता को चकनाचूर कर रही है। शिक्षा पर इसका सीधा दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है। जो बच्चे घंटों कल्पना-लोक में विचरण करते हैं, वे वास्तविकताओं से जूझते समय टूटने-बिखरने लगते हैं। उनकी सहनशक्ति कम हो रही है, आत्मविश्वास टूट रहा है, और असफलताओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है-जो कई बार आत्महत्या जैसी भयावह प्रवृत्तियों को जन्म देती है।

पिछले एक दशक में जिस सोशल मीडिया को आधुनिकता की उपलब्धि, अभिव्यक्ति की आजादी और वैश्विक संपर्क का सबसे बड़ा माध्यम माना गया था, उसी सोशल मीडिया ने अब अपने छिपे डरावने एवं वीभत्स चेहरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी देश, जो कल तक इसके गुणगान करते नहीं थकते थे, अब उसके दुष्परिणामों से भयभीत होने लगे हैं। यह भय यूं ही नहीं है-अनेक देशों में बच्चों की आत्महत्याओं, हिंसक व्यवहार, मानसिक विकारों, नशे जैसे डिजिटल व्यसनों और सामाजिक विकृतियों के बढ़ते आंकड़ों ने सोशल मीडिया की वास्तविकता का पर्दाफाश किया है। इसी पृष्ठभूमि में आस्ट्रेलिया की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाकर विश्व-समुदाय को चेताया भी है और झकझोर भी दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया कंपनियों से वह अधिकार वापस ले लिए हैं, जिनके दुरुपयोग ने बच्चों के जीवन और अभिभावकों की मानसिक शांति को संकट में डाल दिया था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह सुधार बच्चों को 'बचपन जीने का अधिकार' लौटाने के लिए है-उन जिंदगियों को नया मोड़ देने के लिए है जो सोशल मीडिया ने समय से पहले वयस्कता, अस्वस्थता, तनाव और विकृतियों में धकेल दी थीं। इतना ही नहीं, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट नहीं हटाने पर लगभग पाँच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान देश का रुख साफ करता है कि अब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस पहल के बाद पश्चिमी जगत में सुगबुगाहट बढ़ी है। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक सवाल उठ रहे हैं कि यदि ऑस्ट्रेलिया यह साहस दिखा सकता है तो वे क्यों नहीं? यह सुगबुगाहट केवल सरकारों में ही नहीं है-उन अभिभावकों में भी है जिन्होंने सोशल मीडिया को अपने बच्चों की आत्महत्या, अवसाद और चरित्र-भंग का मूल कारण मानना शुरू कर दिया है। वास्तव में, इस संकट की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों ने बच्चों को आकर्षित करने के लिए ऐसे एल्गोरिद्म बनाए, जो उनका अधिकतम समय खाएं, उनकी जिज्ञासाओं को उकसाएं और उनके भीतर छिपी संवेदनशीलता का दोहन करके उन्हें सोशल मीडिया निर्भरता की स्थिति तक ले जाएं। इन प्लेटफॉर्मों पर वयस्क सामग्री, द्विअर्थी वीडियोज, हिंसक गेम्स, 'लाइक-फॉलोअर' जैसे डिजिटल भ्रमों का ऐसा सैलाब है जिसने बच्चों की मनोवैज्ञानिक संरचना को गहरी चोट पहुंचाई है। नतीजा यह है कि आज बच्चे समय से पहले वयस्क हो रहे हैं-शरीर से नहीं, मानसिकता से। भारतीय परिवार-व्यवस्था, संस्कार और मूल्य-व्यवस्था इस संकट की चपेट में और तेजी से आए हैं। पहले जहां बच्चे माता-पिता, शिक्षक और संस्कारों से सीखते थे, आज वे 'रील्स' और 'शॉर्ट वीडियोज' एवं अश्लील सामग्री से सीख रहे हैं। जो सामग्री उनके सामने आ रही है, वह न भारतीय चरित्र से मेल खाती है न जीवन-मूल्यों से। निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा तैयार ये सामग्री बच्चों के मन में गलत आदर्श, गलत नायक और गलत आकांक्षाएं भर रही है। सवाल यह है कि क्या बच्चे स्वयं सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, या सोशल मीडिया उन्हें एक सुनियोजित तरीके से अपनी गिरफ्त में ले रहा है? सच्चाई का उत्तर दूसरा है। इन प्लेटफॉर्मों पर अमर्यादित सामग्री की भरमार है-जिसे देखकर किशोरों में अपराधी प्रवृत्तियों की ओर उन्मुखता बढ़ रही है। ब्रह्मचर्य, संयम, अनुशासन और चरित्र जैसे भारतीय मूल्य हाशिये पर जा रहे हैं। इसके साथ-साथ एक गंभीर स्वास्थ्य-संकट जन्म ले रहा है। घंटों मोबाइल पकड़े बैठने से बच्चे शारीरिक सक्रियता से दूर हो रहे हैं। मोटापा, नींद की कमी, सिरदर्द, रीढ़ संबंधी विकार और यहां तक कि किशोरावस्था में मधुमेह जैसे रोगों के मामले बढ़ रहे हैं। मानसिक रूप से स्थिति और भी भयावह है। लगातार स्क्रॉल करने की आदत बच्चों की एकाग्रता को चकनाचूर कर रही है। शिक्षा पर इसका सीधा दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है। जो बच्चे घंटों कल्पना-लोक में विचरण करते हैं, वे वास्तविकताओं से जूझते समय टूटने-बिखरने लगते हैं। उनकी सहनशक्ति कम हो रही है, आत्मविश्वास टूट रहा है, और असफलताओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है-जो कई बार आत्महत्या जैसी भयावह प्रवृत्तियों को जन्म देती है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। ऑनलाइन बुलिंग, ऑनलाइन ठगी, व्यभिचार से जुड़ी सामग्री, गुमराह करने वाले 'इन्फ्लुएंसर', फर्जी पहचान, ऑनलाइन हिंसा और डिजिटल व्यसन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार बच्चे अपराधों में नहीं,

प्रेरणा

प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता, बल्कि स्वतंत्रता प्रदान करता है। - **रवीन्द्रनाथ टैगोर**

संपादकीय

यूएस का दोहरा रवैया है पाक को हथियार देना

अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंधों में तारतम्यता और निरंतरता की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में पूरी दुनिया के लिए एक नई स्थिति है। दो दिन की वार्ता के बाद भारत-यूएस ट्रेड डील पूरी हुई और अचानक ट्रम्प और मोदी की फोन पर बातचीत हुई। पुतिन की भारत यात्रा के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण है। ट्रम्प के रूस-यूक्रेन युद्धबंदी के मसौदे से भारत भी आशान्वित है। संभव है ट्रम्प इस मसौदे पर भारत का समर्थन चाहें। यह सच है कि भारत की भूमिका को यूक्रेन ही नहीं ईयू के देश भी मानेंगे। लिहाजा ट्रम्प-मोदी बातचीत को एक नई पहल के रूप में देखना गलत नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान को आर्थिक मदद के अलावा लड़ाकू विमान एफ-16 का नया वर्जन उपलब्ध कराना कुछ और संकेत देता है। अगर ट्रम्प सीआईए हेडक्वार्टर्स की अलमारियों की पाकिस्तान संबंधी फाइल्स मंगवा लेते तो उन्हें पता चलता कि पाक हुक्मरानों और फौज का फुलटाइम धंधा ही भारत के खिलाफ राज्य-प्रायोजित आतंकवाद है। उनके तथाकथित शांति प्रयासों की तस्दीक करने वाले जनरल मुनीर न्यूक्लियर-सक्षम देश में संविधान को तोड़-मरोड़कर परोक्ष रूप से फौजी शासन का आगाज कर रहे हैं। ट्रम्प को समझना होगा कि अगर वह पाकिस्तान को हथियार देना जारी रखते हैं तो भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया में भी शांति को खतरा रहेगा।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

जर्नलिंग की तरह बच्चों से रिश्तों का मूल्यांकन करें

हमारे बच्चे अब धीरे-धीरे उस दुनिया में जी रहे हैं, जिसमें हमारे जैसे वो रहें- ऐसा अति-आग्रह अब ना किया जाए। लेकिन वो जैसे भी रहें, अच्छे इंसान के रूप में रहें। इसलिए अपने बच्चों के साथ हर हाल में जुड़े रहें। बेड़ी, रस्सी, डोरी, धागा, तंतु- जो भी आपके पास साधन हो, पर जुड़े रहिए। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को किसी नोटबुक में लिखते हैं तो उसको जर्नलिंग कहते हैं। ऐसा ही अभ्यास बच्चों के साथ रिश्तों में करें। बच्चों का व्यवहार, स्वभाव में परिवर्तन, आप क्या कर सकते हैं- इन सब को लिखें। हम उनकी कॉपी देखते हैं, मार्कशीट देखते हैं और भी बातों का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन उनसे हमारे रिश्तों का मूल्यांकन भी जर्नलिंग की तरह करें। इससे हमारे और उनके मानसिक स्वास्थ्य में फर्क पड़ेगा। बहुत गहराई से ध्यान दें कि हमारे बच्चे ने इस माह क्या खास बात ऐसी की- निगेटिव या पॉजिटिव, उसे लिख लें। और उसके व्यवहार पर जो कुछ भी लिखा है, उसे योजनाबद्ध ढंग से अपनी पैरेंटिंग में उतारिए। अच्छे परिणाम मिलेंगे।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

डिफ्रेंट एंगल • वेट-लॉस दवाइयों से सावधान

वजन घटाने के लिए कोई जादू की छड़ी मौजूद नहीं है

हेल्थ

चेतन भगत
अंग्रेजी के उपन्यासकार
chetan.bhagat@gmail.com

अपने वजन की समस्या से जूझने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए (इनमें यह स्तम्भकार भी शामिल है) और आपको पता चल जाएगा कि वेट-मैनेजमेंट की कोशिशों में कितना समय, ऊर्जा और मानसिक क्षमता लगती है। कागज पर तो इसका मंत्र बिलकुल सरल है- कम खाओ और ज्यादा चलो। लेकिन हकीकत में यह इतना सरल नहीं। हम जिस माहौल में रहते हैं, उसमें ललचाने वाले व्यंजन हमारा पीछा करते रहते हैं। हमारे यहां तो किसी के लिए प्यार जताने का तरीका भी यह कहना है कि 'बेटा, एक समोसा और ले लो!' प्रेम की हमारी राष्ट्रीय-भाषा भोजन ही है। हम यह पूछकर अपना स्नेह व्यक्त करते हैं कि- 'खाना खाया?' कोई कभी यह नहीं पूछता कि- 'थोड़ा कम खाया?'

ज्यादा चलो वाला हिस्सा तो और कठिन है। ट्रिलियन-डॉलर वैल्यू वाली टेक कंपनियों ने हमें रील्स, वीडियो और बिंज-वॉचिंग के जाल में फंसा दिया है। एक्सरसाइज-कल्चर टुकड़ों में बंट गई है- थोड़ी वॉकिंग, थोड़ा योग- सब कुछ अनियमित। बाहर निकलो तो प्रदूषण, ट्रैफिक, आवारा कुत्ते जैसी समस्याएं और पैदल चलने की कोई सुविधाएं नहीं। अब तो बच्चे भी बाहर नहीं खेलते। नतीजा यह है कि आज भारत में करोड़ों लोग वजन नहीं घटा पा रहे हैं।

और फिर, जीएलपी-1 दवाओं का आगमन हुआ। ये दवाएं महंगी हैं और हफ्ते में एक बार हमें खुद को इसका इंजेक्शन देना पड़ता है। इसके बावजूद लॉन्च के चंद ही महीनों में ये बिक्री के चार्ट पर चढ़ गईं। क्यों? क्योंकि ये वजन घटाती हैं। हमने वेट-लॉस के लिए तमाम उपाय आजमाकर देख लिए- गोलियां, बेरियाट्रिक सर्जरी, वाइब्रेटिंग बेल्ट, हर्बल जुगाड़- लेकिन इनमें से किसी ने जीएलपी-1 जैसे प्रभावी नतीजे नहीं दिए थे।

ये आखिर हैं क्या? जीएलपी-1 यानी ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1। यह एक हार्मोन है। ये दवाएं इसी हार्मोन की नकल करती हैं। ये फूड-क्रेविंग को कम करती हैं, ब्लड शुगर घटाती हैं और वजन कम करने में मदद करती हैं। इनके छोटे डोज भी दिमाग तक पहुंचकर सीधे उसके 'सैटायटी सेंटर्स' को सक्रिय कर देते हैं। रोचक तथ्य यह है कि इन दवाओं पर शोध की शुरुआत जीला मॉन्स्टर नाम की एक छिपकली से हुई थी, जो साल में सिर्फ एक-दो बार खाती है। यानी हम वजन घटाने की जुगत एक छिपकली से सीख रहे हैं!

आज ये दवाएं ओजेम्पिक, वेगोवी, माउंजैरो और जेपबाउंड जैसे नामों से बाजार में हैं। इनके कुछ वेरिएंट अलग हार्मोनों को भी अपना लक्ष्य बनाते हैं; कुछ शुरू में डायबिटीज या स्लीप एप्निया के लिए मंजूर हुए थे। लेकिन अब वे केमिस्ट की दुकानों पर उपलब्ध हैं। एलि लिली ने मई 2025 में भारत में माउंजैरो लॉन्च की थी। अक्टूबर तक वह मूल्य के लिहाज से भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा बन गई- सिर्फ एक महीने में 100 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री। वैश्विक स्तर पर, 2025 की पहली तीन तिमाहियों में माउंजैरो और जेपबाउंड ने 2 लाख करोड़ रुपए कमाए।

भारत में जीएलपी-1 दवाओं की चार हफ्तों की इंजेक्शन-खुराक करीब 13,000 रुपए में आती है। 2026 में कई पेटेंट खत्म हो रहे हैं और भारतीय कंपनियां इनके सस्ते संस्करणों पर तेजी से काम कर रही हैं। नतीजा? अगले कुछ वर्षों में लाखों- शायद करोड़ों की तादाद में- समोसा और गुलाब-जामुन प्रेमी भारतीय लोग इन इंजेक्शनों को आजमाने वाले हैं। लेकिन क्या यह कोई जादू की छड़ी है? और क्या अब 'कम खाओ, ज्यादा चलो' की जगह 'खूब खाओ और इंजेक्शन लगाओ' का युग आ गया है? बिलकुल नहीं।

क्योंकि इन दवाओं के अपने साइड-इफेक्ट्स हैं-

लाखों की तादाद में समोसा और गुलाब-जामुन प्रेमी भारतीय वजन घटाने वाले इंजेक्शनों को आजमाने वाले हैं। तो क्या अब 'कम खाओ, ज्यादा चलो' की जगह 'खूब खाओ और इंजेक्शन लगाओ' का युग आ गया है? बिलकुल नहीं।

मितली, कब्ज, बदहजमी और पेट से जुड़े तमाम रोग। ये दवाएं पोषक भोजन या व्यायाम का स्थान भी नहीं ले सकतीं। इनका अधिकतम फायदा यही है कि ये भूख को दबा देती हैं, जिससे एक संतुलित डाइट का पालन करना आसान हो जाता है। लेकिन व्यायाम तो तब भी अनिवार्य होगा- सिर्फ कैलोरी जलाने के लिए ही नहीं, बल्कि मांसपेशियों की मजबूती के लिए भी।

इन दवाओं के दुरुपयोग का खतरा भी है। लापरवाही से इनका सेवन करने पर लोग मसल-लॉस की समस्या से जूझ सकते हैं। वे ओजेम्पिक-फेस नामक व्याधि का भी सामना कर सकते हैं, जिनमें चेहरा झुर्रियों से भर जाता है। तब इंस्टाग्राम के फिल्टर भी आपको खूबसूरत नहीं दिखा सकेंगे। दवाएं लेना बंद करो तो भूख पहले से ज्यादा भड़क उठती है और आप ज्यादा वेट-गेन कर लेते हैं। याद रखें, जीवन में शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। हर चीज मेहनत मांगती है। अनुशासन भले किसी ट्रिलियन-डॉलर कम्पनी का नाम न हो, लेकिन एक अच्छा जीवन बिताने के लिए आज भी इससे मूल्यवान और कुछ नहीं है!

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नजरिया • क्वालिटी से कोई समझौता ठीक नहीं होगा

जो चीजें हमारे यहां नहीं बनतीं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है

इकोनॉमी

डॉ. अरुणा शर्मा
इस्पात मंत्रालय की पूर्व सचिव
arunasharma1908@gmail.com

'स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत' का लक्ष्य यों तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह तभी सफल हो सकता है, जब हमारी नीतियां गुणवत्तापूर्ण मैन्युफैक्चरिंग और ऐसी चीजों के उत्पादन को बढ़ावा दें, जिनका निर्माण अभी भारत में नहीं हो रहा है।

जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक तो हमारे आयात में ही इजाफा होगा। 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' के नाम पर गुणवत्ता नियंत्रण को कमजोर करने के नए आदेश क्या यह दिखाते हैं कि देश और दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अब क्वालिटी की अहमियत नहीं रही?

यह ना भूलें कि 'एशियन टाइगर्स' की श्रेणी में आने वाले देश (हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान) विकसित अर्थव्यवस्था तब बने, जब उन्होंने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों में निवेश किया और अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए इनोवेशन किए। दूसरी तरफ, गुणवत्ता में कमी का असर यह होने वाला है कि खराब क्वालिटी वाले उत्पाद हमारे बाजार में भेजे जाएंगे, जो हमारे घरेलू उत्पादन को नुकसान पहुंचाएंगे।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर उत्पाद गुणवत्ता वाला हो और आयात के स्थान पर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। यदि दुनिया में ये संदेश चला गया कि हमारे यहां गुणवत्ता की कसौटी अनिवार्य नहीं है तो भारत टेक्स्टाइल्स, स्टील, केमिकल आधारित उत्पादों जैसे फार्मा और अन्य उपयोगी वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग का डम्पिंग ग्राउंड बन सकता है।

वास्तव में इस तरह के अदूरदर्शी निर्देश हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे 'विश्वगुरु' कहलाने की आकांक्षाओं पर प्रतिकूल असर डालते हैं। घरेलू बाजार में दबदबे और निर्यात के लिए उत्पादों की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है और आयात से गुणवत्ता नियंत्रण हटाना इसी चीज को कमजोर करता है।

बहरहाल, नई एकीकृत चार श्रम संहिताएं स्वागतयोग्य हैं। इनमें गिग वर्कर्स समेत सभी तरह के श्रमिकों को शामिल किया गया है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की कोशिश की गई है। लेकिन इसमें न्यूनतम मजदूरी पर ही ज्यादा जोर है, जबकि बेहतर जीवन सुनिश्चित करने वाली मजदूरी अभी भी अपेक्षित है।

सवाल यह है कि हम ये सुनिश्चित करें कि श्रमिकों से अत्यधिक काम न लिया जाए और हम पहले से नाजुक चल रहे श्रम बाजार को मजबूत करने में सक्षम बनें। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संतुलन बनाने का उद्देश्य गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भविष्य निधि, ईएसआईसी और बीमा जैसी सुरक्षा देना है, ताकि एक से अधिक नियोक्ताओं के साथ काम कर रहे लोगों के लिए पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम जैसी नई कार्य-प्रणालियों को भी सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके।

अब प्रत्येक राज्य अपने नियम अधिसूचित करेगा और माना जा रहा है कि कुछ सहमत सिद्धांतों पर एकरूपता रहेगी। खासकर, असंगठित क्षेत्र के 90 प्रतिशत श्रमिकों के लिए। इधर, छोटे उद्योगों के लिए भी निवेश की सीमा 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर की सीमा 100 करोड़ रुपए तक बढ़ाकर उन्हें दुबारा परिभाषित किया गया है। इससे इन इकाइयों पर अनुपालन का बोझ कम हुआ है और 300 कर्मचारियों तक के उद्योगों को भर्ती और यहां तक कि छंटनी में भी आसानी हुई है। डिजिटल फाइलिंग का बोझ इससे ऊपर वाले उद्योगों के लिए है और वह भी स्वघोषणा पर आधारित है।

मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ऐसा समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें गुणवत्ता को ही की-फैक्टर माना जाए। बेहतर कौशल वाले श्रमिक हों, उनके अधिकार सुरक्षित रखे जाएं और बेहतर इनोवेशन को बढ़ावा मिले।

इस प्रकार, चार श्रम संहिताएं, लघु उद्योगों की परिभाषा में संशोधन और सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण में ढील एक समग्र दृष्टिकोण के तौर पर एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। श्रम संहिता की सुरक्षा लचीलेपन के कारण अनौपचारिक श्रम अदालतों के बड़े हिस्से को उनके अधिकारों से वंचित कर देगी। कैजुअलाइजेशन को नियोक्ताओं के विवेक पर छोड़ा गया है, जिससे स्थायी नौकरियों के बजाय ठेका आधारित श्रम को अधिक बढ़ावा मिलेगा।

मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ऐसा समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें गुणवत्ता को ही की-फैक्टर माना जाए। बेहतर कौशल वाले श्रमिक हों, उनके अधिकार सुरक्षित रखे जाएं और बेहतर इनोवेशन को बढ़ावा मिले।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

13 दिसंबर के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में
इकोनॉमिस्ट ने यूरोप में दक्षिणपंथी पार्टियों के बढ़ते प्रभाव पर कवर स्टोरी में फोकस किया है।
मैग्जीन ने बताया है कि चीन किस तरह उन देशों को तंग करता जिनसे वह नाराज है।
The Economist
दैनिक भास्कर
अब आप इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

वर्ल्ड इन ब्रीफ

वियतनाम में ईवी कंपनी को भारी घाटा हो रहा

वियतनाम की ईवी कंपनी विनफास्ट का घरेलू बाजार में दबदबा है। फिर भी 2021 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने के बाद से उसे 99 हजार करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हो चुका है। उसे सरकारी सब्सिडी मिलती है। विनफास्ट अरबपति फाम न्हाट वुओंग के विनग्रुप की कंपनी है। यह ग्रुप शॉपिंग माल से लेकर सोलर फार्म के बिजनेस में भी है। विनफास्ट इस वर्ष अब तक एक लाख 20 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक कारें और दो लाख 30 हजार इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेच चुकी है।

ब्रिटेन में क्रिसमस पर 53 साल से एक जैसा बोनस

ब्रिटेन में 1972 में महंगाई चरम पर थी। लाखों बुजुर्गों की क्रिसमस तंगी में गुजरने वाली थी। उस वक्त प्रधानमंत्री एडवर्ड हीथ की मुश्किल दिसंबर में होने वाले दो उपचुनावों ने बढ़ा दी थी। तब उन्होंने हर पेंशनर को दस पौंड हॉलिडे भेंट दी। इतने वर्षों में इस धनराशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस बार भी दिसंबर में एक करोड़ 85 लाख लोगों को 10 पौंड क्रिसमस बोनस दिया गया है। वहीं स्पेन पेंशनरों को एक माह की अतिरिक्त पेंशन देता है। ब्रिटिश सरकार की कंजूसी बेरोजगारी भत्ते और मुफ्त हेल्थ केयर में भी चल रही है।

2033 तक लगभग हर भाषा में होगा बाइबल का अनुवाद

क्रिश्चियन धर्मग्रंथ बाइबल 750 भाषाओं में उपलब्ध है। इसे दुनिया की सात हजार बोलियों में उपलब्ध कराने की तैयारियां चल रही हैं। अनुमान है,एआई की मदद से प्रोजेक्ट तेजी से पूरा किया जा सकता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मदद से न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद दो साल और ओल्ड टेस्टामेंट का छह साल में संभव है। कुछ संगठनों का लक्ष्य है कि 2033 तक हर भाषा में बाइबल के एक हिस्से का अनुवाद किया जाए। यह लक्ष्य आधा पूरा हो चुका है। संगठनों ने इस काम के लिए पिछले दशक में 4525 करोड़ रु. जुटाए हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

राजनीति • सत्ताधीश राजनेता अपनी नाकामियां छिपाने के लिए लोगों से कह रहे दक्षिणपंथियों के आने पर महाविनाश होगा

यूरोप में दक्षिणपंथी पार्टियों के सत्ता में आने के आसार बढ़ रहे

पश्चिम यूरोप के तीन बड़े देशों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी को चलाने वाले नेताओं की हालत पस्त है। उन देशों में रहन-सहन के स्तर में गिरावट आई है। दुनिया में उनका प्रभाव कम हो रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस में लोकलुभावन दक्षिणपंथी पार्टियां तो सत्ता में आने के लिए बेचैन हैं। कई जनमत सर्वेक्षणों में उन्हें बढ़त मिल चुकी है। जर्मनी में ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) अगले साल दो राज्यों के चुनाव जीत सकती है। और दूसरी तरफ तीनों नेताओं के प्रमुख सहयोगी अमेरिका ने अभी हाल में उन पर यूरोप को सभ्यतागत विनाश की ओर अग्रसर करने का आरोप लगाया है। तीनों नेता दक्षिणपंथी दलों की चुनौती से बेखबर लगते हैं। वे कहते हैं, उनके सत्ता में आने से यूरोप महाविनाश की ओर बढ़ेगा।

तीनों नेताओं ने भी दक्षिणपंथी पार्टियों के जीतने की स्थिति में तबाही की चेतावनी दी है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्त्ज अपनी सरकार को मध्यमार्गी राजनीति का अंतिम मौका मानते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पिछले साल यूरोपीय चुनावों में अपने गठबंधन की हार के बाद गृहयुद्ध के खतरे का जिक्र किया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इकोनॉमिस्ट से एक इंटरव्यू में कहा कि रिफॉर्म यूके पार्टी देश के तौर पर हमारे अस्तित्व के बुनियादी स्वरूप के लिए चुनौती है। दक्षिणपंथी पार्टियों के सिद्धांतों में भर्त्सना करने लायक बहुत कुछ है। फिर भी, उनके बारे में सर्वनाश की बात करना ठीक नहीं है।

इमिग्रेंट्स के प्रति कुछ पार्टियों का बेरहम रवैया

दक्षिणपंथी पार्टियां इमिग्रेशन खिलाफ हैं। इस संबंध में उनकी और अमेरिका की चेतावनियां अतीत की बात हो चुकी हैं। इस समय कानूनी इमिग्रेशन सर्वोच्च स्तर पर है। ब्रिटेन को छोड़कर यूरोप में अवैध इमि ग्रेशन 2023 के मुकाबले आधा हो चुका है। हालांकि इमिग्रेशन के प्रति दक्षिणपंथियों का रुख निर्मम है। बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने और इमिग्रेंट्स को तिरस्कृत महसूस कराने की बात या भाषा विदेशियों के प्रति नफरत जैसी लगती है।

दरअसल, महाविनाश का शोर अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश का हिस्सा है। कंजरवेटिव पार्टी के शासन में 14 साल तक ठहराव की स्थिति के बाद स्टार्मर की लेबर सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा खर्च कर रही है। वह विकास की धीमी गति के बावजूद रिकॉर्ड टैक्स लगाएगी। फ्रांस में मैक्रों का सरकारी पेंशन की आयु बढ़ाने का कानून खत्म कर दिया गया है। इस बीच तीन साल में उनके पांचवें प्रधानमंत्री नेशनल असेम्बली में बजट पेश करने जा रहे हैं। जर्मनी में मर्त्ज की 'सुधारों के वसंत' की योजना तो बेमतलब है।

कोई अचरज नहीं कि संकट की भविष्यवाणियों का असर नहीं पड़ रहा है। जनमत सर्वेक्षणों में दक्षिणपंथी पार्टियों की ताकत सामने आई है। यूरोपीय वोटर्स को जो बताया जा रहा है, वे उस पर यकीन नहीं करते हैं। वहीं अमीर लोग उन दक्षिणपंथियों से मेलजोल कर रहे हैं, जिनसे वे पहले परहेज करते थे। नेशनल रैली के जॉन बारडेला चुपचाप फ्रांस के कारोबारियों से मिल रहे हैं। कंजरवेटिव पार्टी के कई राजनेता नाइजेल फराग की रिफॉर्म पार्टी में जा रहे हैं। केवल जर्मनी में मुख्यधारा की पार्टियों ने एएफडी के साथ काम करने से इनकार किया है। संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एएफडी के सांसदों को संसद (बुंडेस्टाग) की वाइस प्रेसीडेंसी से प्रतिबंधित कर रखा है।

दक्षिणपंथी पार्टियों की कुछ नीतियों पर गौर करने की जरूरत है। नेशनल रैली, रिफॉर्म और एएफडी का फोकस बिजनेस में खुलेपन पर है। लेकिन वे यूरोपियन यूनियन से टकराव के रास्ते पर हैं। इससे विकास दर प्रभावित होगी। माइग्रेशन पर भी उनकी नीतियों से नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं, यूरोप के लोगों को भू राजनीति की चिंता करने की जरूरत है।

दक्षिणपंथी नेता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की इस खतरनाक धारणा से सहमत हैं कि यदि यूरोप कम एकजुट रहेगा और हर देश अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखेगा तो वह सुरक्षित रहेगा। फ्रांस में राष्ट्रीय चुनाव 18 माह दूर हैं तो जर्मनी में मार्च 2029 में और ब्रिटेन में अगस्त 2029 में होंगे। इस बीच काफी कुछ बदल सकता है। अगर मुख्य धारा की पार्टियां पॉपुलर दक्षिणपंथी पार्टियों को कोसती रहेंगी तो वे स्वयं को बेहतर महसूस करेंगी लेकिन इससे वे अपने देशों का हित नहीं करेंगी। इन पार्टियों के सत्ता में आने का इंतजार करना बुद्धिमानी होगी।

ब्रिटेन: फराग की पार्टी उभर रही है

ब्रिटेन में नाइजेल फराग की दक्षिणपंथी पार्टी ने पिछले साल ब्रिटिश संसद की 650 सीटों में से केवल पांच सीटें ही जीती थीं। लेकिन हाल ही में हुए जनमत सर्वे में 30 प्रतिशत लोगों ने उसका समर्थन किया है। अगर कल चुनाव हुए तो उसके अधिकतर सीटें जीतने की संभावना 75 फीसदी है।

जर्मनी: युवाओं में बढ़ा एएफडी का प्रभाव

ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) के यूथ विंग जनरेशन जर्मनी का देशभर में युवाओं के बीच प्रभाव बढ़ रहा है। नवंबर में हुए पार्टी के सम्मेलन में सभी वक्ताओं ने जर्मनी से विदेशियों को निकालने की अपील की। सर्वेक्षणों में एएफडी को 25 फीसदी समर्थन मिल रहा है। यह किसी अन्य पार्टी से अधिक है।

फ्रांस: आरएन विपक्ष को दे रही चुनौती

फ्रांस में मैरीन ली पेन की नेशनल रैली (आरएन) पार्टी मुख्य धारा की रिपब्लिकन पार्टी के स्थान पर मुख्य विपक्षी दल के बतौर उभर रही है। 577 सीट वाले निचले सदन में 123 सीटों के साथ नेशनल रैली अब सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले साल हुए यूरोपीय संसद चुनावों में उसे फ्रांस में सबसे अधिक वोट मिले थे।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

ओपिनियन • जापान पर लगाए चीन ने प्रतिबंध

चीन अपना विरोध करने वाले देशों को देता है कूटनीतिक सजा

चीन के कूटनीतिक गुस्से का नया निशाना जापान बना है। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानेई ने कहा कि यदि चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान अपनी सेना तैनात करेगा। इसपर चीन ने जापान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं।चीन बीस साल से दूसरे देशों को सजा देने की कूटनीति पर चल रहा है। तिब्बत के धर्मगुरू दलाईलामा से मिलने वाले नेताओं के देशों से चीन ने कारोबार बंद कर दिया था।

चीन की दंड देने की रणनीति से उसके पक्ष में कुछ अच्छे नतीजे आए हैं। 2000 के दशक में दलाईलामा से बड़े विदेशी नेताओं की मुलाकातें कम होने लगी थीं। लिथुआनिया ने अपने दूतावास के नाम में ताइवान जोड़ा तो चीन ने उससे आयात पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद अन्य देशों ने ताइवान में अपने दूतावास के नाम के साथ ताइवान जोड़ना बंद कर दिया।

दूसरे देशों को सजा देने से चीन को मामूली नुकसान होता है। वहीं चीन के विराट बाजार के कारण निशाने पर आए देशों खासकर उनकी कंपनियों को काफी नुकसान होता है। यह बात जरूर है कि वह जिन देशों के खिलाफ कार्रवाई करता है वहां जनता के बीच उसकी रेटिंग कम हो जाती है। चीन की सोच है कड़ी कार्रवाई करने से कुछ पर्यटक और निवेशक आने से डरते हैं लेकिन उससे विदेशी सरकारों को पटरी पर लाने में मदद मिलती है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

बिजनेस • शॉपिंग के लिए दुनियाभर में एआई टूल्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा है

5 साल में चैटबॉट्स से होगी 450 लाख करोड़ की शॉपिंग

क्रिसमस और नए साल के तोहफे खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने खरीदारी का काफी काम एआई चैटबॉट्स के हवाले कर रखा है। चैटबॉट्स सुनते हैं कि यूजर क्या चाहता है, प्रोडक्ट्स की छंटनी करते हैं और उनकी तुलना में मदद करते हैं। शॉपिफाई के एक सर्वे के मुताबिक हॉलिडे सीजन में अमीर देशों में दो तिहाई कंज्यूमर और 18-24 वर्ष की आयु के 15-20 फीसदी लोग शॉपिंग के लिए एआई से मदद लेने की योजना बना रहे हैं।

मेकिन्जी ने स्टडी में पाया कि अमेरिका में चैटजीपीटी जैसे टूल्स का सामान्य रिसर्च के बाद दूसरा सबसे आम उपयोग शॉपिंग की सलाह में किया जाता है। मेकिन्जी का अनुमान है, 2030 तक 270 लाख करोड़ रु. से 450 लाख करोड़ रुपए तक की शॉपिंग चैटबॉट्स के माध्यम से होगी।

ओपनएआई ने शॉपिफाई और एटसी से उनके चैटबॉट्स के जरिए व्यवसायियों को अपने प्रोडक्ट्स बेचने की अनुमति देने के लिए करार किया है। इसके बदले में फीस ली जाएगी। गूगल की नजर भी इस बाजार पर है। अमेरिका में यूजर अपने एआई टूल्स से दुकानों का स्टॉक चेक करने, मूल्य देखने और खरीदारी करने के लिए कह सकते हैं।

मानवीय संपर्क का महत्व भी

एआई से ऑनलाइन शॉपिंग में बदलाव के कारण वास्तविक स्टोर्स को अहमियत मिली है। शानदार डिसप्ले और आकर्षक असिस्टेंट वाली दुकानों के जरिये कंपनियों को स्वयं को पेश करने का एक अन्य रास्ता मिला है। इस साल शॉपिफाई सर्वे में तीन चौथाई लोगों ने बताया कि वे शॉपिंग करते हुए मानवों से संवाद को महत्व देते हैं। यह 2024 के मुकाबले पचास फीसदी अधिक है।

कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स उनके और उनके कस्टमर के बीच एआई एजेंट्स होने से भड़क गई हैं। अमेजॉन ने ओपनएआई के एजेंट्स को सूचनाएं लेने से ब्लॉक कर दिया है। वह परप्लेक्सिटी पर मुकदमा चला रही है। उसका दावा है कि परप्लेक्सिटी का कॉमेट ब्राउजर मानव के रूप में अमेजॉन की वेबसाइट के आसपास मंडराता है। वहीं अक्टूबर में वॉलमार्ट ने बताया कि जल्द ही उसके प्रोडक्ट्स चैटजीपीटी से सीधे खरीदे जा सकेंगे। मिजुहो बैंक के एनालिस्ट मानते हैं, वॉलमार्ट की वेबसाइट पर चार प्रतिशत विजिट दूसरों के हवाले से हुई हैं।

एआई फैशन शॉपिंग टूल डेड्रीम की फाउंडर जूली बोर्नस्टीन कहती हैं, कुछ वस्तुओं की सर्चिंग के लिए अन्य माध्यमों के मुकाबले चैटबॉट्स अधिक सहायक हैं। वे वैक्यूम क्लीनर जैसे स्पष्ट और तुलनात्मक स्पेसिफिकेशन के प्रोडक्ट में बेहतर हैं। कॉस्मेटिक्स जैसे स्पेसिफिकेशन और निजी पसंद वाले प्रोडक्ट के मामले में ठीक-ठाक हैं। लेकिन वे फैशन जैसे पर्सनल क्षेत्र में अधिकतर मौकों पर गलती करते हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

डिजिटल अरेस्ट ठगी से लाखों परिवारों के जीवन में अंधकार

मनोज कुमार अग्रवाल

आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर गंभीर चिंता जताते हुए सीबीआई को निर्देश दिए है कि वह अन्य साइबर अपराधों की जांच बाद में करें, डिजिटल अरेस्ट की जांच को अपनी प्राथमिकता बनाए। कोर्ट ने केंद्रीय बैंक से पूछा है कि क्या एआई की मदद से साइबर ठगों के खाते फ्रीज हो सकते हैं? कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि यदि किसी गंभीर डिजिटल अपराध का दायरा भारत से बाहर को सीमा में हो तो वह इंटरपोल की मदद ले सकती है।

लाखों लोगों व परिवारों के जीवन भर की कमाई को डिजिटल अरेस्ट के जरिए लूट कर उनके जीवन में अंधेरा कर दिया गया। यह कैसी विडंबना है कि जब तक देश में कथित डिजिटल अरेस्ट के नाम पर अनुमानित तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक ठगी की जा चुकी है, कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं, की साल से यह सिलसिला जारी है तब सरकार और जिम्मेदार सिस्टम की नींद खुली है और अपराधियों पर शिकंजा कसने की बड़ी मुहिम शुरू हो पा रही है। वह भी सरकार के बजाय शीर्ष अदालत की पहल पर।

इन दिनों देश में डिजिटल अरेस्ट के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं. सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद डिजिटल अरेस्ट के कारण बुजुर्गों बड़ी संख्या में ठगी का शिकार हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल अरेस्ट मामलों पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि इस मामले में अदालत जरूरी निर्देश जारी करेगी. न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जयमाला बागची की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि हर हैरानी की बात है कि देश में पीड़ितों से लगभग 3000 करोड़ रुपये डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगे जा चुके हैं. यह सब हमारे देश में ही हो रहा है. अगर हम इस मामले में ठोस और सख्त आदेश नहीं देंगे तो समस्या और गंभीर हो जाएगी.

आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर गंभीर चिंता जताते हुए सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह अन्य साइबर अपराधों की जांच बाद में करें, डिजिटल अरेस्ट की जांच को अपनी प्राथमिकता बनाए। कोर्ट ने केंद्रीय बैंक से पूछा है कि क्या एआई की मदद से साइबर ठगों के खाते फ्रीज हो सकते हैं? कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि यदि किसी गंभीर डिजिटल अपराध का दायरा भारत से बाहर को सीमा में हो तो वह इंटरपोल की मदद ले सकती है। दुखद है कि साइबर अरेस्ट के मामलों में सबसे अधिक निशाना बुजुर्गों को ही बनाया जाता है, जिन्हें डिजिटल लेन-देन को गंभीर जानकारी नहीं होती। बुजुर्गों को निशाना बनाने का यह प्रतिशत 78 से 82 फीसदी बताया जाता है। कई जगह यह प्रतिशत 99 फीसदी तक है। वहीं जनवरी से अप्रैल 2024 में साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के 46 फीसदी मामलों के तार म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जुड़े रहे हैं। निस्संदेह, हाल के वर्षों में डिजिटल गिरफ्तारी साइबर अपराध के सबसे कुटिल रूप में बनकर उभरी है। यह अपराध न केवल देश की वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता के लिये, बल्कि कानून प्रवर्तन तंत्र में जनता के विश्वास के लिये भी बड़ा खतरा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन घोटालों की देशव्यापी जांच सीबीआई को सौंपने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय समय के अनुरूप सार्थक हस्तक्षेप है। इसी क्रम में कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में अपराधों की जांच के लिये सीबीआई को सहमति दें। दरअसल, न्यायालय ने इस हकीकत को

Edit..Pdf RK Meena ji 9414969176

स्वीकार किया है कि साइबर अपराधी राज्यों की सीमाओं का लाभ उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर टुकड़ों-टुकड़ों में जांच सीमा पार के साइबर अपराधियों के नेटवर्क को बढ़ावा देती है दरअसल, साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट के जरिये भोले-भाले लोगों व बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। वे कानून प्रवर्तन अधिकारी पुलिस और जज बनकर मोटी रकम देने के लिये उन्हें ब्लेकमेल और आतंकित करते हैं।हालांकि अदालत ने कहा कि इस मामले से निपटने के लिए कठोर कदम उठाना जरूरी हो गया है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गृह मंत्रालय ने एक अलग यूनिट की स्थापना की है और इस मामले से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाया जा रहा है. साथ ही डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए कई अन्य कदम उठाए गए हैं. डिजिटल अरेस्ट को लेकर हुई सुनवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी. केंद्र सरकार की ओर से पेश दलील के सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मामला काफी गंभीर है और इस मामले में अदालत उचित आदेश पारित करेगी. मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी. गौरतलब है कि एक वरिष्ठ नागरिक दंपति ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के पत्र लिखकर बताया था कि 1 से 16 सितंबर के बीच उनसे 1.5 करोड़ रुपए की ठगी सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो तो कभी न्यायपालिका के अधिकारी बनकर की गयी. धोखेबाजों ने फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क किया और गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसे वसूलने का काम किया. इतना ही नहीं उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेश दिखाए. मामला सामने आने के बाद अंबाला में दो एफआईआर दर्ज की गयी. जांच में पाया गया कि वरिष्ठ नागरिकों को ठगी का शिकार बनाने के लिए संगठित गिरोह काम कर रहा है. अदालत ने 17 अक्टूबर को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की और केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब देने को कहा. अदालत ने इस मामले में अटार्नी जनरल से भी सुझाव लेने का आदेश दिया.

उल्लेखनीय है कि हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपति से एक करोड़ रुपये कीठगी के बाद अदालत ने इस व्यापक समस्या का स्वतः संज्ञान लिया। उन्हें धमकाने के लिये सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेशों का इस्तेमाल किया गया। यह बेहद परेशान करने वाली स्थिति है कि साइबर अपराधी सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास को खतरे में डाल रहे हैं।तभी शीर्ष अदालत ने महसूस किया कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है, देश की केंद्रीय एजेंसी को इस मामले की तह तक तुरंत पहुंचना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामलों में एफआईआर दर्ज करने और धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज करने की पूरी छूट दी गई है। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत की जांच का अधिकार भी दिया गया। इसके अलावा दूरसंचार विभाग को भी सिम कार्ड के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिये कहा गया है। निश्चित रूप से कोर्ट की सार्थक पहल के बाद यदि ये सभी उपाय सिरे चढ़ते हैं तो इस गंभीर अपराध के खिलाफ एक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया दे पाना संभव होगा। कोर्ट ने विश्वास जताया है कि केंद्रीय एजेंसी बिना किसी भय या पक्षपात के जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। इसमें राज्य सरकारों की सक्रियता व सजगता भी सीबीआई को अपराध की तह तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकती है। यह भी जरूरी है कि एजेंसी की कार्रवाई में लालफीताशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। इसके साथ ही नागरिकों को भी ऐसे अपराधों के प्रति सजग रहना होगा। जागरूकता सतर्कता उन्हें अपराधियों के चंगुल में फंसने से बचा सकती है। ऐसी किसी कॉल के आने पर उन्हें रुककर विचार करना चाहिए और हड़बड़ी में बैंक से जुड़ी कोई जानकारी देने से बचना चाहिए। ठग खुद को केंद्रीय एजेंसियों या पुलिस विभाग का अधिकारी बताकर पीड़ितों को फर्जी आरोपों में फंसाने की धमकी देते थे। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर उनसे बैंक खातों से बड़ी रकम ट्रांसफर कराई जाती थी। साइबर सेल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 35 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये आरोपी गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से पकड़े गए हैं। राजनांदगांव की 79 वर्षीय शीला सुवाल को आरोपितों ने सीबीआई अधिकारी और जज बनकर वीडियो कॉल के माध्यम से डराया। मनी लॉडिंग केस में फांसाने की धमकी दी। निर्दोष साबित करने रकम जज के खाते में ट्रांसफर करने को कहा। महिला ने उगों के बताए गए विभिन्न खातों में 79,69,047 रुपये ट्रांसफर कर दिए। एक अन्य मामले में ठगों ने फारेक्स व ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताकर व्यापारी को फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग साइट का लिंक भेजा। पहले 15 हजार का छोटा मुनाफा देकर व्यापारी का विश्वास हासिल किया, फिर बड़े मुनाफे का लालच देकर 1,21,53,590 रुपये निवेश के नाम पर जमा कराए। दोनों मामलों में तीन आरापितों को पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि अधिकांश मामलों में उप विदेशी कॉल सेंटरों की तरह काम करते हुए इंटरनेट कालिंग और फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करते थे। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संदिग्ध काल या डिजिटल अरेस्ट जैसी धमकियों पर विश्वास न करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन को देशभर से सामने आए डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पैन इंडिया जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सभी राज्यों को डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच में सीबीआई की मदद करने के भी निर्देश दिए। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा- डिजिटल अरेस्ट तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम है। इसमें ठग खुद को पुलिस, कोर्ट या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो ऑडियो कॉल के जरिए पीड़ितों, खासकर सीनियर सिटिजन को धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर पूछा कि साइबर ठगी में उपयोग हो रहे बैंक खातों को तुरंत ट्रैक और फ्रीज करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा। इससे पहले 3 नवंबर की सुनवाई में एससी ने कहा था कि डिजिटल अरेस्ट मामलों में लगभग 3 का पता चला है।

अभी तक डिजिटल अरेस्ट कर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है आज भी लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रहीं हैं जिनमे लोगों को मोबाइल काल पर तरह तरह से धमका कर पैसा ठगी किया जा रहा है लोग जीवन भर की खून पसीने की कमाई चंद मिनटों में गंवा कर सुसाइड करने के लिए विवश हो रहे हैं। सरकार को ऐसे अपरोक्ष हत्यारों ठगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

संपादकीय

भारत और रूस की दोस्ती असीमित

कुल मिला कर द्विपक्षीय संबंध रूस के पक्ष में बेहद झुका हुआ है। उसका क्या समाधान पुतिन पेश करेंगे? उधर रूस और चीन के हित एक दूसरे के संपूरक बने हुए हैं, जबकि यह पहलू भारत के नजरिए एक समस्या है। नई दिल्ली आने से ठीक पहले व्लादीमीर पुतिन ने भारत- रूस के संबंध के बारे में अपना टेम्पलेट सामने रखा है। उन्होंने संदेश दिया कि वे भारत से वैसी ही 'असीमित दोस्तीइ चाहते हैं, जैसी उन्होंने चीन के स्थापित की है। पुतिन ने कहा- ह्यचीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हमने आर्थिक मुद्दों पर ठोस वार्ता कायम की है। भारत यात्रा के दौरान हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इनमें रूसी बाजार में भारतीय उत्पादों का आयात बढ़ाना भी शामिल है।

यही संदेश देने के लिए क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भारतीय पत्रकारों से ऑनलाइन बातचीत की। उन्होंने कहा- 'हमारा चीन के साथ असीमित सहयोग बना है। भारत के बारे में भी हमारा वही रुख है। रूस वहां तक जाने को राजी है, जहां तक भारत तैयार हो। पेस्कोव ने संकेतों में यह भी कहा कि भारत को रूस से अपने संबंध तय करने में अमेरिकी हस्तक्षेप का ख्याल नहीं करना चाहिए। उन्होंने एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली और सुखोई-57 लड़ाकू विमान भारत को बेचने की पेशकश की। उम्मीद जताई भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता रहेगा। मगर भारत में चिंता यह है कि ये रूसी मंशाएं पूरी हुईं, तो उसका खराब असर अमेरिका से रिश्तों पर पड़ेगा। फिर बढ़ते व्यापार घाटे की भारत की अपनी चिंताएं भी हैं।

भारत इस समय रूस को जितना निर्यात करता है, उससे लगभग 17 गुना ज्यादा आयात कर रहा है। इसके अलावा अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 तक भारत में प्रत्यक्ष रूसी निवेश महज 1.33 बिलियन डॉलर का हुआ, जबकि रूस में 12.8 बिलियन डॉलर का भारतीय निवेश हुआ है। तो कुल मिला कर द्विपक्षीय संबंध रूस के पक्ष में बेहद झुका हुआ है। उसका क्या समाधान पुतिन पेश करेंगे? दरअसल, रूस और चीन के हित संपूरक बने हुए हैं, जबकि यह पहलू भारत के नजरिए एक समस्या है। इस कारण भारत- चीन विवाद में रूस निष्पक्ष रुख लेने की स्थिति में नहीं रह गया है। ये सारे वो पेच हैं, जिन्हें खोले बिना भारत और रूस की दोस्ती शायद असीमित रूप ना ले पाए।

चिंतन-मनन

सबसे बड़ा दरिद्र

सिंहगढ़ राज्य की सीमा के पास एक गांव सोनपुर में एक महात्मा अपने दो शिष्यों के साथ आ पहुंचे। वहां की शांति और हरियाली देख कुछ दिन वे वहीं ठहर गए। एक दिन महात्मा जी जब भिक्षा मांगने जा रहे थे, सड़क पर एक सिक्का दिखा, जिसे उठाकर उन्होंने झोली में रख लिया। दोनों शिष्य इससे हैरान थे। वे मन में सोच रहे थे कि काश सिक्का उन्हें मिलता, तो वे बाजार से मिठाई ले आते। महात्मा जी भांप गए। बोले-यह साधारण सिक्का नहीं है, मैं इसे किसी सुपात्र को दूंगा। पर कई दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने सिक्का किसी को नहीं दिया। एक दिन महात्मा जी को खबर मिली कि सिंहगढ़ के महाराज अपनी विशाल सेना के साथ उधर से गुजर रहे हैं। महात्मा जी ने शिष्यों से कहा, वत्स! सोनपुर छोड़ने की घड़ी आ गई। शिष्यों के साथ महात्मा जी चल पड़े। तभी राजा की सवारी आ गई। मंत्री ने राजा को बताया कि ये महात्मा जा रहे हैं। बड़े ज्ञानी हैं। राजा ने हाथी से उतर कर महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। महात्मा जी ने झोले से सिक्का निकाला और राजा की हथेली पर उसे रखते हुए कहा, हे सिंहगढ़ नरेश, तुम्हारा राज्य धन-धान्य से संपन्न है। फिर भी तुम्हारे लालच का अंत नहीं है। तुम और पाने की लालसा में युद्ध करने जा रहे हो। मेरे विचार में तुम सबसे बड़े दरिद हो। इसलिए मैंने तुम्हें यह सिक्का दिया है। राजा इस बात का मतलब समझ गए। उन्होंने सेना को वापस चलने आदेश दिया।

पोक्सो मामलों की बढ़ती लंबितता भारत के समक्ष बढ़ता गंभीर संकट

कांतिलाल मांडोत

भारत एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और नैतिक मूल्यों वाला देश माना जाता है जहाँ बच्चों को देवतुल्य समझने की परंपरा रही है। किंतु यह अत्यंत पीड़ादायक सत्य है कि आज इसी देश में नाबालिगों के खिलाफ अपराधों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और उससे भी बड़ी चिंता का विषय यह है कि इन मामलों का निपटारा वर्षों तक अधर में लटका रहता है। पोक्सो यानी लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है, लेकिन वर्तमान स्थिति इसके ठीक विपरीत तस्वीर पेश करती है। आंकड़े बताते हैं कि देश में पोक्सो के 35 हजार से अधिक मामले वर्षों से लंबित चल रहे हैं और न्याय की प्रक्रिया पीड़ितों व उनके परिवारों के लिए एक असहनीय इंतजार बन गई है।2023 तक लंबित मामलों का जो विवरण सामने आया है, वह किसी भी समाज और शासन के लिए चिंता का गंभीर संकेत है। उत्तर प्रदेश में 10,556 मामले लंबित हैं जो देश में सबसे अधिक हैं। महाराष्ट्र 7,962 लंबित मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु में 1,910, मध्यप्रदेश में 1,736, छत्तीसगढ़ में 375 और राजस्थान में 224 मामले अभी भी न्याय की प्रतीक्षा में हैं। बिहार में 1,079, झारखंड में 415, पंजाब में 152, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों में 101, चंडीगढ़ में 16 और उत्तराखंड में 374 मामलों की लंबितता भी यही सिद्ध करती है कि न्यायिक प्रक्रिया के बोझ ने पीड़ितों के लिए न्याय की राह लंबी और कठिन बना दी है। यह स्थिति बताती है कि देश में पोक्सो कानून का उद्देश्य जितनी तेजी से पूरा होना चाहिए था, उससे बहुत दूर है।

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनलाल मेघवाल ने बताया है कि देश में कुल 773 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कार्यरत हैं जिनमें से 400 कोर्ट विशेष रूप से पोक्सो मामलों के लिए बनाए गए हैं। इन अदालतों ने अब तक 3.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है जो निश्चित रूप से एक उपलब्धि है, लेकिन उसके बावजूद हजारों मामले अभी भी अधूरे पड़े हैं। यह दशार्ता है कि केवल अदालतों की संख्या बढ़ा देना समाधान नहीं है। न्याय प्रक्रिया में पुलिस, अभियोजन, मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच, गवाही और साक्ष्य संकलन जैसे कई चरण होते हैं और इनमें होने वाली देरी पोक्सो मामलों की लंबितता को बढ़ाती रहती है।

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश में हर तीन मिनट में एक बच्चा अपराध का शिकार बनता है और हर आठ मिनट में एक पोक्सो का मामला दर्ज होता है। इन आंकड़ों में बीते दो वर्षों के भीतर ही तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है जो सामाजिक व प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चेतावनी का इशारा है। 2021 से 2025 के बीच कुल 1,31,692 पोक्सो मामले दर्ज किए गए। वहीं सबसे कम मामले मिजोरम, नागालैंड, लद्दाख और अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्रों में सामने आए हैं।

एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि कई मामलों में अपराध की प्रकृति इतनी संवेदनशील होती है कि बच्चे मानसिक रूप से टूट जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया जिसमें कहा गया कि किसी नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और उसे पैसे देकर यौन संबंध का प्रस्ताव देना भी पोक्सो एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। यह फैसला यवतमाल जिले की घटना पर आया जिसमें एक 13 वर्षीय बच्ची से आरोपी ने दो बार यौन इरादे से संपर्क किया था। अदालत ने आरोपी को सश्रम कैद की सजा सुनाई। यह फैसला स्पष्ट करता है कि अदालतें कानून की भावना के अनुरूप सख्त दृष्टिकोण अपना रही हैं, लेकिन मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि और उनके निपटारे में देरी स्थिति को गंभीर बनाती जा रही है। लंबित मामलों का सबसे बड़ा कारण पुलिस जांच की धीमी गति, मेडिकल व फोरेंसिक रिपोर्ट में देर, गवाहों का न मिल पाना, पीड़ित परिवारों का दबाव में आ जाना और अदालतों में पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। कई बार परिवार सामाजिक भय के कारण बयान देने से पीछे हट जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में यह समस्या और अधिक गंभीर होती है जहाँ पीड़ितों को न्याय पाने के लिए सामाजिक प्रताड़ना भी सहनी पड़ती है।

कर्ज, कर और कुशासन का त्रिकोण!

सोनम लववंशी

हिमाचल प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक दिशा जिस मोड़ पर खड़ी है, वहाँ पिछले तीन वर्षों की सरकारी कार्यशैली राज्य की पीढ़ियों पर गहरा असर छोड़ती दिखाई देती है। 11 दिसंबर 2025 को सुक्खू सरकार अपने तीन वर्ष पूरे कर रही है, किंतु इस दौरान एक पहले से संतुलित और स्थिर राज्य ऐसा ढलान महसूस कर रहा है जिसकी कल्पना भी हिमाचल जैसे शांत प्रदेश के लोगों ने न की थी। वित्तीय संकट, अव्यवस्थित नीतियाँ, ध्वस्त प्रशासनिक ढांचा, बढ़ती बेरोजगारी, आपदा प्रबंधन की विफलता और उद्योगों का पलायन। इन सभी ने मिलकर हलचल भरी स्थिति पैदा कर दी है जिस पर अब न केवल विपक्ष, बल्कि आम नागरिक भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बेरोजगारी दर 4.4 फीसदी तक पहुँच चुकी है, जबकि 15-29 आयु वर्ग में स्थिति भयावह दिखती है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य का हर तीसरा युवा नौकरी से वंचित है। अप्रैल-जून 2025 की तिमाही मां युवा बेरोजगारी 29.6 प्रतिशत दर्ज की गई जो राष्ट्रीय औसत 14.6 प्रतिशत से दुगुनी रही। यह आँकड़ा सिर्फ बेरोजगारी नहीं दशार्ता, बल्कि यह उस टूटते विश्वास का दस्तावेज बनता जा रहा है जिसके सहारे युवाओं ने '5 लाख नौकरियों' जैसी घोषणाओं को एक उम्मीद की तरह स्वीकार किया था। राजनीतिक आश्वासन जितनी आसानी से दिए गए, उतनी ही तेजी से खोखले साबित हुए और अब इन्हें युवा पीढ़ी राजनीतिक भाषणों की एक औपचारिक रस्म के रूप में देखने लगी है।

दरअसल राज्य की औद्योगिक स्थिति भी लगातार कमजोर हो रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में बिजली दरों में तेज वृद्धि देखने को मिली। ऐसी फैक्ट्रियों का बिजली बिल जो पहले लगभग 25 लाख रुपये आता था, अब 50 लाख रुपये से भी ऊपर पहुँच गया है। ऊर्जा लागत में इस असंतुलन ने उद्योगपतियों का मनोबल तोड़ दिया है और वे क्रमशः अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं जहाँ नीतियाँ स्थिर और उद्योग-अनुकूल मानी जाती हैं। यह पलायन हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर दोहरा प्रहार कर रहा है। रोजगार घट रहा है और राजस्व में गिरावट आ रही है। पर्यटन और कृषि पर अधिक निर्भर रह चुके हिमाचल ने बीते वर्षों में औद्योगिकीकरण की दिशा में एक स्थिर आधार बनाने की कोशिश की थी, किंतु वर्तमान परिस्थितियों ने उस बनती संरचना को लगभग ध्वस्त कर दिया है। वित्तीय अव्यवस्था का हाल यह है कि सरकार अपनी कर्ज सीमा पूरी कर चुकी है। वर्ष 2025 में पहले से लिए गए 7,200 करोड़ रुपए के भारी कर्ज के बाद और 350 करोड़ रुपए की माँग नई दिशा दिखाने के बजाय इस बात का प्रतीक बनती है कि विकास योजनाएँ ठप हैं और पूरा ढांचा कर्ज पर निर्भर होता जा रहा है। करोड़ों की पुनरावृत्ति जिस सहजता से हो रही है, उससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार के पास राजस्व बढ़ाने की ठोस रणनीति नहीं है। नीतिगत अनिर्णय ने राज्य की आर्थिक रीढ़ कमजोर कर दी है और जनता पर टैक्स बढ़ाकर बोझ डाला जा रहा है। दूध पर 0.10 पैसे का सेस, बिजली पर पर्यावरण सेस, डीजल की ऊँची कीमतें और 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का समाप्त होना। इन सबने मध्यवर्गीय परिवारों की कमर तोड़ दी है।

चुनावी वादों का हश्र भी जनता के सामने खुल चुका है। महिलाओं के लिए 1,500 रुपए मासिक भत्ता, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 5 लाख नौकरियों जैसे वादे अब तक लागू न हो सके। स्वयं सूबे की सरकार के मंत्रियों ने स्वीकार किया कि 'फंड उपलब्ध नहीं है,' जो यह दशार्ता है कि गारंटियाँ बिना वित्तीय विश्लेषण और बिना दीर्घकालिक योजना के घोषित की गई थीं। इस स्वीकारोक्ति के बाद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की राजनीतिक विश्वसनीयता को गंभीर चोट पहुँची है। इतना ही नहीं इन तीन वर्षों में अपराध और नशा तस्करी की स्थिति तेजी से बिगड़ी है। हिमाचल का शांत पहाड़ी क्षेत्र अब 'ड्रग कॉरिडोर' के रूप में चर्चा में आ रहा है। पिछले तीन वर्षों में 5,000 से अधिक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनपीडीएस) के मामले दर्ज हुए, जबकि पूरे प्रदेश में केवल 5 नशामुक्ति केंद्र हैं। यह संख्या समस्या की गंभीरता की तुलना में अत्यंत कम है। नशे का विस्तार न केवल कानून व्यवस्था की कमजोरी दिखाता है, बल्कि यह युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य, सामाजिक ढाँचे और परिवारों की स्थिरता को गहरी क्षति पहुँचा रहा है। सूबे की आपदा प्रबंधन की स्थिति भी किसी परीक्षा में असफल छात्र जैसी दिखती है। 2025 में कमजोर पहाड़ियों पर अवैध निर्माण, न्यायालयों की चेतावनियों की अनदेखी और खराब प्रशासनिक योजना के कारण 300 से अधिक लोगों की जान गई और लगभग 2,600 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। केंद्र सरकार द्वारा जारी 2,006 करोड़ रुपए की राहत राशि का उपयोग भी सुस्त प्रशासनिक कार्रवाइयों के चलते प्रभावी ढंग से नहीं हो सका। राहत वितरण, पुनर्वास, सड़क और पुलों की मरम्मत, सब कुछ कागजी फाइलों तक सीमित रह गया और जनता अपनी पीड़ा में अकेली खड़ी रही।

इन सबके बीच राज्य का राजनीतिक नेतृत्व एक-दूसरे पर आरोप मढ़ने में व्यस्त रहा। इस टकराव ने प्रशासन में ठहराव पैदा किया, जिसके चलते सरकारी मशीनरी जमी हुई दिखी। एक मजबूत और स्थिर शासन मॉडल पर आधारित हिमाचल, जिसे कभी शांतिपूर्ण, स्वच्छ और व्यवस्थित प्रशासन के लिए जाना जाता था, आज देश के उन प्रदेशों की सूची में शामिल हो रहा है जो आर्थिक और प्रशासनिक अव्यवस्था से जूझ रहे हैं। इन तीन वर्षों की तुलना जब पूर्ववर्ती शासन से की जाती है, तो कई नागरिक खुलकर कहने लगे हैं कि राज्य बेहतर स्थिति में था। बुनियादी ढाँचे से लेकर वित्तीय अनुशासन तक, अनेक मोर्चों पर वह एक व्यवस्थित दिशा में बढ़ रहा था। आज की स्थिति में लोग यह महसूस कर रहे हैं कि घोषणाओं और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच खाई बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पिछले 11 वर्षों से विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्र का विकास-केन्द्रित दृष्टिकोण, युवा-उन्मुख कार्यक्रम और बुनियादी ढाँचे में तेज सुधार राष्ट्र को नई ऊँचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे समय में हिमाचल की वर्तमान अव्यवस्थित स्थिति और भी स्पष्ट रूप से सामने आती है क्योंकि राष्ट्रीय प्रगति के बीच राज्य पीछे जा रहा है।

हिमाचल के लोगों ने 2022 में विश्वास के साथ कांग्रेस की गारंटियों को स्वीकार किया था। उन्हें लगा था कि राज्य विकास, रोजगार और स्थिरता की नई दिशा पाएगा। तीन वर्षों की यह यात्रा अब उन्हें ऐसी वास्तविकता दिखा रही है जहां आर्थिक संकट, बढ़ती बेरोजगारी, अपराध, कर्ज और अव्यवस्था ने उम्मीदों को निचोड़ कर रख दिया है। फलस्वरूप हिमाचल आज देश के सबसे कमजोर और सबसे खराब तरीके से संचालित राज्यों की श्रेणी में गिना जा रहा है। राजनीति का अंतिम लक्ष्य जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति होता है। यदि शासन जनता के जीवन को सरल बनाने के बजाय बोझ बढ़ाए, वादों को अधूरा छोड़े, युवाओं को बेरोजगारी में धकेले और संसाधनों का दुरुपयोग करे, तो ऐसी सरकार जनता के लिए बोझ बन जाती है। हिमाचल के नागरिक आज उसी बोझ का अनुभव कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य की वर्तमान स्थिति केवल राजनीतिक विफलताओं का दस्तावेज नहीं है, यह भविष्य के लिए चेतावनी है। ऐसे में समय आ गया है कि हिमाचल अपनी दिशा सुधारे, शासन सुधार की ओर लौटे और उन मूल्यों को पुनर्जीवित करे जिनकी वजह से यह प्रदेश हमेशा उच्च मानकों वाला माना जाता रहा है।

जागरूक संपादकीय

जागरूक टाइम्स। मुंबई। शनिवार, 13 दिसंबर 2025

श्रीरामचरितमानस

सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन।
नाम सुप्रेम पियूष ह्रद तिन्हहुं किए मन मीन॥

भावार्थ : जो सब प्रकार की (भोग और मोक्ष की भी) कामनाओं से रहित और श्री रामभक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है (अर्थात् वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षणभर भी उससे अलग होना नहीं चाहते)॥

अंतरिक्ष स्टेशन

दुनियाभर में अंतरिक्ष स्टेशनों के निर्माण की होड़ तेज हो रही है, अमेरिका, चीन, यूरोप, जापान, कनाडा जैसी शक्तियों के साथ-साथ निजी कंपनियां 'लो अर्थ ऑर्बिट' यानी धरती की निचली कक्षा और चंद्रमा के चारों ओर स्टेशन बनाने की होड़ में हैं। दो दशक पहले तक पृथ्वी की कक्षा में महज एक प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन-अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सक्रिय था। एक दशक बाद जब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कार्यरत होगा, तब अंतरिक्ष स्टेशनों की तादाद सात तक पहुंच चुकी होगी और अगले आधे दशक में संभवतः ये दर्जनभर हों। नासा निर्मित इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन 2031 में प्रशांत महासागर में गिराकर नष्ट कर दिया जाएगा तय है, पर इस एक के नष्ट होने के बाद उसकी जगह लेने के लिए इतने सारे स्टेशनों की आवश्यकता क्यों? इन स्टेशनों की दीर्घकालिक उपयोगिता संदिग्ध होने के बावजूद आखिर दुनियाभर में नए अंतरिक्ष स्टेशनों के निर्माण की यह भागमभाग क्यों है? बोइंग, सिएरा स्पेस के साथ ब्लू ओरिजिन 'ऑर्बिटल रीफ', एक्सिओम स्पेस तथा वास्ट 'हेवन-1' अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने में लगे हैं तो कई और भी इस रास्ते पर हैं। विभिन्न देशों के साथ साथ निजी कंपनियां का इस क्षेत्र में कूदना बताता है कि जरूर इसका जबर्दस्त आर्थिक पहलू भी होगा। अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण भारी लागत वाला है, क्या यह संबंधित देश और कंपनियों को लागत के अनुरूप लाभ दे सकेगा या यह कारगुजारी महज दूसरे देश से अंतरिक्ष के क्षेत्र में बाजी मार ले जाने की सनक के लिए ही है? तकरीबन तय है कि 2035 में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित हो चुका होगा, बावजूद इसके अंतरिक्ष का क्षेत्र आज भी देश के आमजन की सामान्य जानकारी की पहुंच से दूर है। वह अंतरिक्ष स्टेशनों की उपयोगिता के बारे में बहुत कम जानता है, ऐसे में उसके भीतर यह कौतूहल लाजिमी है कि आखिर आम आदमी को इन अंतरिक्ष स्टेशनों पर भारी व्यय के बाद देश समाज को क्या मिलेगा? उनके जीवन को यह कैसे प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर अंतरिक्ष स्टेशनों को स्थापित करने की लाग डाट वाला यह वैश्विक परिदृश्य मन में कई सवाल जगाता है। दरअसल अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना केवल राष्ट्रीय गौरव, अपनी वैज्ञानिक प्रगति का दिखावा, अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजने भर का माध्यम नहीं हैं। ये भू-राजनीतिक वर्चस्व, चंद्रमा-मंगल अभियानों के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने और भविष्य की आर्थिक संभावनाओं, व्यावसायिक लाभ हेतु संघर्ष भी है। आज अंतरिक्ष स्टेशन किसी भी देश की वैज्ञानिक क्षमता, इंजीनियरिंग दक्षता और कक्षीय संचालन योग्यता को प्रमाणित करते हैं। इससे अंतरिक्ष में लगातार बने रहना संभव होता है, जो भविष्य में अंतरिक्ष खनन, चंद्र संसाधनों के दोहन, गहन अंतरिक्ष अनुसंधान और भविष्य के मानव मिशनों के लिए अनिवार्य है।

भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स को रोकने

अमेरिका ने लांच किया गोल्ड कार्ड वीजा

लोकमित्र गौतम

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अब उन्होंने अमेरिका में एंट्री के लिए 10 लाख डॉलर (लगभग 9 करोड़ रुपए) का गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम लांच किया है। इस मौके पर बड़ी मासूमियत से उन्होंने भारतीय छात्रों के प्रति हमदर्दी जताते हुए कहा, 'भारतीय छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई पूरी होते ही वापस लौटना पड़ता है, यह शर्मनाक है। हम चाहते हैं कि कंपनियां उन्हें गोल्ड कार्ड खरीदकर अपने यहां नौकरी पर रख सकती हैं।' गौरतलब है कि ट्रंप ने यह टिप्पणी तब की है, जब बड़े पैमाने पर भारत में एच-1 बी वीजा के हजारों आवेदकों के इंटरव्यू कई महीनों के लिए टाल दिए गए हैं और इसके लिए कारण उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच बताया गया है। मगर अब साफ हो गया है कि वह भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स को अमेरिका में आने से किसी भी कीमत पर रोकने के लिए 9 करोड़ रुपए के वीजा कार्ड खरीदने की नई चाल चली है। उनका कहना है कि कंपनियां ये कार्ड खरीदकर भारतीय छात्रों को अपने यहां नौकरी पर रख सकती हैं। लेकिन यह कहना आसान है, ऐसा होता कतई संभव नहीं लग रहा।

दरअसल अमेरिका द्वारा पेश यह नया गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि यह पारंपरिक वीजा सिस्टम जैसे एफ-1 छात्र वीजा, एच-1 बी वर्क वीजा और ईबी-5 निवेश वीजा से बिल्कुल अलग है। यह मुख्य रूप से उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों, निवेशकों और बड़े कारपोरेट योगदानकर्ताओं के लिए अमेरिका के दरवाजे खोलता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि भारत से हर साल लाखों छात्र अमेरिका जाने और अपनी जिंदगी का ड्रीम हासिल करने के लिए जो सपना देखते हैं, उनका क्या होगा? यह नया ढांचा उनके लिए कतई कोई जगह नहीं बनाता। अमेरिका द्वारा लांच किया गया यह नया गोल्ड कार्ड वीजा वास्तव में एक निवेश आधारित प्रवेश का जरिया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य अमेरिका के लिए फंडिंग करना, बड़े आर्थिक योगदान देना और पूंजी संपन्न प्रवासियों को अमेरिका में प्रवास के लिए आकर्षित करना है। जबकि छात्र- पढ़ाई, स्कॉलरशिप, एच-1 बी वीजा और इसके आगे ग्रीन कार्ड का सपना देखते हैं। ऐसे सपनों के लिए यह गोल्ड कार्ड वीजा सभी दरवाजे बंद करता है। क्योंकि यह प्रोग्राम भारतीय छात्रों के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है।

क्योंकि इसके दायरे में दूर दूर तक कहीं शिक्षा या अपनी योग्यता के बल पर नौकरी हासिल करने की उदारता है ही नहीं। इस कारण अब एच-1 बी वीजा पर सिर्फ कुछ महीनों के लिए रोक नहीं लगी बल्कि एक अनिश्चित समय की तलवार लटक गई है। क्योंकि वास्तव में गोल्ड कार्ड वीजा एच-1 बी वीजा को न तो सरल बनाता है और न ही उसे प्रतिस्थापित करता है। भारतीय छात्र तो अमेरिका में जाने के लिए नौकरी खोजने और वीजा लॉटरी में सफलता पर निर्भर रहते हैं। जबकि यह नया प्रोग्राम सीधे सीधे 9 करोड़ रुपए से यह सुविधा हासिल करने की बात करता है। अब भला भारतीय छात्रों व प्रोफेशनल्स के पास 9 करोड़ रुपए वीजा खरीदेने के लिए हों तो वह अमेरिका जाए ही क्यों? भारतीय छात्र तो आमतौर पर अमेरिका जाते ही अपने आर्थिक सपनों को पूरा करने के लिए हैं। इसलिए अब अमेरिका जाने के छात्र नहीं बल्कि बिजनेसमैन और ऐसे पैसे वाले जो भारत में कमाकर कहीं दूसरी जगह चैन और सुविधाओं के साथ रहना चाहते हैं, वे ही सपना देख सकते हैं। क्योंकि अमेरिका का यह नया वीजा सिस्टम वास्तव में निवेश आधारित प्रवास की राह खोल रहा है। इससे पता चलता है कि अब अमेरिका को सिर्फ टैलेंट नहीं चाहिए, उसे टैलेंट के साथ आपकी पूंजी भी चाहिए। इसलिए जो छात्र केवल शिक्षा लेने के लिए अमेरिका जाना चाहते हों, उनके लिए तो ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी, लेकिन जो छात्र अमेरिका में पढ़कर वहीं नौकरी ढूंढ़ने और अपने सपनों का करियर तलाशने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए अमेरिका में प्रवेश बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि यह गोल्ड कार्ड वीजा कतई भारतीय छात्रों के लिए किसी तरह की राहत की कोई राह नहीं खोलता। 10 दिसंबर 2025 को व्हाइट हाउस में हुए एक राउंडटेबल कार्यक्रम में जहां आईबीएम के भारतीय अमेरिकी सीईओ अरविंद कृष्णा और डेल के सीईओ माइकल डेल भी ट्रंप के साथ मौजूद थे, इस कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा, 'एपल के सीईओ टिम कुक कई बार कह चुके हैं कि वे सर्वेश्रेष्ठ कॉलेजों के छात्रों को इसलिए नहीं नौकरी दे पाते, क्योंकि उन्हें यह पक्का नहीं रहता कि वे उनको यहां रख पाएंगे या नहीं, अब यह समस्या खत्म हो गई है। कंपनियां किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल जाकर गोल्ड कार्ड के जरिये पसंदीदा उम्मीदवारों को अमेरिका में रख सकती हैं।' कहने और सुनने में तो यह आसान है, पर क्या अमेरिका में भी कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए पहले से ही 9 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार होंगी, कतई नहीं? और हां, यह प्रति कर्मचारी 15 हजार से 20 हजार डॉलर की प्रोसेसिंग फीस और 18 से 20 लाख डॉलर की रकम के साथ है यानी कर्मचारियों के लिए कंपनियों को करीब 18 से 20 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, साथ ही एक प्रतिशत वार्षिक मेंटेनेंस और पांच प्रतिशत ट्रांसफर फीस भी लागू होगी। ऐसे में भला कंपनियां इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च करेंगी? भारतीय आईटी/टेक प्रोफेशनल्स पर इसका व्यापक असर होगा। क्योंकि हमारे अधिकांश पेशेवर एच-1 बी वीजा के माध्यम से अमेरिका जाते हैं। जबकि गोल्ड कार्ड वीजा इससे बिल्कुल अलग श्रेणी का है। इसमें किसी तरह की नौकरी का कोई ऑफर नहीं है बल्कि यह एक तरीके से अमेरिका में रहने के लिए निवेश की शर्त है। इसलिए एक सामान्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, शोधकर्ता या मैनेजर आखिर कहां इतने पैसे खर्च करके अमेरिका में रहने का सपना देख सकता है। हां, यह उच्च कमाई वाले स्टार्टअप फाउंडर या निवेशकों के लिए है और वही इसका लाभ ले सकते हैं। भारत में कई लोग हैं, जो इस वीजा का फायदा उठा सकते हैं और वे उठाएंगे भी। इनमें सबसे पहले भारतीय मूल के उद्योगपति हैं, जो अमेरिका में अपना विस्तार चाहते हैं। अब उनके लिए ऐसा करना आसान हो जाएगा। इसी तरह भारतीय स्टार्टअप फाउंडर जिनके पास डॉलर स्तर की फंडिंग है, वो भी अब आसानी से अमेरिका जा सकेंगे। साथ ही हाई नेटवर्थ प्रोफेशनल्स जो ईबी-5 की तुलना में तेज रास्ता चाहते हैं, उनके लिए भी यह वीजा बहुत अच्छा है। लेकिन आम भारतीय छात्रों और अमेरिका में अधिक से अधिक कमाने का लालच करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए अब अमेरिका पहुंचना आसान नहीं होगा। यह वीजा कार्ड उनके लिए कई तरह की मुश्किलें बढ़ाएगा।

इमेज

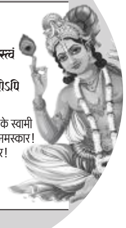

गीता सार

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च।
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥11.39॥

भावार्थ : आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार! नमस्कार हो!! आपके लिए फिर भी बार-बार नमस्कार! नमस्कार!!॥

बाल कथा

दोस्त की मदद करना ही सबसे अच्छी दोस्ती

विजयपाल सिंह 'बालमन'

पांच दोस्त अपने अपार्टमेंट कांप्लेक्स में टेनिस खेल रहे थे, चार कोर्ट में थे और एक अंपायर के भूमिका में था। एक ने शॉट मारा तो गेंद कोर्ट के बाहर एक पेड़ के पास जाकर रुक गई। अंपायर बना लड़का जब गेंद उठाने के लिए गया तो उसने पेड़ पर लगा पोस्टर देखा, जिसमें जाड़ों की छुट्टियों में लगने वाले मेले की जानकारी थी। "यह तो मज़ेदार बात है," अजय ने कहा। "अरे, देखो! इसमें यह भी लिखा है कि आप अपनी पसंद की दुकान मेले में लगा सकते हैं। क्या हमें कुछ करना चाहिए? हम कुछ पैसे कमा सकते हैं और अपने लिए कुछ अच्छा खरीद सकते हैं," सुनीत ने जोश में कहा। "बात तो जम रही है," विशाल बोला। काफी देर विचार विमर्श के बाद, उन्होंने तय किया कि हॉट कॉफ़ी की दुकान लगाना उनके लिए आसान रहेगा। सर्दी होने की वजह से हर कोई कॉफ़ी पीना चाहेगा और अच्छे बिज़नेस की संभावना रहेगी। मेले के दिन, हर दोस्त अपने अपने थर्मस में कॉफ़ी तैयार करके ले आया, अपने पैरेंट्स की मदद से। उनके पैरेंट्स व हाउसिंग एसोसिएशन के सदस्यों ने स्टॉल लगाने में उनकी मदद की, जिस पर एक शानदार बैनर लगाया गया- 'हॉट कॉफ़ी से जाड़ा दूर भगाएं'। बच्चे उत्साहित थे। अजय ने सवाल किया, "जो पैसा हम कमाएंगे, उससे क्या करेंगे?" "कोई गेम खरीद लेंगे या शायद चॉकलेट केक," मनोज ने सुझाव दिया। लेकिन विजय का विचार अलग था। उसने कहा, "पैसे को आपस में बराबर बांट लेंगे ताकि जिसको जो चाहिए वह अपनी पसंद से खरीद ले।" इस पर सब सहमत हो गए। मेला शुरू हो गया और थोड़ी ही देर में उनकी स्टॉल के आगे लम्बी कतार लग गई। खूब बिक्री हुई। सारी कॉफ़ी बिक गई। शाम को उन्होंने कमाए गए पैसों का हिसाब लगाया तो पूरे ढाई हज़ार रुपए थे। अजय ने कहा, "हम पांच दोस्त हैं, सबके हिस्से में 500-500 रुपए आते हैं।" "इसमें मेरा तो चॉकलेट केक आ जाएगा," मनोज ने खुश होते हुए कहा। "गेम के लिए तो मेरे हिस्से के पैसे कम पड़ेंगे, लेकिन मैं बाकी पैसे पापा से ले लूंगा," विशाल बोला। "तुम ऐसा करो, फिलहाल मेरे हिस्से के पैसे इस्तेमाल कर लो और जब स्कूल खुलें तो मुझे लौटा देना," सुनीत ने कुछ सोचते हुए कहा। अजय ने उनसे कहा कि वह अपने एक गरीब क्लासमेट की मदद करना चाहता है, जिसे नई स्कूल यूनिफार्म की ज़रुरत है। यह सुनकर बाकी दोस्तों ने भी अपने हिस्से का पैसा गरीब दोस्त को देने का फैसला किया।

तिथि विशेष

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष 13 दिसंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरुकता फैलाना और जनता को यह समझाना है कि ऊर्जा हमारे जीवन का अनमोल संसाधन है, जिसका सही उपयोग आने वाली पीढ़ियों की उज्ज्वल भविष्य से जुड़ा है। बढ़ती ऊर्जा मांग, सीमित प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण पर बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ केवल ऊर्जा को बचाना नहीं, बल्कि ऊर्जा का सही, समझदारीपूर्ण और कुशल उपयोग करना है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ रही है। बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा अभी भी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे गैर-नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भर है। इनके अत्यधिक दोहन से न केवल संसाधन खत्म हो रहे हैं, बल्कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में ऊर्जा संरक्षण न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी उपाय भी है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की है, जो विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से लोगों को ऊर्जा-सक्षम उत्पादों और तकनीकों के उपयोग के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रयास के तहत ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जिसमें स्कूली बच्चों, संस्थानों, और उद्योगों को विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं व कार्यशालाओं के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण का संदेश दिया जाता है।

डॉलर के विरुद्ध रुपए में गिरावट

हम आसमान सिर पर क्यों उठा लेते?

लोकमित्र गौतम

रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट में जब रुपया-डॉलर के विरुद्ध कमजोर होता है, तो यह सुनते ही हम ऐसी हाय तौबा क्यों मचाने लगते हैं, मानो रुपए के कमजोर होने से हम पर आसमान टूट पड़ा हो। जैसे ही रुपया-डॉलर के विरुद्ध थोड़ा कमजोर हुआ कि सुर्खियां आने लगती हैं, मानो अखाड़े में कुश्ती हो रही हो और मजबूत डॉलर से कमजोर रुपया हारकर मुंह छिपा रहा हो। दरअसल, मुद्राओं के एक्सचेंज रेट के उतार-चढ़ाव को इस तरह से देखना समझदारी नहीं, नासमझी होती है। वास्तव में एक्सचेंज रेट वह कीमत होती है, जिस पर एक मुद्रा, दूसरी मुद्रा से बदली जाती है। मसलन 3 दिसंबर 2025 को अमरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया, 90 रुपए 15 पैसे का हो गया और देश के ज्यादातर अखबारों ने यही हेडिंग लगाया कि रुपया-डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक धरातल पर। रुपया ही नहीं मीडिया विशेषज्ञों ने सरकार को चेतावनी दी कि वह जल्द से जल्द कुछ करे, जबकि देखने वाली बात यह है कि भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वर ने कहा, सरकार को इस गिरावट की कोई चिंता नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा अगले साल तक रुपए में सुधार की उम्मीद है। सवाल है यह एक समय पर इतनी दो विरोधाभासी बातें क्यों सुनाई पड़ रही है? एक तरफ जहां समूचा विपक्ष और कुछ तथाकथित मीडिया विशेषज्ञ रुपए की डॉलर के विरुद्ध ऐतिहासिक गिरावट को मोदी सरकार की घोर नाकामी करार दे रही हैं, वहीं सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार इसकी परवाह ही नहीं कर रहे। आखिर माजरा क्या है?

दरअसल डॉलर या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के विरुद्ध हम रुपए के कमजोर होने पर भले हाय-तौबा मचाते हों, पर इसका मतलब यह नहीं होता कि रुपया उन मुद्राओं के सामने ढह गया, कमजोर हो गया। दरअसल जब रुपया कमजोर होता है, तो हमारे सामने कुछ आर्थिक परेशानियां तो आती हैं, लेकिन उनकी वजह रुपए के कमजोर होने के कारण नहीं होती, रुपए के एक्सचेंज रेट में आई कमी के कारण होते हैं और यह कमी आमतौर पर डॉलर के विरुद्ध हमारे लिए कुछ मुश्किलें खड़ी करती हैं, क्योंकि हम अपना ज्यादातर विदेशी व्यापार अमरीकी डॉलर के जरिये करते हैं। इसलिए जब रुपए के विरुद्ध डॉलर चढ़ जाता है यानी मजबूत हो जाता है तो हमारे आयात उसी अनुपात में महंगे हो जाते हैं। अब चूंकि हम बड़े पैमाने पर कच्चा तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनें, दवाओं का कच्चा पदार्थ और उर्वरक आदि का आयात करते हैं। इस कारण ये आयात महंगे हो जाते हैं। देश में पेट्रोल, डीजल के भाव बढ़ जाते हैं। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जैसी चीजें जो आमतौर पर आयातित होती हैं, वे महंगी हो जाती हैं। सरकार ने जो विदेशों से डॉलर की वैल्यू पर कर्ज लिया होता है, उस कर्ज का आकार थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि रुपया पूरी दुनिया में कमजोर हो गया। ठीक उसी समय दुनिया की कई मुद्राओं के विरुद्ध न सिर्फ रुपया मजबूत होता है बल्कि कईयों के विरुद्ध तो उस समय भी मजबूत होता है, जब डॉलर के खिलाफ यह कमजोर हो रहा होता है। दरअसल समझने वाली बात यह है कि रुपए के डॉलर के खिलाफ कमजोर होने का मतलब सीधे-सीधे रुपए की कीमत या हमारी आर्थिक शक्ति से नहीं होता बल्कि इसका मतलब सिर्फ डॉलर के सामने रुपए के उतार-चढ़ाव के कारण होता है और हमेशा इसका हमें नुकसान ही नहीं होता कई बार अच्छा खासा फायदा भी होता है। मसलन रुपए के डॉलर के विरुद्ध कमजोर होने से हमें इन क्षेत्रों में फायदा मिलता है। भारत की निर्यात कंपनियों का फायदा बढ़ जाता है। इसके साथ ही विदेशों से भेजा जाने वाला पैसा यानी रिमिटेंस भी बढ़ जाता है। लाखों की तादाद में भारतीय अमेरिका, खाड़ी देशों और यूरोप आदि में रहते हैं, जो नियमित तौरपर भारत में रह रहे अपने परिजनों को वहां से पैसे भेजते हैं। जब रुपए की कीमत डॉलर के विरूद्ध घटती है तो ऐसे विदेश गए भारतीयों द्वारा अपने घरों को भेजी गई धनराशि बढ़ जाती है। यही नहीं उस दौरान जो विदेशी पर्यटक भारत घूमने आए होते हैं, उनकी भी मौज लग जाती है। क्योंकि वो जितने पैसे लेकर घूमने आये होते हैं, वो पैसे अचानक बढ़ जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि और ज्यादा खरीदारी कर सकते हैं और मजे कर सकते हैं। यही नहीं जो विदेशी भारत पर निवेश करते हैं, उन्हें भी रुपए के गिरने का जबर्दस्त फायदा होता है। वो 100 रुपए का निवेश करते हैं तो 110 या 120 रुपया माना जाता हैं लेकिन रुपए के डॉलर के विरूद्ध गिरने से जिनको नुकसान होता है, उसमें सबसे पहले तो भारत में बड़े पैमाने पर किये जाने वाले आयातों की कीमत हमें तय कीमत से ज्यादा चुकानी होती है। इसी तरह विदेश में जो भारतीय छात्र पढ़ने गए होते हैं, उनकी पढ़ाई की कीमत बढ़ जाती है। क्योंकि रुपया कमजोर होने से उनकी फीस, किराये का उनका आवास और खाने पर खर्च किए जाने वाले पैसे बढ़ जाते हैं। इससे सरकार पर जो विदेशी कर्ज होता है, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। डॉलर के विरुद्ध रुपया कमजोर होने से कई लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो कई लोगों को फायदा होता है।

वायरल

गाय के पेट से निकला 52 किलो प्लास्टिक, डॉक्टर हैरान

आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपटनम में सड़कों पर खुले आम घूमते मवेशियों की समस्या अब सिर्फ यातायात में बाधा तक सीमित नहीं रही। हाल ही में इस मुद्दे ने चिंताजनक रूप ले लिया जब नगर के बीचोंबीच एक गाय बेसुध हालत में मिली। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पशु चिकित्सा विभाग को दी। जांच में पता चला कि गाय की तबीयत गंभीर है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। विभाग ने मामले की इमरजेंसी को देखते हुए डॉक्टर की निगरानी में पशु चिकित्सकों दीपक और हेमंत की टीम को मौके पर भेजा। डॉक्टरों ने तुरंत गाय का ट्रीटमेंट शुरू किया। 3 घंटे से ज्यादा चले इस जटिल ऑपरेशन में टीम ने उसके पेट से करीब 52 किलो प्लास्टिक, पॉलिथिन, पोस्टर के टुकड़े और अन्य भारी कचरा निकाला। इस नजारे को देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि इतने लंबे समय तक इतना भारी कचरा उसके भीतर कैसे जमा रहा होगा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने बताया कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो उसकी जान बचाना काफी मुश्किल हो जाता।

पंचांग

13 दिसंबर 2025

- विक्रम संवत् - 2082
- शक संवत् - 1947
- रवि - दक्षिणायन
- ऋतु - हेमंत
- मास - पौष
- पक्ष - कृष्ण
- तिथि - नवमी 16.38 तक
- वार - शनिवार
- नक्षत्र - हस्त अहोरात्र
- योग - आयुष्मान 11.16 तक
- करण - वणिज 29.41 तक
- सूर्योदय - 07.04 प्रातः (मुंबई)
- सूर्यास्त - 06.01 शाम (मुंबई)
- सूर्योदय - 07.17 प्रातः (भीनमाल)
- सूर्यास्त - 05.53 शाम (भीनमाल)
- चंद्र राषि - कन्या
- अभिजीत - 12.10 से 12.54
- राहु काल - 09.47 से 11.09
- दिषा शूल - पूर्व
- व्रत त्यौहार - मृत्युयोग/यमघंटयोग अहोरात्र, भद्रा 29.41 प्रारंभ

• शास्त्री प्रवीण त्रिवेदी, भीनमाल

X का एक्सरे

अखिलेश क्षत्रिय विरोधी हैं, इसलिए इस प्रकरण में मेरा नाम घसीट रहे हैं। जानबूझकर राजपूत समाज को टारगेट किया जा रहा है। इसका खामियाजा 2027 में अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। इस मामले की एसआईटी, ईडी, पुलिस जांच कर रही है। मैंने खुद सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए।

धनंजय सिंह

भारत का एक राज्य सनातन धर्म-विरोध का चेहरा बन गया है। इस राज्य के मंत्रियों ने सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तो तमिलनाडु के मंदिरों में इसके प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी। इस दौरान मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे।

अनुराग ठाकुर

हमारे अधिकांश प्रमुख शहर जहरीली हवा की चादर में लिपटे हुए हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। लोगों को कैंसर हो रहा है। बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस मुद्दे पर मुझे यकीन है कि सरकार और हमारे बीच पूरी सहमति होगी। यह कोई सोच का मुद्दा नहीं है।

राहुल गांधी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को कोचिंग का वही तरीका अपनाना चाहिए जो भारतीय क्रिकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मुझे बस क्रिकेट पसंद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो गेंदों का क्रिकेट हो या 100 गेंदों का या 100 ओवर का या 10 ओवर का। क्रिकेट तो क्रिकेट है। गोल्फ तो गोल्फ है, आप कोई भी प्रारूप खेलें।

कपिल देव

नारायण पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए मुद्रक-प्रकाशक-हेमल पुरोहित द्वारा एआईएस प्रिंटिंग सोल्यूशंस, प्लॉट नं. ए-544, टीटीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, ठाणे-बेलापुर रोड, महापे, नवी मुंबई 400709 से मुद्रित एवं प्रिमाइसेस नं. 1303/चेंबर्स, 13वां माला, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन के पास, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 099 से प्रकाशित, पोस्टल रजि. MCN/325/2023-24, (चकाला MIDC पी.ओ.) रजि. नं. MAHHIN/2004/13755, संपादक-हेमल पुरोहित, स्थानीय संपादक-नीरज दवे, फोन : 022-46024646, ईमेल : jagruktimes@gmail.com

राष्ट्र पुनर्जागरण की शताब्दी यात्रा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वर्ष 1925 से 2025 तक की यह सौ वर्ष की यात्रा भारत के राष्ट्र जीवन का अद्भुत अध्याय है। यह यात्रा केवल किसी संगठन की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जागरूकता, राष्ट्रीयता, सेवा और संगठन-शक्ति के पुनर्जागरण की कथा है। राष्ट्र साधना यह शब्द स्वयं में त्याग, समर्पण, संगठन और संस्कृति का सार समेटे हुए है। बीते 100 वर्षों में भारत ने जिस प्रकार अपनी अस्मिता को पुनः जागृत किया है, वह इसी साधना का प्रत्यक्ष परिणाम है। इन सौ वर्षों की साधना का प्रारम्भ डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार जैसे राष्ट्रनिष्ठ महापुरुष से हुआ, जिन्होंने 1925 में एक ऐसे राष्ट्रजीवन की नींव रखी जिसका केंद्र केवल भारत माता थी। उनके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि राष्ट्र का उत्थान संगठन, संस्कार और समरस समाज से ही संभव है। बाद में प. पू. श्री गुरुजी (एम. एस. गोलवलकर) ने इस साधना को और विस्तार दिया। दोनों महान आत्माओं की संयोजित दृष्टि ने एक ऐसे राष्ट्रभाव को जन्म दिया, जिसने समाज के प्रत्येक वर्ग को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। 100 वर्ष पूर्व भारत परतंत्रता, आपसी भेदभाव, अस्पृश्यता, सामाजिक वैमनस्य और सांस्कृतिक भ्रम से जूझ रहा था। पश्चिमी सोच हमारे संस्कारों पर चोट कर रही थी। ऐसे समय में राष्ट्र साधना का उद्देश्य केवल स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि स्वाभिमानी, संगठित, संस्कारित और समरस भारत का निर्माण था। डॉ. हेडगेवार ने राष्ट्र की कमजोरी का मूल कारण असंगठन बताया और इसके समाधान के रूप में समाज को संगठित करने की दीर्घ दृष्टि दी। यह संगठन किसी विरोध या संघर्ष पर आधारित नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, अनुशासन और राष्ट्रभाव के विकास पर आधारित था। राष्ट्र साधना के प्रमुख आयाम-वनवासी कल्याण, ग्राम विकास, गो-सेवा और गौ-संवर्धन, शिक्षा एवं संस्कार, सामाजिक समरसता,राष्ट्रीय चेतना, सेवा-कार्यों का विस्तार, ये सभी राष्ट्र साधना के मूल स्तंभ हैं। इन सबका उद्देश्य है समाज के अंतिम व्यक्ति तक राष्ट्रभाव, आत्मनिर्भरता और संस्कृति का प्रकाश पहुंचे। (क) वनवासी कल्याण-वनवासी समाज भारतीय संस्कृति का जीवंत रूप है। परंतु दुर्भाग्य से आधुनिक समय में वे उपेक्षित रहे। राष्ट्र साधना के इन 100 वर्षों ने वनवासी बंधुओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और आत्मगौरव से जोड़ने का विशाल कार्य किया। हजारों विद्यालय, छात्रावास, सेवा केंद्र और संस्कार केंद्र इसी दिशा के प्रतीक हैं। (ख) ग्राम विकास-भारत की आत्मा गांवों में बसती है। ग्रामीणों में स्वावलंबन, जैविक खेती, कौशल विकास, स्वच्छता, जल-संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए गए। समग्र ग्राम विकास का विचार राष्ट्र साधना का महत्वपूर्ण अंग बना। (ग) गो-संवर्धन और गो-सेवा-गाय भारतीय जीवन का धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार है। देशभर में गोशालाओं, गो-पोषण, गो-आधारित उत्पादों को प्रोत्साहन तथा गोवंश संरक्षण के अनेक प्रयास बीते सौ वर्षों का अहम पहलू हैं। (घ) शिक्षा और संस्कार-भारतीय शिक्षा पद्धति का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए संस्कार केंद्र, एकल विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, गुरुकुल परंपरा को प्रोत्साहन, युवाओं में राष्ट्रभक्ति व अनुशासन जैसे अनेक उपक्रम विकसित हुए। शिक्षा को राष्ट्रीय चरित्र से जोड़ने का यह प्रयास राष्ट्र साधना का हृदय है। (ङ) समाज-समरसता-समाज जाति, भाषा या वर्ग में बंटा तो राष्ट्र कमजोर होता है। पिछले 100 वर्षों में "हम सब एक हैं" की भावना को व्यवहार में उतारने के लिए निरंतर प्रयास हुए मिलन, संवाद, सेवा, साथ भोजन, सह-जीवन जैसी कई पहलें की गईं। यह राष्ट्र साधना का सबसे शक्तिशाली मूल्य है। कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी महामारी हर विपत्ति में स्वयंसेवकों ने आगे बढ़कर सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। सेवा केवल सहायता नहीं, बल्कि समाज के प्रति प्रेम है। आज देशभर में स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान, वृद्धजन सहायता, बाल-शिक्षा, आपदा प्रबंधन, नशामुक्ति अभियान, जैसी हजारों सेवाएं इस 100 वर्ष की यात्रा का अमूल्य योगदान हैं। भारत केवल भूमि नहीं, बल्कि एक जीवंत संस्कृति है। योग, आयुर्वेद, वेद, उपनिषद, संस्कृत भाषा, पर्व-त्योहार, नदियाँ, वन, गौवंश-ये सभी राष्ट्र की आत्मा हैं। राष्ट्र साधना की यह यात्रा संस्कृति को आधुनिक जीवन से जोड़ने का अद्भुत प्रयास है। आज विश्व में बढ़ती भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा इस तपस्या का प्रत्यक्ष फल है। आज भारत विश्व में सम्मानित, शक्तिशाली और नेतृत्वकारी भूमिका में है। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत, सुरक्षा और रक्षा शक्ति, तीव्र आर्थिक विकास, वैश्विक मंचों पर बढ़ती भूमिका, संस्कृति का विश्वव्यापी प्रभाव यह सब उसी राष्ट्र साधना का परिणाम है, जिसकी शुरुआत 1925 में हुई थी और जिसका विस्तार आज करोड़ों लोगों तक पहुँच चुका है। राष्ट्र साधना की यह शताब्दी केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि आने वाले भारत का मार्गदर्शक है। हमें अब संकल्प लेना है समाज में समरसता बढ़ाएंगे, सेवा भावना को जीवन का आधार बनाएंगे, संस्कृति और राष्ट्रभाव को आगे बढ़ाएंगे, ग्राम व वनवासी जीवन को सशक्त करेंगे, गो-संवर्धन, शिक्षा, संस्कार और संगठन को और मजबूत करेंगे। भारत माता की सेवा ही हमारा धर्म, कर्म और साधना है। इसी भावना के साथ यह 100 वर्ष की यात्रा आने वाले युगों के लिए प्रेरणा बनकर अमर रहेगी।

कटाक्ष | सुरेश मिश्र

भउजी पूछइं फोन पे, कब अइब्या भरतार
काटइ दउड़इं आजु कल, बिछिया, कंगन हार
बिछिया, कंगन हार, सेजरिया लाइग कांटा
रहिया लखइं तोहार, अमावट, लेंडुवा, लाटा
कह सुरेश अब सही न जाइ ई अलगउझी
रात-रात भर रोइ रहल भइया बिनु भउजी

ट्रंप-मोदी के बीच हुई बातचीत के वैश्विक निहितार्थ

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया भारत दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई यह पहली बातचीत थी। ट्रंप द्वारा पुन: की गई बातचीत अमेरिका की चीन-विरोधी रणनीति में भारत को महत्वपूर्ण साझेदार बनाने की कोशिश दर्शाती है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के द्विपक्षीय व्यक्तिगत रिश्तों पर जमी बर्फ अब भीषण नीतिगत ठंड के बावजूद भी पिघलने लगी है। ऐसा इसलिए कि गत 10 दिसंबर 2025 को दोनों नेताओं में बीच हुई फोन वार्ता ने भारत-अमेरिका संबंधों को पुनः मजबूत करने का संकेत दिया है। उल्लेखनीय है कि डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान परस्त नीतिगत हठधर्मिता और टैरिफ दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से भारत-अमेरिका के महत्वपूर्ण व रणनीतिक सम्बन्धों में भरोसे का भाव टूटा है और दोनों नेताओं के बीच खटास बढ़ी है जिसको दूर करने के लिए ही यह ताजातरीन पहल की गई है। पीएमओ के मुताबिक, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय ट्रेड वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और व्यापार, रक्षा, ऊर्जा तथा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे अहम क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। यही वजह है कि इस प्रमुख चर्चा बिंदुवार्ता को "गर्मजोशीपूर्ण और सकारात्मक" बताया गया है, जिसमें वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रतिबद्धता दोहराई गई है। उल्लेखनीय है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया भारत दौरे के बाद हुई यह पहली बातचीत थी, जो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को रेखांकित करती है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय व वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और निरंतर संपर्क बनाए रखने का वादा किया। इस नई बातचीत का कूटनीतिक महत्व यह है कि ट्रंफ द्वारा पुनः की गई बातचीत अमेरिका की चीन-विरोधी रणनीति में भारत को महत्वपूर्ण साझेदार बनाने की कोशिश दर्शाती है, खासकर AI, साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में। यही वजह है कि व्यापार समझौते की उम्मीदें बढ़ी हैं, हालांकि अमेरिकी कृषि उत्पादों के बाजार पहुंच पर चर्चा जारी है। कुल मिलाकर, यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में संबंधों को रीसेट करने का संकेत है, जो भारत के दूरगामी हित में है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का भी कहना है कि ट्रंप-मोदी की 10 दिसंबर 2025 की फोन वार्ता भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का संकेत देती है, खासकर पुतिन के भारत दौरे के ठीक बाद। लिहाजा यह बातचीत COMPACT फ्रेमवर्क के तहत रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में सहयोग तेज करने पर केंद्रित रही। इसके जरिए प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र यथा- रक्षा और सुरक्षा दोनों में सैन्य साझेदारी, AI, साइबर सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक स्थिरता पर जोर दिया गया, जो चीन के प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में अहम प्रयास है। वहीं, व्यापार व तकनीक के क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी, ट्रंप के टैरिफ दबाव के बावजूद। जहां तक क्षेत्रीय चुनौतियों की बात है तो वैश्विक शांति, रूस तेल खरीद विवाद और साझा हितों पर विचार-विमर्श हुआ जिसका भू-राजनीतिक निहितार्थ यह है कि पुतिन के दिल्ली दौरे के बाद आया यह कॉल जहां अमेरिका की चिंताओं को दूर करने और भारत को रूस से दूर खींचने की रणनीति दर्शाता है। वहीं, भारत की बहुपक्षीय विदेश नीति बरकरार रहती है, जबकि अमेरिका इंडो-पैसिफिक में मजबूत साझेदार चाहता है। कुल मिलाकर, यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में संबंधों को रीसेट करने जैसा कदम समझा जा रहा है। स्पष्ट है कि ट्रंप-मोदी की 10 दिसंबर 2025 की बातचीत रूस पर अमेरिकी दबाव बढ़ाने का प्रयास दर्शाती है, खासकर भारत के रूसी तेल आयात को लेकर, लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति बरकरार रखी। वहीं चीन के संदर्भ में यह कॉल इंडो-पैसिफिक में साझेदारी मजबूत करने का संकेत देती है, जो बीजिंग के प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में है। इस बातचीत का रूस पर प्रभाव यह पड़ेगा कि पुतिन के हालिया दौरे के बाद हुई यह वार्ता अमेरिका की चिंताओं को संबोधित करती है, जहां ट्रंप रूसी तेल खरीद पर टैरिफ दंड लगाने की कोशिश कर रहे है। लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से आयात रोकने का वादा नहीं किया, जिससे मॉस्को को राहत मिलती है और यूक्रेन युद्ध पर आर्थिक दबाव कम होता दिखता है। कुल मिलाकर, भारत की बहुपक्षीयता रूस के साथ संबंधों को स्थिर रखती है। जहां तक इस बातचीत से चीन पर प्रभाव पड़ने की बात है तो यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस द्विपक्षीय बातचीत में रक्षा, तकनीक और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा पर फोकस रखा गया उससे चीन के विस्तारवाद को काउंटर करने की रणनीति साफ उभरती है। हालांकि ट्रंप की चिंता के बावजूद, भारत SCO जैसे मंचों पर चीन से जुड़ाव बनाए रखेगा, लेकिन अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ने से बीजिंग को रणनीतिक चुनौती मिलेगी। साथ ही व्यापार टैरिफ विवाद सुलझने से अमेरिका-भारत गठजोड़ मजबूत होगा। ट्रंप-मोदी की 10 दिसंबर 2025 की बातचीत से चीन के साथ भारत की सीमांकन नीतियों (LAC विवाद समाधान) में कोई तात्कालिक बदलाव की उम्मीद नहीं है। भारत ने LAC पर शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है, लेकिन ट्रंप कॉल का फोकस इंडो-पैसिफिक सुरक्षा पर रहा, जो अप्रत्यक्ष रूप से चीन को संतुलित करने का प्रयास है।इसकी वर्तमान स्थिति यह है कि भारत-चीन ने 2024-25 में विशेषज्ञ समूह गठित कर सीमा निर्धारण पर काम शुरू किया, जिसमें व्यापार केंद्र खोलना और उड़ानें बहाल करना शामिल है। गलवान के बाद की नरमी बनी हुई है, लेकिन पूर्ण सीमांकन के लिए लंबी प्रक्रिया चलेगी। इस पर ट्रंप कॉल का प्रभाव यह पड़ेगा कि यह वार्ता अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग बढ़ाने से चीन पर दबाव डालेगी, लेकिन भारत की बहुपक्षीय नीति सीमांकन वार्ताओं को स्वतंत्र रखेगी। इसलिए कोई नीतिगत बदलाव की घोषणा नहीं हुई।

■ कमलेश पांडेय

नेपाल ने फिर छेड़ा काली का राग

नेपाल ने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को दर्शाने वाले मानचित्र के साथ अपना 100 रुपये का नया करेंसी नोट जारी कर भारत के साथ दो सदी से भी पुराने सीमा विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है। मई 2020 में के. पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने भी एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा क्षेत्रों को नेपाल का क्षेत्र दिखाया गया था। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच नयी दिल्ली में गत 18 अगस्त को हुयी वार्ता में आपसी व्यापार के लिये जिन तीन नये रास्ते खोलने पर सहमति बनी है। उनमें से एक लिपुलेख भी है जिस पर नेपाल ने आपत्ति जताई है। जिस कूटी यांग्ती नदी को नेपाल काली बता रहा है, वह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है जिसमें दो किनारों की विभाजक दिशाएं पूरब पश्चिम नहीं बल्कि उत्तर -दक्षिण हैं। इस कूटी घाटी के निचले आबादी वाले क्षेत्र में नदी के दोनों ओर भारत और नेपाल के गांव हैं जबकि भारत जिस नदी को काली मानता है वह उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इसलिये संधि के हिसाब से पूरब में नेपाल के दार्चुला जिले के छांगरू, दिलीगाड़, तिंकर और कौआ गांव हैं, जबकि पश्चिम में भारत की गुंजी, नपलच्यू, रौंगकौंग, नाबी, कूटी, गर्ब्यांग और बुदी ग्राम सभाएं हैं। उत्तराखण्ड में मुख्य सचिव और मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके नृपसिंह नपलच्याल का गांव इसी क्षेत्र के नपलच्यू में है। गुंजी, नाभी और कूटी के एक दर्जन से अधिक आइएएस, आइपीएस, पीपीएस और पीसीएस अधिकारी उत्तराखण्ड और भारत सरकार की सेवा में हैं। यह विवाद नया नहीं है जिसे नेपाल पिछले 208 सालों से यदाकदा उठाता रहा हैं। भारत जिस नदी को काली नदी मानता है, नेपाल उसकी जगह कूटी यांग्ती को असली काली नदी बताता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच 2 दिसम्बर 1815 को सम्पन्न हुयी सुगोली की संधि में काली नदी को ही भारत और नेपाल के बीच विभाजन रेखा माना गया है। नेपाल की नवीनतम् आपत्ति इस बात को लेकर है कि दोनों देशों ने लिपुलेख से व्यापार खोलने पर संधि कर ली जबकि काली नदी की उसकी अपनी परिभाषा के अनुसार यह क्षेत्र नेपाल का भू भाग है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुयी सहमति के परिणाम स्वरूप भारत की ओर से लिपुलेख, शिप्की लॉ और नाथू लॉ से प्राचीन व्यापारिक मार्ग खुलने हैं। लेकिन इस सहमति के बाद नेपाल ने अड़ंगा खड़ा करने के लिये एक बाद फिर नये नोट पर विवादित मानचित्र छाप कर पुराने विवाद को हवा दे दी। भारत के लिये लिपुलेख दर्रा आर्थिक, सामरिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यन्त महत्व का है। यहीं से चीन के साथ व्यापार शुरू होने के साथ ही यही कैलाश मानसरोवर का रास्ता भी है। यही वह दर्रा है जो 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान सबसे मजबूत मोर्चा साबित हुआ था। इसलिये तभी से यहां पर भारत की सुरक्षा चौकियां स्थापित हैं। हालांकि

नेपाल का यह सपना कभी साकार होने वाला नहीं है फिर भी नेपाल में भारत विरोधी तत्व सदैव काली नदी के विवाद को दोनों देशों के बीच तनातनी का मुद्दा बनाये रखेंगे। चीन भी ऐसे तत्वों को हवा देता रहेगा। सुगोली में 2 दिसम्बर 1815 को नेपाल के महाराजा विक्रमशाह बहादुर शमशेर जंग के प्रतिनिधि राजगुरू गजराज मिश्र और चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा कंपनी की ओर से ले0 कर्नल ब्रैडशॉ ने जिस संधि पर हस्ताक्षर किये थे, उसमें सतलज से लेकर घाघरा और मेची के बीच का सारा भूभाग अंग्रेजों के अधीन मान लिया गया था। नेपाल इस संधि को तो मानता है, लेकिन वह कालापानी से 16 किमी दूर लिम्पिया धुरा से निकलने वाली उस नदी को काली नदी मानता है जिसे भारत कूटी यांग्ती मानता रहा हैं। अगर नेपाल का दावा मान लिया जाय तो न केवल लिपुलेख दर्रा और कालापानी अपितु उत्तराखण्ड राज्य के पिथौरागढ़ जिले की 7 ग्राम सभाएं भी नेपाल में चली जाती हैं। सुगोली की संधि की धारा 5 में साफ लिखा गया है कि काली नदी के पश्चिम वाला हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिक्षेत्र होगा और उस क्षेत्र पर तथा क्षेत्र वासियों पर नेपाल का राजा या उसके उत्तराधिकारी कभी दावा नहीं करेंगे। इन दोनों जलधाराओं का गुंजी के निकट मनीला में संगम होता है। तवाघाट में काली नदी में धौली, जौलजीवी में गोरी, पीपली में चरमा और पंचेश्वर में सरयू नदियां मिलती हैं। टनकपुर से काली नदी शरदा और लखीमपुर से घाघरा हो जाती है। दरअसल सुगोली की संधि के बाद से ही नेपाल अग्रेजों से ही काली नदी को लेकर विवाद करने लग गया। कारण यह कि संधि के समय उस क्षेत्र का कोई नक्शा ही नहीं था। वह क्षेत्र इतना दुर्गम था कि उस समय के शासकों के लिये उससे राजस्व की कोई उम्मीद ही नहीं थी। हिमालयन गजेटियर (सन् 1884: वाल्यूम-2 पार्ट-2: 679-680) में ई.टी. एटकिन्सन लिखता है कि संधि के अनुसार टौंस से शारदा तक पूरा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया, मगर उत्तर में केवल एक छोटे तथा महत्वहीन क्षेत्र पर विवाद बना रहा। इसके साथ ही संधि के अनुसार ब्यांस परगना के दो हिस्से हो गये थे, जबकि अब तक वह कुमाऊं का अभिन्न हिस्सा था। वैसे भी यह जुमला और डोटी से अलग क्षेत्र था। नेपाल ने कुमांऊ के कमिश्नर और नेपाल के रेजिडेंट ई0 गार्डनर को 4 फरबरी 1817 को परगना ब्यांस में काली के पूर्व में पड़ने वाले तिंकर और छांगरू गावों पर अपना दावा पेश करते हुये पत्र लिखा तो वे सचमुच काली नदी के पूरब में थे, इसलिये उन्हें डोटी के तत्कालीन सूबेदार बमशाह के अधिकार में दे दिया गया। इससे भी नेपाल सन्तुष्ट नहीं हुआ और उसने कूटी तथा नाभी की भी मांग करनी शुरू कर दी।इस पर नेपाल के रेजिडेंट एवं कुमाऊं कमिश्नर ने कैप्टन वेब से नेपाल के दावे की जांच कराई तो उसने सन् 1818 तक कुमाऊं का व्यापक दौरा किया। 11अगस्त और 20 अगस्त 1817 को सौंपी गयी अपनी रिपोर्ट में वेब ने माना कि पवित्र कालापानी चश्मे से निकलने वाली, मगर कम पानी वाली जलधारा ही सदैव काली की मुख्य शाखा मानी जाती रही है। कालापानी के कारण ही उसका नाम काली रखा गया। इस नदी का काली नाम तब तक रहता है जब तक वह पहाड़ों में बहती है और मैदान में उतरने पर वह शारदा नदी हो जाती है। इसलिये ब्रिटिश सरकार ने नेपाल का दावा खारिज कर नाभी और कूटी गावों को अपने पास ही रखने का निर्णय लिया और तब से ये गांव ब्रिटिश ब्यांस के ही हिस्से रहे। ब्यांस घाटी के ये सभी गांव रं भोटिया जनजाति के हैं।

■ जयसिंह रावत

जाति की राजनीति...

भारत में कई राजनीतिक दल, खासकर क्षेत्रीय दल, अपनी वोट बैंक रणनीति के लिए जातीय समीकरणों पर निर्भर रहते हैं। राज्यों में विधानसभा से लेकर मुखिया चुनाव तक में जातिगत समीकरणों के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया जाता है। यह बात सर्वविदित है कि जातीय ध्रुवीकरण सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाता है और लंबे समय में अस्थिरता पैदा कर सकता है। ऐसे में शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी में संदेश है कि राजनीतिक दलों को दलगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना जरूरी है। यह बात गौर करने वाली है कि जातीय आधार पर वोट मांगने से समाज में विभाजन बढ़ता है, जो सामाजिक समरसता के लिए खतरा है। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि कई दल जातीय गणित के आधार पर टिकट वितरण, प्रचार, और नीतियां बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इशारा करती है कि यह रणनीति न केवल समाज के लिए हानिकारक है, बल्कि दीर्घकाल में दलों की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसका एक संदेश यह भी है कि राजनीतिक दलों को जाति आधारित रणनीति के बजाय योग्यता, विकास, और समग्र सामाजिक कल्याण पर आधारित रणनीति अपनानी चाहिए। जाति की राजनीति लोकतंत्र के लिए रक्षक है या रक्षक, इस पर अक्सर बहस होती रहती है कि संसदीय लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखनी है तो इस तरह के खेल खेलना ठीक नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, वो इस खेल में डूबे हुए हैं, एक बार आदत पड़ गई तो आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। चुनावी राजनीति सफल होनी है तो सब कुछ माफ किया जा सकता है। लेकिन जो खेल शुरू किया गया था, उसे पूरा नहीं किया जाना चाहिए। इसका ताजा उदाहरण महायुति सरकार द्वारा चुनाव से पहले घोषित विभिन्न जातियों के आर्थिक विकास निगम हैं। हालांकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना समय लिया है, लेकिन जातिगत तुष्टिकरण की यह राजनीति कई नए सवालों को जन्म देती है। इन नए निगमों की क्या आवश्यकता थी जब राज्य पहले से ही असंख्य निगमों से भरा हुआ था और उनमें से पचास पूरी तरह से जर्जर थे? इसके जवाब में सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने बुधवार को विधानसभा में दिखाया कि वे कंपनियों के रूप में पंजीकृत होंगे, भले ही उनके नाम में 'निगम' शब्द हो, और उन्हें उसी के अनुसार चलाया जाएगा। चर्चा में भाग लेने वाले सभी विधायकों ने कहा कि खूब दान करने वाले दादा ओबीसी के इन निगमों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। जब तीन दलों का गठबंधन होता है तो ऐसे बर्तन टकराते रहते हैं, इसलिए इस बात को एक पल के लिए नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जातियों के उत्थान के लिए बने इन मंडलों का क्या ?क्या वह धन की कमी के कारण केवल कागज के घोड़ों पर नृत्य करेगी? ओबीसी श्रेणी के मामले में, जो महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का वोट बैंक है, लोकसभा चुनाव के नतीजों से पता चला कि वह उनसे हार गई है, भाजपा हमेशा जातीय समीकरणों के छोटे वर्गों पर सचेत रूप से ध्यान देती रही है। कुनबी, माली आदि बड़ी जातियां हैं, लेकिन इन निगमों को इस बात को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था कि अगर उन्हें एक ही श्रेणी में सैकड़ों लेकिन कम आबादी वाली छोटी जातियों के करीब लाया जाए तो यह अधिक फायदेमंद होगा। यह मॉडल चुनावी सफलता के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन अब क्या? क्या इन निगमों को अपने हाल पर रखने के लिए मरना नहीं है?

आज का कार्टून

साभार

महाभारत युद्ध न हुआ होता तो परिस्थियां कैसी होती

अगर महाभारत का युद्ध नहीं होता तो दुनिया एक बहुत बड़े संघर्ष से बच जाती लेकिन धर्म और ज्ञान के संदर्भ में इसके कई अलग-अलग प्रभाव हो सकते थे। कुछ संभावित परिणाम ये हैः हो सकता है कि दुर्योधन और कौरव और अधिक शक्तिशाली हो जाते या पांडवों के साथ शांति समझौता हो जाता। संभावित परिणाम पांडवों को न्याय, यदि पांडवों को उनका राज्य मिल जाता। महाभारत का युद्ध एक विशालकाय युद्ध था। बड़े पैमाने पर लड़ा गया. जान माल का काफी नुकसान हुआ। यह तो द्वापर युग का एक युद्ध था, जो तीर कमानो से लड़ा गया। आज वर्तमान में यदि विश्व में देखने को युद्ध मिलते हैं तो बन्दूक, तोप, और नूइक्लियर तकक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा हैं। जापान में नागासकी हीरोशिमा पर एटम बम का प्रभाव आज तक देखने को मिल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान एटम बम की बात करता है तो कुछ देश शांति की। इसी पर विस्तार से आगे चर्चा जारी रखेंगे। अकबर और राणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध, पानीपत की लड़ाई। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 पकस्तान भारत युद्ध, 1971 बांग्लादेश के लिए भारत ने पाकिस्तान को सेरेंडर कराया। आजकन इजराइल हमसे की लड़ाई और अभी रूस युक्रेन युद्ध चल रहा है। विश्व में शांति की बातें भी चल रही हैं. यह सब क्या मोड़ लेगा, इसी को देखना है। अमरीका बिचोला बन विश्व शांति की बात कर रहा है तो भारत यू एन में स्थाई सदस्यता मिलने की उम्मीद से विश्व गुरू की और नई पायदान को छूने जा रहा है। प्रश्न है क्योंकि "जब से दुनिया बनी है" के बाद से हुए युद्धों की संख्या को गिनना असंभव है, और "शांति के लिए लड़े गए" का अर्थ अस्पष्ट है हालांकि, पिछले 100 वर्षों में 260 से अधिक बड़े युद्ध और संघर्ष हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप 15 करोड़ से अधिक लोगों की जान गई है। यह अनुमान लगाना असंभव है कि जब से दुनिया बनी है तब से युद्ध और शांति के लिए कितने संघर्ष हुए हैं। इतिहास में ऐसे बहुत से युद्ध हुए हैं जिनमें शांति समझौते और संधियाँ हुईं, लेकिन "शांति के लिए लड़े गए" संघर्षों को अलग से नहीं गिना जा सकता है। अतीत में बहुत से युद्धों के परिणाम और प्रभाव को आज भी देखा जा सकता है, और उनके कारण कई संघर्ष भी हुए। संक्षेप में, यह एक सामान्य प्रश्न है जो ऐतिहासिक डेटा के अभाव के कारण इस तरह की जानकारी देना कठिन है। युद्ध के कारणों में संसाधनों (भूमि, जल, खनिज), राजनीतिक दबदबे और क्षेत्रीय विस्तार की चाहत, धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद, आर्थिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल हैं। अक्सर ये सभी कारण मिलकर युद्ध को जन्म देते हैं, जहाँ राष्ट्रों के हित टकराते हैं। संसाधन संघर्षः भूमि, पानी, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष होते हैं। राजनीतिक कारणः सत्ता की लालसा, क्षेत्रीय विस्तार और किसी देश पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा युद्ध का कारण बनती है। धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदः विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों या विचारधाराओं के बीच टकराव और एक-दूसरे पर अपने विश्वासों को थोपने की कोशिश युद्ध को जन्म दे सकती है। आर्थिक कारणः व्यापार मार्गों, बाजारों और आर्थिक प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा युद्ध का कारण बनती है। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षाः किसी देश की सुरक्षा को खतरा महसूस होने पर, या आक्रमण के जवाब में भी युद्ध हो सकते हैं। क्षेत्रीय विवादः देशों के बीच सीमा विवाद और क्षेत्रीय दावों पर असहमति भी युद्ध की जड़ हो सकते हैं। युद्ध से आप क्या समझते हैं? इसके कारण और प्रभाव का परीक्षण कीजिए। युद्ध को रोकने के लिए तनाव कम करना, गरीबी और असमानता को दूर करना, समावेशी समाज का निर्माण करना, और शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्षों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्तर पर, शांति की वकालत करने वाले समूहों से जुड़ना और शांतिपूर्ण समाधानों के लिए सार्वजनिक मांग करना इसमें शामिल है। तनाव और असुरक्षा को कम करेंः लोगों को शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने के अवसर प्रदान करें, और ऐसे समावेशी समाज बनाएं जहाँ सभी की आवाज़ सुनी जाए। मध्यस्थता और कूटनीति को बढ़ावा देंः राज्यों को निरस्त्र करना या उनके हथियारों को न्यूनतम करना और मध्यस्थता के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय क्षमताएं विकसित करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का समर्थन करेंः युद्ध अपराधों के लिए नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना का समर्थन करें।

अमृत विचार

शनिवार, 13 दिसंबर 2025

धर्म एक ही है, यद्यपि उसके सैकड़ों संस्करण हैं।
–जार्ज बर्नाड शा, आइरिश विचारक

अवसर और चुनौती

मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किसी भी चुनाव की विश्वसनीयता की रीढ़ है। मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की मांग पर चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य में एसआईआर की समय सीमा दो सप्ताह बढ़ाने का फैसला भले सरल प्रशासनिक निर्णय प्रतीत हो, पर इसके प्रभाव बहुत व्यापक और बहुस्तरीय हैं। मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य जितना आवश्यक है, उतना ही कठिन भी और इसीलिए यह समय वृद्धि महत्वपूर्ण अवसर के साथ चुनौती भी है।

यह तो बहुत स्पष्ट है कि यदि इसका उपयोग पूरी गंभीरता से हो तो इस अतिरिक्त समय का मतदाता सूची की शुद्धता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश के सभी जिलों से मिली रिपोर्टें संकेत देती हैं कि फील्ड सत्यापन में कई क्षेत्रों में देरी थी, कुछ स्थानों पर अनुपस्थित मतदाताओं की पहचान अपूर्ण थी और मृतक मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया भी धीमी चल रही थी। दो सप्ताह का अतिरिक्त समय इन खामियों को दूर करने का अवसर देगा और इससे सूची की शुद्धता में उल्लेखनीय सुधार आ सकता है। विशेषकर घनी आबादी वाले जिलों, शहरी स्लम क्षेत्रों, प्रवासी मज़दूरों के अंचलों और बाढ़-सूखा प्रभावित इलाकों में, जहां सत्यापन सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। इस समयवृद्धि से एसआईआर में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को राहत मिलेगी। एक सवाल यह भी है कि क्या इतनी विशाल जनसंख्या वाले सूबे में अधिकारी और समय की मांग कर सकते हैं? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हर विधानसभा क्षेत्र में 8–10 प्रतिशत मतदाता अनुपस्थित हैं। ये वो लोग हैं जो या तो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, या स्थानांतरित हो चुके हैं, या पता बदल चुके हैं। यदि इनका सत्यापन अधूरा रह गया, तो स्थिति चुनावी गड़बड़ियों और फर्जी मतदान की आशंका को बढ़ा सकती है, क्योंकि फर्जी वोटिंग और मृत मतदाताओं के नाम से मतदान की आशंकाएं अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं।

मुख्यमंत्री का यह बयान कि विपक्ष मृत या अनुपस्थित नामों पर वोट अपने खाते में डलवा सकता है, राजनीतिक चेतावनी भी है और प्रशासनिक सावधानी भी। सिद्धांततः यह संभव तो है, पर तभी जब सूची में कमियां रह जाएं। तकनीकी निगरानी और आधार-लिंकिंग के बावजूद, यदि फील्ड स्तर पर ढील हुई तो यह खामी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। अतः यह बयान अधिकारियों पर यह दबाव भी डालता है कि कोई चूक न रह जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं जिलों में अधिकारियों को फील्ड में जाकर गायब, विस्थापित और अनुपस्थित मतदाताओं की खोज का आदेश दिया है। घुसपैठियों को मतदाता सूची से दूर रखने के लिए 'डोर-टू-डोर सत्यापन, डिजिटल फॉर्मों की ट्रैकिंग, आधार-मतदाता फोटो क्रॉस-मैचिंग, और संदिग्ध इलाकों की विशेष जांच करवानी आवश्यक होगी। कुल मिलाकर इस बढ़े समय का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब प्रशासनिक मशीनरी में जवाबदेही बढ़े, तकनीकी तथा फील्ड- दोनों स्तरों पर सत्यापन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मतदाता सूची चुनाव की नींव है। नींव मजबूत होगी तो लोकतंत्र भी ताकतवर होगा।

प्रसंगवश

कालबेलिया बेटियों ने बदली रूढ़िवादी सोच

कालबेलिया समाज की कहानी जितनी रंगीन दिखाई देती है, उसकी परतों में उतना ही गहरा दर्द, उपेक्षा और संघर्ष छिपा हुआ है। यह वही समाज है, जहां कभी बेटी का जन्म होना स्वयं में एक बोझ समझा जाता था। गरीबी, आजीविका के अभाव और सामाजिक असुरक्षा ने इस सोच को इतना गहरा बना दिया था कि कई बार बेटियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। यह कोई सामाजिक परंपरा नहीं थी, बल्कि हालात की मजबूरी और पितृसत्तात्मक मानसिकता का परिणाम थी। समाज में यह धारणा गहरे तक बैठ चुकी थी कि बेटा वंश का वाहक है, कमाने वाला है और बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जबकि बेटी पराया धन है, जिसे पाल-पोसकर अंततः दूसरे घर भेज देना है। इसी असमान सोच ने लैंगिक भेदभाव को जन्म दिया, जिसकी कीमत कई मासूम बेटियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आय के स्थायी साधन के अभाव ने इस सोच को और मजबूत किया।

देवेंद्र सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

कालबेलिया समुदाय परंपरागत रूप से घुमंतू रहा है। उनके डेरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगते रहे और जीवन सांप पकड़ने, बीन बजाने, जहर निकालने, सुरमा बनाने और तमाशा दिखाने के इर्द-गिर्द घूमता रहा। महिलाएं घर-घर जाकर भिक्षा मांगती थीं और उसी से परिवार का पेट पलता था। ऐसे अस्थिर जीवन में बेटियों का पालन-पोषण, उनकी शिक्षा और विवाह का खर्च परिवार के लिए बोझ बन चुका था। यही कारण था कि समाज में लड़कियों की संख्या लगातार घटती जा रही थी और इसकी भरपाई के लिए लड़के वालों को पैसा देकर शादी करने जैसी परंपरा भी पनपने लगी, जिसमें लड़की स्वयं एक सौदे का हिस्सा बन गई। एक स्त्री, जो जीवन देती है, उसी की जिंदगी सस्ती कर दी गई।

साल 1972 में जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और सांप पकड़ने तथा उनके प्रदर्शन पर रोक लगी, तब कालबेलिया समुदाय की जीवनशैली एकदम बदल गई। रोजगार का मुख्य साधन छिन गया और सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा, जो पहले से ही हाशिए पर थीं। यही संकट उनके लिए एक अवसर भी बनकर आया। महिलाओं ने अपनी पारंपरिक नृत्य शैली को अपनाया, उसे सहेजा और मंचों तक पहुंचाया। कालबेलिया नृत्य, जो कभी सिर्फ समुदाय के भीतर सीमित था, अब सात समुंदर पार अपनी पहचान बना चुका है। इसकी विशिष्ट लय, भाव-भंगिमा और पारंपरिक वेशभूषा ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। अंततः इस नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया।

यह गौरवपूर्ण पल पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके पीछे जिन हाथों की मेहनत और साधना थी, वे हाथ स्त्रियों के थे। उन्हीं स्त्रियों के, जिन्हें कल तक मंच पर आने की इजाजत नहीं थी, जिन्हें पर्दे और परंपराओं में कैद करके रखा गया था। गुलाबो सपेरा जैसी कलाकार को पद्मश्री मिलना और ममता जोगी का आईएएस अधिकारी बनना इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिलने पर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकती हैं। आज कई कालबेलिया महिलाएं नृत्य के साथ-साथ सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बन चुकी हैं।

कालबेलिया समाज की महिलाएं एक विरोधाभास की तरह हैं। वे संस्कृति की वाहक भी हैं और उसी संस्कृति की बंदिशों की शिकार भी। उनके नृत्य को विश्व मंच पर सराहा जाता है, लेकिन उन्हें अपने गांव और समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता।

अरावली पहाड़ियों पर बढ़ता संकट व सुप्रीम कोर्ट

पंकज चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार

जिस सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले टिप्पणी की थी कि अरावली पहाड़ को लोगों ने आपस में बांट लिया है और पचास हजार रुपये महीने की घूस दे कर यहां की जगह पर खनन चल रहे हैं, उसी अदालत ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर अरावली पर्वत श्रृंखला की जो 'नई परिभाषा' दी है, उससे दिल्ली ही नहीं पंजाब तक रेगिस्तान का विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। अदालत का मानना था कि स्थानीय जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही 'अरावली' माना जाए। यानी इससे कम ऊंचाई के पहाड़ों पर खनन के रास्ते खुल गए हैं।

भू वैज्ञानिक डॉ. उमर सैफ की मानें तो कभी अरावली का विस्तार शिवालिक तक हुआ करता था और यमुना के कटाव से लाखों साल पहले यह श्रृंखला दिल्ली के रायसीना पहाड़ पर आकर बंट गई। लगातार इसके नैसर्गिक स्वरूप से छेड़छाड़ ने इसके मूल स्वभाव– पाकिस्तान की तरफ से आने वाली गरम हवा और बालू को रोकने की दीवार, में रास्ता बना दिया और इससे रेगिस्तान के हौले-हौले कदम बढ़ने की संभावना है। अरावली दो तरह से देश के बड़े हिस्से को गर्मी और अंधड़ से बचाता रहा है। इसके ऊंचे शिखर हवा के साथ बह कर आने वाले पीएम 2.5 कणों को रोकते हैं तो 30 मीटर तक की नीची पहाड़ियां भारी रेत और धूल के कणों को रोकती हैं।

एफएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियां भी तेज हवाओं को उसके साथ आने वाली रेत को थामने में सक्षम होती हैं। चूंकि अरावली का 90 प्रतिशत हिस्सा 100 मीटर से कम ऊंचाई का है और अब वहां खनन होगा ही, सो रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल सीधे दिल्ली और इंडो-गैंगेटिक मैदानों (एनसीआर) तक पहुंचेगी। यह किसी से छिपा नहीं हैं कि अभी तक अरावली ने मरू भूमि के विस्तार को थामने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

> सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर अरावली पर्वत श्रृंखला की जो 'नई परिभाषा' दी है, उससे दिल्ली ही नहीं पंजाब तक रेगिस्तान का विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है।

यही नहीं मानसून के पानी भरे बादलों को दिशा देने में इस पर्वत श्रृंखला के मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ों की भूमिका रही है और अब इन पहाड़ियों के गायब होने की दशा में उत्तर-पश्चिम भारत में बरसात के स्वभाव में बदलाव आ सकता है।

पहले से ही बढ़ते तापमान से तंग इन इलाकों में 'गरम-द्वीप' का विस्तार छोटे कस्बों तक हो सकता है। रेत की आंधियां कृषि भूमि को बंजर बना देंगी, जिससे किसानों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल 'अर्थ साइंस इंफोरमैटिक्स' में प्रकाशित एक शोध में पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि अरावली पर्वतमाला में पहाड़ियों के गायब होने से राजस्थान में रेत के तूफान में वृद्धि हुई है। भरतपुर, धोलपुर, जयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे स्थान, जहां अरावली पर्वतमाला पर अवैध खनन, भूमि अतिक्रमण और हरियाली उजाड़ने की अधिक मार पड़ी है, को सामान्य से अधिक रेतीले तूफानों का सामना करना पड़ रहा है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर एलके शर्मा और पीएचडी स्कॉलर आलोक राज द्वारा किए गए इस अध्ययन का शीर्षक है, 'एसेसमेंट ऑफ़ लैंड यूज़ डायनामिक्स ऑफ़ द अरावली यूजिंग इंटीग्रेटेड'। दिल्ली, राजस्थान के गैर मरुस्थलीय जिलों और हरियाणा का अस्तित्व भी अरावली पर टिका है और अरावली को नुकसान का अर्थ है कि अन्न के कटोरे पंजाब तक बालू के धोरों का विस्तार। रेत के बवंडर खेती और हरियाली वाले इलाकों तक न पहुंचें इसके लिए सुरक्षा-परत या शील्ड का काम हरियाली और जल-धाराओं से संपन्न अरावली पर्वतमाला सदियों से करती रही हैं।

इसरो का एक शोध बताता है कि थार रेगिस्तान अब राजस्थान से बाहर निकल कर कई राज्यों में जड़ें जमा रहा है। सनद रहे कि भारत के राजस्थान से सुदूर पाकिस्तान व उससे आगे तक फैले भीषण रेगिस्तान से हर दिन लाखों टन रेत उड़ती है। खासकर गर्मी में यह धूल पूरे परिवेश में छा जाती है। मानवीय जीवन पर इसका दुष्परिणाम ठंड में दिखने वाले स्मॉग से अधिक होता है। विडंबना है कि बीते चार दशकों में यहां मानवीय हस्तक्षेप और खनन इतना बढ़ा कि कई स्थानों पर पहाड़ की श्रृंखला की जगह गहरी खाई हो गई और एक बड़ा कारण यह भी है कि अब उपजाऊ जमीन पर रेत की परत का विस्तार हो रहा है।

गुजरात के खेड ब्रह्म से शुरू हो कर कोई 692 किलोमीटर तक फैली अरावली पर्वतमाला का विसर्जन देश के सबसे ताकतवर स्थान रायसीना हिल्स पर होता है, जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है। अरावली पर्वतमाला को तकरीबन 65 करोड़ साल पुराना माना जाता है और इसे दुनिया के सबसे प्राचीन पहाड़ों में एक गिना गया है। ऐसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरचना का बड़ा हिस्सा बीते चार दशक में पूरी तरह न केवल नदारद हुआ, बल्कि कई जगह उत्तुंग शिखर की जगह डेढ़ सौ फुट गहरी खाई हो गई। असल में अरावली पहाड़ रेगिस्तान से चलने वाली आंधियों को रोकने का काम करते रहे हैं, जिससे एक तो मरुभूमि का विस्तार नहीं हुआ, दूसरा इसकी हरियाली, साफ हवा और बरसात का कारण बनती रही।

एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो दशकों में कई अन्य पहाड़ियों के अलावा, ऊपरी अरावली पर्वतमाला की हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में कम और मध्य उंचाई की कम से कम 31 पहाड़ियां पूरी तरह गायब हो गई हैं। ऊपरी स्तर पर पहाड़ियों का गायब होना नरैना, कलवाड़, कोटपुतली, झालाना और सरिस्का में समुद्र तल से 200 मीटर से 600 मीटर की ऊंचाई पर दर्ज किया गया था। सन 1975 से 2019 के दौरान किए गए अध्ययन में, यह पता चला कि वन क्षेत्र में सघन बस्तियां बस जाना, पहाड़ियों के गायब होने के प्रमुख कारणों में से एक थे।

आमने

चुनाव के दौरान, भाजपा महिलाओं को डराने के लिए सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल करना चाहती है। अगर आपके नाम हटा दिए जाएं तो क्या आपमें लड़ने की ताकत है? महिलाओं को एसआईआर पर लड़ाई लीड करनी चाहिए और पुरुषों को पीछे से लड़ना चाहिए। **–ममता बनर्जी**
मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

सामने

बंगाल में डिटेंशन कैंप की कोई जरूरत नहीं है। हम बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। केवल भारतीय यहां रहेगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन यहां एक भी बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं रहेगा।
–शुभेंदु अधिकारी
नेता प्रतिपक्ष, पश्चिम बंगाल

समलैंगिकता पर भी जुबां खोलने की जरूरत

अजय दयाल
वरिष्ठ पत्रकार

शारीरिक खामियों को छिपा कर या नासमझी में शादी तो हो जाती है, बाद में पति-पत्नी और संबधित परिवारों को भुगतना पड़ता है। हाल ही की घटना है एक लड़की की शादी संपन्न परिवार के हैंडसम कमाऊ लड़के से होती है। विवाह के कुछ माह बाद ही अचानक उनके रिश्तों में दरार आने लगती है। नौबत ऐसी आ जाती है कि बात अदालत तक पहुंचती है और विवाह शून्य करार दे दिया जाता है। लड़का पत्नी के प्रति आकर्षित ही नहीं होता। कुछ दिन लड़की पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे यह समझने में ज्यादा दिन नहीं लगते कि उसके पति में स्त्री के प्रति यानी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण ही नहीं है। बाद में पति ने स्वीकारा भी कि वह होमो सैक्सुअल (गे) है और उसका विपरीत लिंग में कोई रुचि व आकर्षण नहीं है। बाद में लड़के की हुई मेडिकल जांच में भी उसके होमो सेक्सुअल होने की हकीकत सामने आ गई। इसकी वजह से लड़की और उसके परिवारीजनों को भारी मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

इस केस में कोर्ट ने माना कि लड़के के होमो सेक्सुअल होने के कारण और पति-पत्नी के बीच संबंध स्थापित होने में अक्षम रहने के कारण विवाह की मंशा समाप्त हो गई। इन परिस्थितियों में दोनों के बीच संपन्न हुए हिंदू विवाह को शून्य घोषित करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है।। यह सच्ची घटना एक बानगी भर है, ऐसे उदाहरण तमाम हैं, जहां संतान की शारीरिक खामियों को छिपा कर या नासमझी में मां-बाप शादी तो कर देते हैं और बाद में पति-पत्नी और संबधित परिवारों को भुगतना पड़ता है।

> ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब लड़का–लड़की विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित ही नहीं होते। पता होने के बावजूद घरवाले उनकी शादी करा देते हैं। बाद में आने वाली समस्याएं परिवारों को तोड़ देती हैं।

लखनऊ की भुक्तभोगी लड़की आज जिस समस्या का सामना कर रही हैं, उसी तरह की समस्या का सामना कई महिला-पुरुष कर रहे हैं। अरेंज मैरेज में अक्सर सोशल प्रेशर की वजह से लड़का और लड़की के ऊपर कम मिलने और कम बात करने की जो पाबंदियां लगाई जाती हैं, उसका नतीजा यह होता है कि लड़का और लड़की समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका होने वाला जीवनसाथी कैसा है।

ऐसे कई केस और भी हैं कि लड़का और लड़की अपने विपरीत लिंग के लोगों के प्रति आकर्षित ही नहीं होते हैं और घर वालों को यह बात पता भी होती है, तब भी वे उनकी शादी करा देते हैं। इससे केवल लड़का या लड़की की जिंदगी बरबाद नहीं होती, बल्कि उन सब की हो जाती है, जो करीबी होते हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर क्या वजह है कि शादी और विपरीत लिंग के पसंद और नापसंद से जुड़े मामलों में हम खुलकर बात ही नहीं कर पाते!

बीते दिनों महाराष्ट्र के वर्धा शहर से एक खबर आई, जिसमें शादी के पांच साल बाद लड़की को पता चला कि उसका पति तो होमो सेक्सुअल है। अब लड़की और उसके घरवाले खुद को ऐसी स्थिति में महसूस कर रहे थे कि वो करें तो करें क्या? लड़के के घर वालों ने भी यह बात उनसे छुपाई। सोसाइटी के प्रेशर में दोनों ही पक्ष मुंह बंद करके रह गए और बस इतना ही कह पाए कि लड़का और लड़की में बनी नहीं तो तलाक करना पड़ा।

कुछ साल पहले एक सत्र अदालत ने एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसने कथित तौर पर शादी से पहले अपनी यौन प्रवृत्ति का खुलासा न करके एक महिला को धोखा दिया था। अदालत को बताया गया कि पति यानी आरोपी ने शादी से पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया क्योंकि वह समलैंगिकता में लिप्त था। इस तरह उसने शिकायतकर्ता पत्नी के साथ धोखाधड़ी की। उसने उसका जीवन और भविष्य बर्बाद कर दिया।

हाल ही में गोरखपुर से भी ऐसा मामला सामने आया। वहां दुल्हन शादी के सिर्फ तीन दिन बाद ससुराल से अपने घर लौट गई। चार दिन बाद पंचायत हुई और उसने तलाक का नोटिस भेज दिया। इसमें लिखा- 'मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन नहीं जी सकती, जो शारीरिक रूप से अक्षम है। यह बात सुहागरात पर पति ने मुझे खुद ही बताया।' पंचायत में लड़की के परिवारवालों ने दो तरह के आरोप लगाए। एक- आपने धोखे से अपने बेटे से शादी करवा दी। लड़के की कमी के बारे में हमें बताना चाहिए था। दूसरा, पहले भी लड़के की शादी हो चुकी थी।

मनोचिकित्सक डॉ. शबरी कहती हैं कि सेक्सुअल प्रिफरेंस को लेकर खुलकर बात न करना ही बड़ी समस्या है। पैरेंट्स को इस विषय पर भी अपने युवा बच्चों से बातचीत कर उन्हें समझने की पहल करनी चाहिए। यह कोई नया विषय नहीं है। पहले भी ऐसे मामले होते रहे हैं, लेकिन तब उन्हें दबा दिया जाता था। अब इस पर खुलकर बातें सामने आ रहीं हैं, तो इसको लेकर सहज होना पड़ेगा।

इस मामले में अधवक्ता अंचल गुप्ता का कहना है कि यह आकर्षण का विषय है, जिसे कानूनी पाबंदियों के दायरे में नहीं रखा जा सकता। वो चाहे लड़की हो या लड़का। हां, शादी के समय स्वीकारोक्ति ही विवाह के बाद तलाक की आने वाली नौबत से पूर्व का एक रास्ता हो सकता है। रिश्ते तय करते वक्त ही बातें सामने लानी होंगी। तभी हम समस्या को जड़ बनने से पहले हल कर सकेंगे। इससे जिंदगियां बर्बाद होने से भी बच सकेंगी।

सोशल फोरम

'यूं ही कोई...' गीत में सचमुच रोई थीं मीना

मंजेश बूरा
ब्लॉगर

4 फरवरी 1972 को रिलीज पाकीजा फ़िल्म औरत के दर्द और कशमकश को बयां करती है। इस फिल्म को पूरा होने में काफी लंबा समय लगा। पूरे 15 साल। गुलाम मोहम्मद संगीतकार के नाती सज्जाद अली चंदवा चंदवानी ने बताया कि फिल्म में इस्तेमाल कार्पेट ईरान से लाया गया, जिस पर गीत और सीन शूट किए गए। यह काफी मंहगा था। गुलाम मोहम्मद की बेटी नजमा एम अली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मीना जी की चाल में तवायफों जैसा अंदाज नहीं आ पा रहा था। तब उनके पिता जी ने मीना कुमारी को खुद चलकर बतलाया था कि तवायफों की चाल कैसी होती है।

मीना कुमारी जी 'चलते-चलते यूं ही कोई मिल गया था' ....गाने में रीयल में रोई थीं। जब गाने की शूटिंग बंद हुई तो रात में गुलाम मोहम्मद को बुलाया गया। वो उनको गुलाम मियां बुलाती थीं। उन्हें बताया गया कि कि आपने गीत बेहद खूबसूरत बनाया। गुलाम मोहम्मद ने देखा तो मीना कुमारी की आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थीं।

मीना कुमारी की कमाल अमरोही के साथ 1964 में ही रिश्ते में दरार आ चुकी थी। वह दोनों पति-पत्नी थे। इसी दौरान मीना कुमारी बीमार भी पड़ीं। इसी वजह से फ़िल्म इतने वर्ष बाद रिलीज हुई। नरगिस दत्त और सुनील दत्त की बातचीत के बाद मीना कुमारी ने फिल्म को पूरा किया। फ़िल्म काफी लोकप्रिय हुई और फ़िल्म में मीना कुमारी के चहरे पर दर्द और जज्बात असलियत में दिखाई पड़ते हैं। **–फेसबुक वाल से**

सामयिकी

भारतीय कामगार और रूस के साथ करार

भारतीय कामगारों के लिए एक सुखद खबर है। रूस 10 लाख भारतीय कामगारों, कुशल और अर्धकुशल, को रोजगार देगा। भारत भी रूसी कामगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराएगा। दोनों देशों के बीच 'श्रम गतिशीलता समझौता' तय हुआ है, उसी के तहत रूस भारतीयों को नौकरियां देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत होने के बाद करार को हरी झंडी दे दी गई। अब यह यथाशीघ्र लागू हो जाएगा।

रूस भारत के राज मिस्त्री, वेल्डर, आईटी इंजीनियर, नर्स के अलावा, निर्माण, तेल-गैस, कृषि, वस्त्र, बैंकिंग और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भी भारतीयों की सेवाएं लेगा। भारतीयों के रोजगार सुरक्षित और कानूनन होंगी। कामगार एक देश से दूसरे देश में सहजता, सुगमता से आवाजाही कर सकेंगे। यही इस समझौते का मकसद और मर्म है। रूस अविलंब इस करार को लागू इसलिए करना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों की पाबंदियों के कारण रूस में श्रम-संकट विकराल है। रोजमर्रा के काम भी ठप पड़े हैं।

आकाश सपेलकर
अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

दूसरी ओर भारत में 65 फीसदी आबादी ऐसी है, जिसकी औसत उम्र 35 साल या उससे कम है। भारत में बेरोजगारी एक विकट और संवेदनशील समस्या है। रूस में ये नियुक्तियां और अनुबंध सरकार के स्तर पर किए जाएंगे। दरअसल इन नियुक्तियों को इमिग्रेशन, अर्थात् अप्रवास, समझने की गलती न की जाए। नियुक्तियां जरूरत के मुताबिक अस्थायी अथवा दीर्घकालिक हो सकती हैं। रूस में भारतीय कामगार को सामाजिक सुरक्षा के अलावा बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं और कानूनी सुरक्षा एवं संरक्षण आदि भी दिए जाएंगे।

रूस भारत की आईटीआई, इंजीनियरिंग की डिग्री और डिप्लोमा के अलावा पेशेवर कुशलता को भी मान्यता देगा, ताकि कामगारों को उचित रोजगार और मेहनताना आदि मिल सके। रूस में एक लाख से अधिक भारतीय बसे हैं और वे विभिन्न व्यवसायों में काम कर रहे हैं। रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में चीन के तीन लाख से अधिक कामगार और कारोबारी सक्रिय हैं। उन्होंने रूसी युवतियों से शादियां भी की हैं।

भारत के लिए रूस एक सार्थक बाजार बनकर उभरेगा। इस करार से हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि भारतीय कामगार रूस से पैसा कमा कर भारत भेजेंगे। रूस में भारत की अपेक्षा वेतनमान काफी अधिक है। करार के बाद भर्ती की प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी होगी। एक आधिकारिक पोर्टल होगा। रूस में 'मेक इन इंडिया' के लिए भी बाजार मिलेगा। जब भारतीय कामगार रूस जाएंगे, तो भारतीय उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी, लिहाजा हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। हमारे कामगारों को राजमिस्त्री, बिजली वाले, वेल्डर, पेंटर के काम खूब मिलेंगे, क्योंकि रूस में इनकी मांग बहुत है।

तेल और गैस क्षेत्रों में काम करने के मौके मिलेंगे। आईटी और बैंकिंग में रूस को काफी प्रतिभाओं की जरूरत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रूस को काफी चाहिए। कुल मिला कर भारतीय कामगारों और पेशेवरों के लिए रूस 'नया अमरीका' साबित हो सकता है। खाड़ी देशों की भयंकर गर्मी और वहां की सामंती संस्कृति की तुलना में रूस एक बेहतर मंच साबित हो सकता है। यह करार लागू होने के बाद रूस का वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान और सरल हो जाएगी। भारत और रूस के संबंध विश्व राजनीति में उस स्थिर मित्रता का उदाहरण है, जो समय, परिस्थितियों एवं वैश्विक दबावों के बावजूद कभी कमजोर नहीं हुई। भारत और रूस को आपसी व्यापार भी बढ़ाना है तथा इसे भारत की दृष्टि से संतुलित भी करना है।

स्वामी-रुहेलखंड इंटरप्राइजेज के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक त्रिनाथ शुक्ला द्वारा 25/16-ए, जाप्लिंग रोड, लखनऊ-226001 (उ.प्र.) से प्रकाशित एवं प्लाट नं.-42, निकट बद्री नगर,इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज, लखनऊ-226008 (उ.प्र.) से मुद्रित। **संपादक- राजेश श्रीनेत, कार्यकारी संपादक- अनिल त्रिगुणायत***
0522-4008111 (कार्यालय), ईमेल-editorschoice@amritvichar.com, आर.एन.आई नं0-50986/1989 *इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी। (नोट-सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा)।

संपादकीय

दबाव के दायरे में पिसता बचपन, जीवन समाप्त करने की दिख रही प्रवृत्ति

देश भर में बच्चों से लेकर युवाओं तक के जीवन पर पढ़ाई का दबाव और अन्य तरह के अवसाद भारी पड़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं ने यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारे शिक्षण संस्थानों में कैसा माहौल है और वहां किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए अभिभावकों, समाज और सरकार की ओर से सामूहिक रूप से व्यापक स्तर पर प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं?

हम ऐसा सुनते और पढ़ते आए हैं कि शिक्षा मनुष्य को शोषण, दमन, हिंसा और असमानता से लड़ना सिखाती है, उन्हें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। स्कूल बच्चों को समाज का सभ्य नागरिक बनना सिखाते हैं, उन्हें जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। ऐसे में सवाल है कि आज बच्चों को किस तरह से शिक्षित किया जा रहा है कि उनके भीतर जीवन शुरू होने से पहले ही उसे समाप्त करने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है!

कुछ समय पहले दो बड़ी घटनाएं हुई, जिन्होंने पूरे समाज को झकझोर दिया। राजस्थान में जयपुर के एक स्कूल की चौथी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने इमारत से कूद कर आत्महत्या कर ली। इस घटना में पीड़ित छात्रा को सहपाठियों द्वारा तंग करने और शिक्षकों की ओर से उसकी शिकायतों को अनदेखा करने के आरोप लगे। दूसरी घटना में दिल्ली के एक स्कूल के दसवीं कक्षा के छात्र ने मेट्रो ट्रेन के आगे कूद कर खुदकुशी कर ली। इस मामले में शिक्षकों पर संबंधित छात्र को उपेक्षित-प्रताड़ित करने के आरोप लगे। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कभी शिक्षा के मंदिर कहलाने वाले विद्यालय अब शिक्षा के बाजार बन गए हैं, जहां शिक्षा को ऐसे बेचा जाता है कि उससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। आज के दौर में शिक्षा के व्यापार को सबसे अधिक फायदे वाला कारोबार माना जाता है। इस कारण अब हरेक नागरिक की शिक्षा तक समान पहुंच मुमकिन नहीं रह गई है।

देखा जाए तो बाजार ने शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य, दोनों बदल डाले हैं। पहले विद्यार्थी तय करता था कि उसे किस तरह के विषय पढ़ने चाहिए, उसकी रुचि किसमें है। मगर अब बाजार तय करता है कि उसे कौन-सा विषय पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और कुशलता का निर्धारण भी बाजार ही करता है। यहां तक कि विद्यार्थी अपनी जिंदगी या करिअर में सफल है या असफल, यह भी बाजार ही तय करता है। इन घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य अब संवेदनहीन, भावहीन और गैर-तार्किक मशीन में तब्दील हो चुका है, जिसका 'रिमोट' कुछ ताकतवर लोगों के हाथों में है। ऐसे में कई बार लोगों के मन में यह विचार भी आ सकता है कि इससे तो पहले का समाज ही अच्छा था, जहां लोग निरक्षर या कम पढ़े-लिखे थे, लेकिन स्वार्थ, लालच, धोखा, अविश्वास जैसे शब्दों से परिचित ही नहीं थे या उनसे दूर थे!

इतनी कम उम्र के बच्चे, जिन्हें सही से जीवन का अर्थ भी नहीं पता, संघर्षों और चुनौतियों ने जिन्हें अभी छुआ भी नहीं है, वे अचानक से जीवन को समाप्त करने जैसे निर्णय तक पहुंच रहे हैं तो आखिर इसकी क्या वजह है? समस्या कहां हैं- परिवार में, शिक्षण संस्थानों में, नीति निर्माताओं में, प्रशासनिक व्यवस्था में, पाठ्यक्रमों में या फिर पूरा समाज ही अव्यवस्थित हो गया है। शिक्षा का उद्देश्य तो बच्चों में सही-गलत एवं नैतिक-अनैतिक के बीच निर्णय लेना सिखाना है, कल्याणकारी समाज की नींव को मजबूत करने की भावना पैदा करना है, आलोचनात्मक चेतना विकसित करना है, मगर धरातल पर ऐसा हो नहीं रहा है। रही सही कसर तकनीक के विकास ने पूरी कर दी है।

इंटरनेट की दुनिया में सोशल मीडिया ने सूचना के प्रयास को भले ही आसान कर दिया है, लेकिन इससे बच्चों की कल्पनाशक्ति, सृजनात्मकता और कुछ अलग सोचने की क्षमता हाशिये पर आ गई है। समय और उम्र से पहले ही बच्चे वह सब देखने और जानने लगे हैं।

दिल्ली सरकार पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर काम करने और अब एक डेटा और एआई केंद्र का नेतृत्व करने के बाद, यह मेरे लिए स्पष्ट है कि समस्या का विज्ञान और हमारी प्रतिक्रिया की रणनीति गलत संरेखित बनी हुई है। अस्थायी राहत से आगे बढ़ने के लिए, पूंजी को सिस्टम-स्तरीय हस्तक्षेपों की आवश्यकता है जो उत्सर्जन की जड़ों से निपटते हैं - न कि केवल उनके शीतकालीन अभिव्यक्तियों।

आज भारतीय लाइब्रेरियन कई तरह के डिजिटल दक्षताओं के बिना आगे नहीं बढ़ सकता

डॉ विजय गर्ग

लाइब्रेरियन अब सिर्फ पुस्तकों के संरक्षक नहीं उनका पेशा अब आधुनिक टेक संचालित हो चुका है। ई-रिसोर्सेज़ की उपलब्धता, ऑनलाइन जर्नल की सदस्यता और ई-गवर्नेंस ने उसकी भूमिका स्मार्ट और वर्सेटाइल बना दी। वह अब स्कूल, कॉलेज तक सीमित नहीं बल्कि कंपनियों के नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में लाइब्रेरियन की डिजिटल दक्षता, डेटा इंडेक्सिंग, कंटेंट क्यूरेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आदि काम आती हैं।

एक समय था, जब लाइब्रेरियन का काम केवल किताबों की अलमारियों में किताबों को व्यवस्थित रखना, कैटलॉग तैयार करना और पाठकों को आवश्यक पुस्तक तक पहुंचानाभर समझा जाता था। लेकिन पिछले एक दशक में भारत में जो डिजिटल क्रांति हुई है, उसके चलते अब लाइब्रेरियनशिप एक पारंपरिक सेवा से बदलकर अत्यंत आधुनिक, टेक संचालित और रणनीतिक कैरियर बन चुका है। आज लाइब्रेरियन सिर्फ पुस्तकों के संरक्षक नहीं बल्कि डिजिटल नॉलेज मैनेजर हैं। इन्हें डाटा क्यूरेटर, लर्निंग टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और इंफार्मेशन नेविगेटर भी कह सकते हैं। वास्तव में भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी पहल ने विश्वविद्यालयों में ई-रिसोर्सेज़ की उपलब्धता, ऑनलाइन जर्नल की सदस्यता और ई-गवर्नेंस ने लाइब्रेरियन की भूमिका को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और वर्सेटाइल बना दिया है। लाइब्रेरियन केवल भौतिक पुस्तकों को ही नहीं बल्कि ई-बुक, ई-जर्नल, डेटा बेस, ओपन सोर्स रिपॉजिटरी, डिजिटल आर्काइव्स आदि का भी संचालन करता है। इसलिए आज के लाइब्रेरियन के पास डिजिटल रिपॉजिटरी मैनेजमेंट, डेटा माइग्रेशन, मेटा डेटा स्कीम और क्लाउड आधारित लाइब्रेरी सिस्टम, जिनमें कौशल होना आवश्यक है। ऐसे ज्ञान से लैस पेशेवरों की मांग विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थानों, शोध केंद्रों और कार्पोरेट सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ी है।

ऑटोमेशन और एआई का असर

आधुनिक लाइब्रेरी अब आईएलएस (इंटीग्रेटिड लाइब्रेरी सिस्टम) आरएफआईडी, एआई आधारित सर्च सिस्टम और ऑटोमेटिक कैटलॉगिंग का उपयोग करती है। इस बदलाव के कारण लाइब्रेरियन अब केवल रिकॉर्ड दर्ज करने वाले व्यक्तिभर नहीं हैं बल्कि एआई फ्रेंडली, नॉलेज आर्किटेक्ट बन गये हैं। आज की दुनिया में इनका काम नये-नये आयाम हासिल कर चुका है। मसलन- ऑटोमेशन सिस्टम सेटअप करना, डेटा की सटीकता और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, उपयोगकर्ताओं को डिजिटल लर्निंग गाइडेंस देना, खोज परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एआई टूल्स के पैरामीटर्स को समझना, इन तमाम तकनीकों ने लाइब्रेरियन के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया है।

डिजिटल स्किल्स ने खोले नये रोजगार क्षेत्र

डिजिटल कुशल लाइब्रेरियन अब केवल स्कूल, कॉलेज तक सीमित नहीं बल्कि कई कंपनियां अब नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम चलाती हैं। यहां लाइब्रेरियन डिजिटल दक्षता, डेटा इंडेक्सिंग, कंटेंट क्यूरेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आदि बहुत काम आती हैं। लाइब्रेरियन आज ई-लर्निंग कंटेंट स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। वो ऑनलाइन शिक्षा, एलएमएस प्लेटफॉर्म आदि के बढ़ने से कंटेंट टैगिंग,डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेस की मैपिंग और यूजर बिहेवियर एनालिसिस आदि का भी काम करते हैं। आजकल लाइब्रेरियन को डिजिटल आर्किविस्ट भी कहा जाता है। ये अखबारों, सरकारी दफ्तरों और संग्रहालयों आदि में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटाइज करने का काम करते हैं। यहां लाइब्रेरियन की मेटा डेटा और डॉक्यूमेंट पिजर्वेशन स्कीम काम आती है। रिसर्च डेटा मैनेजर जैसी पोस्ट भी आजकल लाइब्रेरियन को मिल रही हैं, जिससे वो शोध संस्थानों में डेटा संग्रह, वर्गीकरण, सांख्यिकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और ओपन एक्सेस नीतियों का पालन कराते हैं।

शिक्षण सहायक भी

नई शिक्षा नीति 2020 के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में लाइब्रेरियन छात्रों को डिजिटल साक्षरता, रिसर्च मेथ्डोलॉजी, प्लेजरिज्म अवेयरनेस और डेटा बेस नेविगेशन जैसे विषयों पर मुख्य मार्गदर्शक बनकर उभरे हैं। ये परिवर्तन लाइब्रेरियन को शिक्षा व्यवस्था का सक्रिय सहयोगी बनाते हैं। इससे लाइब्रेरियन की प्रतिष्ठा और भूमिका दोनों मजबूत हुई हैं। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट लाइब्रेरी के इस नये युग में स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल ग्राम लाइब्रेरी आदि के बढ़ने से लाइब्रेरियन के रोजगार में क्षेत्रीय विस्तार हुआ है। ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर लाइब्रेरियन का रूप बदल गया है। आईटी आधारित, सेल्फ चेक इन/आउट स्टेशन, क्लाउड कैटलॉग और मोबाइल ऐप-बेस्ड लाइब्रेरी सेवाएं- ये सब डिजिटल दक्षता की वजह से संभव हुआ है।

कौशल और तकनीक का संगम

आज भारतीय लाइब्रेरियन कई तरह के डिजिटल दक्षताओं के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। मसलन कोहा, डी-स्पेस, ई-ग्रंथालय जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। मसलन -मेटा डेटा की विशेषज्ञता, डिजिटल प्रिजर्वेशन, वेब डिजाइन की समझ, साइबर सुरक्षा और गोपनीयता व कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन। ये कुशलताएं आज लाइब्रेरियन में होनी ही चाहिए। लाइब्रेरियन का वेतन भी अब पहले से बेहतर हुआ है। सरकारी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान 45 हजार से 1 लाख 20 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देते हैं। कारपोरेट सेक्टर में यह 60 हजार से 1 लाख 50 हजार रुपये प्रतिमाह हो सकता है। डिजिटल आर्किविस्ट/कंटेंट क्यूरेटर को 40 हजार से 1 लाख रुपये प्रतिमाह और रिसर्च डेटा मैनेजर को 70 से 1 लाख 40 हजार रुपये तक का प्रतिमाह वेतन आसानी से मिल जाता है। इस तरह डिजिटल तकनीक ने लाइब्रेरियन का प्रोफेशन विकसित, प्रतिष्ठित और बहुआयामी बना दिया है।

डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

पाबंदी की राह, क्या वास्तव में सोशल मीडिया के संजाल से बच्चे बच सकेंगे?

इसमें कोई दोराय नहीं कि इंटरनेट की सुविधा ने दुनिया के दायरे को बहुत छोटा बना दिया है, लेकिन इसके समांतर एक सच यह भी है कि आभासी दुनिया में सोशल मीडिया के बहुतेरे मंचों पर सीमाओं से परे लोगों के बीच संवाद का विस्तार हुआ है, तो यथार्थ के धरातल पर लोग एक-दूसरे से दूर भी होते गए हैं।

यह बहुत संभव है कि आस-पड़ोस के बच्चे सोशल मीडिया के किसी मंच पर तो आपस में दोस्त हों, संवाद करते हों और साथ में कोई गेम खेलते हों, लेकिन वास्तव में वे कभी नहीं मिलते। यानी आभासी दुनिया में बच्चों का दायरा विस्तृत होता है, लेकिन यथार्थ के धरातल पर वे अकेले होते हैं। ऐसे में बिना आहट के एकाकीपन का दंश बच्चों के भीतर उतरता है, जो उन्हें आत्मघाती अवसाद के घेरे में ला दे सकता है। किसी एप के संजाल में फंसे बच्चों के मनोवैज्ञानिक परेशानियों का शिकार होने से लेकर आत्महत्या करने तक की खबरें आती रही हैं।

दुनिया भर में सोशल मीडिया पर अति-सक्रियता के मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभावों के मद्देनजर बच्चों के लिए इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने या सीमित करने के सुझाव सामने आते रहे हैं। इस क्रम में आस्ट्रेलिया ने एक ठोस पहल करते हुए अपने यहां सोलह वर्ष से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर बुधवार से पाबंदी लागू कर दी है। हालांकि संदेश भेजने और गेम खेलने वाले कुछ मंचों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है।

आस्ट्रेलिया में इस सख्त नियम के लागू होने के बाद बच्चों को उनका बचपन वापस मिलने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रतिबंध के लागू होने का स्वरूप क्या है और क्या वास्तव में सोशल मीडिया के संजाल से बच्चे बच सकेंगे।

आज आधुनिक तकनीकी के दौर में इंटरनेट पर मौजूद किसी मंच पर पहुंचने के लिए कुछ बच्चे भी जिस तरह वैकल्पिक और उचित-अनुचित रास्ता निकाल लेते हैं, वैसे में पाबंदी कितनी कामयाब होगी, यह देखने की बात होगी। वहीं सोशल मीडिया के उपयोग के लिए निर्धारित उम्र के प्रमाण के तौर पर अगर किसी दस्तावेज की मांग की जाती है, तो उसकी संवेदनशीलता, सुरक्षा और दुरुपयोग को लेकर नए सवाल खड़े होंगे!

संतुलन का तकाजा! ट्रेड डील पर समानता आधारित समझौते की अपेक्षा

माना जा रहा है कि इस बयान का उद्देश्य अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए शुल्क से उपजे गतिरोध को दूर करने की कोशिश करना है। इसकी वजह यह है कि एकतरफा और मनमानी शुल्क नीति के जरिए दबाव बनाने की कोशिश के समांतर व्यापार समझौते के लिए वार्ता में सकारात्मक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के संबंध में कुछ सकारात्मक संकेत सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि क्या इस बातचीत में परस्पर समानता पर आधारित हित सुनिश्चित होने और एक संतुलित समझौते की राह साफ होगी। गौरतलब है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश के तहत अमेरिकी दल वार्ता के लिए भारत में है। इसी बीच अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयर ने कहा कि व्यापार समझौते के संदर्भ में भारत की ओर से 'अब तक के सबसे अच्छे प्रस्ताव' मिले हैं।

माना जा रहा है कि इस बयान का उद्देश्य अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए शुल्क से उपजे गतिरोध को दूर करने की कोशिश करना है। इसकी वजह यह है कि एकतरफा और मनमानी शुल्क नीति के जरिए दबाव बनाने की कोशिश के समांतर व्यापार समझौते के लिए वार्ता में सकारात्मक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर व्यापार वार्ता में गतिरोध की एक मुख्य वजह ही अमेरिका की नई शुल्क नीति रही है। इसलिए यह देखने की बात होगी कि इस मसले पर अमेरिका के रुख में कितना बदलाव आ पाता है।

दरअसल, व्यापार वार्ता के सकारात्मक दिशा में बढ़ने के मद्देनजर जारी कोशिशों के तहत ही भारत और अमेरिका के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते का सवाल अब एक मुख्य बिंदु है। इससे पहले अमेरिका का रवैया आमतौर पर यही सामने आ रहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता हो, लेकिन उसकी शर्तों पर। इसी क्रम में उसने शुल्क लगाने के फैसले को दबाव के एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया। उसकी यह मंशा अधूरी रही, क्योंकि नुकसान की तमाम आशंकाओं के बावजूद भारत ने इस मसले पर अपना स्वतंत्र रुख बरकरार रखा।

इसके बावजूद, यह हकीकत है कि अमेरिका के शुल्क लगाने से उपजी परिस्थिति अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य पर विपरीत प्रभाव तो डाल ही रही थी। भारत के सामने भी कुछ चुनौतियां खड़ी होने की आशंका बनी रहीं। इसलिए भारत ने थोड़ा व्यावहारिक नीति पर आगे बढ़ते हुए अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई है, लेकिन इसके पीछे समानता आधारित समझौते की अपेक्षा भी है।

अमेरिकी शुल्कों में कटौती, भारतीय उत्पादों के अमेरिकी बाजार में आसान प्रवेश, रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी, दवा और सेमीकंडक्टर उद्योग आदि व्यापार वार्ता के मुख्य मुद्दों में शामिल हो सकते हैं। मुश्किल वहां आ सकती है, जिसमें अमेरिका भारत से कृषि, डेयरी और डिजिटल नीति के संदर्भ में कई महत्त्वपूर्ण रियायतों पर जोर दे रहा है।

जाहिर है, भारत के लिए थोड़ा सजग रहने का वक्त है, क्योंकि अमेरिका के साथ वार्ता में खासतौर पर कृषि क्षेत्र से जुड़े कई सवाल उभरे हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने यहां के किसानों की आमदनी कम होने के लिए कुछ अन्य देशों सहित भारत के चावल की बिक्री को जिम्मेदार ठहराया।

दूसरी ओर, अगर अमेरिका अपना मक्का, गेहूं, कपास और सोयाबीन जैसे उत्पाद भारतीय बाजारों में निर्यात करता है, तो इससे भारत के छोटे किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर विपरीत असर पड़ सकता है। इसी तरह, किसी समझौते की स्थिति में भारत को कृषि और जेनेटिकली माडिफाइड, यानी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों पर भी छूट देने के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है।

देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है।

लोकसभा में कांग्रेस सांसद सी.के. कुमार रेड्डी के एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमान तकनीकी समूह के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 2011 में 10.16 करोड़ से बढ़कर 2036 में 2274 करोड़ होने का अनुमान है

डॉ. विजय गर्ग

देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। अनुमान है कि 2036 तक बुजुर्गों की संख्या 227.4 मिलियन हो जाएगी। स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक निर्भरता और डिजिटल सुविधाओं जैसी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद सी.के. कुमार रेड्डी के एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमान तकनीकी समूह के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 2011 में 10.16 करोड़ से बढ़कर 2036 में 2274 करोड़ होने का अनुमान है। इसी अवधि में कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 84 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 7 भारतीयों में से एक वरिष्ठ नागरिक होगा। 2036 तक, अनुमानित जनसंख्या 153 करोड़ होगी। नीति आयोग का अनुमान है कि 2050 तक हर पांचवां भारतीय बुजुर्ग होगा। वर्ष 2023 में नीति आयोग ने कहा था कि विश्व भर में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। भारत में भी जन्म दर में गिरावट और स्वास्थ्य जागरूकता में कमी के कारण बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है।

आयोग ने अनुमान लगाया था कि 2050 तक कुल आबादी का 19.5 प्रतिशत बुजुर्ग होंगे, जो वर्तमान में 10 प्रतिशत है। अनुमान है कि 2050 तक हर पांचवां भारतीय बुजुर्ग होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'अवय्या' योजना बनाई गई है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि बुजुर्ग आबादी में तेजी से हो रही वृद्धि स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल क्षेत्रों में चुनौतियां खड़ी करेगी। इन उभरती चिंताओं को देखते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2021 से अतान व अभुदय योजना (अव्यय) लागू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आवास, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ-साथ उनके उत्पादक और सक्रिय वृद्धावस्था को बढ़ावा देने के लिए, इस योजना के तहत देशभर के वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सरकार ने राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का भी गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री करते हैं। इस परिषद में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मुद्दों पर सलाह देते हैं।

डॉ. विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब

संपादकीय

ऊर्जा-संकट से बचने लिए जरूरी है ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भौतिक नियम बताता है कि ऊर्जा न पैदा की सकती है न समाप्त; उसका सिर्फ.रूपांतरण ही होता है। मानव जीवन की सारी गतिविधियाँ इस मायावी ऊर्जा पर ही टिकी हुई हैं। ऊर्जा ही अपना रूप बदल-बदल कर हमारी कल्पनाओं को साकार करती है। सामान्यतः अदृश्य-सी रहने वाली ऊर्जा हमारे दृश्य जगत को रचते हुए हर जगह हावी है। ऊर्जा के नए-नए स्त्रोत खोजे जाते रहे हैं जो आणविक ऊर्जा तक पहुँचे हैं। ईंधन से भोजन बनाने में ही नहीं उसके लिए प्रयोग में आने वाली सामग्री हम तक पहुचे इसके लिए हर कदम पर जरूरी मशीन, उर्वरक, पानी सबके लिए अलग-अलग तरह से ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही परिवहन, मौसम से सुरक्षा और वस्तुओं के निर्माण के लिए भी ऊर्जा आवश्यक है। दरअसल, आधुनिक जीवन शैली, पारिस्थितिकी, प्रदूषण और ऊर्जा के उपयोग के प्रश्न आपस में बुरी तरह से गुँथे हुए हैं। विकास के साथ प्रति व्यक्ति ऊर्जा की माँग बढ़ रही है। समृद्ध देशों में जीवन स्तर को उन्नत रखने के लिए अधिकाधिक ऊर्जा चाहिए, उभरते देशों में कृषि अर्थ व्यवस्था से औद्योगिक व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ने में भी ऊर्जा चाहिए। परंतु यह भी जरूरी है कि उन 80 प्रतिशत लोगों के साथ मिल कर काम किया जाय जिनके पास केवल एक चौथाई संपत्ति है। ऊर्जा की समस्या वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कई जटिल समस्याओं का परस्पर गुँथा समूह है। भारतवर्ष की विशालकाय जनसंख्या और आर्थिक गतिविधि में तेजी के कारण यहाँ ऊर्जा की माँग निरंतर बढ़ती जा रही है। आज भारत विश्व में ऊर्जा की खपत की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। परंतु हमारा बुनियादी ढांचा कमजोर पड़ रहा है जिसके चलते बिजली आपूर्ति में बड़ी बाधा पहुँचती है और उसका दुरुपयोग भी होता है। साथ ही देश में ऊर्जा की गरीबी भी बनी हुई है। दुर्बल वर्ग के लोगों को बिजली और अन्य आधुनिक ऊर्जा के संसाधन अभी भी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। यह भी गौरतलब है कि जीवाश्म ऊर्जा (फॉसिल फ्यूल) के अत्यधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन की मात्रा भी तेजी से बढ़ रही है। इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव है और वह खतरनाक साबित हो रहा है। भारत की ऊर्जा मुख्यतया जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल तथा गैस आदि से उपलब्ध होती है। आज देश में बिजली उत्पादन का 70 प्रतिशत कोयले पर टिका है। आयात और घरेलू आपूर्ति में कमी के चलते यह अब बड़ा मंहगा पड़ रहा है। इस पर निर्भरता, ऊर्जा की बढ़ती मांग, अन्य देशों पर निर्भरता, पुराने कि स्म का ढाँचा और नवीकरण की संभावना वाले ऊर्जा स्त्रोतों को अपनाने में धीमी गति ने देश के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इनसे ऊर्जा-सुरक्षा, विकास के टिकाऊपन और पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी समस्याएं जन्म ले रही हैं।

नई दिल्ली कार्यालय
एक्शन बालाजी हाउस, बी-244, मजलिस पार्क, दिल्ली- 110033

उत्तरी दिल्ली कार्यालय
शक्ति कॉम्पलैक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली- 110042

चंडीगढ़ कार्यालय
फर्स्ट फ्लोर, देश सेवक बिल्डिंग, सेक्टर- 29डी, चंडीगढ़

पंजाब कार्यालय
7/2, थर्ड फ्लोर, मोनिका, टावर, ईआर-146, पक्का बाग, मिलाप चौक, जालंधर

करनाल कार्यालय
224, सेक्टर 32पी, करनाल- 132001

सोनीपत कार्यालय
एक्शन इंडिया कार्यालय, अपोजिट एनएस कम्प्यूटर, झंडी रोड़, गीता भवन चौक सोनीपत- 131001

शिमला कार्यालय
किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला- 171001

ऊना कार्यालय
कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना-174303

देहरादून कार्यालय
7/1, बल्लूपुर रोड़, कृष्णा नगर चौक, देहरादून

ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया कानून पर बहस

सुनील कुमार महला

> "कई बार किसी ऐप में उलझे बच्चों के मानसिक संकट, व्यवहारिक बदलाव और आत्महत्या जैसी दुखद खबरें आए दिन मीडिया की सुर्खियों में हमारे सामने आती रहती है। सोशल मीडिया पर अत्यधिक सक्रियता के मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभावों को देखते हुए दुनिया भर में बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित या प्रतिबंधित करने की मांग समय-समय पर उठती रही है। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर 10 दिसंबर 2025 यानी कि बुधवार से पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है"

सोशल मीडिया पर न्यूनतम आयु को लेकर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों और किशोरों के सोशल मीडिया उपयोग से जुड़े नियम/कानून (सोशल मीडिया राज फोर चिल्ड्रेन) में एक अद्भुत और दुनिया-भर में चर्चित बदलाव किया है। दरअसल,ऑस्ट्रेलियाई संसद ने आनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम ऐज) एक्ट-2024 पास किया है, जो वास्तव में आनलाइन सेफ्टी एक्ट -2021 में एक संशोधन है?। पाठकों को बताता चलूं कि इस कानून के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए खाता (अकाउंट) रखना या बनाना प्रतिबंधित होगा। वास्तव में आस्ट्रेलिया का यह कानून सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बाध्य करता है कि वे 'जिम्मेदार कदम' उठाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 16-साल से छोटे बच्चे उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खाते(अकाउंट) नहीं रख सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनियों पर जिम्मेदारी है कि वे 16 से कम उम्र के बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म पर रखने से रोकें और अगर वे ये 'रेस्पान्सिबल स्टेप्स'(जिम्मेदार कदम) नहीं उठाते हैं, तो उन्हें सीधे अदालत द्वारा भारी जुमार्ने (सिविल पेनल्टीज) यानी कि लगभग 49.5 मिलियन आस्ट्रेलियाई डॉलर(लगभग ?30झ35 करोड़ तक) का सामना करना पड़ सकता है,जो बहुत बड़ी धनराशि है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन विभिन्न प्लेटफार्म्स में क्रमशः फेसबुक, इंस्टाग्राम,टिकटोक, स्नैपचैट,रेडिट, थ्रेड्स,ट्विच,एक्स(पूर्व में जिसे ट्विटर कहा जाता था), यू-ट्यूब,किक जैसे कई मुख्य सामाजिक नेटवर्क(ऐज रेस्ट्रिक्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स) में शामिल हैं।कुछ एप/सेवाएं जिन्हें प्राथमिक रूप से संदेश भेजने, गेमिंग या शिक्षा/सहायता के लिए डिजाइन किया गया है (जैसे यू-ट्यूब किड्स, व्हाट्स एप, डिस्कार्ड इत्यादि), फिलहाल अलग हैं। गौरतलब है कि यह नियम आस्ट्रेलिया में 10 दिसंबर 2025 से लागू हो गया है। अच्छी बात यह है कि यह कानून सीधे बच्चों या उनके माता-पिता/संरक्षकों को दंडित नहीं करता है तथा इसका लक्ष्य बच्चों को सजा देना नहीं, बल्कि सोशल मीडिया

कंपनियों को जिम्मेदार बनाना है।इस संबंध में सरकार का यह कहना है कि यह कदम बच्चों को ऑनलाइन नुकसान, मानसिक दबाव, अवरुद्ध/हानिकारक सामग्री और अत्यधिक इंटरनेट उपयोग से सुरक्षित रखेगा। कहना गलत नहीं होगा कि यह कानून बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल कल्याण, और ऑनलाइन खतरों से सुरक्षा पर केंद्रित है। बहरहाल,यह बात बिल्कुल सही है कि आज इंटरनेट के कारण पूरी दुनिया बहुत ही छोटी हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरनेट ने दुनिया को जितना नजदीक लाया है, उतना ही लोगों को वास्तविक रिश्तों से दूर भी कर दिया है,इसमें कोई दो राय नहीं है। आभासी दुनिया(वर्चुअल वर्ल्ड) की अनगिनत सोशल मीडिया साइटों ने सीमाओं से परे संवाद का दायरा तो निश्चित ही बढ़ाया है, लेकिन इसके समानांतर यह भी एक कड़वा सच है कि वास्तविक जीवन में लोग एक-दूसरे से कटते गए हैं। आज यदि हम स्वयं अपने घरों में ही देखें तो चार लोग अपने अपने एंड्रॉयड फोन या लैपटॉप पर व्यस्त रहते हैं और एक-दूसरे से बातचीत या संवाद तक नहीं करते, जबकि पूरी दुनिया से वे लगातार आभासी रूप से जुड़े होते हैं। स्थिति यहां तक है कि पड़ोस के बच्चे ऑनलाइन दोस्त भी हों, चैट करते हों या साथ में गेम खेलते हों, फिर भी संभव है कि वे आमने-सामने कभी न मिले हों। यानी वर्चुअल दुनिया में बच्चों का दायरा बढ़ता है, पर जमीन पर उनका अकेलापन गहराता जाता है। यही अकेलापन धीरे-धीरे उनके मन में घर कर जाता है और उन्हें बहुत बार अवसाद, तनाव और कभी-कभी तो आत्मघाती प्रवृत्ति(सुसाइड) तक पहुंचा देता है। कई बार किसी ऐप में उलझे बच्चों के मानसिक संकट, व्यवहारिक बदलाव और आत्महत्या जैसी दुखद खबरें आए दिन मीडिया की सुर्खियों में हमारे सामने आती रहती हैं। सोशल मीडिया पर अत्यधिक सक्रियता के मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभावों को देखते हुए दुनिया भर में बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित या प्रतिबंधित करने की मांग समय-समय पर उठती रही है। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर 10 दिसंबर 2025 यानी कि बुधवार से पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। हालांकि, संदेश भेजने और गेम खेलने वाले कुछ प्लेटफॉर्म्स को इस नियम से बाहर रखा गया है। इस सख्त कानून से अब यह उम्मीद की जा रही है कि बच्चों को उनका खो रहा बचपन वापस मिल सकेगा।लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह प्रतिबंध लागू कैसे किया जाता है और बच्चे वास्तव में सोशल मीडिया के जाल से दूर रह पाते हैं या नहीं, क्योंकि डिजिटल माहौल में बच्चे अक्सर वैकल्पिक, और कई बार अनुचित, रास्ते ढूंढकर किसी भी ऑनलाइन मंच तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह पाबंदी कितनी प्रभावी साबित होती है। साथ ही, अगर उम्र की पुष्टि के लिए बच्चों से कोई पहचान-पत्र या अन्य दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो उसकी सुरक्षा, गोपनीयता और संभावित दुरुपयोग से जुड़े नए प्रश्न अनिवार्य रूप से खड़े होंगे। कुल मिलाकर, कदम ठोस जरूर है, पर उसके वास्तविक परिणाम समय और क्रियान्वयन ही तय करेंगे। यह भी कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए दुनिया का जो पहला कठोर कानून लागू किया है, उसका उद्देश्य उन्हें साइबर बुलिंग, फेक न्यूज, हिंसक सामग्री, ऑनलाइन शोषण और मानसिक तनाव जैसी बढ़ती समस्याओं से बचाना है। आँकड़ों से यह बात स्पष्ट होती है कि आज 11झ16 वर्ष के लगभग 40 प्रतिशत बच्चे रोजाना तीन घंटे से अधिक सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जिससे उनमें अवसाद, चिंता, नींद की कमी और आत्मघाती विचारों आदि का खतरा बढ़ता है। पहले ही दिन लाखों संदिग्ध अकाउंट बंद होना यह दिखाता है कि समस्या कितनी व्यापक थी। पहली नजर में यह कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढाल की तरह है, लेकिन इसकी व्यावहारिक चुनौतियाँ भी कम नहीं। जैसा कि इस आलेख में ऊपर भी इस बात पर चर्चा कर चुका हूं कि उम्र सत्यापन के लिए आईडी या चेहरा पहचान जैसी व्यवस्था निजता पर प्रश्न खड़े करती है, और बच्चे फर्जी तरीकों से प्लेटफॉर्म तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विशेषज्ञों का यह तर्क है कि उम्र-सत्यापन जैसी तकनीकें अभी पर्याप्त विश्वसनीय नहीं हैं, जिससे इसे लागू करना मुश्किल होगा, और बच्चे वीपीएन या वैकल्पिक ऐप्स के जरिए प्रतिबंध को आसानी से पार कर सकते हैं।

इससे वे उन प्लेटफॉर्मों पर पहुँच सकते हैं जो और भी कम सुरक्षित हैं, जो इस कानून के मूल उद्देश्य को ही कमजोर कर देता है। आस्ट्रेलिया का यह कानून भले ही बच्चों की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक साहसिक कदम हो, लेकिन इसे लागू करना सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बेहद महँगा और तकनीकी दृष्टि से जटिल होगा।

जब इलाज भी बाजार बन जाए: भारत में स्वास्थ्य अधिकार की

डॉ सत्यवान सौरभ

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा और ढांचा तेजी से बदल रहा है। चिकित्सा उपचार, जो कभी सार्वजनिक दायित्व और कल्याणकारी राज्य की बुनियादी जिम्मेदारी माना जाता था, अब अधिकाधिक निजी क्षेत्र के हाथों में जाता दिख रहा है। एक ओर, सरकारी स्वास्थ्य ढांचा सीमित बजट, कम मानव संसाधन और कमजोर बुनियादी ढांचे से जूझता रहता है; दूसरी ओर, निजी अस्पतालों और कॉर्पोरेट मेडिकल चेन की पहुंच और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच आम नागरिक, विशेषकर गरीब, ग्रामीण, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समुदाय, स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत और असमान पहुंच के बोझ तले दबते जा रहे हैं। इसी बदलते परिदृश्य में, भारत में यह बहस और तेज हो गई है कि क्या स्वास्थ्य को एक न्यायसंगत और लागू करने योग्य मौलिक अधिकार बनाया जाए। क्या न्यायपालिका इस अधिकार को ल्लाङ्कशू करा सकेगी, जब व्यवस्था ही बुनियादी रूप से असमान, महंगी और निजीकरण-प्रधान हो चुकी हो? यह प्रश्न केवल कानूनी नहीं है; यह गहराई से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक है। क्योंकि अधिकार तभी सार्थक होता है जब राज्य उसे प्रदान करने की सामर्थ्य और इच्छा दोनों रखता हो। भारत में स्वास्थ्य का अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त है, पर इसे अभी तक स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि राज्य अभी तक ऐसी बाध्यकारी जिम्मेदारी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है जिसमें हर नागरिक को समान, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जब तक इसे एक इंफोर्सेअब्ले राइट नहीं बनाया जाएगा, तब तक असमानता, शोषण और मनमानी शुल्क वसूली जैसे मुद्दे निरंतर बढ़ते रहेंगे। भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देश विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, परंतु स्वास्थ्य पर होने वाला सार्वजनिक व्यय आज भी दुनिया के सबसे कम आंकड़ों में शामिल है। जब राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त बजट नहीं देता, तब स्वाभाविक रूप से रिक्त स्थान निजी क्षेत्र भरता है—और यही से उत्पन्न होती है असमानता, अनियंत्रित शुल्क, अनावश्यक चिकित्सा प्रक्रियाएँ, और आम व्यक्ति की आर्थिक तबाही। निजीकरण के विस्तार का दूसरा पहलू यह है कि यह केवल स्वास्थ्य सुविधाओं के संचालन तक सीमित नहीं है;

यह स्वास्थ्य नीति, दवाओं की कीमतों, बीमा योजनाओं और सार्वजनिक-निजी भागीदारी की दिशा को भी प्रभावित कर रहा है। जब स्वास्थ्य एक लाभ आधारित उद्योग बन जाता है।

विचार

मेक्सिको का शॉकः भारत के निर्यात पर टैरिफ की आग

प्रो. आरके जैन

10 दिसंबर 2025, यह तारीख एशियाई व्यापार इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज हो गई है। मेक्सिको की सीनेट ने तेजी से उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसकी कल्पना पहले असंभव लग रही थी—गैर-एफटीए एशियाई देशों से आयात पर ऊंची टैरिफ दीवार। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और 1,400 से अधिक उत्पादों को प्रभावित करेगा, जिसमें अधिकांश पर टैरिफ 35 प्रतिशत तक होगी, जबकि कुछ प्रमुख सेक्टरों (जैसे ऑटोमोबाइल, कुछ ऑटो पार्ट्स, स्टील और टेक्सटाइल) पर यह 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, मशीनरी, स्टील और प्लास्टिक—ये सभी प्रमुख सेक्टर इस नए बदलाव की चपेट में हैं। भारत के लिए इस फैसले की मार सबसे गहरी है। न कोई एफटीए, न कोई प्राथमिकता आधारित सुरक्षा—भारत मेक्सिको की नजर में पूरी तरह असुरक्षित खड़ा है। 2024झ25 में भारत ने मेक्सिको को लगभग 5.3झ5.7 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जिसमें अकेले ऑटोमोबाइल सेक्टर की हिस्सेदारी लगभग 1 बिलियन डॉलर तक पहुंचती है। मेक्सिको भारत का तीसरा सबसे बड़ा कार निर्यात बाजार है। अब वोल्क्सवैगन, ह्युंडई, मारुति और निसान जैसी कंपनियों के वाहनों पर लगने वाली ड्यूटी वर्तमान 20 प्रतिशत से बढ़कर कुछ मामलों में 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है (हालांकि अधिकांश उत्पादों पर 35 प्रतिशत की सीमा)। यह सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं—यह रोजगार, सप्लाई चेन, निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर मंडराता गहरा संकट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही हैः क्या यह हार का संकेत है, या भारत के लिए रणनीति बदलकर व्यापार के नए युग की शुरूआत करने का मौका? सच्चाई यह है कि मेक्सिको का यह फैसला अचानक नहीं उभरा। इसके पीछे अमेरिकी दबाव की छाया साफ दिखती है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और यूएसएमसीए (यूनाइटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कनाडा एग्रीमेंट) की नजदीकी समीक्षा ने मेक्सिको को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जहाँ अमेरिका की नाराजगी मोल लेना उसके लिए महंगा पड़ सकता है। चीन से आने वाले लगभग 130 बिलियन डॉलर के आयात पर अमेरिकी चेतावनियाँ लंबे समय से जारी थीं। निशाना भले चीन था, लेकिन प्रभाव की आग की लपटें भारत तक भी पहुँच गईं—अनचाही, लेकिन बेहद तीखी। मेक्सिको की सरकार इस फैसले को घरेलू उद्योगों की ढाल बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल इरादा कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देता है—अमेरिका को साधने का। चीन को रोकने की अमेरिकी मुहिम में अब भारत जैसे देशों के हित भी अनचाहे नुकसान झेल रहे हैं। भारतीय ऑटो उद्योग पहले ही एसआईएएम (सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्करर्स) के जरिये मौजूदा स्थिति बनाए रखने की मांग उठा चुका था, पर अब टैरिफ की इस लहर को थाम पाना लगभग नामुमकिन हो गया है।

नुकसान का स्वरूप वाकई गंभीर है। ऑटो निर्यात में लगभग 1 बिलियन डॉलर की चोट का अनुमान है, जबकि कुल निर्यात में 2026 में 15-25 प्रतिशत तक की गिरावट संभव है (हालिया ट्रेंड्स के आधार पर)। गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के ऑटो क्लस्टर्स पर इसका सीधा, भारी असर दिखेगा। टेक्सटाइल सेक्टर में 35 प्रतिशत तक की टैरिफ सूरत और कोयंबटूर जैसे केंद्रों को प्रभावित करेगी। स्टील और प्लास्टिक में जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियां लगभग 300 मिलियन डॉलर तक का कारोबार गंवा सकती हैं। अनुमान है कि 2026 में कुल निर्यात 15 से 25 प्रतिशत तक गिर सकता है—एक ऐसा झटका जो पूरे व्यापार ढांचे को हिला देगा। दूसरी ओर, मेक्सिको भी इस निर्णय से पूरी तरह सुरक्षित नहीं। इतने भारी टैरिफ वहां की उत्पादन लागत को 10-15 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं और घरेलू महंगाई का जोखिम भी तेजी से उभर सकता है। फिर भी भारत के लिए यह संकट अवसर का एक नया दरवाजा खोल सकता है। इतिहास गवाही देता है कि बड़े झटकों ने कई बार भारत को मजबूत बनाया है। 2018 में अमेरिकी स्टील टैरिफ के बाद भारत ने अपनी क्षमताएं बढ़ाईं और आत्मनिर्भरता की दिशा में नई गति पकड़ी। आज पीएलआई स्कीमों के कारण ऑटो क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश हो चुका है। अब भारत के सामने स्पष्ट राह है—डिप्लोमेसी और व्यापारिक रणनीति को नए सिरे से धार देना।

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

आरएनआईः DELHIN / 2006 / 19302

एक्शन इंडिया मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं रवि भारद्वाज द्वारा एक्शन बालाजी हाउस, 244, ब्लॉक- बी, लेन- 3, राकेश भारद्वाज चौक के नजदीक, दिल्ली - 110033 से प्रकाशित एवं मारुतिनंदन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, शक्ति कॉम्प्लेक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110042 से मुद्रित।
संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज जी
समूह संपादक : रवि भारद्वाज (9999889104)
मेट्रो संपादक : दीपचंद्र कांडपाल (8447314925)
'एक्शन इंडिया' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। संपादक केवल पीआरबी एक्ट के तहत ही उत्तरदायी। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

वैधानिक सूचना
पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा के बारे में आवश्यक जांच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रबंधक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, सेवा आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। अतः समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

आलेख

देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही

डॉ. विजय गर्ग

देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। अनुमान है कि 2036 तक बुजुर्गों की संख्या 227.4 मिलियन हो जाएगी। स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक निर्भरता और डिजिटल सुविधाओं जैसी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद सी.के. कुमार रेड्डी के एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमान तकनीकी समूह के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 2011 में 10.16 करोड़ से बढ़कर 2036 में 2274 करोड़ होने का अनुमान है। इसी अवधि में कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 84 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 7 भारतीयों में से एक वरिष्ठ नागरिक होगा। 2036 तक, अनुमानित जनसंख्या 153 करोड़ होगी। नीति आयोग का अनुमान है कि 2050 तक हर पांचवां भारतीय बुजुर्ग होगा। वर्ष 2023 में नीति आयोग ने कहा था कि विश्व भर में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। भारत में भी जन्म दर में गिरावट और स्वास्थ्य जागरूकता में कमी के कारण बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। आयोग ने अनुमान लगाया था कि 2050 तक कुल आबादी का 19.5 प्रतिशत बुजुर्ग होंगे, जो वर्तमान में 10 प्रतिशत है। अनुमान है कि 2050 तक हर पांचवां भारतीय बुजुर्ग होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'अवय्या' योजना बनाई गई है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि बुजुर्ग आबादी में तेजी से हो रही वृद्धि स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल क्षेत्रों में चुनौतियां खड़ी करेगी। इन उभरती चिंताओं को देखते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2021 से अतान व अभुदय योजना (अव्यय) लागू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आवास, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ-साथ उनके उत्पादक और सक्रिय वृद्धावस्था को बढ़ावा देने के लिए, इस योजना के तहत देशभर के वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

नींद के भीतर चलती अदृश्य प्रयोगशाला

उमेश कुमार साहू

रात की नींद हमें हर दिन थकान से राहत देती है लेकिन हमारे मस्तिष्क के लिए यह एक छुपी हुई प्रयोगशाला बन जाती है जहाँ वह हमारी यादों को तराशता है, भावनाओं को ठीक करता है और नई ऊर्जा के साथ जीवन की अगली सुबह तैयार करता है। सपने, जिन्हें अक्सर लोग ह्लबस कल्पनाह्व मान लेते हैं, विज्ञान और प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार हमारी चेतना का सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

कल्पना कीजिए, आपका मस्तिष्क रात के अंधकार में एक वैज्ञानिक बन जाता है। कभी डर के दृश्य बनाता है, कभी अनोखे दृश्य, कभी जीवन के उलझे धागे सुलझाता है और कभी भविष्य की समस्याओं को चुपचाप हल कर देता है। विज्ञान कहता है -हम रात में सपनों में जितना समय बिताते हैं, उतना समय जागकर भी शायद ही कभी अपने भीतर झांकते हैं। सपने कहां बनते हैं? : आधुनिक विज्ञान की खोज पहले वैज्ञानिक मानते थे कि सपने केवल नींद में आते हैं। अब शोध कहता है – सपने पूरी रात आते हैं नींद के किसी भी चरण में सपना बन सकता है। मस्तिष्क के दृश्य क्षेत्रों में अचानक गतिविधि बढ़ जाती है। भावनाओं का केंद्र सबसे सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि सपने रंगीन, भावनात्मक और अक्सर तर्क से परे दिखाई देते हैं।

हम अजीब सपने ही क्यों देखते हैं?

कभी उड़ते हुए, कभी परीक्षाओं में नकल करते हुए, कभी किसी खोए हुए व्यक्ति से बात करते हुए, ऐसे सपने इसलिए आते हैं क्योंकि रात में दिमाग दो काम एक साथ करता हैः इस दौरान पुरानी यादें, नई घटनाएँ और छुपी हुई इच्छाएँ एक-दूसरे से टकराती हैं और अजीबोगरीब कथाएँ बन जाती हैं। सपने असल में मस्तिष्क का भावनात्मक संतुलन बनाने का तरीका हैं। प्राचीन भारत : जहां सपनों को आत्म-अन्वेषण माना गया वेद, उपनिषद और योगदर्शन में सपनों को मानसिक दर्पण कहा गया है।

भारतीय दार्शनिकों का मानना थाः सपने अवचेतन मन की आवाज होते हैं। इन्हें समझकर व्यक्ति अपनी दिशा पहचान सकता है।

योग की ह्लयोग निद्राह्व अवस्था में व्यक्ति सपनों को नियंत्रित भी कर सकता है।

सम्पादकीय

शुक्रवार, 12 दिसम्बर 2025

फिर बढ़ी तिथि

चुनाव आयोग ने एक बार फिर मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर के लिए चल रहे अभियान की तिथि बढ़ा दी है। ऐसा दूसरी बार है जब चुनाव आयोग ने यह तिथि बढ़ाई है। यह तिथि पांच राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु के साथ अंडमान निकोबार के लिए बढ़ाई गई है। यहां यह बताना भी जरूरी है कि निर्वाचन आयोग ने बिहार में एसआईआर कराने के बाद 12 राज्यों व केंद्रशासित क्षेत्रों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है। आयोग की ओर से बताया गया है कि इन राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने तिथि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। उत्तर प्रदेश में यह तिथि 26 दिसंबर तक के लिए बढ़ गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह फैसला यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि नई सूची में किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं छूटे। वैसे आयोग के फैसले को लेकर शुरू से ही उसकी आलोचना हो रही थी और उस पर आरोप लग रहे थे कि इतने कम समय में इतना बड़ा काम संभव नहीं है। कोई भी समझ सकता है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का समय इतने बड़े काम को लेकर नाकाफी था और यह किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। इस बीच कई बीएलओ ने अपनी जान से भी हाथ धो लिया, इसके पीछे जो कारण माना गया वह भी एसआईआर का दबाव ही माना गया। इसको लेकर भी चुनाव आयोग की आलोचना हो रही थी। शायद यह आलोचनाओं का ही दबाव रहा कि चुनाव आयोग को अपने ही फैसलों में दो बार संशोधन करना पड़ा। अच्छी बात यह है कि चुनाव आयोग ने जल्द ही अपनी गलती सुधारने का काम किया और 22 दिनों का समय अतिरिक्त दिया। निसंदेह इससे जहां बीएलओ से दबाव हटेगा वहां लोगों को भी हड़बड़ी में काम करने से निजात मिलेगी। विशेषकर उन लोगों को जो अपने घरों से दूर काम के सिलसिले में बाहर हैं। साथ ही चुनाव आयोग की ओर से यह भी संदेश जाएगा कि वह इस बात को लेकर गंभीर है कि कोई पात्र व्यक्ति मताधिकार से वंचित न होने पाए। वैसे बेहतर होता कि चुनाव आयोग उदारता व दूरदर्शिता दिखाते हुए कम से कम उन राज्यों में पर्याप्त समय दे सकता था, जहां अगले वर्ष चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने पता नहीं किस समझ के साथ बहुत ही कम समय सीमा के साथ एक बड़े काम के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया। जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। विपक्ष भी चुनाव आयोग पर यह कहकर आरोप लगा रहा है कि अगर वास्तव में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग गंभीर है और घुसपैठियों को निकालना उसका मकसद है, तो फिर वह गंभीरता उसके आचरण में क्यों दिखाई नहीं दे रही है। वह इतनी हड़बड़ी में क्यों है, यह समस्या कोई आनन फानन में हल नहीं होने वाली, क्योंकि हड़बड़ी में काम करने से अनावश्यक भय का वातावरण बनता है।

संसद में धूम्रपान कानून का अपमान

लोकतंत्र के मंदिर संसद में धूम्रपान करना संविधान और कानून का अपमान है, लोकतंत्र के मंदिर में एक दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना को घटते हुए देखा गया, पूरे देश में ई-सिगरेट 2019 से पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, कानून के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना भी प्रतिबंधित है, लेकिन, संसद यानी लोकतंत्र के मंदिर में ई-सिगरेट लाना और पीना कानून के खिलाफ है, इन सभी का उल्लंघन टीएमसी के सांसद ने किया है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष ने भी कहा कि ये पूर्ण तरीके से गलत है, इसकी जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्यवाही की जाएगी, इसी शीतकालीन सत्र में हमने देखा कि एक सांसद द्वारा संसद में कुत्ते को लेकर आना और ऊपर से यह कहना कि यह तो नहीं पर जो अंदर बैठे है वो काटते हैं, इसका मतलब संसद के अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, सांसद समेत सभी लोगों पर एक तरह का बड़ा आक्षेप है।

-शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता, भाजपा

इंडिगो: एक मानव निर्मित संकट

रजनीश कपूर

भारतीय विमानन क्षेत्र ने हाल ही में अपने सबसे अंधकारमय दौर से गुजरा है, जब प्रमुख निजी एयरलाइन इंडिगो की अनुपालन न करने की वजह से एक बड़ा संकट उत्पन्न हुआ। इस संकट ने न केवल आकाश में बल्कि जमीन पर भी अफरा-तफरी मचा दी, जिससे भारतीय विमानन की वैश्विक छवि को गहरा धक्का लगा। इंडिगो का वर्तमान संकट, जिसमें 3,000 से अधिक उड़ानों के रद्द होने और व्यापक परिचालन पक्षाघात शामिल है, 2019 में जेट एयरवेज के ग्राउंडिंग के बाद भारतीय विमानन में सबसे गंभीर व्यवधान है। यह एयरलाइन, जो लंबे समय से दक्षता और समय की पाबंदी का प्रतीक मानी जाती थी, अब नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस नियमों की पूर्वानुमान और तैयारी में विफलता के कारण विश्वास के संकट का सामना कर रही है। पुरानी अंडर-स्टाफिंग और दुबली-पतली मैनपावर रणनीति के साथ मिलकर, एयरलाइन को आपातकालीन योजनाओं के लिए हाथ-पांव मारने पड़े, जिससे देश भर में हजारों यात्री फंसे रह गए।

यह संकट पूरी तरह से टाला जा सकता था, यदि एयरलाइन ने नियामक के निर्देशों का पालन किया होता। इंडिगो के प्रबंधन ने पायलट यूनियनों और उद्योग विशेषज्ञों की बार-बार चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, जो हायरिंग फीज और नो-पोचिंग समझौतों के जोखिमों के बारे में थीं। लालच के चलते एयरलाइन ने अपनी मौजूदा फ्लाइटों बढ़ोतरी भी की जिसने आग में घी डालने का काम किया। नए एफडीटीएल नियम लागू होने पर एयरलाइन कॉकपिट और केबिन क्रू की गंभीर कमी सामने आई। लागत कटौती के लिए स्टाफ संख्या को न्यूनतम रखने की रणनीति तब उलटी पड़ गई। संकट को और गहरा किया खराब रोस्टर प्लानिंग और नियामकीय चूकों ने। इंडिगो के सीईओ पीटर एलबर्स ने स्वीकार किया कि सामान्य परिचालन धीरे-धीरे ही बहाल हो पाएगा, क्योंकि एयरलाइन नए पायलट डड्यूटी नियमों से अस्थाई छूट मांग रही है। सवाल यह उठता है कि जब डीजीसीए ने सभी ऑपरेटरों को नए नियमों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय दिया था, तो इंडिगो ने उन्हें नजरअंदाज करने का फैसला क्यों लिया?

भारत के विमानन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां निजी एयरलाइनों का पतन प्रबंधन की विफलताओं और बाहरी दबावों के कारण हुआ। किंगफिशर एयरलाइंस, जो कभी देश की सबसे चमकदार कैरियर थी, वित्तीय कुप्र. बंधन और अत्यधिक कर्ज के कारण 2012 में अचानक बंद हो गई। जेट एयरवेज, जो भारत के निजी विमानन युग का अग्रदूत था, 2019 में नियम पुस्तिका के उल्लंघनों, खराब वित्तीय नियंत्रणों, बढ़ते घाटे और बदलते बाजार हालातों से अनुकूलन में असमर्थता के कारण इसी भाग्य का शिकार हुआ। इंडिगो का नए एफडीटीएल नियमों को नजरअंदाज करने का तरीका भी जेट एयरवेज की याद दिलाता है, जो इसी तरह के घमंड के चलते अपनी सुविधा के लिए नियमों को अनदेखा करती रही। यह उदाहरण एक दोहरावदार पैटर्न को रेखांकित करते हैं, वे एयरलाइंस जो अल्पकालिक लागत बचत को पायलटों और यात्रियों की सुरक्षा तथा नियामकीय अनुपालन आवश्यकताओं से ऊपर रखती हैं, वे एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचकर अचानक ढह जाती हैं।

इंडिगो संकट, एयरलाइन प्रबंधन और नियामकीय निगरानी दोनों की व्यापक विफलता को उजागर करता है। डीजीसीए द्वारा नए नियमों के तहत क्रू उपलब्धता की जांच किए बिना सर्दी के शेड्यूल को मंजूरी देना, ऑडिट की कमी को दर्शाता है। अन्य एयरलाइंस, जैसे एयर इंडिया, अकासा और यहां तक कि स्पाइसजेट ने नियाम परिवर्तनों की प्रत्याशा में रोस्टर समायोजित करके और अतिरिक्त स्टाफ भर्ती करके इसी तरह के व्यवधानों से बचाव किया। सोचने वाली बात है कि यह संकट कम किया जा सकता था या पूरी तरह टाला भी जा सकता था, यदि इंडिगो ने स्टाफिंग और अनुपालन के लिए अधिक पारदर्शी और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया होता। डीजीसीए द्वारा सख्त अनुपालन ऑडिट की अनुपस्थिति ने भी इस अराजकता में भूमिका निभाई। भविष्य के संकटों को रोकने के लिए, एयरलाइंस को परिचालन लचीलेपन को प्राथमिकता देनी चाहिए, पर्याप्त स्टाफिंग में निवेश करना चाहिए और नियामकीय निकायों तथा कर्मचारी यूनियनों के साथ खुले संवाद बनाए रखने चाहिए। सरकार को भी इन पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि उड़ान शेडड्यूल केवल परिचालन और सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन की जांच के बाद ही मंजूर किए जाएं। परिचालन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, डीजीसीए को ऑपरेटरों से सुझाव भी लेने चाहिए ताकि उनकी मांगों को समायोजित किया जा सके। इंडिगो का संकट सिर्फ एक एयरलाइन की गलतियों की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए एक चेतावनी है।

इंडिगो संकट के मद्देनजर डीजीसीए द्वारा सख्त नियामकीय कार्रवाई भारत में एयरलाइन उल्लंघनों के लिए एक शक्तिशाली मिसाल कायम कर सकती है। डीजीसीए ने पहले ही सामूहिक रद्दीकरणों की परिस्थितियों की जांच के लिए एक व्यापक जांच शुरू कर दी है, जिसमें चार सदस्ईय पैनल को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है ताकि प्रवर्तन कार्रवाइयों और संस्थागत सुधारों की सिफारिश की जा सके। पिछले उदाहरण दिखाते हैं कि नियामक ने अनुपालन न करने के लिए कठोर दंड लगाने में संकोच नहीं किया, जिसमें 10 लाख से 90 लाख रुपये या इससे अधिक के वित्तीय जुर्माने, ऑपरेटर अनुमतियों का निलंबन और बार-बार या गंभीर उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को हटाना भी शामिल है। उदाहरण के लिए, डीजीसीए ने हाल ही में एयर इंडिया को एक पायलट को अनिवार्य नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा किए बिना उड़ान संचालित करने की अनुमति देने के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। डीजीसीए ने पहले क्रू शेड्यूलिंग और सुरक्षा निगरानी में गंभीर और दोहरावदार चूकों के लिए एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया है। ऐसे दंडों को लागू करके और एयरलाइंस तथा उनके प्रबंधन को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराकर, डीजीसीए एक स्पष्ट संदेश देता हैरू परिचालन शॉर्टकट, नियामकीय अनुपालन न करने और लापरवाही को त्वरित और सख्त परिणामों से सामना करना पड़ेगा। इंडिगो का संकट बताता है कि परिचालन उत्कृष्टता सिर्फ दक्षता और समय की पाबंदी के बारे में नहीं है, बल्कि एयरलाइन क्रू व यात्री सुरक्षा, तैयारीऔर जिम्मेदारी के बारे में भी है।

> **इंडिगो संकट, एयरलाइन प्रबंधन और नियामकीय निगरानी दोनों की व्यापक विफलता को उजागर करता है। डीजीसीए द्वारा नए नियमों के तहत क्रू उपलब्धता की जांच किए बिना सर्दी के शेड्यूल को मंजूरी देना, ऑडिट की कमी को दर्शाता है। अन्य एयरलाइंस, जैसे एयर इंडिया, अकासा और यहां तक कि स्पाइसजेट ने नियाम परिवर्तनों की प्रत्याशा में रोस्टर समायोजित करके और अतिरिक्त स्टाफ भर्ती करके इसी तरह के व्यवधानों से बचाव किया। सोचने वाली बात है कि यह संकट कम किया जा सकता था या पूरी तरह टाला भी जा सकता था, यदि इंडिगो ने स्टाफिंग और अनुपालन के लिए अधिक पारदर्शी और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया होता।**

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

प्यार को जाने देना आसान नहीं...

किसी ऐसे इंसान को जाने देना, जिससे आपने दिल से प्यार किया हो, बेहद मुश्किल होता है। जो यादें और वादे कभी सब कुछ थे, वे एक पल में बेमानी लगने लगते हैं, पर अगर कोई वाकई आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो क्या उन्हें रोकना सही है? आइए, इस उलझन को समझते हैं और जानते हैं कि वो कौन-सा पल होता है, जब किसी को जाने देना ही आपके लिए सबसे बेहतर फैसला बन जाता है।

अगर कोई आपको छोड़कर जाना चाहता है, तो उसे जाने दें, यह बात हम सबने सुनी है। लेकिन क्या यह इतना आसान होता है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि उस शख्स के लिए दरवाजा खोलने का सही वक्त कब आता है? जब रिश्ता टूटने की कगार पर हो, तो दिल और दिमाग के बीच एक खींचतान शुरू हो जाती है। क्या एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए? या फिर अपनी आत्मा को और तकलीफ देने से बेहतर है कि सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ा जाए? किसी ऐसे इंसान को जाने देना, जिससे आपने दिल से प्यार किया हो, बेहद मुश्किल होता है। जो यादें और वादे कभी सब कुछ थे, वे एक पल में बेमानी लगने लगते हैं। पर अगर कोई वाकई आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो क्या उन्हें रोकना सही है? आइए, इस उलझन को समझते हैं और जानते हैं कि वो कौन-सा पल होता है, जब किसी को जाने देना ही आपके लिए सबसे बेहतर फैसला बन जाता है। इसके बाद डॉ. उन दो संकेतों की गहराई से व्याख्या करते हैं, जो दर्शाते हैं कि अब शायद रिश्ते को अलविदा कह देने का समय आ गया है न सिर्फ उनके लिए, बल्कि आपके अपने भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी।

संकेत 1- जब वे रिश्ते की जिम्मेदारियों से कतराने लगते हैं

डॉ. के अनुसार, यदि आपका साथी अब रिश्ते में अपनी भूमिका निभाने से बच रहा है या जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहा है, तो यह एक बड़ा संकेत है कि शायद उन्हें जाने देने का वकघ्त आ गया है।

वह समझाते हैं, एक स्वस्थ और सशक्त रिश्ते के लिए दो लोगों की भागीदारी जरूरी होती है। अगर आपका साथी अब ना तो आत्ममंथन करने को तैयार है, ना संघर्षों में अपनी भूमिका स्वीकार करता है, और ना ही आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो यह रिश्ता टिक नहीं पाएगा। ऐसे हालातों में रिश्ता धीरे-धीरे खत्म होने लगता है, चाहे आप उसे कितना भी थामे रहें।

संकेत 2- जब वे साझेदारी छोड़कर आपको ही दोष देने लगते हैं

डॉ. बताते हैं कि जब आपका साथी अब रिश्ते में करुणा और समझ के बजाय, केवल दोष देने की भाषा अपनाने लगे तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि रिश्ता बिखरने की कगार पर है। वे कहते हैं, जब बातचीत हम इसे मिलकर कैसे ठीक करें? आप से बदलकर तुम ही समस्या हो बन जाए तो समझ लीजिए कि अब आप दोनों एक टीम नहीं रह गए। जब कोई समझने की कोशिश छोड़कर आपको जज करने लगे, और मिलकर रास्ता निकालने के बजाय दोष बांटने लगे, तो रिश्ते की नींव हिल जाती है। डॉ. आगे जोड़ते हैं, एक बार जब आपका साथी समाधान की तलाश में आपके साथ खड़े होने के बजाय दूरी बनाने लगे, तो वह दरअसल रिश्ते से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है।

रोज की बहस से परेशान हो गए हैं, जानें असहमति से निपटने के स्मार्ट तरीके

बहस किसी भी रिश्ते का एक स्वाभाविक हिस्सा होती है, इसकी तीव्रता और आवृत्ति इस बात पर निर्भर करती है कि लोग उसे कैसे संभालते हैं। कई जोड़ें बहस के बावजूद एक-दूसरे को

समझने की कोशिश करते हैं और मतभेद सुलझा लेते हैं, जबकि कुछ केवल लड़ते रह जाते हैं। रिश्ते में असहमति होना सामान्य है, लेकिन उन्हें सुलझाना अपने आप में एक कला है, जिसे हर कोई नहीं जानता, लेकिन सीखा जरूर जा सकता है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच बार-बार छोटी-छोटी बातों पर बहस होती है, तो इसका समाधाान संभव है, बस जरूरत है सही नजरिए और संवाद की। यह समझना बेहद जरूरी है कि बहस के दौरान आपकी प्रतिक्रिया न सिर्फ उस पल की स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि रिश्ते की दिशा भी तय कर सकती है। रिलेशनशिप कोच कृति और जय ने इंस्टाग्राम पर कुछ अहम सवाल साझा किए हैं, जो आपके अपने व्यवहार को समझने और उसमें सुधार लाने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि ये सवाल अपने पार्टनर से जरूर पूछें ताकि आप न केवल बहस की जड़ को समझ सकें, बल्कि बेहतर संवाद के जरिए रिश्ते को मजबूत भी बना सकें।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

कोशिकाओं की सुरक्षा प्रणाली के लिए घातक है यह वायरस

एक नए अध्ययन में जीका वायरस के संक्रमण फैलाने की शक्ति के जैविक रहस्य का पता लगाया गया है। जीका मरीज की कोशिकाओं की अपनी खुद की देखभाल करने वाली प्रणाली का उपयोग कर उनमें प्रवेश कर जाता है। जबकि कोशिकाओं की सतहें संक्रामक प्रोटीन के प्रवेश के लिए जरूरी हैं, वे एंटीवायरल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसा होने से पहले, संक्रामक प्रोटीन की गतिविधि को कम करने के लिए कोशिकाओं द्वारा खुद को स्वस्थ रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया में हेरफेर किया जाता है, जिससे अनियंत्रित संक्रामक संक्रमण का रास्ता साफ हो जाता है।

प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि हालांकि एचआईवी जैसे अन्य वायरस मरीज के रिसेप्टर्स को चुप कराने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें कोशिकाओं में जाने देते हैं, लेकिन जीका में कम से कम तीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो यह काम कर सकते हैं।

यह सबसे दिलचस्प हिस्सा है, केवल एक ही नहीं, बल्कि कई जीका प्रोटीन ऐसा कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने दो जीका वायरस के स्ट्रेन या उपभेदों को देखा और तीन शारीरिक रूप से अहम कोशिकाओं की जांच की। दोनों स्ट्रेन के साथ, तीनों अलग-अलग तरह की कोशिकाओं में कमी देखी जा सकती है। ऐसा लगता है कि यह एक अहम तंत्र है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, साल 2007 से एडीज एजिप्टी मच्छरों द्वारा लोगों में फैलने वाला जीका वायरस अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में संक्रामक प्रकोप का कारण बना। हालांकि 2017 के बाद से दुनिया भर में मामलों में कमी आई है, लेकिन अमेरिका और अन्य स्थानीय क्षेत्रों में वायरस का संक्रमण छोटे स्तर पर जारी है। साल 2015 में ब्राजील में एक बड़ी महामारी ने गर्भावस्था के दौरान जीका संक्रमण और माइक्रोसेफली या सामान्य से छोटे सिर के आकार सहित जन्मजात समस्याओं के साथ पैदा होने वाले शिशुओं के बीच संबंध की पुष्टि की। जबकि अधिकांश संक्रमित लोगों में केवल हल्के लक्षण विकसित होते हैं, वायरस वयस्कों और बड़े बच्चों में गुइलेन बैरे सिंड्रोम, न्यूरोपैथी और मायलाइटिस (रीढ़ की हड्डी की सूजन) से भी जुड़ा हुआ है। इस अध्ययन में इनमें से दो प्रोटीनों पर गौर किया गया, जिन्हें एएक्सएल और टीम-1 के रूप में जाना जाता है, जिन्हें पहले जीका संक्रमण से जोड़ा गया था। इसमें शोधकर्ताओं ने यह समझने की कोशिश की कि एएक्सएल और टीम-1 के द्वारा प्रवेश करने के बाद जीका संक्रमण को कैसे बनाए रखता है।

शोध पत्र में शोधकर्ताओं के हवाले से कहा गया है कि सांस लेने, प्रजनन और तंत्रिका तंत्र से संबंधित तीन प्रकार की कोशिकाओं में जीका वायरस के अफ्रीकी और एशियाई स्ट्रेन का उपयोग करके सेल कल्चर प्रयोग पूरे किए, जो रोग. जनक द्वारा निशाना बनाए गए थे। मानव कोशिकाएं जो फेफड़ों के काम को आगे बढ़ाती है, भ्रूण को सहारा देने वाली कोशिकाएं जिन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है और ग्लियोब्लास्टोमा मस्तिष्क कैंसर कोशिकाएं होती है। प्रयोगों से पता चला कि जीका द्वारा संक्रमण के बाद तीन प्रकार की कोशिकाओं पर एएक्सएल और टीम-1 दोनों को कम किया गया। शोध पत्र में शोधकर्ताओं के हवाले से उम्मीद जताई गई थी कि यह दबाव दो सामान्य प्रोटीनों की गिरावट

> **शोध पत्र में शोधकर्ताओं के हवाले से कहा गया है कि सांस लेने, प्रजनन और तंत्रिका तंत्र से संबंधित तीन प्रकार की कोशिकाओं में जीका वायरस के अफ्रीकी और एशियाई स्ट्रेन का उपयोग करके सेल कल्चर प्रयोग पूरे किए, जो रोगजनक द्वारा निशाना बनाए गए थे।**

प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ था, लेकिन इसके बजाय पाया गया कि जीका वायरस एक सेलुलर खुद की देखभाल करने वाले दिनचर्या का उपयोग करता है।

इस मामले में, वायरस की संक्रामक प्रक्रिया ने मरीज की कोशिकाओं को अपने स्वयं के सुरक्षात्मक प्रोटीन को दबाने के लिए हेरफेर किया, एक संक्रामक अनुकूली रणनीति जो जीका को अपने आपको नियंत्रित करने में मदद करता है। इस दबाव के बिना, एएक्सएल और टीम-1 एंटीवायरल प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में उत्तेजक अणुओं का उत्पादन करना शुरू कर देंगे। संक्रामक प्रवेश को सुविधाजनक बनाने का उनका सामान्य स्तर भी अधिक जीका कणों को पहले से संक्रमित कोशिकाओं तक पहुंचाने में सक्षम बना सकता है, जिससे सुपरइंफेक्शन नामक एक प्रतिस्पर्धी नजरिए की स्थापना होती है। ऐसा कुछ जिससे वायरस बचना चाहते हैं क्योंकि भीड़भाड़ से कोशिकाओं के नष्ट होने का खतरा होता है, जो संक्रमित रोगजनकों को मार देता है। आगे के प्रयोगों ने तीन जीका प्रोटीन की पहचान की जो मरीज की कोशिका ऑटोफैगी को प्रेरित करते हैं, जो

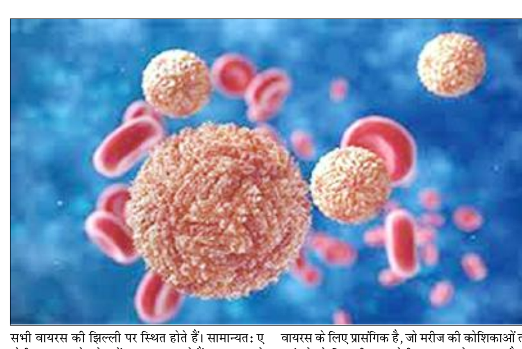

सभी वायरस की झिल्ली पर स्थित होते हैं। सामान्यत: ए प्रोटीन वायरस के प्रवेश में मध्यस्थता करते हैं या वायरस के अपने आपको दोहराने में शामिल होते हैं, लेकिन वे इस को. शिका के सही से काम न करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि वायरस कुछ ऐसा एनकोड करते हैं जो उनके लिए जरूरी होता है, या तो उनकी अपने आपको दोहराने के लिए या मरीज को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया जाता है।

शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि निश्चित रूप से जानने के लिए और अधिक शोध की जरूरत है, लेकिन इस बात के आसार हैं कि यह तंत्र इबोला वायरस के लिए प्रासंगिक है, जो मरीज की कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए टीम-1 प्रोटीन का उपयोग करता है, या जीका के समान फ्लेविवायरस परिवार के अन्य रोगजनकों के लिए, जिसमें वेस्ट नाइल, पीला बुखार और डेंगू वायरस शामिल हैं। वायरस के लिए एक मरीज जितना अधिक जरूरी होता है, वायरस उसे नियंत्रित करने के लिए उतना ही अधिक काम करता है। इन तंत्रों को समझना संक्रामक रोगों का कारण बनने वाले उभरते या फिर से उभरने वाले वायरस के लिए तैयार रहने का एक जरूरी हिस्सा है।

...साभार

दुःख को दूर करने की एक ही औषधि है मन से दुखों की चिंता न करना : वेदव्यास

सशक्त नेतृत्व और संतुलित विकास के दो वर्ष

राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन अकसर अनिश्चितता लेकर आता है, लेकिन मध्यप्रदेश में पिछले दो वर्षों ने साबित किया है कि यदि नेतृत्व में स्पष्टता और इच्छाशक्ति हो, तो परिवर्तन 'विकास की नई गति' का पर्याय बन जाता है। आज, जब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, तो पीछे मुड़कर देखने पर एक ऐसी सरकार की छवि उभरती है जिसने परंपरा, आधुनिकता, कल्याकारी योजनाओं और कठोर प्रशासनिक फैसलों के बीच एक बेहतरीन संतुलन साधा है। 13 दिसंबर, 2023 को जब डॉ. मोहन यादव ने सत्ता की बागडोर संभाली थी, तब उनके सामने 'लाड़ली बहना' जैसी लोकप्रिय योजनाओं को जारी रखने के साथ-साथ अपनी अलग पहचान बनाने की चुनौती थी। दो साल बाद, यह कहा जा सकता है कि उन्होंने न केवल अपनी ही पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाया, बल्कि शासन की एक नई, अधिक सख्त और परिणाम-मूलक शैली भी विकसित की है। मध्यप्रदेश में लाल आतंक की समाप्ति उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई है। केंद्र के साथ कदम मिलाते हुए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान, लोकतंत्र और मानवता के विरोधी नक्सलियों का खात्मा होना चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने एक समान दृष्टि से उन सब पर कार्यवाही की, जिन्होंने अपराध किया। मछली से लेकर मगरमच्छ तक, कोई भी अपने रसूख के कारण कानून को अपनी जेब में नहीं रख सका। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सामने चुनौती है कि जिस प्रकार उन्होंने प्रदेश को लाल आतंक से मुक्ति दिलायी है, उसी प्रकार प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएं। डॉ. यादव के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि 'विकास का विकेंद्रीकरण' रही है। उन्होंने निवेश को केवल इंदौर और भोपाल तक सीमित न रखकर उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा जैसे शहरों तक पहुँचाया है। 'रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव' की जो श्रृंखला उन्होंने शुरू की, उसने प्रदेश के हर अंचल में रोजगार और उद्योग की नई उम्मीद जगाई है। यह उनकी दूरदर्शिता ही है कि आज प्रदेश का टियर-2 और टियर-3 शहर भी निवेशकों के रडार पर है। प्रशासनिक स्तर पर उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकता। चाहे वह खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक हो, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के नियमन का मुद्दा हो, या फिर अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई, डॉ. यादव ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून का राज सर्वोपरि है। उनकी कार्यशैली में एक अकादमिक गंभीरता और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता की सहजता का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। सांस्कृतिक मोर्चे पर, 'महाकाल की नगरी' से आने वाले मुख्यमंत्री ने प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 'राम वन गमन पथ' का विकास हो या उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की अभी से शुरू हुई वृहद तैयारियां, यह दर्शाता है कि वे विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक पहचान के पथ पर भी उतनी ही मजबूती से अग्रसर हैं। पार्वती, कालीसिंध, चंबल, केन बेतवा और ताप्ती नदी जोड़ो परियोजनाओं को नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। निस्संदेह, चुनौतियां अभी भी शेष हैं। कृषि को और अधिक लाभप्रद बनाना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। लेकिन, पिछले दो वर्षों का रिपोर्ट कार्ड यह बताता है कि मध्यप्रदेश एक सुरक्षित और सक्षम हाथों में है। डॉ. मोहन यादव ने 'डबल इंजन' की सरकार के फायदों को धरातल पर उतारा है। अगले तीन वर्ष इस नींव पर इमारत खड़ी करने के होंगे।

आज, जब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, तो पीछे मुड़कर देखने पर एक ऐसी सरकार की छवि उभरती है जिसने परंपरा, आधुनिकता, कल्याणकारी योजनाओं और कठोर प्रशासनिक फैसलों के बीच एक बेहतरीन संतुलन साधा है। 13 दिसंबर, 2023 को जब डॉ. मोहन यादव ने सत्ता की बागडोर संभाली थी, तब उनके सामने 'लाड़ली बहना' जैसी लोकप्रिय योजनाओं को जारी रखने के साथ-साथ अपनी अलग पहचान बनाने की चुनौती थी।

अमृत कलश

ईमानदारी महान गुण है

नाव गंगा के इस पार खड़ी है। यात्रियों से लगभग भर चुकी है। रामनगर के लिए खुलने ही वाली है, बस एक-दो सवारी चाहिए। उसी की बगल में एक नवयुवक खड़ा है। नाविक उसे पहचानता है। बोलता है - 'आ जाओ, खड़े क्यों हो, क्या रामनगर नहीं जाना है?' नवयुवक ने कहा, 'जाना है, लेकिन आज मैं तुम्हारी नाव से नहीं जा सकता।?' क्यों भैया, रोज तो इसी नाव से आते-जाते हो, आज क्या बात हो गयी? आज मेरे पास उतराई देने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम जाओ। अरे! यह भी कोई बात हुई। आज नहीं, तो कल दे देना। नवयुवक ने सोचा, बड़ी मुश्किल से तो माँ मेरी पढ़ाई का खर्च जुटाती हैं। कल भी यदि पैसे का प्रबन्ध नहीं हुआ, तो कहाँ से दूँगा? उसने नाविक से कहा, तुम ले जाओ नौका, मैं नहीं जाने वाला। वह अपनी किताब कापियाँ एक हाथ में ऊपर उठा लेता है और छपाक नदी में कूद जाता है। नाविक देखता ही रह गया। मुख से निकला- अजीब मनमौजी लड़का है।
छप-छप करते नवयुवक गंगा नदी पार कर जाता है। रामनगर के तट पर अपनी किताबें रखकर कपड़े निचोड़ता है। भींगे कपड़े पहनकर वह घर पहुँचता है। माँ रामदुलारी इस हालत में अपने बेटे को देखकर चिंतित हो उठी।
अरे! तुम्हारे कपड़े तो भीगें हैं? जल्दी उतारो।
नवयुवक ने सारी बात बतलाते हुए कहा, तुम्ही बोलो माँ, अपनी मजबूरी मल्लाह को क्यों बतलाता? फिर वह बेचारा तो खुद गरीब आदमी है। उसकी नाव पर बिना उतराई दिए बैठना कहाँ तक उचित था? यही सोचकर मैं नाव पर नहीं चढ़ा। गंगा पार करके आया हूँ। माँ रामदुलारी ने अपने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, 'बेटा, तू जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा।' वह नवयुवक अन्य कोई नहीं लाल बहादुर शास्त्री थे, जो देश के प्रधानमंत्री बने और 18 महीनों में ही राष्ट्र को प्रगति की राह दिखायी।

शिक्षा, उद्यमिता, जागरूकता और सशक्तिकरण के वाहक हैं डिजिटल माध्यम

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स; बाबू जी ! धीरे चलना, संभलना जरा

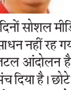

संजय उवाच
प्रो. संजय द्विवेदी

इन दिनों सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं रह गया है। सही मायनों में यह शक्तिशाली डिजिटल आंदोलन है, जिसने आम लोगों को अभिव्यक्ति का मंच दिया है। छोटे गांवों और कस्बों के युवा भी वैश्विक दर्शकों तक पहुंच रहे हैं। एक साधारण-सा मोबाइल फोन अब दुनिया से संवाद का प्रभावशाली माध्यम है। इस परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स केवल तकनीकी क्रिएटर नहीं हैं, बल्कि वे डिजिटल युग के नेता, कथाकार और समाज के प्रेरक बन गए हैं। उनकी एक पोस्ट सोच बदल सकती है, एक वीडियो नया रुझान बना सकता है और एक अभियान समाज के भीतर सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। यह दुधारी तलवार है, अचानक हम प्रसिद्धि के शिखर पर होते हैं और एक दिन हमारी एक लापरवाही हमें जमीन पर गिरा देती है। हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए इस राह के खतरे भी क्रिएटर्स से समझने होंगे।

सोशल मीडिया की बढ़ी शक्ति के कारण आज हर व्यक्ति यहां दिखना चाहता है। बावजूद इसके हर शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। करोड़ों लोगों तक पहुंचने वाला प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार और प्रत्येक दृश्य अपने आप में एक संदेश है। इसलिए यह आवश्यक है कि ट्रोलिंग, फेक न्यूज और नकारात्मकता के शोर के बीच सच, संवेदनशीलता और सकारात्मकता की आवाज़ बुलंद हो। कंटेंट का लक्ष्य केवल वायरल होना नहीं, बल्कि मूल्यवान होना भी है। लोकप्रियता से अधिक जरूरी यह है कि सामग्री समाज को बेहतर बनाए, नागरिक विवेक को विकसित करे और संवाद की संस्कृति को मजबूत करे।

पारंपरिक मीडिया की बंधी-बंधाई और एकरस शैली से अलग हटकर जब भारतीय नागरिक इस पर विचरण करने लगे तो लगा कि रचनात्मकता और सृजनात्मकता का यहां विस्फोट हो रहा है। दृश्य, विचार, कमेंट्स और निजी सृजनात्मकता के अनुभव जब यहां तैरने शुरू हुए तो लोकतंत्र के पहरुओं और सरकारों का भी इसका अहसास हुआ। आज वे सब भी अपनी सामाजिकता के विस्तार के लिए सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं भी कहा कि 'सोशल मीडिया नहीं होता तो हिंदुस्तान की क्रियेटिविटी का पता ही नहीं चलता।' सोशल मीडिया अपने स्वभाव में ही बेहद लोकतांत्रिक है। जाति, धर्म, भाषा, लिंग और रंग की सीमाएं तोड़कर इसने न सिर्फ पारंपरिक मीडिया को चुनौती दी है वरन यह सही मायने में आम आदमी का माध्यम बन गया है। इसने संवाद को निंरतर, समय से पार और लगातार बना दिया है। इसने न सिर्फ आपकी निजता को स्थापित किया है, वरन एकांत को भी भर दिया है।

यह देखना सुखद है कि युवा क्रिएटर्स महानगरों से आगे निकलकर आंचलिक भाषाओं, ग्रामीण कथाओं और लोक संस्कृति को विश्व के सामने ला रहे हैं। यह भारत की जीवंत आत्मा है, जो अब डिजिटल माध्यमों के द्वारा वैश्विक स्तर पर स्वयं को व्यक्त कर रही है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी योजनाओं की सफलता काफी हद तक इसी पर निर्भर करती है कि सोशल मीडिया की यह नई पीढ़ी इन्हें किस सहजता और स्पष्टता के साथ आम जनता तक पहुँचाती है। सोशल मीडिया अब शिक्षा, उद्यमिता, जागरूकता और सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ब्रांड्स आपकी प्रतिभा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन समय की मांग यह है कि आप स्वयं भी एक जिम्मेदार और विश्वसनीय ब्रांड के रूप में विकसित हों। सरकार और समाज के बीच भी सोशल मीडिया सेतु का काम रहा है क्योंकि संवाद यहां निरंतर है और एकतरफा भी नहीं है। सरकार के सभी अंग इसीलिए अब सोशल प्लेटफार्म पर हैं और अपने तमाम कामों में क्रिएटर्स की मदद भी ले रहे हैं।

सोशल मीडिया एक साधन है, परंतु गलत दिशा में प्रवाहित होने पर यह एक खतरनाक हथियार भी बन सकता है। यह मनोरंजन का माध्यम है, पर समाज-निर्माण का आयाम भी इसके भीतर निहित है। यह दोहरा स्वरूप अवसर भी प्रदान करता है और चुनौती भी। सोशल मीडिया उचित दृष्टिकोण के साथ उपयोग हो तो वह 'ग्लोबल वॉयस फॉर लोकल इशूज़' बन सकता है। कंटेंट क्रिएटर्स की शक्ति यदि ज्ञान और जिम्मेदारी से न जुड़ी हो, तो वह समाज के लिए खतरनाक हो सकती है। सामाजिक सोच के साथ किए गए प्रयासों से सोशल मीडिया केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक सामाजिक मिशन का माध्यम भी हो सकता है। हमें सोचना होगा कि आखिर हमारे कंटेंट का उद्देश्य क्या है। क्या सिर्फ आनंद और लाइक्स के लिए हम समझौते करते रहेंगें।

सोशल मीडिया की चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। फेक न्यूज़, तथ्यहीन दावे और सनसनीखेज प्रस्तुति विश्वसनीयता के संकट को जन्म दे रहे हैं। एल्गोरिद्म की मजबूरी क्रिएटर्स को रचनात्मकता से दूर ले जाकर केवल ट्रेंड के पीछे भागने के लिए विवश कर रही है। लाइक्स, फॉलोअर्स और व्यूज़ की अनवरत दौड़ मानसिक तनाव और आत्मसम्मान के संकट को बढ़ा रही है। ध्रुवीकरण और ट्रोल संस्कृति समाज के ताने-बाने को कमजोर कर रही है। इन परिस्थितियों में क्रिएटर्स के सामने तीन मार्ग हैं, ट्रेंड का अनुकरण करने वाला कंटेंट क्रिएटर, नए ट्रेंड स्थापित करने वाला कंटेंट लीडर या समाज को दिशा देने वाला कंटेंट रिफॉर्मर।

जिम्मेदार क्रिएटर की पहचान सत्य, संवेदना और सामाजिक हित से होती है। विश्वसनीय जानकारी देना, सकारात्मक संवाद स्थापित करना, आंचलिक भाषाओं और स्थानीय मुद्दों को महत्व देना, जनता की समस्याओं को स्वर देना और स्वस्थ हास्य तथा मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखना आज की डिजिटल नैतिकता के प्रमुख तत्व हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर दो तरह के लोग सक्रिय दिखाई देते हैं, एक वे जो समाज को बांटते हैं और दूसरे वे जो समाज को जोड़ते हैं। विश्वास है कि नई पीढ़ी जोड़ने वालों की भूमिका निभाएगी। आपके पास केवल कैमरा या रिंग लाइट नहीं है; आपके पास समाज को रोशन करने की रोशनी है। आप वह पीढ़ी हैं जो बिना न्यूजरूम के पत्रकार, बिना स्टूडियो के कलाकार और बिना मंच के विचारक हैं। जाहिर है तोड़ने वाले बहुत हैं अब कुछ ऐसे लोग चाहिए जो देश और दिलों को जोड़ने का काम करें।

आपमें परिवर्तन की शक्ति है। यदि आप सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ अपनी भूमिका निभाएं, तो डिजिटल परिदृश्य को अधिक संवेदनशील, अधिक सकारात्मक और अधिक प्रेरणादायक बना सकते हैं। महाभारत का संदेश यहाँ स्मरणीय है, युधिष्ठिर सत्यवादी थे, पर कृष्ण सत्यनिष्ठ थे। सत्य कहना ही पर्याप्त नहीं है, सत्य के प्रति निष्ठा और समाज के हित में समर्पण ही असली धर्म है। सोशल मीडिया की दुनिया में यही दृष्टि हमें प्रभावशाली और विश्वसनीय बनाएगी। **(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं।)**

यह लेखक के निजी विचार है

घर वापसी : इतिहास और प्रक्रिया

विनोद बंसल
राष्ट्रीय प्रवक्ता विहिप

'घर वापसी', जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है किसी व्यक्ति या समूह का अपने घर में पुनः आगमन। यह केवल धार्मिक आंदोलन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान की एक महत्त्वपूर्ण धारा है। यह उन व्यक्तियों या समुदायों की अपने मूल स्वधर्म में वापसी की सात्विक प्रक्रिया है, जो ऐतिहासिक कारणों, लोभ-लालच, जोर-जबरदस्ती या सामाजिक परिस्थितियों के चलते अन्य मत, मजहबों को अपनाने के लिए विवश हुए थे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : भारत में हजारों वर्षों से बहुलतावादी संस्कृति रही है, लेकिन मध्यकालीन आक्रमणों के दौर में, विशेषकर मुगल और इस्लामी आक्रांताओं द्वारा बड़े पैमाने पर हिन्दुओं का बलपूर्वक या प्रलोभन द्वारा धर्मान्तरण हुआ। यही स्थिति अंग्रेजी शासन के औपनिवेशिक काल में भी रही, जब मिशनरियों ने लालच और सामाजिक सेवा की आड़ में लाखों हिन्दुओं, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्ग का धर्मान्तरण करवाया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में जब राष्ट्र प्रेम की भावना जोर पकड़ रही थी, तब आर्य समाज के मूर्धन्य सन्त पूज्य स्वामी श्रद्धानन्द और अन्य हिन्दू संगठनों ने 'शुद्धि आंदोलन' की शुरुआत की, जिसे आज 'घर वापसी' का मूल कहा जा सकता है। हालांकि घर वापसी की प्रक्रिया बहुत पुरातन काल से चली आ रही है।

स्वामी श्रद्धानन्द ने विशेष रूप से उत्तर भारत में जबरन मुसलमान बनाए गए मेवाती और अन्य जनजातीय समुदायों को पुनः हिन्दू धर्म में लौटाने का पुनीत कार्य किया। उन्होंने इसे सामाजिक पुनरुद्धार मानकर 'राष्ट्रीय कर्तव्य' की संज्ञा दी। इसी शुद्धि आंदोलन के कारण 1926 में उनकी हत्या अब्दुल रशीद नामक मुसलमान ने धोखे से कर दी। वर्ष 1964 में विश्व हिन्दू परिषद की स्थापना की पृष्ठभूमि में भी धर्मान्तरण के अभिशाप से मुक्ति ही थी। मध्यप्रदेश में ईसाई मिशनरियों के द्वारा किए जा रहे धर्मान्तरण मामले में आई नियोगी कमीशन की रिपोर्ट ने 70 के दशक में देशव्यापी बहस व नव चेतना को जन्म दिया।

हिन्दू की परिभाषा करते हुए विहिप के संविधान में कहा गया कि 'जो व्यक्ति भारत में विकसित हुए जीवन मूल्यों में आस्था रखता है या जो व्यक्ति स्वयं को हिन्दू कहता है वह हिन्दू है'। अपनी स्थापना के दूसरे ही वर्ष में 22 से 24 जनवरी, 1966 को कुम्भ के अवसर पर 12 देशों के 25 हजार प्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ संगठन का प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन तीर्थराज प्रयागराज में सम्पन्न हुआ। इसमें 300 प्रमुख सन्तों के साथ पहली बार प्रमुख शंकराचार्य भी एक साथ आए और धर्मान्तरण पर रोक व परावर्तन (घर वापसी) का बड़ा सार्वजनिक संकल्प लिया गया। इसी सम्मेलन में परावर्तन यानी घर वापसी को मान्यता देने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ, वहीं विहिप के बोध वाक्य 'धर्मो रक्षति रक्षितः' और बोध चिह्न 'अक्षय वटवृक्ष' भी तय हुआ।

विहिप द्वारा आयोजित 1969 की उडुपी धर्मसंसद में पूज्य सन्तों का यह उदघोष कि 'हिन्दावः सोदरा सर्वे, ना हिन्दू पतित भवेत', ने भी देश भर में नई बहस को जन्म दिया और कहा कि हिन्दू कभी पतित या नीचा

नहीं होता। सभी हिन्दू भाई-भाई हैं। जिन्होंने दबाव, लालच या किसी विवशतावश हिन्दू धर्म छोड़ा, वे भी स्वेच्छा से स्वधर्म में पुनः वापस आ सकते हैं। ऐसे अपने सभी बिछड़े बन्धु भगिनियों का हम मिलकर हृदय से स्वागत करेंगे। यह बात पूजनीय श्री गुरुजी की उपस्थिति में सभी पूजनीय जगतगुरू शंकराचार्यों व देश के वरिष्ठ हिन्दू नेतृत्व से उद्घोषित की। इससे पूर्व समाज का एक वर्ग घर वापसी को ठीक नहीं मानता था। वह कहता था कि मुसलमान बनने से वह अपवित्र हो गया और ऐसे पथ भ्रष्ट व्यक्तियों के साथ हम कैसे सम्बन्ध बना सकते हैं।

वास्तव में धर्मान्तरण ने ही 'घर वापसी' को संगठित आन्दोलन का रूप दिया। विहिप का मानना है कि धर्मान्तरण भारतीय समाज को विभाजित कर राष्ट्रान्तरण का कारक बन, न सिर्फ देश की सांस्कृतिक अस्मिता को खतरे में डालता है, अपितु अपने ही पूर्व स्वधर्मियों का शोषण कर अमानवीय रूप धारण कर लेता है।

विहिप समेत अनेक पूज्य सन्त व हिंदू संगठन, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अधिक चौकन्ने रहते हैं, जहां हिन्दू समाज के अनुसूचित जाति, जनजातियों या अन्य सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग अधिक संख्या में पहले हिन्दू थे और बाद में ईसाई बन गए या इस्लाम में चले गए।

घर वापसी की प्रक्रिया: हालांकि घर वापसी की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं बताई जा सकती, यह देश, काल व परिस्थिति के अनुसार बदली रहती है किन्तु, सामान्य तौर पर यह निम्नलिखित चरणों में होती है:

1. **सम्पर्क एवं सम्वाद:** पहले उन व्यक्तियों या परिवारों से सम्पर्क किया जाता है जो अपने पूर्वजों के धर्म में लौटने को स्वयं इच्छुक होते हैं।
2. **सत्यापन :** जांच की जाती है कि सम्बन्धित व्यक्ति या उनके पूर्वज वास्तव में कभी हिन्दू थे। यह पहचान व्यक्तियों के ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक व पारिवारिक परिवेश के आधार पर होती है।
3. **धार्मिक अनुष्ठान:** घर वापसी की प्रक्रिया एक पवित्र वैदिक विधान के अन्तर्गत 'शुद्धि यज्ञ', 'संकल्प', 'हवन', और 'गंगा जल स्नान' इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा सम्पन्न होती है।
4. **सामाजिक पुनः** स्वीकारः स्थानीय समाज के वरिष्ठ जन और पुरोहित वर्ग उस व्यक्ति या पारिवारिक समूह को पुनः हिन्दू समाज में अभिनन्दन पूर्वक स्वीकार कर उन्हें उनका मूल गोत्र प्रदान करते हैं।
5. **सामाजिक समरसता:** उनके पुनः हिन्दू समाज में आने के बाद उनके साथ भेदभाव, विशेषकर जाति या वर्ग के आधार पर न हो, यह शेष समाज द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही उनके साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध बना कर एकता और एकात्मकता का संकल्प भी लिया जाता है।

पूज्य सन्तों के आशीर्वाद व हिन्दू समाज के जागरूक लोगों व समूहों के साथ विश्व हिन्दू परिषद के गत छह दशकों में किए गए विविध प्रयासों ने इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश में नव चेतना का संचार किया है। विहिप ने अवैध धर्मान्तरण पर रोक तथा धर्मान्तरित हिन्दू भाई-बहनों को अपनी जड़ों से पुनः जोड़ने की दिशा में भी बड़ा कार्य किया है। अभी तक लगभग 40 लाख हिन्दुओं के धर्मान्तरण को रोका गया है।

अभी तक लगभग 25 हजार बहनों को लव जिहाद के षडयन्त्र से बचाया गया है। इतना ही नहीं, गत एक दशक में देश के दर्जन भर राज्यों में अवैध धर्मान्तरण के विरुद्ध कठोर कानून बनवाकर धर्मद्रोही चर्च, जिहादी और कम्युनिस्टों को जेल पहुंचाया गया है। कुछ वर्ष पूर्व तक लव जिहाद व धर्मान्तरण की घटनाओं को जो लोग सिरे से नकारकर भारतीय परम्पराओं और मान्यताओं का उपहास उड़ाते थे, वे अब स्वयं उसे मानने को मजबूर हुए हैं। समाज में घर वापसी के प्रति नई लहर चल पड़ी है। यूपी में छांगुर जैसे जिहादी जमालुद्दीनों के अनगिनत देश विरोधी व धर्मान्तरण के अड्डों को अब समाज स्वयं अग्रणी होकर ध्वस्त कर रहा है। विहिप समेत अब सम्पूर्ण भारत का यह संकल्प है कि देश को हम धर्मान्तरण की इस विभीषिका से मुक्ति दिला कर ही रहेंगे।

एसआईआर पर बंगाल का दृश्य डरावना

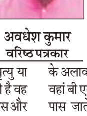

अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर यानी विशेष मतदाता निरीक्षण अभियान चल रहा है। इनमें पश्चिम बंगाल का पूरा दृश्य भयभीत करने वाला है। जितनी बड़ी संख्या में वहां बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर या मतदान केंद्र स्तर कर्मियों की मृत्यु या आत्महत्या की बातें उठाई जा रही है वह अकल्पनीय है। पूरी तृणमूल कांग्रेस और स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के विरुद्ध आक्रामक मोर्चा खोल दिया है। ममता ने आयोग को औपचारिक रूप से दो पत्र लिखे जिनमें इसे अनियोजित तरीके से आरंभ कर लोगों की जान जोखिम में डालने का आरोप लगाया तथा इसे तत्क्षण रोकने की भी मांग की। उनके पत्र में ऐसा न करने पर परिणाम के लिए उत्तरदायी होने की धमकी और चेतावनी दोनों थी। बंगाल पहला राज्य है जहां बीएलओ के बैनर से मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। 28 नवंबर को तृणमूल के प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपनी बातें रखीं। आयोग के हवाले से समाचार आया कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से एस आई आर की प्रक्रिया में बाधा न डालने तथा दुष्प्रचार न करने का अनुरोध किया। आयोग ने तृणमूल प्रतिनिधिमंडल से कहा कि राजनीतिक बयान आपका अधिकार है लेकिन दुष्प्रचार कर समस्याएं पैदा करना उचित नहीं है। आयोग ने बीएलओ की मृत्यु या आत्महत्या के आरोपों से भी इनकार किया। यद्यपि कुछ मामलों में जांच की भी बात की। निश्चय ही हमारे आपके अंदर एस आई आर की पूरी प्रक्रिया तथा उसकी तात्कालिक परिणतियों को लेकर अनेक प्रश्न और संदेह पैदा होंगे।

विचार करने की बात है की अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दृश्य ऐसे क्यों नहीं है? हमने बिहार एस आई आर के दौरान राजनीतिक नेताओं के तेवर देखें, राहुल गांधी की 16 दिनों की वोट अधिकार यात्रा हुई, उच्चतम न्यायालय में नामी वकीलों ने इसके विरुद्ध बहस की किंतु प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई। इस समय भी उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है। इसमें स्वयं मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि जब आप बिहार के बारे में बातें कर रहे थे तो हमें भी लगा कि कुछ गड़बड़ी हुई है और हमने वहां वॉलिंटियर्स नियुक्त किए? आपने कहा कि लाखों के नाम कट रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं आया जिसने अपना नाम काटने का आरोप लगाया। दूसरे, आपने कहा कि लोगों को प्रक्रिया की जानकारी नहीं है जबकि दिखाई दिया कि गांव के स्तरों पर भी लोगों को पूरी जानकारी थी। इसी तरह की टिप्पणी अन्य न्यायाधीशों की भी आई है। आधार कार्ड पर भी न्यायालय ने प्रश्न किया कि किसी विदेशी नागरिक के पास आधार कार्ड है तो क्या उसे मतदान का अधिकार दे दिया जाएगा? स्पष्ट है कि एसआईआर की पूरी सुनवाई और मॉनिटरिंग के बाद उच्चतम न्यायालय किन सच्चाइयों पर पहुंचा है। एस आई आर की प्रक्रिया ऐसी जटिल नहीं है जिसके दबाव में या परेशान होकर बीएलओ को आत्महत्या करनी पड़ी या उसकी मृत्यु हो जाए। बिहार के अलावा अभी जिन राज्यों में हो रहे हैं वहां बी एल ओ लोगों को फोन करते हैं, पास जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों के बीएलए बूथ लेवल एजेंट भी फोन करते हैं कि आपके पास फार्म पहुंचे नहीं पहुंचे आदि आदि और सहयोग से सारा काम चल रहा है। थोड़े बहुत परिश्रम के बाद कागजात भी हो जा रहा है।

किंतु बंगाल की स्थिति भिन्न है। न भूलिए कि वहां एनआईए आतंकवाद के मामले में कार्रवाई करने जाती है तो उन पर हमले होते हैं और कार्रवाई के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल लाना पड़ता है। बंगाल में एस आई आर की सूचना के साथ कुछ मोहल्ले खाली हो गए और पता चला कि सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों थे। बांग्लादेश की सीमा पर भीड़ दिखी जो बता रहे हैं किघुसपैठ कर आए, उनके आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र बने

और उन्होंने मतदान भी किया। टीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग बीएसएफ से कह रहे हैं कि हमें उस ओर जाने दीजिए। बावजूद पूरी तृणमूल कांग्रेस स्वीकार करने को तैयार नहीं की कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया उनके यहां हैं। उल्टे मुस्लिम मतदाताओं का नाम काटने का ही आरोप लगा रहे। यह एक पहलू बताने के लिए पर्याप्त है कि बंगाल में बीएलओ के साथ क्या हो रहा होगा।

दो अन्य पहलू भी पर ध्यान दीजिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर के दौरान कई राज्यों में विसंगतियां सामने आई है। मुंबई की मतदाता सूची में 10.64% यानी 11 लाख से अधिक डुप्लीकेट नाम पाए गए हैं। कुछ वार्डों में एक ही व्यक्ति का नाम 2 से लेकर 103 बार तक मिला। बंगाल का मामला कहीं अधिक बड़ा है। चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता सूची की तुलना पिछली एस आई आर (2002-2006) के रिकॉर्ड से करने पर लाखों नामों की विसंगति सामने आई। आयोग के पोर्टल पर गणना प्रपत्र अपलोड किए जाने के बाद मैपिंग प्रक्रिया में आते ही मिलान पुराने रिकॉर्ड से किया जाता है। मतदाता सूची में बड़ी संख्या में रिकॉर्ड मिसमैच चाहे वह मृत्यु रिकॉर्ड, निवास या पता बदलने, बाहर चले जाने या नाम के दोहरीकरण से हो चुनाव की पारदर्शिता को सीधे प्रभावित करने वाला पहलू है। बंगाल की सूची में 47 लाख ऐसे मतदाता सामने आये थे, जो अब दुनिया में नहीं हैं। इनमें 34 लाख ऐसे थे, जिनके आधार कार्ड भी बने थे।

विकसित भारत का मूल मंत्र बनेगा 'वंदे मातरम्'

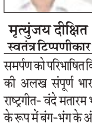

मृत्युंजय दीक्षित
स्वतंत्र टिप्पणीकार

जिससे स्वतंत्रता का मूल मंत्र, 'वंदे मातरम्' उद्भासित हुआ, जिसे गाते हुए हज़ारों की संख्या क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए, जीवन जेलों की क्रूर यातनाओं में काट दिया, जिस गीत ने मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण को परिभाषित किया, जिस गीत ने स्वाधीनता की अलख संपूर्ण भारत में जगा दी वह गीत है राष्ट्रगीत- वंदे मतारम भारत विभाजन के पूर्वाभ्यास के रूप में बंग-भंग के अंग्रेजी षड्यंत्र को पहचान कर सम्पूर्ण राष्ट्र बंगाल विभाजन के विरुद्ध खड़ा हो गया। इस आंदोलन के दो हथियार थे- स्वदेशी का स्वीकार-विदेशी का बहिष्कार और रणघोष बना था वंदे मातरम। इस गीत के रचनाकार थे बंगाल में जन्मे महान सपूत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आज वंदे मातरम अपनी रचना का 150 वां वर्ष मना रहा है।

इस अवसर पर वंदे मातरम गीत के माध्यम से एक बार पुनः राष्ट्र में 'स्व' की भावना की अलख जगाने का आह्वान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देशभर में अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में संसद के दोनों सदनों में वंदे मातरम पर व्यापक चर्चा हुई। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत की। सत्ता पक्ष के वक्ताओं ने जहां वंदे मातरम गीत के इतिहास और उसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए वंदेमातरम के प्रति कांग्रेस व वामपंथी दलों की विचारधारा और सोच को बेनकाब किया। विपक्ष ने इसके पीछे बंगाल चुनावों को ध्यान में रखते हुए की गई चर्चा बताया। कुछ विपक्षी सांसदों ने कहा कि वंदे मातरम पर बहस गैरजरूरी और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। इतने गंभीर

व ऐतिहासिक विषय की बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन से गायब रहे। संसद में वंदे मातरम पर हुई व्यापक चर्चा सिर्फ एक गीत पर विमर्श नहीं वरन भारत की सांस्कृतिक चेतना, स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को दोबारा केंद्र में लाने का प्रयास भी है। चर्चा का आरम्भ करते हुए लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तथा राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम के प्रति कांग्रेस व उनके नेताओं की सोच को बेनकाब कर दिया। सरकार ने वंदे मातरम गीत की प्रेरणा से संकल्प लेकर वर्ष साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के साथ राष्ट्रगीत को जीवंत बनाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 'वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग के विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध नारा बुलंद किया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा तो उन्होंने मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देने के बजाय वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी और कहा कि कांग्रेस कार्यकारिणी में वंदे मातरम की उपयोगिता पर चर्चा होगी। इससे पूरा देश हतप्रभ रह गया। देशभक्तों ने कांग्रेस के उस प्रस्ताव के खिलाफ देश के कोने-कोने में प्रभात फेरियां निकाली और वंदे मातरम गीत गाया किन्तु देशभक्तों को अनसुना करते हुए 26 अक्टूबर 1937 को कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया।'

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा सम्मान मिलने की बात कही। राजनाथ सिंह ने यह धारणा तोड़ने का प्रयास किया कि वंदे मातरम किसी सांप्रदायिक विचार का परिचायक है। उन्होंने कहा कि कुछ कट्टरपंथियों ने जानबूझकर इसे धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश की जबकि यह गीत भारत माता के प्रति समर्पण और स्वतंत्रता की पुकार का प्रतीक है। राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के साल 1937 के अधिवेशन में वंदे मातरम के अंतिम चार छंदों का गायन रोके जाने के प्रस्ताव पर बात की और पंडित नेहरू की भूमिका पर प्रश्न उठाए। गृहमंत्री ने आरोप लगाया कि संसद में जब भी वंदेमातरम का गायन होता है तब कई विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले जाते हैं। वंदे मातरम पर चर्चा की आवश्यकता पर उत्तर देते हुए अमित शाह ने कहा कि 'वंदे मातरम पर चर्चा की आवश्यकता जब वंदे मातरम रचा गया था तब भी थी, आजादी के समय मे भी थी, आज भी है और साल 2047 में जब आधुनिक भारत होगा तब भी रहेगी क्योंकि वंदे मातरम में कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति की भावना है।' गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि 'जिस पार्टी के अधिवेशन की शुरुआत गुरुवर रवींद्रनाथ टैगोर वंदे मातरम गाकर कराते थे उस पर जब लोकसभा में चर्चा हुई तो गांधी परिवार के सदस्य सदन में नहीं थे।

संपादकीय

संसद के लिए काला दिन

बुधवार को भारत के संसदीय इतिहास में एक और काला अध्याय उस समय जुड़ गया, जब केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधारों पर सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए एक अपशब्द के साथ चुनाव आयोग को जोड़ा। हालांकि श्री शाह के बयान से उस शब्द को हटा दिया गया है। मीडिया भी इसकी चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि मामला भाजपा की साख का है। लेकिन इस मामले को न हल्के में लिया जाना चाहिए, न इसे उपेक्षित करना चाहिए। क्योंकि यहां सवाल संसद की मर्यादा का है।भारत की संसद पर आतंकी हमला, सदन के भीतर नोटों की गड्डी लहराना, बसपा के अल्पसंख्यक सांसद दानिश अली को भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी का अपशब्द कहना और भाजपा के बाकी सांसदों का उस पर हंसना, नए संसद भवन में दो युवकों द्वारा रंगीन धुआं छोड़ना, ऐसे कुछ प्रकरण हैं, जो गौरवशाली संसदीय इतिहास में दुरूस्वप्न की तरह हैं। इन घटनाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इनसे सबक लेते हुए आईदा इन्हें घटने से रोका जा सकता है। लेकिन अफसोस है कि सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी इसमें न केवल नाकाम रही, बल्कि इस बार तो संसद के अपमान के लिए खुद गृहमंत्री ही जिम्मेदार हैं।अमित शाह ने गुजरात की राजनीति से आगे बढ़कर दिल्ली तक का सफर काफी जल्दी तय किया। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमित शाह का सियासी कद भी बढ़ा। 2014 में भाजपा का अध्यक्ष पद संभालने के बाद वे 2019 में देश के गृहमंत्री बने और अब इस पद पर सबसे लंबे वक्त बनने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। मोदी-शाह की जोड़ी ने भाजपा को सबसे ताकतवर पार्टी बना दिया है। मोदी का चेहरा और शाह की रणनीति भाजपा की जीत का असली कारक बताई जाती है। अमित शाह को तो आधुनिक चाणक्य तक कहा जाता है। हम नहीं जानते कि इस तरह की तुलना मीडिया के प्रचार की वजह से हुई या चापलूसी से, लेकिन कम से कम चाणक्य से गलती की उम्मीद तो न चाटुकारों को होगी, न भाजपा के कार्यकर्ताओं को। इस उम्मीद पर बुधवार को पानी फिर गया, जब विपक्ष को घेरने में अमित शाह ने लोकसभा के भीतर अपशब्द का प्रयोग किया।राहुल गांधी, गौरव गोगोई जैसे सांसदों ने इसका प्रतिवाद किया तो संभवतरू श्री शाह को अपनी गलती समझ आई और उन्होंने आसंदी से कहा कि मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो उसे हटा दीजिए। अच्छी बात है कि श्री शाह ने खुद ही आसंदी से अपने शब्दों को हटाने कह दिया। लेकिन इसमें भी एक किस्म का अहंकार नजर आया, अपनी गलती पर शर्मिंदगी कहीं नहीं दिखी। अगर अमित शाह जानते हैं कि उनकी पार्टी में उन्हें चाणक्य माना जाता है, या उन्हें यह अहसास है कि वे सरकार में कितने शक्तिशाली हैं और गृहमंत्री के तौर पर कितनी अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तब उनसे ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए थी। चुनाव सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलते हुए एक-एक शब्द सोच-समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन भाजपा तो संसद को भी चुनावी मंच की तरह ही उपयोग में लाती है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के लिए रेनकोट पहन कर नहाने जैसी निम्नस्तरीय टिप्पणी कर चुके हैं, राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी की हंसी की तुलना शूर्पणखा की हंसी से कर चुके हैं। सदन में खड़े होकर बेबुनियाद बातें करना या विपक्ष पर मिथ्या आरोप गढ़ना भी भाजपा की आम रणनीति बन चुकी है।

दबाव के दायरे में पिसता बचपन

जीवन समाप्त करने की दिख रही प्रवृत्ति

वर्ष 2023 में मृतक विद्यार्थियों-परीक्षार्थियों की संख्या 13,892 बताई गई है। ये तथ्य बहुत चौंकाने वाले हैं।

यह समस्या किसी एक की नहीं है, बल्कि परिवार, समाज, शिक्षण संस्थान और सरकार सभी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। केवल नीतियां बनाने से अगर काम चल सकता, तो विद्यार्थियों की आत्महत्या की घटनाओं को कब का रोक लिया गया जाता।

विचारणीय विषय यह है कि छोटी-सी उम्र में बच्चे अगर आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं, तो सोचिए कि उस समय उनकी मानसिक हालत कैसी रही होगी और वे किस दर्द से गुजर रहे होंगे।

कहा जाता है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे दुनिया को बदला जा सकता है, मगर दुनिया इस तरह बदलेगी, संभवतः ऐसी कल्पना किसी ने कभी भी नहीं की होगी।

यह सच है कि जब तक कोई पीड़ा असहनीय नहीं होती, तब तक इंसान हिम्मत नहीं हारता और अगर हमारे बच्चे हिम्मत हारने लगे हैं, तो हम सबको मिलकर इसके कारण और समाधान तलाशने होंगे।

ज्योति सिडाना

देश भर में बच्चों से लेकर युवाओं तक के जीवन पर पढ़ाई का दबाव और अन्य तरह के अवसाद भारी पड़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं ने यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारे शिक्षण संस्थानों में कैसा माहौल है और वहां किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए अभिभावकों, समाज और सरकार की ओर से सामूहिक रूप से व्यापक स्तर पर प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं?

हम ऐसा सुनते और पढ़ते आए हैं कि शिक्षा मनुष्य को शोषण, दमन, हिंसा और असमानता से लड़ना सिखाती है, उन्हें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। स्कूल बच्चों को समाज का सभ्य नागरिक बनना सिखाते हैं, उन्हें जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। ऐसे में सवाल है कि आज बच्चों को किस तरह से शिक्षित किया जा रहा है कि उनके भीतर जीवन शुरू होने से पहले ही उसे समाप्त करने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है!

ऑफिस में ष्ठरू की सादगी देख पहचान नहीं पाए बुजुर्ग, पूछा- साहब कहां हैं, हंसकर ढ्ढस्- अधिकारी ने दिया इतना प्यारा जवाब, जीत लिया दिल

'न्यायपालिका को डराने की कोशिश', जस्टिस स्वामीनाथन के समर्थन में उतरा पूर्व जजों का समूह

'मैंने संजय दत्त को थप्पड़ मारा, बाल खींचे', ढ्ढक्क- ऑफिसर ने बताया गिरफ्तारी के बाद अपने पिता सुनील दत्त के पैरों में गिर गए थे संजू

कुछ समय पहले दो बड़ी घटनाएं हुई, जिन्होंने पूरे समाज को झकझोर दिया। राजस्थान में जयपुर के एक स्कूल की चौथी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने इमारत से कूद कर आत्महत्या कर ली। इस घटना में पीड़ित छात्रा को सहपाठियों द्वारा तंग करने और

शिक्षकों की ओर से उसकी शिकायतों को अनदेखा करने के आरोप लगे। दूसरी घटना में दिल्ली के एक स्कूल के दसवीं कक्षा के छात्र ने मेट्रो ट्रेन के आगे कूद कर खुदकुशी कर ली। इस मामले में शिक्षकों पर संबंधित छात्र को उपेक्षित-प्रताड़ित करने के आरोप लगे। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कभी शिक्षा के मंदिर कहलाने वाले विद्यालय अब शिक्षा के बाजार बन गए हैं, जहां शिक्षा को ऐसे बेचा जाता है कि उससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। आज के दौर में शिक्षा के व्यापार को सबसे अधिक फायदे वाला कारोबार माना जाता है। इस कारण अब हरेक नागरिक की शिक्षा तक समान पहुंच मुमकिन नहीं रह गई है।

देखा जाए तो बाजार ने शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य, दोनों बदल डाले हैं। पहले विद्यार्थी तय करता था कि उसे किस तरह के विषय पढ़ने चाहिए, उसकी रुचि किसमें है। मगर अब बाजार तय करता है कि उसे कौन-सा विषय पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और कुशलता का निर्धारण भी बाजार ही करता है। यहां तक कि विद्यार्थी अपनी जिंदगी या करिअर में सफल है या असफल, यह भी बाजार ही तय करता है। इन घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य अब संवेदनहीन, भावहीन और गैर-तार्किक मशीन में तब्दील हो चुका है, जिसका 'रिमोट' कुछ ताकतवर लोगों के हाथों में है। ऐसे में कई बार लोगों के मन में यह विचार भी आ सकता है कि इससे तो पहले का समाज ही अच्छा था, जहां लोग निरक्षर या कम पढ़े-लिखे थे, लेकिन स्वार्थ, लालच, धोखा, अविश्वास जैसे शब्दों से परिचित ही नहीं थे या उनसे दूर थे!

इतनी कम उम्र के बच्चे, जिन्हें सही से जीवन का अर्थ भी नहीं पता, संघर्षों और चुनौतियों ने जिन्हें अभी छुआ भी नहीं है, वे अचानक से जीवन को समाप्त करने जैसे निर्णय तक पहुंच रहे हैं तो आखिर इसकी क्या वजह है? समस्या कहां हैं- परिवार में, शिक्षण संस्थानों में, नीति निर्माताओं में, प्रशासनिक व्यवस्था में, पाठ्यक्रमों में या फिर पूरा समाज ही अव्यवस्थित हो गया है। शिक्षा का उद्देश्य तो बच्चों में सही-गलत एवं नैतिक-अनैतिक के बीच निर्णय लेना सिखाना है, कल्याणकारी समाज की नींव को मजबूत करने की भावना पैदा करना है, आलोचनात्मक चेतना विकसित करना है, मगर धरातल पर ऐसा हो नहीं रहा है। रही सही कसर तकनीक के विकास ने पूरी कर दी है।

इंटरनेट की दुनिया में सोशल मीडिया ने सूचना के प्रयास को भले ही आसान कर दिया है, लेकिन इससे बच्चों की कल्पनाशक्ति, सृजनात्मकता और कुछ अलग सोचने की क्षमता हाशिये पर आ गई है। समय और उम्र से पहले ही बच्चे वह सब देखने और जानने लगे हैं, जिसकी जानकारी होना उनके लिए अभी जरूरी नहीं है। साथ ही इस भौतिकतावादी समाज में अभिभावक भी अपने बच्चों को 'स्मार्ट' बनाने की जल्दी में जिंदगी की संवेदना और अपने दायित्व को भूलते जा रहे हैं।

अब परिवारों में बच्चों की संख्या भले ही एक या दो ही रहने लगी है, लेकिन अभिभावकों के पास बच्चों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं है। इस कारण धीरे-धीरे बच्चे भी परिवार के स्थान पर स्मार्टफोन या सोशल मीडिया के साथ ज्यादा समय बिताने लगे हैं। ऐसे में बच्चों से यह अपेक्षा करना कि वे संस्कृति और समाज के साथ समायोजन करेंगे, संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना सीखेंगे, बहुत दूर की कौड़ी है। बच्चों को एक उम्र तक डिजिटल दुनिया से दूर रखने के लिए कई देशों ने कोशिशें शुरू कर दी हैं, ताकि तकनीक के दुष्प्रभावों से भावी पीढ़ी को बचाया जा सके। दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चीन, इटली और हंगरी जैसे देशों में छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करने और डिजिटल दुनिया की लत को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्राथमिक समाजीकरण जो पहले परिवार का दायित्व था, वह अब डिजिटल मीडिया करने लगा है। इसलिए अब इनके द्वारा उत्पन्न विचारों और सूचनाओं को हम बिना संदेह के विश्वसनीय और प्रामाणिक मानने लगे हैं। नतीजतन, बच्चे 'बंधक मस्तिष्क' और 'सीमित व्यक्तित्व' वाले बनते जा रहे हैं। मशहूर शिक्षाविद नील पोस्टमैन का कहना है कि आज की पीढ़ी निरर्थक विचारों से भरी और नकलची है, उसके पास जुमले हैं, मगर विचारधारात्मक चिंतन नहीं है। यह अलगाव का चरम स्तर है और ऐसे में समाज के विकास की दिशा क्या होगी, यह कहना मुश्किल है। आज की पीढ़ी के बच्चों ने अपने बचपन को जिया ही नहीं, उनकी मासूमियत जल्दी परिपक्वता में बदल रही है, तकनीक एवं डिजिटल मीडिया ने उम्र एवं समय से पहले ही इनका बचपन छीन लिया है।

राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, देश में विद्यार्थी आत्महत्या की दर प्रतिदिन करीब 38 है, जो पिछले बारह वर्षों में लगभग पैंसठ फीसद बढ़ी है।

बाबरी मस्जिद के नाम पर मिलते करोड़ों के चंदे का नैरेटिव

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर बन रही मस्जिद के लिए अब तक 2.4 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। यह रकम केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि देश-विदेश से भी आ रही है। यह तथ्य केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी गंभीर सवाल खड़े करता है। बाबरी मस्जिद का मामला हमेशा संवेदनशील रहा है। अब उसी नाम और प्रतीक के माध्यम से फिर से व्यापक समर्थन जुटाया जा रहा है, यह संकेत देता है कि राजनीतिक इस्लाम अपने उद्देश्य में लगातार सक्रिय है।

जिहाद, राजनीतिक इस्लाम की नींव है। यह सिद्धांत दुनिया को दो हिस्सों में बांटता है- मुस्लिम और गैर-मुस्लिम। इसी आधार पर दारुल-इस्लाम और दारुल-हरब की अवधारणाएँ बनीं, जहाँ मुस्लिमों और गैर-मुस्लिमों के लिए अलग शासन और नियम तय होते हैं। यही दोहरी नैतिकता राजनीतिक इस्लाम की पहचान है।

कुरान, हदीस और सीरा- तीनों में इस दोहरी नैतिकता की बार-बार पुष्टि होती है। मुहम्मद ने कहा था कि 'सारी दुनिया केवल मुसलमानों के लिए है; तुम सुरक्षित रहोगे, अगर इस्लाम स्वीकार कर लो' (सहीह बुखारी, 4:53:392)। इसका मतलब यह नहीं कि केवल आस्था का प्रश्न है बल्कि यह राजनीतिक और वैचारिक नियंत्रण का संदेश है। गैर-मुस्लिम समुदाय की परंपराओं को शिर्क और बुतपरस्ती के रूप में देखा गया और उसे समाप्त करने के लिए जिहाद को आवश्यक बताया गया।

जिहाद केवल हिंसा का नाम नहीं है। यह संघर्ष का व्यापक स्वरूप है। इसका उद्देश्य केवल हथियार उठाना नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी ढांचे पर धीरे-धीरे नियंत्रण स्थापित करना भी है। उदाहरण के तौर पर- सड़क या सार्वजनिक स्थानों में नमाज, मंदिरों और धार्मिक आयोजनों पर आपत्ति, हलाल भोजन की मांग, शादी और पारिवारिक मामलों में धार्मिक दबाव, शरिया आधारित विवाद निपटान की मांग- ये सभी अहिंसक जिहाद के स्वरूप हैं। हिंसक और अहिंसक, सीधे और छल-कपट के माध्यम से जिहाद चलता रहता है।

सहीह बुखारी और कुरान के आंकड़े बताते हैं कि जिहाद का अधिकांश उल्लेख हथियारबंद संघर्ष से जुड़ा है। कुरान का नौवां अध्याय (अल-बारा) और आयतें 9:5, 9:29, 9:41, 9:73, 9:123- सभी स्पष्ट रूप से युद्ध के निर्देश देती हैं। यहां स्पष्ट रूप से दिखता है कि राजनीतिक इस्लाम का लक्ष्य केवल धर्मांतरण नहीं बल्कि नियंत्रण और सत्ता स्थापित करना है।

सोशल मीडिया

वीर सावरकर जी का जीवन मातृभूमि के प्रति अथाह प्रेम और राष्ट्र के लिए प्राण न्योछावर करने की प्रेरणा देता है। अंडमान और निकोबार की भूमि वीर सावरकर जी सहित अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, समर्पण एवं साहस की साक्षी रही है।

आज इस पावन भूमि पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक आदरणीय डॉ. मोहन भागवत जी के साथ सावरकर जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण और 'वीर सावरकर प्रेरणा पार्क' का उद्घाटन किया। यह पार्क और प्रतिमा, वीर सावरकर जी की ही भांति अडिग रहकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रक्षा तथा उनके स्वप्नों को साकार करने की दिशा में भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।

अमित शाह , गृहमंत्री, भारत

ऊर्जा-संकट से बचने लिए जरूरी है ऊर्जा संरक्षण

गिरीश्वर मिश्र

ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भौतिक नियम बताता है कि ऊर्जा न पैदा की सकती है न समाप्त; उसका सिर्फ़ रूपांतरण ही होता है। मानव जीवन की सारी गतिविधियाँ इस मायावी ऊर्जा पर ही टिकी हुई हैं। ऊर्जा ही अपना रूप बदल-बदल कर हमारी कल्पनाओं को साकार करती है। सामान्यतः अदृश्य-सी रहने वाली ऊर्जा हमारे दृश्य जगत को रचते हुए हर जगह हावी है। ऊर्जा के नए-नए स्रोत खोजे जाते रहे हैं जो आणविक ऊर्जा तक पहुँचे हैं। ईंधन से भोजन बनाने में ही नहीं उसके लिए प्रयोग में आने वाली सामग्री हम तक पहुचे इसके लिए हर कदम पर जरूरी मशीन, उर्वरक, पानी सबके लिए अलग-अलग तरह से ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही परिवहन, मौसम से सुरक्षा और वस्तुओं के निर्माण के लिए भी ऊर्जा आवश्यक है।

दरअसल, आधुनिक जीवन शैली, पारिस्थितिकी, प्रदूषण और ऊर्जा के उपयोग के प्रश्न आपस में बुरी तरह से गुँथे हुए हैं। विकास के साथ प्रति व्यक्ति ऊर्जा की माँग बढ़ रही है। समृद्ध देशों में जीवन स्तर को उन्नत रखने के लिए अधिकाधिक ऊर्जा चाहिए, उभरते देशों में कृषि अर्थ व्यवस्था से औद्योगिक व्यवस्था की तरफ़ आगे बढ़ने में भी ऊर्जा चाहिए। परंतु यह भी जरूरी है कि उन 80 प्रतिशत लोगों के साथ मिल कर काम किया जाय जिनके पास केवल एक चौथाई संपत्ति है। ऊर्जा की समस्या वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कई जटिल समस्याओं का परस्पर गुँथा समूह है।

भारतवर्ष की विशालकाय जनसंख्या और आर्थिक गतिविधि में तेजी के कारण यहाँ ऊर्जा की माँग निरंतर बढ़ती जा रही है। आज भारत विश्व में ऊर्जा की खपत की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। परंतु हमारा बुनियादी ढांचा कमजोर पड़ रहा है जिसके चलते बिजली आपूर्ति में बड़ी बाधा पहुँचती है और उसका दुरुपयोग भी होता है।

साथ ही देश में ऊर्जा की ग़रीबी भी बनी हुई है। दुर्बल वर्ग के लोगों को बिजली और अन्य आधुनिक ऊर्जा के संसाधन अभी भी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। यह भी गौरतलब है कि जीवाश्म ऊर्जा (फॉसिल फ्यूल) के अत्यधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन की मात्रा भी तेजी से बढ़ रही है। इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव है और वह ख़तरनाक साबित हो रहा है।

भारत की ऊर्जा मुख्यतया जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल तथा गैस आदि से उपलब्ध होती है। आज देश में बिजली उत्पादन का 70 प्रतिशत कोयले पर टिका है। आयात और घरेलू आपूर्ति में कमी के चलते यह अब बड़ा मंहगा पड़ रहा है। इस पर निर्भरता, ऊर्जा की बढ़ती मांग, अन्य देशों पर निर्भरता, पुराने क़िस्म का ढाँचा और नवीकरण की संभावना वाले ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में धीमी गति ने देश के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इनसे ऊर्जा-सुरक्षा, विकास के टिकाऊपन और पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी समस्याएं जन्म ले रही हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में निवेश तो बढ़ा है फिर भी कच्चे तेल और कोयले के आयात के कारण आर्थिक दबाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है। आज आवश्यकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार हो और ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाय। देश को अपने संसाधनों की खोज बढ़ानी होगी ताकि ऊर्जा की दृष्टि से आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

भारत और रूस की दोस्ती असीमित

कुल मिला कर द्विपक्षीय संबंध रूस के पक्ष में बेहद झुका हुआ है। उसका क्या समाधान पुतिन पेश करेंगे? उधर रूस और चीन के हित एक दूसरे के संपूरक बने हुए हैं, जबकि यह पहलू भारत के नजरिए एक समस्या है।

नई दिल्ली आने से ठीक पहले व्लादीमीर पुतिन ने भारत-रूस के संबंध के बारे में अपना टेम्पलेट सामने रखा है। उन्होंने संदेश दिया कि वे भारत से वैसी ही 'असीमित दोस्ती' चाहते हैं, जैसी उन्होंने चीन के स्थापित की है। पुतिन ने कहा- 'चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हमने आर्थिक मुद्दों पर ठोस वार्ता कायम की है। भारत यात्रा के दौरान हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इनमें रूसी बाजार में भारतीय उत्पादों का आयात बढ़ाना भी शामिल है।' यही संदेश देने के लिए क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भारतीय पत्रकारों से ऑनलाइन बातचीत की।

उन्होंने कहा- 'हमारा चीन के साथ असीमित सहयोग बना है। भारत के बारे में भी हमारा वही रुख है। रूस वहां तक जाने को राजी है, जहां तक भारत तैयार हो।' पेस्कोव ने संकेतों में यह भी कहा कि भारत को रूस से अपने संबंध तय करने में अमेरिकी हस्तक्षेप का ख्याल नहीं करना चाहिए। उन्होंने एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली और सुखोई-57 लड़ाकू विमान भारत को बेचने की पेशकश की। उम्मीद जताई भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता रहेगा। मगर भारत में चिंता यह है कि ये रूसी मंशाएं पूरी हुईं, तो उसका खराब असर अमेरिका से रिश्तों पर पड़ेगा। फिर बढ़ते व्यापार घाटे की भारत की अपनी चिंताएं भी हैं। भारत इस समय रूस को जितना निर्यात करता है, उससे लगभग 17 गुना ज्यादा आयात कर रहा है। इसके अलावा अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 तक भारत में प्रत्यक्ष रूसी निवेश महज 1.33 बिलियन डॉलर का हुआ, जबकि रूस में 12.8 बिलियन डॉलर का भारतीय निवेश हुआ है तो कुल मिला कर द्विपक्षीय संबंध रूस के पक्ष में बेहद झुका हुआ है। उसका क्या समाधान पुतिन पेश करेंगे? दरअसल, रूस और चीन के हित संपूरक बने हुए हैं, जबकि यह पहलू भारत के नजरिए एक समस्या है। इस कारण भारत- चीन विवाद में रूस निष्पक्ष रुख लेने की स्थिति में नहीं रह गया है। ये सारे वो पेच हैं, जिन्हें खोले बिना भारत और रूस की दोस्ती शायद असीमित रूप ना ले पाए।

ड्यूटी के बाद नो फोन-नो ईमेल : विधेयक वर्क-लाइफ बैलेंस से नई उम्मीद

डॉ. जगदीप सिंह

लोकसभा के शीतकालीन सत्र में जब बारामती की सांसद सुप्रिया फूले ने 'द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025' पेश किया तो सदन में कई सांसदों के चेहरे पर एक ख़ामोश मुस्कान थी। वजह साफ थी - पहली बार कोई विधेयक उनके अपने 24म7 बजते फोन को चुप कराने की बात कर रहा था। यह निजी सदस्य विधेयक कर्मचारियों, अधिकारियों और विधायकों-सांसदों को कार्य-समय के बाहर फोन कॉल, ई-मेल या किसी भी काम से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक संचार का जवाब देने से पूरी तरह कानूनी रूप से मुक्त करता है। सुप्रिया फूले ने इसे जिस संवेदना और दृढ़ता से पेश किया, उससे साफ है कि यह सिर्फ़ एक कागजी प्रस्ताव नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों थके-हारे कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की नींद की आवाज़ है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान बहुत स्पष्ट और सख्त हैं। कार्य-समय या अवकाश के बाद कोई नियोक्ता कर्मचारी से काम का संचार करने का दबाव नहीं डाल सकेगा। उल्लंघन पर संगठन के कुल वार्षिक वेतन बिल का एक प्रतिशत तक जुर्माना लगेगा। एक नई 'एम्प्लॉयी वेलफेयर अथॉरिटी' बनेगी जो डिस्कनेक्ट पॉलिसी लागू करवाएगी, डिजिटल डिटॉक्स सेंटर चलाएगी और काउंसलिंग मुहैया कराएगी। हर कंपनी को साल में कम से कम एक बार अपनी डिस्कनेक्ट पॉलिसी की समीक्षा करनी होगी और कर्मचारी यूनियन या प्रतिनिधियों से लिखित सहमति लेनी होगी।

भारत में इस कानून की ज़रूरत को समझने के लिए आंकड़े ही काफी हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की 2024 रिपोर्ट कहती है कि भारतीय औसतन 2,277 घंटे सालाना काम करते हैं - जापान से 600 घंटे और जर्मनी से 900 घंटे अधिक। नैस्काम के सर्वे में 62 प्रतिशत आईटी कर्मचारियों ने माना कि उन्हें रात दस बजे के बाद भी काम के मैसेज आते हैं। सीईडीए-सीएमआईई के आंकड़े बताते हैं कि बर्नआउट की वजह से हर साल 46 प्रतिशत युवा कर्मचारी नौकरी छोड़ रहे हैं। सरकारी क्षेत्र का हाल इससे भी बुरा है - एक ऋक्षढ्ढ जवाब में खुलासा हुआ कि 2020-2024 के बीच केंद्रीय सचिवालय के अठारह कर्मचारियों ने अत्यधिक कार्य-दबाव के कारण आत्महत्या कर ली। सांसदों-विधायकों की स्थिति तो और भी दयनीय है। एक सांसद के फोन में औसतन 300-400 वॉट्सएप ग्रुप होते हैं - क्षेत्रीय कार्यकर्ता, विभागीय अफसर, मंत्रालय, पार्टी हाईकमान। रात दो बजे भी कोई मरीज अस्पताल में भर्ती कराने की गुहार लगा दे तो जवाब देना 'राजनीतिक मजबूरी' बन जाता है। सुप्रिया फूले ने खुद स्वीकार किया कि वे रात में फोन साइलेंट नहीं कर पातीं क्योंकि कहीं कोई ज़रूरतमंद मदद मांग रहा होता है। यह विधेयक विधायकों के लिए भी एक तरह की मानसिक मुक्ति का वादा करता है।

यह सुप्रिया फूले का दूसरा प्रयास है। 2019 में भी उन्होंने यही विधेयक पेश किया था, पर कोविड के कारण वह आगे नहीं बढ़ सका। 2024-25 में केंद्र सरकार ने चार नए श्रम संहिता लागू किए, लेकिन उनमें 'राइट टू डिस्कनेक्ट' का कोई ज़िक्र नहीं है। उल्टे ओवरटाइम की सीमा बढ़ा दी गई। इसी सत्र में शशि थरूर, मनीष तिवारी और कनिमोझी ने भी काम के घंटे और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विधेयक पेश किए हैं, यानी विपक्ष इस मुद्दे को राष्ट्रीय एजेंडे पर लाने की पूरी कोशिश कर रहा है।

राज्यों में भी कुछ प्रयोग हुए हैं। केरल सरकार ने 2024 में सरकारी कर्मचारियों के लिए 'शाम छह बजे के बाद नो वॉट्सएप' का सर्कुलर जारी किया था, पर अफसरों के विरोध के कारण उसे वापस लेना पड़ा। तेलंगाना और कर्नाटक के आईटी हब में इंफोसिस, विप्रो और कुछ स्टार्टअप्स ने स्वेच्छा से 'ईवनिंग डिस्कनेक्ट पॉलिसी' शुरू की है, पर यह सुविधा सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित है। भारत की 92 प्रतिशत श्रमशक्ति असंगठित क्षेत्र और छोटे-मध्यम उद्योगों में है - वहाँ न्यूनतम मज़दूरी भी मुश्किल से मिलती है, डिस्कनेक्ट का सवाल ही नहीं उठता। यही इस विधेयक की सबसे बड़ी चुनौती है।

विदेशों के अनुभव से भारत बहुत कुछ सीख सकता है। फ्रांस ने 2017 में सबसे सख्त कानून बनाया और 50 से अधिक कर्मचारियों वाली हर कंपनी को डिस्कनेक्ट पॉलिसी अनिवार्य की। बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, आयरलैंड और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया (2024) ने भी इसे कानूनी अधिकार बना दिया। इन देशों से तीन बड़ी सीखें हैं - पहली, कानून से ज़्यादा प्रवर्तन तंत्र मायने रखता है; फ्रांस में लेबर इंस्पेक्टर नियमित जांच करते हैं। दूसरी, छोटे उद्यमों को शुरुआती छूट और ट्रेनिंग ज़रूरी है; पुर्तगाल ने दस से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को तीन साल की मोहलत दी थी। तीसरी, जुर्माना कंपनी के टर्नओवर से जोड़ा जाए ताकि छोटी कंपनियाँ दिवालिया न हो जाएं - ऑस्ट्रेलिया ने यही किया।

भारत के लिए आगे तीन रास्ते संभव हैं। पहला, इस विधेयक को सरकारी विधेयक बनाकर श्रम संहिता-2020 में संशोधन के रूप में लाया जाए। दूसरा, शुरुआत में इसे सरकारी क्षेत्र और 250 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों पर ही लागू किया जाए, फिर धीरे-धीरे नीचे लाया जाए। तीसरा, फ्रांस की तर्ज पर हर कंपनी को अपना 'डिस्कनेक्ट चार्टर' बनाने को बाध्य किया जाए, जिसमें कर्मचारी प्रतिनिधि भी शामिल हों।

सुप्रिया फूले का यह विधेयक अगर स्थायी समिति को भेजा जाता है तो उसके पास मौका होगा कि वह भारत के कामकाजी संस्कृति को वाकई मानवीय बनाए। यह सिर्फ फोन बंद करने की बात नहीं है, यह नींद, परिवार, स्वास्थ्य और सम्मान की बात है। डिजिटल युग में जब मशीनें 24म7 चल सकती हैं, इंसान को यह अधिकार तो मिलना ही चाहिए कि वह रात में चैन की नींद सो सके। सुप्रिया फूले की यह छोटी-सी कोशिश अगर कानून बन गई तो भारत की करोड़ों थकी आँखों के लिए यह सबसे बड़ा तोहफा होगा।

(लेखक, गवर्नमेंट कॉलेज, नारायणगढ़ में पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)

कल्पमेधा

सब्र जिंदगी के मकसद का दरवाजा खोलता है, क्योंकि सिवा सब्र के उस दरवाजे की कोई और चाबी नहीं है।

– शेख सादी

मशीन बनाम मनुष्य

कोई भी तकनीक अगर मनुष्य के लिए सहयोगी की भूमिका में है, तो वह बेशक फायदेमंद हो सकता है, लेकिन वह अगर निर्भरता का मामला बनता है तो उसके घातक नतीजे भी सामने आ सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो समूची दुनिया में इंटरनेट के तेजी से विस्तार के साथ मनुष्य को अपने जीवन के विविध पक्षों के लिए बहुस्तरीय सुविधाएं मिली हैं, लेकिन इसके नए स्वरूप ने कुछ ऐसी स्थितियां भी पैदा की हैं, जिससे पार पाना अब एक अहम चुनौती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआइ के अलग-अलग मंचों ने आज हरेक विषय पर जानकारी हासिल करने से लेकर कई स्तर पर अपनी उपयोगिता की वजह से व्यापक जगह बना ली है। इसी क्रम में एक पहलू इस तकनीक के साथ संवाद भी है, जहां किसी व्यक्ति के अमूमन हर तरह के सवाल का जवाब मिल सकता है। यह अलग बात है कि उसके सही या गलत होने की परख के लिए इंसान को अपने विवेक को सजग रखना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की इस खासियत का प्रचार-प्रसार तो बहुत हुआ, लेकिन इसकी सीमाओं के बारे में ज्यादातर लोगों के पास ठोस जानकारी और उसके उपयोग के लिए उचित प्रशिक्षण नहीं है। यह बेवजह नहीं है कि कई बार लोग और खासतौर पर बच्चे एआइ के साथ संवाद के क्रम में उलझ जाते हैं या फिर भ्रम का शिकार होकर कोई प्रतिगामी कदम भी उठा लेते हैं।

कोई आनलाइन गेम खेलते हुए बच्चों के आत्महत्या कर लेने की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन अब कुछ मामलों में एआइ से संवाद को हत्या तक के लिए जिम्मेदार बताया जाने लगा है। गौरतलब है कि अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के कनेक्टिकट में एक तिरासी वर्ष की बुजुर्ग महिला के परिजनों ने हत्या और आत्महत्या के मामले में चैटजीपीटी की भूमिका को लेकर ओपनएआइ और माइक्रोसाफ्ट के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि एआइ वाले चैटबाट ने बेटे के मन में अपनी मां के बारे में भ्रम और संदेह को इतना बढ़ाया कि उसने मां की हत्या करके आत्महत्या कर ली। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस एआइ ने हत्या करने वाले व्यक्ति के मन में सबके साथ-साथ अपनी मां के प्रति भी केवल शक और आशंका भर दी। उसे चैटजीपीटी को छोड़ कर अन्य किसी की भी बात पर विश्वास नहीं रहा।

इस तरह की अनेक घटनाएं यही दर्शाती हैं कि हर बात या काम के लिए एआइ या आधुनिक तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता कैसे इंसान की संवेदना, उसके आत्मविश्वास और यहां तक कि विवेक को निष्क्रिय कर दे सकती है, जिसके बाद व्यक्ति अपनी सोच-समझ से कोई भी प्रतिक्रिया दे सकने में अक्षम हो जाता है। आज अपने आसपास देखा जा सकता है कि लोग आधुनिक तकनीक को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने, उसमें लीन रहने के क्रम में कैसे मानवीयता और संवेदना के मूल्यों को कोई पिछड़ा या दोयम दर्जे का मूल्य मानने लगे हैं। ऐसी स्थिति में कई बार एक शख्स किसी अन्य व्यक्ति की बातों को संदेह की नजर से देखता है या फिर उसे अधूरा मानता है, लेकिन समान संदर्भ में वह एआइ की बातों को अधिक विश्वसनीय और शक से परे मानता है। जबकि एआइ की सीमा उसका मशीनी होना है, जिसकी तुलना मनुष्य की चेतना और उसके विवेक के साथ नहीं की जा सकती। एक बड़े दायरे में एआइ की भूमिका जरूर बढ़ रही है, लेकिन अभी यह जिस अवस्था में है, उसमें इस पर पूरी तरह निर्भरता के अपने खतरे हैं।

अंधविश्वास का दंश

आज के वैज्ञानिक दौर में भी समाज में अंधविश्वास की जड़ें इतने गहरे तक फैली हुई हैं कि कई बार लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। कर्म और तर्क के सिद्धांत को कोने में रखकर कुछ लोग तंत्र-मंत्र और जादू-टोना का सहारा लेते हैं, जिसके अक्सर भयावह परिणाम सामने आते हैं। कभी तांत्रिक अनुष्ठान में किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, तो कभी डायन कहकर सार्वजनिक तौर पर प्रताड़ना की हदें पार कर दी जाती हैं। ऐसी ही एक घटना छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सामने आई है, जहां एक फार्म हाउस से तीन लोगों के शव बरामद किए गए हैं। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने आंशका जताई है कि पैसे दोगुने करने के लिए आयोजित एक तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान इन लोगों की गला दबाकर हत्या की गई है। सवाल है कि इस तरह का अंधविश्वास फैलाने और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या शासन-प्रशासन का दायित्व अपराध से पहले ही उसके पैरों को कुचल देने का नहीं है?

तंत्र-मंत्र जैसे अंधविश्वास के नाम पर हत्या कर देने या प्रताड़ित करने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इस तरह की अवैज्ञानिक धारणा में कुछ लोग तो इतने हताश हो जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। वर्ष 2018 में दिल्ली के बुराड़ी में एक परिवार द्वारा सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लेने की घटना को आज भी एक उदाहरण के तौर पर देखा जाता है, जिसमें अंधविश्वास का ही मामला सामने आया था। तांत्रिक विद्या का इतना बड़ा प्रभाव क्षेत्र है कि उच्च शिक्षित वर्ग के लोग भी भ्रम के इस जाल में फंस जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि तंत्र-मंत्र के बल पर अपनी समस्याओं का समाधान तलाशने की बजाय समाज में कुशल, प्रगतिशील और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाए। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आज हर शहर, कस्बों और गांवों में तांत्रिकों ने अपने अड्डे बना रखे हैं, जो लोगों को अंधविश्वास के अंधेरे में धकेल रहे हैं। इसी तरह की गतिविधियां अपराध को भी जन्म देती हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे।

कृषि सेहत में सुधार की नई संभावना

कृषि क्षेत्र में होम्योपैथी का प्रयोग भविष्य में उत्पादन में वृद्धि, कीट प्रतिरोध और खेती की समग्र सेहत सुधारने का कारगर माध्यम बन सकता है। भारत में भी इस दिशा में कई अनुसंधान और प्रयोग हो रहे हैं। इसकी विशेषता यह है कि कृषि के महंगे तरीकों की तुलना में फसल लागत कम होगी।

ऋतुपर्ण दवे

मीठी गोलियों से इलाज के लिए अपनी विशेष पहचान रखने वाली होम्योपैथी यदि कृषि क्षेत्र में भी सफलता का परचम फहराने लगे, तो कई समस्याओं का समाधान मुमकिन हो सकेगा। यह पद्धति निकट भविष्य में रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के बजाय होम्योपैथिक उपचारों के जरिए फसलों में वृद्धि, कीट प्रतिरोध और कृषि क्षेत्र की समग्र सेहत सुधारने का कारगर माध्यम बन सकती है। भारत में भी इस दिशा में कई अनुसंधान और प्रयोग हो रहे हैं। इस पद्धति की विशेषता यह है कि इसमें पौधों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि प्राकृतिक तौर पर बीमारियों और कीटों से लड़ सकें। 'कृषि-होम्योपैथी' से अन्य कई लाभ भी भविष्य में किसानों को मिल सकेंगे। इसमें विशेष रूप से मिट्टी में रासायनिक उर्वरकों से हुए नुकसान एवं उसमें समाए रासायनिक अवशेषों को खत्म करना और मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाना भी शामिल है।

इस पद्धति की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इससे महंगे और पारंपरिक तरीकों की तुलना में कृषि लागत कम होगी। कृषि क्षेत्र में निश्चित रूप से यह बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला कदम हो सकता है। भविष्य में कृषि क्षेत्र, 'एग्रो-होम्योपैथी' अपनाए जाने से सुधार की एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। वास्तव में 'एग्रो-होम्योपैथी' पौधों की जीवन शक्ति और आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत करती है, जिससे वे न केवल अपनी पूरी क्षमता से बढ़ सकते हैं, बल्कि प्राकृतिक रूप से खुद को भी दुरुस्त कर सकते हैं। इस पद्धति से न केवल महंगे, बल्कि जरूरत के वक्त अनुपलब्ध रहने वाले रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में भी कमी आएगी। इसी पद्धति से वह विकल्प भी मिलेगा, जिससे कृषि रसायनों और कीटनाशकों का उपयोग या तो कम हो जाएगा या फिर पूरी तरह से समाप्त हो सकेगा। यह हानिकारक रसायनों और उनके अवशेषों के जोखिम को समाप्त करने की ओर भी प्रभावी कदम होगा।

होम्योपैथिक दवाएं कीटों को सीधे नहीं मार कर पौधों की जैविक प्रणालियों को कुछ इस तरह से प्रभावित करती हैं, ताकि वे अपना प्राकृतिक रक्षा तंत्र, अपनी जरूरत के हिसाब से विकसित और सक्रिय कर सकें। कृषि क्षेत्र में होम्योपैथी का उपयोग ठीक उसी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें किसी बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए धीरे-धीरे दवाओं से उसे काबू किया जाता है। वैसे भी होम्योपैथी दवाओं में प्रतिकूल असर की संभावनाएं न के बराबर होती हैं। यही सिद्धांत वनस्पतियों और मिट्टी के लिए भी उपयोग किया जाता है। यह पौधों की आनुवंशिक गतिविधियों और चयापचय यानी 'मेटाबालिज्म' में परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, जिससे रक्षा प्रणालियां सक्रिय होती हैं।

कृषि क्षेत्र में होम्योपैथिक दवाओं का सफल प्रयोग हालांकि कई दशकों से हो रहा है। मगर यह केवल कुछ जानकार अपने स्तर पर ही करते रहे हैं। मगर जब विश्व में इसको लेकर शोध और परीक्षण बढ़े, तो लोगों की इसमें जिज्ञासा बढ़ी और अब यह चर्चा का विषय भी बन गया है। मनुष्य को होम्योपैथी से यह विश्वास दिलाया जाता है कि यह उनकी बीमारी की जड़ तक पहुंच कर उसका समाधान करती है। लगभग यही तरीका कृषि

क्षेत्र में भी अपनाया जाता है। इतना कहा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर होम्योपैथी की नई शाखा यानी 'एग्रो-होम्योपैथी' निकट भविष्य में कृषि की सेहत सुधारने के लिए एक मजबूत विकल्प बन सकती है। बूंदों में समाहित होम्योपैथी दवाओं का सत पानी में मिल कर खेती-किसानी को भी स्वस्थ

> **भारत में कृषि-होम्योपैथी का पुदुचेरी में प्रयोग चर्चा में है। यहां शोधकर्ताओं ने किसानों के साथ मिल कर जैविक खेती में एक कदम और आगे जाकर होम्योपैथिक कृषि का सफल प्रयोग किया है। इससे जहां खेती के लिए पानी की खपत घटी, वहीं जल प्रदूषण कम हुआ और भूजल स्तर भी बढ़ा। वर्ष 2018 में कृषि क्षेत्र में होम्योपैथी के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए शुरू हुई इस परियोजना की सफलता का अंदाजा इसी से लगता है कि कुछ ही समय में इसे नाबार्ड का समर्थन मिला। होम्योपैथिक पद्धति ने न केवल फसलों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई, बल्कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए रसायनों पर निर्भरता कम कर दी।**

और उपयोगी बना सकता है। लागत के लिहाज से यह महंगे उर्वरकों और रसायनों की तुलना में बेहद सस्ता होगा। कम लागत की होम्योपैथिक दवाएं भविष्य में पेड़-पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव-जंतुओं को भी रसायनों की चपेट में आकर असमय विलुप्त होने से बचा सकेंगी। भारत में होम्योपैथी दवाओं के कई जगह परीक्षण हो चुके है। सर्वविदित है कि होम्योपैथी दवाएं आंतरिक प्रतिरोध विकसित करने में कारगर हैं। इस चिकित्सा पद्धति से उपचारित जीव रोगों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। इसी सिद्धांत पर कृषि होम्योपैथी मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को बनाए रखते हुए पौधों की वृद्धि करती है और इससे उपज भी बढ़ती है।

भारत में कृषि-होम्योपैथी का पुदुचेरी में किया गया प्रयोग चर्चा में है। यहां शोधकर्ताओं ने किसानों के साथ मिल कर जैविक खेती के साथ एक कदम और आगे जाकर होम्योपैथिक खेती का सफल प्रयोग किया है। एक बड़ी विशेषता यह भी सामने आई कि इससे जहां पानी की खपत घटी, वहीं न केवल जल प्रदूषण कम हुआ, बल्कि भूजल स्तर भी बढ़ा। वर्ष 2018 में कृषि क्षेत्र में होम्योपैथी के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए शुरू हुई परियोजना की सफलता का अंदाजा इसी से लगता है कि कुछ ही समय में इसे नाबार्ड का समर्थन मिल गया। प्रयोगशाला से शुरू हुए परीक्षण जब खेतों तक पहुंचे तो उसकी पहली फसल भिंडी में कमाल का असर दिखा। बाद में धान की फसल में भी इसका प्रयोग सफल रहा। इसके बाद फसलों के तीनों सीजन में भी इस प्रयोग ने कमाल दिखाया। होम्योपैथिक दवाओं ने न केवल फसलों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई, बल्कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए रसायनों पर निर्भरता कम से कम कर दी। कृषि-होम्योपैथी के मिश्रण ने जहां पत्तियों को नई जान दी, वहीं पौधों की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाई। इतना ही नहीं मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों को पोषण मिला, जिससे मृदा की जैव विविधता बढ़ी। खेतों में केंचुए और मिट्टी के सूक्ष्म जीव भी लौटने और बढ़ने लगे। इससे धीरे-धीरे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता भी लौटने लगी। यह पर्यावरण सुधार की दिशा में भी मील का पत्थर होगा। लगातार प्रयोगों से यह भी साफ हुआ कि तीन साल तक निरंतर कृषि-होम्योपैथी के उपयोग से कृषि उपज में स्थिरता के साथ इसमें आश्चर्यजनक वृद्धि भी देखी गई।

शोधकर्ताओं का कहना है कि कृषि-होम्योपैथी की लागत काफी कम होती है। अमूमन एक किसान, जो रासायनिक खादों पर औसतन 20-30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर व्यय करता है, उसकी लागत होम्योपैथिक दवाओं पर महज 700 रुपए प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। प्रयोग से पता चला कि होम्योपैथिक दवाओं की कुछ मात्रा ने सैकड़ों लीटर पानी में घुले रसायनों को खत्म करने में अपना प्रभावी असर दिखाया। इससे खेती में हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल रुकने से फसल की चमक और पौष्टिकता भी बेहतर हुई, जिससे किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत मिलने लगी।

भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रही कृषि-होम्योपैथी की ओर लगभग हर राज्य के किसान तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। भिंडी, मिर्च और दूसरी तमाम सब्जियों के अलावा आलू, गेहूं, मक्का, धान और दलहन-तिलहन में भी यह पद्धति कारगर साबित हो रही है। होम्योपैथी दवाएं वनस्पतियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। इससे वनस्पतियां और फसलें अपने रोग स्वतः ठीक कर लेते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में निरंतर शोध और प्रयोगों के बाद कृषि-होम्योपैथी की भी कई शाखाएं सामने आएंगी। इससे रसायनों और उर्वरकों के बोझ से दबी मिट्टी को कोई नया जीवन और जहरीले तत्त्वों से मुक्ति मिलना संभव हो सकेगा। भविष्य में कृषि-होम्योपैथी से मिट्टी-पानी अपने मूल स्वरूप में आकर फिर से हमारी प्रकृति में नई ऊर्जा भरेंगे।

स्व की अहमियत

सुप्रिया सत्यार्थी

यह बात अक्सर कही जाती है कि प्रेम वह अनुभूति है, जिसे पाने के बाद हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब कोई हमारे जीवन में आता है और उसके साथ होने पर हमारे मन में कृतज्ञता की भावना नहीं उठती, तो यह सोचना चाहिए कि वह प्रेम है भी या नहीं। अगर किसी व्यक्ति के साथ होने पर हमें ऐसा न लगे कि इस क्षण के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, तो संभव है कि वह प्रेम न होकर केवल आदत, मोह या कोई क्षणिक आकर्षण हो। प्रेम वह है, जो आत्मा को शांत करता है, दिल को गहराई से छूता है और जीवन के प्रति आभार से भर देता है। कई बार हम जिसे प्रेम समझ बैठते हैं, वह केवल किसी की उपस्थिति का मोह होता है। एक ऐसा मोह जो अक्सर प्रेम से भी अधिक जटिल और खतरनाक होता है, क्योंकि मोह जब जड़ें जमा लेता है, तो उससे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। मोह में व्यक्ति अपने ही भीतर उलझकर रह जाता है, जबकि प्रेम मन को मुक्त करता है।

प्रेम किसी पर निर्भरता का नाम नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का अनुभव है। प्रेम हमें मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। यह सही और गलत का भेद भूल जाने का नाम नहीं है, बल्कि सही रास्ते पर अडिग रहने की क्षमता का एक नाम है। अगर प्रेम के नाम पर हम अपने सिद्धांतों से समझौता करने लगें, सही और गलत के अंतर को अनदेखा करने लगें, केवल किसी के साथ बने रहने के लिए अपनी आत्मा की आवाज को दबा दें, तो वह प्रेम नहीं, केवल कमजोरी है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो हमें अपने मूल्यों से दूर ले जाए, बल्कि वह है जो हमें और अधिक सशक्त करे, अपने सत्य पर टिकाए रखे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। जीवन में किसी भी रिश्ते के कारण स्वयं को नहीं खोना चाहिए। अपने सिद्धांतों, अपनी सच्चाई और अपने आत्म-सम्मान पर अडिग रहने का अभ्यास करना चाहिए।

कभी भी किसी दूसरे के कारण अपनी आत्मा को दुखी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर जब हम अपने सिद्धांतों को ताक पर रख देते हैं, तो सबसे अधिक पीड़ा खुद को ही होती है। एक दिन ऐसा आता है, जब व्यक्ति खुद को कठघरे में खड़ा पाता है, यह सोचकर कि दूसरों को खुश करने की चाह में उसने अपने ही अस्तित्व के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। प्रेम का वास्तविक अर्थ है- अपने भीतर के सत्य से जुड़े रहना, दूसरों के प्रति करुणा और सच्ची भावना रखना। इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी के गलत कार्यों को भी सही ठहराएं या अपने जीवन के रास्ते से भटक जाएं। प्रेम में होने का अर्थ है कि हम ईमानदार और स्पष्ट बने रहें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह केवल पाने का नाम नहीं है; यह समझने, स्वीकार करने और कभी-कभी त्याग करने का नाम भी है, लेकिन यह त्याग ऐसा न हो, जिसमें हमारी आत्मा कुचल जाए या सच्चाई खो जाए। अगर किसी के साथ रहने की कीमत अपने मूल्यों से समझौता करने के रूप में चुकानी पड़ रही है, तो रुककर खुद से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह वास्तव में प्रेम है या केवल आदत, मोह या भावनात्मक निर्भरता?

आदतें बदल जाती हैं, मोह टूट जाता है, लेकिन इन्हें प्रेम समझकर व्यक्ति जीवन के निर्णय लेने लगे, तो परिणाम अक्सर गहरी पीड़ा और अकेलेपन में बदल जाता है। प्रेम वह ऊर्जा है जो भीतर जीवन का उजाला भरती है, जबकि मोह, आदत या निर्भरता व्यक्ति को खालीपन की ओर धकेलते हैं। इसलिए, चाहे प्रेम में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, अपने सच्चे मार्ग से विचलित न हों। अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि परिस्थितियों का बहाव बहाकर न ले जाए।

अपने सिद्धांतों से समझौता करने का फल आखिरकार पछतावे के रूप में ही मिलता है। प्रेम में डूब कर स्वयं को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही लोग सबसे अधिक दुखी होते हैं जो खुद को खो देते हैं। जब प्रेम समाप्त होता है, तो उनके पास न प्रेम बचता है और न स्वयं की पहचान। किसी भी रिश्ते में अपनी गरिमा, पहचान और अपने आत्म-सम्मान को सुरक्षित रखना उतना ही आवश्यक है, जितना प्रेम का होना। सच्चा प्रेम गिराएगा नहीं, वह उठाएगा, संपूर्ण बनाएगा, भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर करेगा। अगर कोई संबंध सत्य से दूर कर रहा है, चरित्र को कमजोर बना रहा है या आत्मा को चोट पहुंचा रहा है, तो उसे प्रेम कहना प्रेम का अपमान होगा।

अपने जीवन में प्रेम को स्थान देना चाहिए, लेकिन खुद को खोकर नहीं, अपने आप को और अधिक जानकर, अधिक समझकर, क्योंकि जब हम अपने साथ सच्चे होते हैं, तभी दूसरों के साथ भी सच्चे हो पाते हैं। प्रेम का असली स्वरूप वही है, जिसमें दोनों व्यक्ति अपनी-अपनी स्वतंत्रता, गरिमा और सत्य को सम्मान देते हुए एक-दूसरे के साथ चलते हैं। इस भाव का सार यही है कि हम अपने भीतर प्रकाश बनाए रखें। ऐसा प्रकाश, जो हमें भी दिखाए और जिसे दूसरे के साथ बांटा भी जा सके। प्रेम वह यात्रा है, जिसमें दो आत्माएं एक-दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती हैं, पर अपनी पहचान खोए बिना, अपने सत्य को छोड़े बिना। यही प्रेम की परिपक्वता है, इसका सौंदर्य है।

दुनिया मेरे आगे

> **किसी दूसरे के कारण खुद को दुखी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम अपने सिद्धांतों को छोड़ देते हैं, तो सबसे अधिक पीड़ा खुद को ही होती है। एक दिन ऐसा आता है, जब व्यक्ति खुद को कठघरे में खड़ा पाता है, यह सोचकर कि दूसरों को खुश करने की चाह में उसने अपने साथ कितना बड़ा अन्याय किया।**

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

लोकतंत्र की राह

कई देशों की सरकारों का दावा है कि उनके यहां 'सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था' कायम है। मगर क्या सच में आज ऐसा है? अगर ऐसा होता तो हमारे देश में सरकारी बैंकों ने पिछले साढ़े पांच वर्ष में कुल छह लाख पंद्रह हजार छह सौ सैंतालीस करोड़ रुपए के कर्ज को अपने बट्टे-खातों से 'राइट-आफ' कैसे कर दिया? वहीं, जब एक आम आदमी अपने लिए आवास या गाड़ी खरीदने के लिए ऋण लेता है और किन्हीं कारणों से समय पर चुका नहीं पाता, तो इनकी संपत्तियों को बैंक जब्त कर लेता है। कई बार ऋण लेने वाला व्यक्ति गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। मगर इस देश के बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ कर दिए जाते हैं, जबकि आम लोगों को कठोर वसूली (जैसे घर की कुर्की) का सामना करना पड़ता है। ऋणों के प्रकार (कारपोरेट बनाम व्यक्तिगत), नियामक ढांचे और 'माफी' की प्रकृति में अंतर से यह स्थिति उत्पन्न होती है, जो छूट नहीं, बल्कि लेखांकन प्रक्रियाएं हैं। लेकिन यह धारणा वसूली के प्रभाव में वास्तविक असमानता को उजागर करती है। धन्ना सेठों को ऋण माफी और आमजन से जबरन वसूली से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम आज भी वास्तविक लोकतंत्र का इंतजार कर रहे हैं।

– *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

मन का परिवेश

'उलझनों का घेरा' (दुनिया मेरे आगे, 10 दिसंबर) पढ़ा। आलेख में समस्या का विश्लेषण संतुलित और प्रासंगिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। आज की मानसिक अव्यवस्था केवल बाहरी दबावों का परिणाम नहीं, बल्कि भीतर की अनसुनी भावनाओं, अव्यवस्थित विचारों और निरंतर डिजिटल शोर का सम्मिलित प्रभाव है। विशेष रूप से यह बात महत्त्व रखती है कि मन की उलझनें तब गहराती हैं, जब व्यक्ति आत्मावलोकन के लिए पर्याप्त जगह नहीं बनाता। लेख में बताए गए समाधान विचारों की छंटाई, भावनाओं को दिशा देना और दैनिक मानसिक विराम व्यावहारिक और सहज रूप से अपनाए जा सकते हैं। मन को सुलझाने की प्रक्रिया किसी बड़े प्रयास की नहीं, बल्कि छोटे, निरंतर कदमों की मांग करती है। आवश्यक है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी देखें, क्योंकि अव्यवस्थित मन न केवल स्वयं को, बल्कि पूरे परिवेश को प्रभावित करता है।

– *रितिक शुक्ल, प्रयागराज*

बदलाव की परतें

आजकल अलग-अलग संस्थानों के नाम बदले जा रहे हैं। संस्थाओं के नाम बदलने का मकसद औपनिवेशिक मानसिकता में बदलाव लाना बताया जा रहा है। अगर उद्देश्य यही है तो यह सही है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि सरकार सिर्फ नाम न बदलकर, जिस भावना के साथ नाम को बदल रही है, उस पर भी काम करें, तभी वास्तविक अर्थों में नाम बदलना सार्थक कहलाएगा। अगर मानसिकता में परिवर्तन नहीं आता है, अधिकारी अपने आप को शासन करने के भ्रम से मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो नाम बदलना आम जनता को भ्रम में डालने जैसा ही होगा। 'हम भारत के लोग' से संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। जितनी श्रद्धा से 'हम' की भावना से हम लोग अभिभूत होते हैं, क्या वास्तविक अर्थों में अमीरी-गरीबी की असमानता की खाई को केवल शब्द से भरने में कामयाब हो पा रहे हैं? इसका जवाब पूरे देशवासियों को ढूंढ़ने की जरूरत है।

– *मिथिलेश कुमार, भागलपुर, बिहार*

चीतों का जीवन

मध्य प्रदेश में शुरू हुआ 'चीता प्रोजेक्ट' देश के लिए उत्साह का विषय है और सरकार इसे सफल बनाने में पसीना बहा रही है, लेकिन विभिन्न कारणों से चीतों की लगातार हो रही मौतें गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। कूनो नेशनल पार्क में खुले जंगल में छोड़ी गई मादा चीता गामिनी की पांच दिसंबर को हिंसक जानवर के हमले में मौत हुई थी। इसके अलावा कुछ अन्य घटनाएं भी हुईं। ऐसी घटनाएं बताती है कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं थे। एक शावक का लापता होना निगरानी तंत्र की गंभीर खामियों की ओर इशारा करता है। वन विभाग को चाहिए कि वह अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सक्रियता दिखाए, निगरानी प्रणाली को मजबूत करे और संवेदनशील क्षेत्रों में सख्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करे, तभी इस 'प्रोजेक्ट' की सफलता और चीतों की सुरक्षा संभव हो सकेगी।

– *अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर, मप्र*

पायनियर

नई दिल्ली, शनिवार, 13 दिसंबर 2025

राहुल फिर घेरे में
संसद में कांग्रेस की किरकिरी

राहुल गांधी एक बार फिर घेरे में आ गए हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा के साथ विवादों में रहने वाले राहुल गांधी को भाजपा ने निशाने पर लिया है। भाजपा ने यह प्रहार गांधी द्वारा संसद में दोनों विषयों पर हुई बहसों के दौरान अपनी पार्टी के सदस्यों के प्रदर्शन की सराहना किये जाने और सत्ता पक्ष के घबराने के दावे के बाद किया। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 'झूठ की दुकान' करार देते हुए कहा कि वह और उनके अन्य साथी संसद में वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सत्ता पक्ष द्वारा विपक्षी कांग्रेस का पर्दाफाश किए जाने पर नजरे चुरा रहे थे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, 'राहुल गांधी कहते हैं कि विपक्ष ने भाजपा सदस्यों की धज्जियां उड़ा दीं। इसके विपरीत, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर हुई बहसों के दौरान कांग्रेस को सबूतों के साथ बेनकाब किया, तब राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य सदस्य नजरे चुरा रहे थे।' भाजपा प्रवक्ता ने सीधे तौर पर कहा कि देश ने यह भी देखा कि जैसे ही शाह ने मोदी सरकार के देश से 'घुसपैठियों' को बाहर निकालने के 'संकल्प' को 'दोहराया', पूरा विपक्ष लोकसभा से 'भाग गया'। इतना ही नहीं चुनाव सुधारों पर सदन में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के आरोपों का ''तर्कों और सबूतों'' के साथ खंडन किया।

इसके चलते विपक्ष की बोलती बंद हो गई। भाजपा ने दावा किया, 'कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसके बचने की कोई संभावना नजर नहीं आती। सभी कांग्रेस नेता पार्टी के भविष्य के बारे में बात करते रहते हैं। मामले ने तब तूल पकड़ा जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि विपक्ष संसद में सत्तापक्ष पर हावी रहा। संसद में राहुल गांधी के बयान पर जो ती खी प्रतिक्रि या हुई उससे विपक्ष सकते में आ गया। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि देश ने यह भी देखा कि जैसे ही शाह ने मोदी सरकार के देश से 'घुसपैठियों' को बाहर निकालने के 'संकल्प' को 'दोहराया', पूरा विपक्ष लोकसभा से 'भाग गया'।उन्होंने कहा, 'पूरे देश ने देखा कि 'घुसपैठियों' के मुद्दे पर राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों को किस तरह कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा।'इस दौरान अमित शाह ने संसद में दोनों विषयों पर बहस के दौरान 'सबूतों के साथ' बताया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रगीत के मूल संस्करण में वंदे मातरम की पंक्तियों को लेकर कैसे 'समझौता' किया था।चुनाव सुधारों पर सदन में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के आरोपों का 'तर्कों और सबूतों' के साथ खंडन किया।

डिजिटल अरेस्ट ठगीः लाखों लोगों के जीवन में अंधेरा

मनोज कुमार अग्रवाल

लाखों लोगों व परिवारों के जीवन भर की कमाई को डिजिटल अरेस्ट के जरिए लूट कर उनके जीवन में अंधेरा कर दिया गया। यह कैसी विडंबना है कि जब तक देश में कथित डिजिटल अरेस्ट के नाम पर अनुमानित तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक ठगी की जा चुकी है, कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं, की साल से यह सिलसिला जारी है तब सरकार और जिम्मेदार सिस्टम की नींद खुली है और अपराधियों पर शिकंजा कसने की बड़ी मुहिम शुरू हो पा रही है। वह भी सरकार के बजाय शीर्ष अदालत की पहल पर।

इन दिनों देश में डिजिटल अरेस्ट के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं. सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद डिजिटल अरेस्ट के कारण बुजुर्गों बड़ी संख्या में ठगी का शिकार हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल अरेस्ट मामलों पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि इस मामले में अदालत जरूरी निर्देश जारी करेगी. न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जयमाला बागची की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि हर हैरानी की बात है कि देश में पीड़ितों से लगभग 3000 करोड़ रुपये डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगे जा चुके हैं. यह सब हमारे देश में ही हो रहा है. अगर हम इस मामले में ठोस और सख्त आदेश नहीं देंगे तो समस्या और गंभीर हो जाएगी>आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर गंभीर चिंता जताते हुए सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह अन्य साइबर अपराधों की जांच बाद में करें, डिजिटल अरेस्ट की जांच को अपनी प्राथमिकता बनाए। कोर्ट ने केंद्रीय बैंक से पूछा है कि क्या एआई की मदद से साइबर ठगों के खाते फ्रीज हो सकते हैं? कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि यदि किसी गंभीर डिजिटल अपराध का दायरा भारत से बाहर को सीमा में हो तो वह इंटरपोल की मदद ले सकती है। दुखद है कि साइबर अरेस्ट के मामलों में सबसे अधिक निशाना बुजुर्गों को ही बनाया जाता है, जिन्हें डिजिटल लेन-देन को गंभीर जानकारी नहीं होती। बुजुर्गों को निशाना बनाने का यह प्रतिशत 78 से 82 फीसदी बताया जाता है। कई जगह यह प्रतिशत 99 फीसदी तक है। वहीं जनवरी से अप्रैल 2024 में साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के 46 फीसदी मामलों के तार म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जुड़े रहे हैं। निस्संदेह, हाल के वर्षों में डिजिटल गिरफ्तारी साइबर अपराध के सबसे कुटिल रूप में बनकर उभरी है। यह अपराध न केवल देश की वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता के लिये, बल्कि कानून प्रवर्तन तंत्र में जनता के विश्वास के लिये भी बड़ा खतरा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन घोटालों की देशव्यापी जांच सीबीआई को सौंपने का सर्वोच्य न्यायालय का निर्णय समय के अनुरूप सार्थक हस्तक्षेप है। इसी क्रम में कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में अपराधों की जांच के लिये सीबीआई को सहमति दें। दरअसल, न्यायालय ने इस हकीकत को स्वीकार किया है कि साइबर अपराधी राज्यों की सीमाओं का लाभ

उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर टुकड़ों-टुकड़ों में जांच सीमा पार के साइबर अपराधियों के नेटवर्क को बढ़ावा देती है दरअसल, साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट के जरिये भोले-भाले लोगों व बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। वे कानून प्रवर्तन अधिकारी पुलिस और जज बनकर मोटी रकम देने के लिये उन्हें ब्लेकमेल और आतंकित करते हैं।हालांकि अदालत ने कहा कि इस मामले से निपटने के लिए कठोर कदम उठाना जरूरी हो गया है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गृह मंत्रालय ने एक अलग यूनिट की स्थापना की है और इस मामले से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाया जा रहा है. साथ ही डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए कई अन्य कदम उठाए गए हैं. डिजिटल अरेस्ट को लेकर हुई सुनवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी. केंद्र सरकार की ओर से पेश दलील के सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मामला काफी गंभीर है और इस मामले में अदालत उचित आदेश पारित करेगी. मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी. गौरतलब है कि एक वरिष्ठ नागरिक दंपति ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के पत्र लिखकर बताया था कि 1 से 16 सितंबर के बीच उनसे 1.5 करोड़ रुपए की ठगी सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो तो कभी न्यायपालिका के अधिकारी बनकर की गयी. धोखेबाजों ने फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क किया और गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसे वसूलने का काम किया. इतना ही नहीं उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेश दिखाए. मामला सामने आने के बाद अंबाला में दो एफआईआर दर्ज की गयी. जांच में पाया गया कि वरिष्ठ नागरिकों को ठगी का शिकार बनाने के लिए संगठित गिरोह काम कर रहा है. अदालत ने 17 अक्टूबर को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की और केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब देने को कहा. अदालत ने इस मामले में अटार्नी जनरल से भी सुझाव लेने का आदेश दिया।उल्लेखनीय है कि हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपति से एक करोड़ रुपये कीठगी के बाद अदालत ने इस व्यापक समस्या का स्वतः संज्ञान लिया। उन्हें धमकाने के लिये सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेशों का इस्तेमाल किया गया। यह बेहद परेशान करने वाली स्थिति है कि साइबर अपराधी सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास को खतरे में डाल रहे हैं।तभी शीर्ष अदालत ने महसूस किया कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है, देश की केंद्रीय एजेंसी को इस मामले की तह तक तुरंत पहुंचना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामलों में एफआईआर दर्ज करने और धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज करने की पूरी छूट दी गई है। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत की जांच का अधिकार भी दिया गया। इसके अलावा दूरसंचार विभाग को भी सिम कार्ड के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिये कहा गया है। निश्चित रूप से कोर्ट की सार्थक पहल के बाद यदि ये सभी उपाय सिरे चढ़ते हैं तो इस गंभीर अपराध के खिलाफ एक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया दे पाना संभव होगा। कोर्ट ने विश्वास जताया है कि केंद्रीय एजेंसी बिना किसी भय या पक्षपात के जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। इसमें राज्य सरकारों की सक्रियता व सजगता भी सीबीआई को अपराध की तह तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकती है। यह भी जरूरी है कि एजेंसी की कार्रवाई में लालफीताशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। इसके साथ ही नागरिकों को भी ऐसे अपराधों के प्रति सजग रहना होगा। जागरूकता सतर्कता उन्हें अपराधियों के चंगुल में फंसने से बचा सकती है। ऐसी किसी कॉल के आने पर उन्हें रुककर विचार करना चाहिए और हड़बड़ी में बैंक से जुड़ी कोई जानकारी देने से बचना चाहिए।

ठग खुद को केंद्रीय एजेंसियों या पुलिस विभाग का अधिकारी बताकर पीड़ितों को फर्जी आरोपों में फंसाने की धमकी देते थे। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर उनसे बैंक खातों से बड़ी रकम ट्रांसफर कराई जाती थी। साइबर सेल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 35 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये आरोपी गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से पकड़े गए हैं। राजनांदगांव की 79 वर्षीय शीला सुवाल को आरोपितों ने सीबीआई अधिकारी और जज बनकर वीडियो कॉल के माध्यम से डराया। मनी लॉडिंग केस में फांसाने की धमकी दी। निर्दोष साबित करने रकम जज के खाते में ट्रांसफर करने को कहा। महिला ने उगों के बताए गए विभिन्न खातों में 79,69,047 रुपये ट्रांसफर कर दिए। एक अन्य मामले में ठगों ने फारेक्स व ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताकर व्यापारी को फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग साइट का लिंक भेजा। पहले 15 हजार का छोटा मुनाफा देकर व्यापारी का विश्वास हासिल किया, फिर बड़े मुनाफे का लालच देकर 1,21,53,590 रुपये निवेश के नाम पर जमा कराए। दोनों मामलों में तीन आरापितों को पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि अधिकांश मामलों में उप विदेशी कॉल सेंटरों की तरह काम करते हुए इंटरनेट कालिंग और फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करते थे। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संदिग्ध काल या डिजिटल अरेस्ट जैसी धमकियों पर विश्वास न करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन को देशभर से सामने आए डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पैन इंडिया जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सभी राज्यों को डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच में सीबीआई की मदद करने के भी निर्देश दिए। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा- डिजिटल अरेस्ट तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम है। इसमें ठग खुद को पुलिस, कोर्ट या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो ऑडियो कॉल के जरिए पीड़ितों, खासकर सीनियर सिटिजन को धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर पूछा कि साइबर ठगी में उपयोग हो रहे बैंक खातों को तुरंत ट्रैक और फ्रीज करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा। इससे पहले 3 नवंबर की सुनवाई में एससी ने कहा था कि डिजिटल अरेस्ट मामलों में लगभग 3 का पता चला है।

अभी तक डिजिटल अरेस्ट कर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है आज भी लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रहीं हैं जिनमे लोगों को मोबाइल काल पर तरह तरह से धमका कर पैसा ठगी किया जा रहा है लोग जीवन भर की खून पसीने की कमाई चंद मिनटों में गंवा कर सुसाइड करने के लिए विवश हो रहे हैं। सरकार को ऐसे अपरोक्ष हत्यारों ठगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

कोर्टेवा ने जलवायु दबावों के बीच भारत में बायोलॉजिकल्स पर जोर बढ़ाया

कनिंघम ने कहा- 'बायोकंट्रोल्स वह समाधान हैं जिसकी किसानों को सबसे अधिक आवश्यकता है। अभी तक किसी ने इसे बड़े पैमाने पर हल नहीं किया है।' उन्होंने बताया कि कंपनी ऐसे माइक्रोबियल समाधानों पर निवेश बढ़ा रही है जो या तो कीटों पर सीधे हमला करते हैं या पौधों की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाते हैं।

कोर्टेवा भारत को बायोलॉजिकल्स के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार मानती है, खासकर प्राकृतिक खेती और जीन-एडिटिंग प्रौद्योगिकियों के लिए सरकारी समर्थन को देखते हुए, कोर्टेवा की एशिया-पसिफ़िक अध्यक्ष

कॉर्टेवा एग्रीसाइंसभारत में अपने बायोलॉजिकल्स पोर्टफोलियो का विस्तार तेज कर रही है। जलवायु परिवर्तन और कीट-प्रतिरोध की बढ़ती चुनौतियों के बीचबायोकंट्रोल्सऔरबायोस्टिमुलेंट्सजैसे प्राकृतिक फसल सुरक्षा समाधानों की मांग बढ़ रही है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।कंपनी मानती है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और जीन-संपादन तकनीकों के लिए सरकारी समर्थन के कारण भारत बायोलॉजिकल्स के लिए एक प्रमुख बाज़ार है। एशिया-पसिफ़िक अध्यक्षब्रूक कनिंघमने भारत दौरे के दौरान पीटीआई को यह जानकारी दी।

कनिंघम ने कहा, ''बायोकंट्रोल्स वह समाधान हैं जिसकी किसानों को सबसे अधिक आवश्यकता है। अभी तक किसी ने इसे बड़े पैमाने पर हल नहीं किया है।''उन्होंने बताया कि कंपनी ऐसे माइक्रोबियल समाधानों पर निवेश बढ़ा रही है जो या तो कीटों पर सीधे हमला करते हैं या पौधों की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाते हैं।

जलवायु परिवर्तन से बायोलॉजिकल्स की मांग में तेजीः जलवायु परिवर्तन के चलते कीटों की तेजी से आवाजाही और सूखा, बाढ़ तथा गर्मी जैसे तनाव बढ़ रहे हैं। ऐसे मेंबायोस्टिमुलेंट्स, जो मिट्टी से लेकर पौधों को मजबूत बनाते हैं, भारतीय किसानों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बन रहे हैं।कनिंघम ने कहा, ''यह रसायनों का विकल्प नहीं, बल्कि एकीकृत कीट प्रबंधन का हिस्सा है।''उन्होंने बताया कि रासायनिक समाधान आज भी फलों में 80% और सब्जियों में 50% तक नुकसान को रोकते हैं।कंपनी बायोलॉजिकल्स को पारंपरिक फसल सुरक्षा का पूरक मानती है, ताकि कीट-प्रतिरोध और पर्यावरणीय स्थिरता-दोनों चुनौतियों का समाधान हो सके।

भारत के लिए बायोलॉजिकल्स क्यों महत्वपूर्णःभारत के किसानदुनिया की 1.4 अरब आबादीकोसिर्फ 2.4% वैश्विक कृषि भूमिपर भोजन उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा और निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बायोलॉजिकल्स को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।ब्राज़ील फिलहाल तीव्र कीट दबाव के कारण बायोलॉजिकल्स के अपनाने में सबसे आगे है, लेकिन भारत अपनी नीतिगत दिशा के चलते विशेष अवसर प्रदान करता है। प्राकृतिक खेती और जीन-संपादन तकनीकों को समर्थन देकर भारत देश को उन्नत बीज, फसल सुरक्षा और बायोलॉजिकल्स तकनीकों के लिए तैयार कर रहा है।कनिंघम ने कहा, ''भारत दुनिया को भोजन और ऊर्जा देने के लिए एक निर्णायक मोड़ पर है।''उन्होंने बताया कि देश के15 करोड़ छोटे किसान, जिनके पास अक्सर 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, बायोलॉजिकल्स से औसतन15-20% अधिक उत्पादनप्राप्त कर सकते हैं-विशेषकर वे किसान जिनके पास केवल0.3 हेक्टेयरभूमि है।

भारत में1,500-2,000 करोड़ रुपयेका कारोबार करने वाली कंपनी अपने2026 के 4.1 अरब डॉलर ऑपरेटिंग एइक्ळऊअ लक्ष्यको हासिल करने में भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है। एशिया-प्रशांत में भारत कॉर्टेवा का सबसे बड़ा बीज बाज़ार है, और यह क्षेत्र कंपनी की वैश्विक आय में लगभग 10% योगदान देता है।

साझेदारियांः कनिंघम ने बताया कि कॉर्टेवा अपने राजस्व का8%शोध एवं विकास में लगाती है-जो वार्षिक रूप से लगभग1.4 अरब डॉलर, यानीप्रतिदिन 4 मिलियन डॉलरहोता है। कंपनी नई बायोलॉजिकल्स तकनीकें विकसित करने में लागत और समय कम करने के लिएअकका उपयोगकर रही है।

1972 से भारत में मौजूद कोर्टेवाकंपनी तेलंगाना में दो प्रमुख शोध हब संचालित करती है, जो भारतीय किसानों के लिए विश्व-स्तरीय तकनीक विकसित कर रहे हैं। कंपनी बायोलॉजिकल्स के अपनाने को तेज करने के लिए स्थानीय नवोन्मेषकों के साथवितरण समझौतों, संयुक्त फ&ऊ इक्विटी निवेश और संयुक्त उद्यमोंके माध्यम से साझेदारी कर रही है। कनिंघम ने कहा, ''1 अरब डॉलर से अधिक फ&ऊ होने के बावजूद हम अकेले नवाचार नहीं कर सकते। इसलिए विशेषज्ञता, नियामक ज्ञान और विनिर्माण क्षमता के लिए हम स्थानीय इनोवेटर्स के साथ साझेदारी कर रहे हैं।''

नियामकीय अड़चनें अब भी चुनौतीः भारत मेंउर्वरक नियंत्रण आदेश (ऋछड) के तहत अनुमोदन की प्रक्रिया अभी भी धीमी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे बाज़ारों में यह तेज़ है। कनिंघम ने कहा, ''वैश्विक स्तर पर समरूप विनियमों की कमी बड़ी चुनौती है। हमें विज्ञान-आधारित, डेटा-चालित और पूर्वानुमेय ढांचे की ज़रूरत है। गैर-विज्ञान आधारित या अप्रत्याशित निर्णय फ&ऊनिवेश को औचित्यपूर्ण बनाना मुश्किल करते हैं।''कंपनी निवेश आकर्षित करने और किसानों तथा स्थानीय नवाचार की सुरक्षा-दोनों के बीच संतुलन बनाने वाले विनियमों की वकालत करती है। वह एशिया-पसिफ़िक के 17 बाज़ारों में सरकारों व नियामकों के साथ मिलकर समान ढांचे विकसित करने पर काम कर रही है।

भारत में विकास रणनीति का केंद्रः बायोलॉजिकल्सःकंपनी की बायोलॉजिकल्स रणनीति उसके व्यापकएकीकृत कीट प्रबंधन (क्ढट) दृष्टिकोण का हिस्सा है। कॉर्टेवा ने मक्का और सरसों में जलवायु-सहिष्णु हाइब्रिड पेश किए हैं और धान व मोटे अनाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फसल सुरक्षा में कंपनी पारंपरिक रसायन और बायोलॉजिकल्स-दोनों समाधान देती है, ताकि किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकें।

कंपनी का अनुमान है कि उसके नवाचार किसानों की 20-30% तक आय बढ़ासकते हैं, वह भी बिना लागत बढ़ाए। कनिंघम ने कहा, ''उपज जैसे लाभों का 'पाई' सभी पक्षों में इस तरह बांटना होता है कि सबको फायदा हो। इसके बिना न किसानों के लिए गणित बैठता है, न हमारे लिए।'' कनिंघम, जो 2022 के अंत में कॉर्टेवा से जुड़ीं और जून में एशिया-प्रशांत क्षेत्र की ज़िम्मेदारी संभाली, ने कहा कि उन्होंने अपने पहले छह महीनों में भारत के विभिन्न हिस्सों का विस्तृत दौरा किया है। उन्होंने कहा, ''यह टेक्नोलॉजी के लिए निर्णायक समय है। अगले 25 वर्षों में दुनिया में 2 अरब और लोग जुड़ेंगे, साथ ही जलवायु परिवर्तन और कीट-प्रतिरोध-इन सबके बीच तकनीक ही एकमात्र समाधान है।''कृषि क्षेत्र में आने से पहले कनिंघम 15 वर्ष निवेश बैंकिंग में कार्य कर चुकी हैं। कॉर्टेवा भारत और एशिया-पसिफ़िक में बायोलॉजिकल्स को अपनी विकास रणनीति का केंद्रीय स्तंभ बना रही है।

आप की बात

डबल इंजन सरकार की मदद से चमक रहा है उत्तर प्रदेश, विकास की रफ्तार हुई तेज

उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। इस दौरान मोदी सरकार के कार्यकाल में और योगी सरकार की बेहतर नीतियों ने 11 सालों में इस राज्य को चमका दिया है। कानून व्यवस्था से लेकर आर्थिक प्रगति की जो झलक अब प्रदेश में देखने को मिल रही है वह काहिबलेतारीफ है।प्रदेश उर्वर भूमि, पर्याप्त जल संसाधन और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण राज्य कृषि और अवसंरचना के क्षेत्र में अग्रणी बना है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 11 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय खाद्यान्न आपूर्ति में प्रदेश का योगदान 21 प्रतिशत है। उधर राज्य में पिछले आठ वर्षों में एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों को मिल रहा है जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। सिंचाई के क्षेत्र में हर खेत को पानी उपलब्ध कराने, माइक्रो इरीगेशन, नहरों के नेटवर्क, सौर पंप और जल संरक्षण के अभियानों को गति दी गई है। ड्रोन डोजिंग, खरपतवार नियंत्रण, स्वॉइल टेस्टिंग और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों को वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़ा गया है। किसानों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल मंडी और ई नाम जैसे प्रयासों ने बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक्स पार्कों के माध्यम से राज्य विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। इसके लिए डबल इंजन सरकार के प्रयासों की सराहनान बेझिझक की जा सकती है।

प्रांजल, लखनऊ

खात्मे की ओर है नक्सलवाद ध्वस्त होता जा रहा नेटवर्क

केंद्र व राज्य सरकार के प्रयासों और संकल्प ने अब नक्सलवाद को खात्मे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले छह महीनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में नक्सलियों के गुट ने ताबड़तोड़ जिस अंदाज में खुद घुटने टेके उससे साबित हो गया कि केंद्र सरकार अब इस तरहल उग्रवाद को जड़ से खत्म करने पर आमादा है। नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले छत्तसगढ़ और झारखंड इलाके में लगातार चल रहे अभियानों ने लाल सलाम के इस नेटवर्क की धज्जियां उड़ाकर रखी दीं। इसीक्र म में पिछले एक सप्ताह से चल रहे सरेंडर सीन के बीच सुकमा जिले में शुक्रवार को कुल 33 लाख रुपये के इनामी 10 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह से क्षेत्र में सुरक्षाबलों के लिए नक्सवादियों के स्लीपर सेल की तलाश है। उसका मानना है कि जब तक स्लीपर सेल नेटनर्क को पूरी तरह मटियामेट नहीं कर दिया जाता नक्सलवाद के समूल नाश का दावा बेमानी होगा। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले कई महीनों के दौरान अपने हर बयान में नक्सलवाद को पूरी तरह मिटाने की बात कही और दोहराई भी।

सुरेंद्र सिन्हा, रायपुर

वित्त मंत्रालय का प्रयास सराहनीय लेकिन जागरूकता भी बेहद जरूरी

वित्त मंत्रालय ने शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समय पर निपटान के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की रैंकिंग शुरू की है। इस पहल का मकसद शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार लाना है। जून में शुरू की गई इस पहल से इन वित्तीय संस्थानों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा शिकायत निपटान में लगने वाले समय पर ध्यान देकर ग्राहक और संबंधित संगठनों के बीच पारदर्शी संचार और संगठनों में ग्राहक सेवा प्रशिक्षण में वृद्धि के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया गया है। साथ ही,वित्तीय सेवा विभाग ने दिसंबर 2025 से 'वित्तीय संस्थान संवाद कार्यक्रम' शुरू किया है, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (सीपीजीआरएएम) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर चुनी गई संस्थाओं के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस सराहनीय प्रयास का लाभ आम आदमी को मिलेगा लेकिन इसको लेकर जागरूकता भी जरूरी है।

सुकृति, नई दिल्ली

पाठकगण अपने विचार responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भेज सकते हैं।

भारत की सांस्कृतिक ज्योतिः दिवाली का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में प्रवेश

सुनील कुमार महला
स्वतंत्र पत्रकार

हाल ही में भारत के सबसे बड़े त्योहार 'दीपावली'(प्रकाश महोत्सव) को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, बधाई और शुभकामनाएं। कहना ग़लत नहीं होगा कि भारत की यह उपलब्धि भारत की सांस्कृतिक शक्ति व परंपरा की महत्ता को विश्वपटल पर और अधिक मजबूती प्रदान करती है।वास्तव में यह हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही ख़ुशी, गौरव का विषय है और अपने-आप में ऐतिहासिक भी। यह हमें गौरवान्वित महसूस कराता है कि हमारी दिवाली अब विश्व धरोहर बन गई है। पाठकों को बताता चलूं कि लाल किला परिसर में चल रही यूनेस्को की बैठक(20वें सत्र) में 10 दिसंबर 2025 बुधवार को दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है।यह पहली बार है कि भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतरसरकारी समिति के सत्र की मेजबानी कर रहा है। गौरतलब है कि सूची में यह देश की 16वीं विरासत है। दूसरे शब्दों में कहें तो पहले से ही लिस्ट में भारत की 15 धरोहरें शामिल हैं।इस खुशी के अवसर पर देशभर में विश्व धरोहरों पर रौशनी की गई। यहां पाठकों को यह भी जानकारी देता चलूं कि अभी तक सूची में क्रमशः हमारे देश के कुम्भ मेला, दुर्गा पूजा, नवरोज, योग, गरबा नृत्य, कालबेलिया नृत्य, छाऊ नृत्य, मुडियेडू नृत्य, वैदिक मंत्रपाठ, संकीर्तन, बौद्ध पाठ, कुटियट्टम, रामलीला आदि को शामिल किया गया है। हाल फिलहाल यूनेस्को ने दिवाली को सांस्कृतिक विरासत चुना है। दरअसल, इसके पीछे कारण यह है कि दिवाली खुशी का मौका है, जो अंधेरे पर रौशनी और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह विभिन्न परिवारों-समुदायों के लिए एक साथ आकर तोहफे, मिठाइयां बांटने, दीप जलाने और जश्न मनाने का समय है। दिवाली भारत का एक ऐसा त्योहार है, जिसे हर उम्र, जेंडर, पृष्ठभूमि के लोग मनाते हैं। यह सबको साथ लेकर चलने को बढ़ावा देने वाला त्योहार है। दीपावली हमारी परंपराओं, कला या सांस्कृतिक प्रक्रिया या यूं कहें कि हमारी साझा विरासत और सामूहिक पहचान को व्यक्त करती है। यह समाज में हमारे रिश्तों को मजबूत करती हैं, लोगों को आपस में जोड़ती हैं और आपसी समझ बढ़ाती हैं। साथ ही साथ यह स्थानीय कलाकारों, कारीगरों, परंपराओं और व्यवसायों को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था और रचनात्मकता को भी समर्थन प्रदान करती है। बहरहाल, भारत ने यूनेस्को की 2027 की बैठक के लिए छठ पर्व, वाल्मीकि रामायण और ओरछा के राम राजा मंदिर का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने का स्वागत करते हुए यह बात कही है कि इससे त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता में और वृद्धि होगी। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत और दुनिया भर के लोग रोमांचित हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) के संरक्षण के लिए अंतर-सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान दीपावली के इस सूची में शामिल होने की घोषणा के तुरंत बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश की ओर से एक बयान दिया। भारत ने 2024-25 के लिए 2023 में यूनेस्को को दीपावली नामांकन का दस्तावेज भेजा था। शेखावत ने अपने संबोधन में कहा, 'हर भारतीय के लिए दीपावली बेहद भावनात्मक त्योहार है, इसे पीढ़ियों से मनाया जा रहा है, इसे महसूस किया जाता है और आत्मसात किया जाता है।' केंद्रीय मंत्री ने यह बात कही कि- 'दीपावली को इस सूची में शामिल करके यूनेस्को ने नवीकरण, शांति और अच्छाई की जीत के लिए शाश्वत मानवीय अभिलाषा का सम्मान किया है।' शेखावत ने कहा कि 'कुम्हारों से लेकर कारीगरों तक लाखों हाथ इस विरासत को जीवित रखते हैं।' उन्होंने कहा कि- 'यूनेस्को का यह टैग भी एक जिम्मेदारी है और हमें सुनिश्चित करना होगा कि दीपावली हमेशा एक विरासत बनी रहे।' इतना ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि इसरो त्यौहार की वैश्विक लोकप्रियता में और वृद्धि होगी। मोदी ने यूनेस्को द्वारा दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किये जाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि, 'भारत और दुनिया भर के लोग रोमांचित हैं।' उन्होंने कहा, 'दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है।' बहरहाल, यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में हमारे देश की किसी परंपरा, कला, स्थान या रीति-रिवाज़ का शामिल होना इस बात का प्रतीक है कि वह विरासत विश्व-स्तर पर अद्वितीय, महत्वपूर्ण और संरक्षित किए जाने योग्य मानी गई है। सीधा सा मतलब यह है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर विश्व-भर में अनमोल और विशिष्ट मानी गई है। वास्तव में, यह अंतरराष्ट्रीय मान्यता न केवल हमारे देश और समाज के गौरव को बढ़ाती है, बल्कि हमें इस विरासत को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सौंपती है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इसे उसी रूप में अनुभव कर सकें। इसके साथ ही, यह स्थानीय समुदायों को पहचान, सम्मान और रोज़गार के अवसर देकर उन्हें सशक्त बनाती है। पर्यटन बढ़ने से आर्थिक लाभ भी होता है, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब किसी देश की कोई चीज़-जैसे कोई स्मारक, परंपरा, कला, त्योहार या प्राकृतिक स्थल आदि वैश्विक धरोहर घोषित होती है, तो उससे उस देश को कई बड़े फायदे मिलते हैं। सबसे पहले, उस धरोहर को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलती है और दुनिया उसे विशेष महत्व के रूप में स्वीकार करती है। इससे उसके संरक्षण और देखभाल के लिए विशेषज्ञों तथा संस्थाओं का सहयोग मिलता है, जिससे धरोहर लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। विश्व धरोहर बनने से पर्यटन बढ़ता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ, रोजगार के नए अवसर और लोगों की आय में वृद्धि होती है। इसके साथ ही, स्थानीय समुदाय, कलाकार और शिल्पकारों को मान-सम्मान के साथ अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। कुल मिलाकर, वैश्विक धरोहर घोषित होने से किसी देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसकी सांस्कृतिक विरासत मजबूत होती है और वह धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रह पाती है। बहरहाल, यह सूची हमें यह याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति केवल हमारी नहीं, बल्कि पूरी मानवता की साझा विरासत है, जिसे मिलकर संजोना आवश्यक है। हाल फिलहाल, यह बहुत अच्छी बात है कि सांस्कृतिक विरासत के मामले में भारत को एक और कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि सांस्कृतिक विरासत के मामले में भारत अभी भी दुनिया में काफी पीछे है। दुनिया भर में आज इटली, चीन, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ऐसे देश हैं,जो हमारे देश से सांस्कृतिक विरासत की तुलना में आज बहुत आगे हैं। यहां यदि हम इटली की बात करें तो वर्तमान में दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनेस्को विश्व-धरोहर स्थलों वाला देश है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार इटली के पास लगभग 61 ऐसे स्थान/स्थल हैं, जो इसके ऐतिहासिक, वास्तुशिल्पीय, सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। यहाँ प्राचीन रोमन सभ्यता, पुनर्जागरण काल, मध्ययुगीन शहर, प्राकृतिक सुंदरता सब मिलते हैं। रोम का कोलोसीयम, वेनिस, फ्लोरेंस, ऐतिहासिक इतालवी शहर, डोलोमाइट पर्वतीय क्षेत्र आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। संख्या के हिसाब से इटली के बाद चीन का स्थान(कुल हेरिटेज 60) आता है।

सच तो यह है कि चीन के पास भी हेरिटेज साइट्स की एक लंबी सूची है, जो इसके प्राचीन सभ्यता, परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहरों, वास्तुकला आदि को दर्शाती है। सच तो यह है कि चीन की सांस्कृतिक विरासत में प्राचीन सभ्यताएँ, साम्राज्यों की स्थापत्य, अनगिनत ऐतिहासिक स्थल, प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों का अद्वितीय मिश्रण है-जैसे महान दीवार, प्राचीन शहर, प्राकृतिक घाटियाँ, ऐतिहासिक मंदिर-महल आदि। ठीक इसी प्रकार से जर्मनी के पास कुल 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, फ्रांस के पास 54, स्पेन के पास 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हालांकि,भारत की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत बहुत ही विविध और समृद्ध है और उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पास लगभग 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इनमें से अधिकांश सांस्कृतिक हैं, साथ ही प्राकृतिक और 'मिश्र' श्रेणी के भी कुछ स्थलों को शामिल किया गया है। यहाँ विभिन्न ऐतिहासिक काल, धर्म, स्थापत्य-शैलियाँ, प्राकृतिक भौगोलिक विविधताएं सब मौजूद हैं। ताजमहल, क़ुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, खजुराहो के मंदिर, भित्ति-चित्रों वाले अजंता-एलोरा गुफाएँ, प्राकृतिक सुंदरता जैसे पश्चिमी घाट, जंगल आदि कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लोक-आदतें, त्योहार, परंपराएं, धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता- इसे विश्व के सबसे समृद्ध सांस्कृतिक स्वरूपों में से एक बनाती है। यहां गौरतलब है कि मेक्सिको इस सूची में सातवें स्थान पर आता है, तथा इसके पास लगभग 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स,यूनाइटेड किंगडम (यूके) के पास लगभग 35,रूस के पास 33(नौवां स्थान), तथा ईरान के पास 28-29 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हाल फिलहाल, पाठकों को स्पष्ट करता चलूं कि 2010 से पहले की प्रारंभिक सूची के अनुसार भारत के लगभग 16 पारंपरिक सांस्कृतिक तत्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शुरुआती वर्षों में सूचीबद्ध हुए थे तथा समय के साथ यह संख्या लगातार बढ़ती गई औ अब इस सूची(2024-25 तक की विस्तारित सूची) में 40+ (लगभग 44) सांस्कृतिक तत्व (34 सांस्कृतिक + 7 प्राकृतिक + मिश्रित) शामिल हैं, जिनमें क्रमशः जैसा कि इस आलेख में ऊपर भी बता चुका हूं कि योग, ऋग्वेद, कुंभ मेला, छऊ नृत्य, रामलीला परंपरा, कालबेलिया नृत्य, कुदियाट्टम, नवरोज़, गुरु-परंपरा, कश्मीर की कढ़ाई और कई अन्य परंपराएँ शामिल हैं। भारत दुनिया के प्राचीनतम देशों में शामिल है, यहां कदम-कदम पर सांस्कृतिक विविधता और वैभवशाली इमारतें हैं, लेकिन अभी तक यहां के 44 स्थानों या सांस्कृतिक आयोजनों को ही विरासत की सूची में शामिल किया गया है। गौर करने की बात है कि भारत की तुलना में काफी छोटा देश इटली इस मोर्चे पर सबसे आगे है, और वहां की सबसे ज्यादा 61 सांस्कृतिक धरोहर यूनेस्को के तहत दर्ज हैं। चीन इस तालिका में दूसरे स्थान पर है। अतः यहां पर यह बात सोचने लायक है कि भारत की इतनी सारी अनूठी धरोहरों को अभी तक वैश्विक स्तर पर वह पहचान क्यों नहीं मिल पाई, जिसकी वे हकदार हैं। दुख की बात यह भी है कि इस सूची में शामिल कराने के लिए भारत की ओर से जितनी सक्रियता होनी चाहिए, उतनी नहीं रही। अंत में यही कहूंगा कि किसी भी स्थान या परंपरा को वैश्विक धरोहर घोषित करवाने से देश का दुनिया भर में आकर्षण बढ़ता है। यूनेस्को की मान्यता मिलने पर पर्यटक ऐसे स्थानों पर ज़्यादा आना पसंद करते हैं। शायद यही कारण है कि जिन देशों के पास ज़्यादा वैश्विक धरोहरें हैं-जैसे इटली, तो वहां विदेशी पर्यटक भी बहुत अधिक संख्या में पहुँचते हैं और इससे देश को भारी आर्थिक लाभ मिलता है। यह बात ठीक है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, प्रकृति, आध्यात्मिक स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों का आकर्षण विश्व भर के यात्रियों को लगातार अपनी ओर खींच रहा है और वर्ष 2024 में भारत में कुल लगभग 99.5 लाख विदेशी पर्यटक आए, लेकिन भारत में अभी भी विदेशी पर्यटकों की संख्या काफी कम है, इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि भारत अपनी और सांस्कृतिक धरोहरों को यूनेस्को में दर्ज करवाने के अपने प्रयासों को और अधिक गति दे। हाल ही में दीपावली को मिली यूनेस्को मान्यता निश्चित ही हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका सकारात्मक असर दुनिया में भारत की छवि और पर्यटन दोनों पर पड़ेगा। अतः हमारे देश को यह चाहिए कि हम अपनी बाकी धरोहरों को भी मान्यता दिलाने के प्रयास तेज़ करने की दिशा में कदम बढ़ाए।

दीपावली को यूनेस्को की सूची में स्थान मिलने से अब भारत में विदेशी सैलानियों की संख्या में और अधिक इज़ाफ़ा हो सकेगा और इससे हमारे देश को आर्थिक लाभ मिलेगा। निष्कर्ष के तौर पर यह बात कही जा सकती है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया में तेजी और नियमों में सुधार की आवश्यकता है। आज भी हमारे यहां कई प्राचीन इमारतें, परंपराएं और त्योहार अंतरराष्ट्रीय पहचान पाने की क्षमता रखते हैं। छठ पूजा का प्रस्ताव इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब समय है कि भारत अपनी बहुआयामी सांस्कृतिक पहचान को विश्व मंच पर मजबूत और प्रभावी रूप से प्रस्तुत करे।

(ये लेखक के अपने विचार है)

जामताड़ा अब इतिहासः साइबर ठगी का नया अड्डा आपके आसपास

साइबर अपराध का विकेंद्रीकरणः शहरों से गांव तक
डिजिटल इंडिया और साइबर अपराधः ग्रामीण क्षेत्र में फैलता संकट

प्रो. आरके जैन
लेखक

साइबर अपराध अब किसी शहर या जिले तक सीमित नहीं रहा। कभी झारखंड का जामताड़ा साइबर ठगी का पर्याय बन चुका था। वहां से निकलने वाली फिशिंग कॉल्स, फर्जी निवेश योजनाओं और बैंक डिटेल्स चुराने के मामलों की खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनती थीं। लेकिन आज यह खतरा केवल बड़े शहरों या साइबर हब तक सीमित नहीं रहा। ग्रामीण भारत में भी इसका दायरा तेजी से बढ़ गया है। हाल ही में मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के छोटे से घटवा गांव से दो युवकों की गिरफ्तारी ने यह सच फिर साबित कर दिया कि साइबर ठगी अब शहरों और बड़े कस्बों तक सीमित नहीं है। दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ये युवक कथित रूप से बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा थे। यह घटना न केवल स्थानीय स्तर पर चिंता का विषय है, बल्कि पूरे देश में साइबर अपराध के विकेंद्रीकरण का भी संकेत देती है।

जामताड़ा, जो कभी साइबर फ्रॉड का हब माना जाता था, अब पांचवें स्थान पर खिसक चुका है। पहले यहां युवा लोगों को लुभाकर बैंक डिटेल्स मांगते, फर्जी निवेश योजनाओं या लॉटरी जीत का झांसा देकर ठगते थे। लेकिन अब यह प्रवृत्ति बदल गई है। उत्तरी भारत के छोटे कस्बे और जिले, जैसे हरियाणा का मेवात, राजस्थान के भारतपुर और मथुरा, बिहार के गोपालगंज, झारखंड के देवघर और धनबाद, अब साइबर ठगी के नए हब बन गए हैं। यहां तक कि आईटी और कॉरपोरेट हब गुरुग्राम में भी यह अपराध तेजी से फैल रहा है।

ये नए हब जामताड़ा मॉडल की तरह काम करते हैं। युवा समूह बनाकर, फर्जी ऐप्स, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे गरीबी और बेरोजगारी का फायदा उठाकर युवाओं को ठगी के नेटवर्क में शामिल कर लेते हैं। देवघर जिले में फर्जी कॉल सेंटर्स की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और यह जामताड़ा को पीछे छोड़ चुका है। अब ग्रामीण क्षेत्र भी इस जाल में फंस रहे हैं, जहां कई लोग अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करके आसानी से अपराध में शामिल हो जाते हैं।

ग्रामीण भारत में साइबर ठगी का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका है। मप्र के बड़वानी जिले के घटवा गांव की हालिया घटना ग्रामीण भारत में साइबर ठगी के बदलते चेहरे का ताजा उदाहरण है। यह गांव ठीकरी तहसील में स्थित है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आता है। यहां के दो युवकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कथित रूप से साइबर फ्रॉड नेटवर्क में शामिल थे। इनके अपराध केवल स्थानीय नहीं थे; इनके झांसे में आए पीड़ितों का प्रभाव दिल्ली और अन्य बड़े शहरों तक फैला था। मध्यप्रदेश में 2021 से 2025 तक साइबर ठगी के मामलों का आंकड़ा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, जबकि रिकवरी रेट केवल 0.2% है। बड़वानी जिले में हाल ही में 82,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें ठग ने खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर पीड़ित को डराया।

साइबर ठगी अब शहरों से बाहर निकलकर गांवों में भी फैल चुकी है। ग्रामीण युवा स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए इसमें आसानी से शामिल हो रहे हैं, लेकिन कानूनी जागरूकता की कमी उन्हें गंभीर जोखिम में डाल रही है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में यह भी सामने आया कि कई नेटवर्क विदेशों तक फैले हुए हैं, जैसे म्यांमार, जहां युवाओं को फ्रॉड नेटवर्क में ट्रैफिक किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की सफलता ने इंटरनेट को हर कोने तक पहुंचा दिया, लेकिन साइबर सुरक्षा शिक्षा पीछे रह गई। ई-कॉमर्स, डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो जैसी नई तकनीक ने ठगों को नए अवसर दिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में साइबर क्राइम में 31.2% की वृद्धि हुई। बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में 17,000 से अधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन छोटे कस्बे जैसे भरतपुर और नूह अब शीर्ष स्थान पर हैं।

साइबर ठगी के प्रभाव अब केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहे। लाखों लोग अपनी मेहनत की कमाई खो रहे हैं, उनके सपने, भविष्य और आर्थिक सुरक्षा खतरे में हैं। नए स्कैम्स, जैसे 'डिजिटल अरेस्ट', अब लोगों को घर पर 'अरेस्ट' दिखाकर डराने की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मानसिक तनाव और सामाजिक कलंक बढ़ रहा है। यह केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, बल्कि समाज और देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर भी गंभीर असर डाल रहा है।

समाधान की दिशा में पुलिस सक्रिय हो रही है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 800 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया और कई फर्जी कॉल सेंटर्स को बंद किया। लेकिन यह केवल शुरुआत है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जागरूकता की बेहद आवश्यकता है। सरकार को साइबर सुरक्षा शिक्षा और प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर लागू करना होगा, कड़े कानून बनाने होंगे, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना होगा ताकि अपराधियों की जड़ें कमजोर हों। सकारात्मक पहल के रूप में, इंश्योरेंस कंपनियां अब साइबर फ्रॉड कवर देने लगी हैं, जो पीड़ितों के लिए राहत और सुरक्षा का जरिया बन सकता है।

मप्र के बड़वानी जिले के घटवा गांव की घटना एक गंभीर चेतावनी है, साइबर ठगी अब जामताड़ा की मोनोपॉली नहीं रही। यह पूरे देश में फैल चुकी है, और अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह एक महामारी का रूप ले सकती है। इस जाल से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है- व्यापक जागरूकता, साइबर शिक्षा और वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करना। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना अब हर नागरिक की जिम्मेदारी बन गई है। जामताड़ा अब इतिहास बन चुका है, और साइबर ठगी का नया ठिकाना अब आपका अपना गांव है। यदि हम अभी नहीं चेते, तो बहुत देर हो जाएगी, और कीमत हमारी सुरक्षा और भविष्य को चुकानी पड़ेगी।

(ये लेखक के अपने विचार है)

भीड़ तंत्र का उदय और सामाजिक शांति को खतरा, लोकतंत्र के लिए चिंतनीय

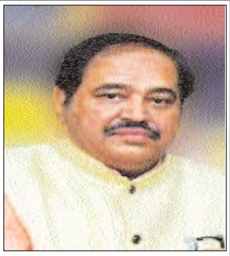

संजीव ठाकुर
लेखक व चिंतक

आज का भारतीय समाज एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहा है जहाँ लोकतंत्र की नींव भीड़ की सनक और भीड़ के न्याय के बोझ से चरमराने लगी है, राज्य और समाज के बीच की वह महीन रेखा जिसे कानून और नैतिकता सँभालते थे, धीरे-धीरे धुंधली पड़ रही है, और भीड़ का उग्र निर्णय-जिसमें न विधि का लेखा है, न तर्क का आधार सामाजिक शांति के लिए भयावह खतरा बन चुका है। देश के कई राज्य हिंसा, राजनीतिक स्पर्धा और सामूहिक उन्माद की ज्वालाओं में झुलस रहे हैं, कहीं चुनावी वर्चस्व की लड़ाई है, कहीं जातीय विभाजन, कहीं सांप्रदायिक तनाव और कहीं राजनीतिक संरक्षण में उभरता उन्माद; इन सबके बीच मानवता की आवाज़ कराहते हुए सुनाई देती है। मणिपुर और पश्चिम बंगाल की घटनाओं ने यह विश्वास कमजोर कर दिया है कि जब मंत्रियों के घरों पर आगजनी हो सकती है, तब आम नागरिक की सुरक्षा और गरिमा का क्या मूल्य रह जाता है, राज्य सरकारें कई बार हाथ पर हाथ धरे खड़ी दिखती हैं और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, परंतु तब तक आग के विस्तार को रोकना कठिन हो चुका होता है। यह केवल कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक ताने-बाने के विघटन का संकेत है क्योंकि जिस न्याय का अधिकार राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका को था, वह आज भीड़ के हाथों में चला गया है, जिससे राज्य की संप्रभुता पर सीधा आघात होता है। यह सार्वभौमिक सत्य है कि भीड़ स्वतः उत्पन्न नहीं होती; उसे राजनीति, सत्ता, असंतोष और दुर्भावनापूर्ण प्रचार मिलकर जन्म देते हैं, और वही भीड़ एक क्षण में नायक गढ़ती है और अगले ही क्षण उसी नायक की बलि ले लेती है। इतिहास गवाह है कि भीड़ की न अपनी पहचान होती है, न मूल्य; फ्रांस के रोबेस्पीयर जैसी कड़वी मिसालें बताती हैं कि भीड़ जिसको सिर पर उठाती है, उसी को गिराने में भी देर नहीं लगाती। सिगमंड फ्रायड का कथन आज सत्य प्रतीत होता है कि भीड़ में व्यक्ति अपनी चेतना, विवेक और संस्कार खोकर आदिम प्रवृत्तियों की ओर लौट जाता है, जहाँ न धर्म बचता है, न तर्क, न नैतिकता-सिर्फ उत्तेजना रहती है और उसका परिणाम हिंसा होता है। आज का उपभोक्तावादी समाज 'हम' की जगह 'मैं' के इर्द-गिर्द घूमने लगा है; सहयोग, सहिष्णुता और सामुदायिक भावनाएँ क्षीण हो रही हैं, व्यक्ति-केंद्रित विकास ने समाज के एक बड़े वर्ग को पीछे धकेल दिया है। वैश्वीकरण के असंतुलित स्वरूप ने साधनों का केंद्रीकरण बढ़ाया है; भारत में 10% लोगों के पास देश की 58% संपत्ति और 1% के पास 70% पूंजी है, जो सामाजिक तनाव, अविश्वास और क्रांति जैसी परिस्थितियों को जन्म देती है। शिक्षा व्यवस्था भीड़ तंत्र को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रही है; डिग्रियाँ बढ़ीं हैं, पर रोजगार घटा है, जिससे युवा कुंठा और निराशा में डूबकर किसी भी क्षुद्र घटना को सामूहिक उन्माद में बदलने लगते हैं और यही कुंठा माब लिंचिंग का ईंधन बन जाती है। न्याय व्यवस्था में विलंब भीड़ को और उन्मादित करता है, क्योंकि जब हत्यारे और बलात्कारी को सजा तब मिलती है जब वह बूढ़ा हो चुका होता है, तो नागरिक का भरोसा न्याय पर नहीं, बल्कि त्वरित प्रतिशोध पर टिकने लगता है, और यही मानसिकता भीड़ को कानून से बड़ा बना देती है। धर्म की स्वतंत्रता का दुरुपयोग आज ऐसे स्तर पर पहुँच गया है जहाँ खान-पान, पहनावे और परंपराओं के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है; अफवाहें, व्हाट्सऐप संदेश, फर्जी वीडियो और राजनीतिक एजेंडा किसी भी निर्दोष जीवन को निगल लेते हैं, जिससे राष्ट्र की छवि धूमिल होती है। सोशल मीडिया आधुनिक भीड़ का सबसे तेज और सबसे खतरनाक हथियार बन गया है; फर्जी खबरें और भड़काऊ पोस्ट कुछ ही मिनटों में भीड़ खड़ी कर देती हैं, चौथा स्तंभ माना जाने वाला मीडिया भी कई बार निष्पक्षता छोड़ राजनीतिक और धार्मिक झुकाव के साथ काम करता है, जिससे समाज में भ्रम और विभाजन गहराता है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग विकास की जगह विनाश की ओर मुड़ जाता है। माब लिंचिंग समाज की संस्कृति, सद्भाव और विश्वास को दीर्घकालिक क्षति पहुँचा रही है; इससे आर्थिक निवेश प्रभावित होता है, पलायन बढ़ता है, संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख को आघात पहुँचता है। भीड़ का सकारात्मक उपयोग इतिहास में रहा है-भारत का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस और रूस की क्रांतियाँ या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों में जनता की भीड़ ने भूमिका निभाई-परंतु भीड़ का सकारात्मक पक्ष सदैव क्षणिक रहा है और उसके बाद उभरने वाली अराजकता ने यह सिद्ध किया कि भीड़ का न्याय कभी स्थायी समाधान नहीं हो सकता। वर्तमान समय में भीड़ तंत्र का नकारात्मक प्रभाव इतना प्रबल है कि उसे रोकने के लिए कठोर कानून, सामाजिक जागरूकता, रोजगार के अवसर, प्रशासनिक दक्षता और मीडिया-सोशल मीडिया की जवाबदेही आवश्यक है; अनुसंधान, संवाद और संवेदना को पुनर्जीवित किए बिना भीड़ तंत्र का दानव नहीं थमेगा। अतः आवश्यक है कि माब लिंचिंग और भीड़ तंत्र को घनघोर सामाजिक बुराई मानकर शासन, समाज और नागरिक सामूहिक रूप से इसके विरुद्ध अभियान चलाएँ और ऐसी व्यवस्था बनाएं जहाँ न्याय के स्थान पर प्रतिशोध न पनपे, और भीड़ के स्थान पर कानून की प्रतिष्ठा सर्वोपरि रहे। तभी भारत का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा और प्रजातंत्र की आस्था जीवित बनी रह सकेगी।

(ये लेखक के अपने विचार है)

वह अकेला नहीं है

सोचने के बाद, और सोचने से ठीक पहले,
एक क्षण ऐसा था जब उसे लगा वह अकेला है।

फिर उसने सोचा शायद वह अकेला नहीं,
क्योंकि उसके सोचने के बीच,
बहुत-से लोग आए वाह-वाह की तरह,
पसंदगी की तरह, तारीफ़ के फूलों की तरह,
जो बिना सुगंध के भी उसकी ओर भेज दिए गए।

हज़ारों अदृश्य मित्र, एक छोटे से डिब्बे में कैद,
मायाजाल के महीन तंतुओं पर चलते,
जिनसे हम खेलते नहीं,
पर वे हमें हर वक्त खिलाते रहता

पर वे लोग कहाँ गए? जो गलबहियाँ डालकर,
हँसते थे, खिलखिलाते उनकी हँसी अब,
एक इमोजी की तरह गोल होकर चमकती,
पर गूँजती नहीं।

कोई आहट नहीं, कोई पदचाप नहीं,
सब कुछ मशीनी हँसी भी, खुशी भी,
शाबाशी भी बस एक अंगूठे की तरह,
दूर से उठ आती।

वह समझ गया घर है, कमरा है, बिस्तर है,
और वह स्वयं उन सबके बीच निसंग बैठा।

सोचने के पहले, सोचने के बाद,
और सोचने के ठीक बीच जहाँ हवा सबसे ज़्यादा,
सच बोलती वह सचमुच अकेला है।

और यही अकेलापन धीरे से उसके कंधे पर
हाथ रखकर कहता है 'मैं ही तो हूँ,
तुझे सबसे कम छलने वाला।

सम्पादकीय

ट्रेड डील पर समानता आधारित समझौते की अपेक्षा

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के संबंध में कुछ सकारात्मक संकेत सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि क्या इस बातचीत में परस्पर समानता पर आधारित हित सुनिश्चित होने और एक संतुलित समझौते की राह साफ होगी। गौरतलब है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश के तहत अमेरिकी दल वार्ता के लिए भारत में है। इसी बीच अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयर ने कहा कि व्यापार समझौते के संदर्भ में भारत की ओर से 'अब तक के सबसे अच्छे प्रस्ताव' मिले हैं। माना जा रहा है कि इस बयान का उद्देश्य अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए शुल्क से उपजे गतिरोध को दूर करने की कोशिश करना है। इसकी वजह यह है कि एकतरफा और मनमानी शुल्क नीति के जरिए दबाव बनाने की कोशिश के समांतर व्यापार समझौते के लिए वार्ता में सकारात्मक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर व्यापार वार्ता में गतिरोध की एक मुख्य वजह ही अमेरिका की नई शुल्क नीति रही है। इसलिए यह देखने की बात होगी कि इस मसले पर अमेरिका के रुख में कितना बदलाव आ पाता है। दरअसल, व्यापार वार्ता के सकारात्मक दिशा में बढ़ने के मद्देनजर जारी कोशिशों के तहत ही भारत और अमेरिका के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते का सवाल अब एक मुख्य बिंदु है। इससे पहले अमेरिका का रवैया आमतौर पर यही सामने आ रहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता हो, लेकिन उसकी शर्तों पर। इसी क्रम में उसने शुल्क लगाने के फैसले को दबाव के एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया। उसकी यह मंशा अधूरी रही, क्योंकि नुकसान की तमाम आशंकाओं के बावजूद भारत ने इस मसले पर अपना स्वतंत्र रुख बरकरार रखा। इसके बावजूद, यह हकीकत है कि अमेरिका के शुल्क लगाने से उपजी परिस्थिति अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य पर विपरीत प्रभाव तो डाल ही रही थी। भारत के सामने भी कुछ चुनौतियां खड़ी होने की आशंका बनी रहीं। इसलिए भारत ने थोड़ा व्यावहारिक नीति पर आगे बढ़ते हुए अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई है, लेकिन इसके पीछे समानता आधारित समझौते की अपेक्षा भी है। अमेरिकी शुल्कों में कटौती, भारतीय उत्पादों के अमेरिकी बाजार में आसान प्रवेश, रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी, दवा और सेमीकंडक्टर उद्योग आदि व्यापार वार्ता के मुख्य मुद्दों में शामिल हो सकते हैं।

जामताड़ा अब इतिहासः साइबर ठगी का नया अड्डा आपके आसपास

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत', बड़वानी (मप्र)

ग्रामीण भारत में साइबर ठगी का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका है। मप्र के बड़वानी जिले के घटवा गांव की हालिया घटना ग्रामीण भारत में साइबर ठगी के बदलते चेहरे का ताजा उदाहरण है। यह गांव ठीकरी तहसील में स्थित है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आता है। यहां के दो युवकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कथित रूप से साइबर फ्रॉड नेटवर्क में शामिल थे। इनके अपराध केवल स्थानीय नहीं थे; इनके झांसे में आए पीड़ितों का प्रभाव दिल्ली और अन्य बड़े शहरों तक फैला था। मध्यप्रदेश में 2021 से 2025 तक साइबर ठगी के मामलों का आंकड़ा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, जबकि रिकवरी रेट केवल 0.2' है। बड़वानी जिले में हाल ही में 82,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें ठग ने खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर पीड़ित को डराया। साइबर ठगी अब शहरों से बाहर निकलकर गांवों में भी फैल चुकी है।

साइबर अपराध अब किसी शहर या जिले तक सीमित नहीं रहा। कभी झारखंड का जामताड़ा साइबर ठगी का पर्याय बन चुका था। वहां से निकलने वाली फिशिंग कॉल्स, फर्जी निवेश योजनाओं और बैंक डिटेल्स चुराने के मामलों की खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनती थीं। लेकिन आज यह खतरा केवल बड़े शहरों या साइबर हब तक सीमित नहीं रहा। ग्रामीण भारत में भी इसका दायरा तेजी से बढ़ गया है। हाल ही में मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के छोटे से घटवा गांव से दो युवकों की गिरफ्तारी ने यह सच फिर साबित कर दिया कि साइबर ठगी अब शहरों और बड़े कस्बों तक सीमित नहीं है। दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ये युवक कथित रूप से बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा थे। यह घटना न केवल स्थानीय स्तर पर चिंता का विषय है, बल्कि पूरे देश में साइबर अपराध के विकेंद्रीकरण का भी संकेत देती है।

जामताड़ा, जो कभी साइबर फ्रॉड का हब माना जाता था, अब पांचवें स्थान पर खिसक चुका है। पहले यहां युवा लोगों को लुभाकर बैंक डिटेल्स मांगते, फर्जी निवेश योजनाओं या लॉटरी जीत का झांसा देकर ठगते थे। लेकिन अब यह प्रवृत्ति बदल गई है। उत्तरी भारत के छोटे कस्बे और जिले, जैसे हरियाणा का मेवात, राजस्थान के भारतपुर और मथुरा, बिहार के गोपालगंज, झारखंड के देवघर और धनबाद, अब साइबर ठगी के नए हब बन गए हैं। यहां तक कि आईटी और कॉरपोरेट हब गुरुग्राम में भी यह अपराध तेजी से फैल रहा है।

ये नए हब जामताड़ा मॉडल की तरह काम करते हैं। युवा समूह बनाकर, फर्जी ऐप्स, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे गरीबी और बेरोजगारी का फायदा उठाकर युवाओं को ठगी के नेटवर्क में शामिल कर लेते हैं। देवघर जिले में फर्जी कॉल सेंटर्स की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और यह जामताड़ा को पीछे छोड़ चुका है। अब ग्रामीण क्षेत्र भी इस जाल में फंस रहे हैं, जहां कई लोग अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करके आसानी से अपराध में शामिल हो जाते हैं।

ग्रामीण भारत में साइबर ठगी का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका है। मप्र के बड़वानी जिले के घटवा गांव की हालिया घटना ग्रामीण भारत में साइबर ठगी के बदलते चेहरे का ताजा उदाहरण है। यह गांव ठीकरी तहसील में स्थित है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आता है। यहां के दो युवकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कथित रूप से साइबर फ्रॉड नेटवर्क में शामिल थे। इनके अपराध केवल स्थानीय नहीं थे; इनके झांसे में आए पीड़ितों का प्रभाव दिल्ली और अन्य बड़े शहरों तक फैला था। मध्यप्रदेश में 2021 से 2025 तक साइबर ठगी के

मामलों का आंकड़ा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, जबकि रिकवरी रेट केवल 0.2' है। बड़वानी जिले में हाल ही में 82,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें ठग ने खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर पीड़ित को डराया।

साइबर ठगी अब शहरों से बाहर निकलकर गांवों में भी फैल चुकी है। ग्रामीण युवा स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए इसमें आसानी से शामिल हो रहे हैं, लेकिन कानूनी जागरूकता की कमी उन्हें गंभीर जोखिम में डाल रही है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में यह भी सामने आया कि कई नेटवर्क विदेशों तक फैले हुए हैं, जैसे म्यांमार, जहां युवाओं को फ्रॉड नेटवर्क में ट्रैफिक किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की सफलता ने इंटरनेट को हर कोने तक पहुंचा दिया, लेकिन साइबर सुरक्षा शिक्षा पीछे रह गई। ई-कॉमर्स, डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो जैसी नई तकनीक ने ठगों को नए अवसर दिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में साइबर क्राइम में 31.2' की वृद्धि हुई। बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में 17,000 से अधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन छोटे कस्बे जैसे भरतपुर और नूह अब शीर्ष स्थान पर हैं।

साइबर ठगी के प्रभाव अब केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहे। लाखों लोग अपनी मेहनत की कमाई खो रहे हैं, उनके सपने, भविष्य और आर्थिक सुरक्षा खतरे में हैं। नए स्कैम्स, जैसे 'डिजिटल अरेस्ट', अब लोगों को घर पर 'अरेस्ट' दिखाकर डराने की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मानसिक तनाव और सामाजिक कलंक बढ़ रहा है। यह केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, बल्कि समाज और देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर भी गंभीर असर डाल रहा है।

समाधान की दिशा में पुलिस सक्रिय हो रही है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 800 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया और कई फर्जी कॉल सेंटर्स को बंद किया। लेकिन यह केवल शुरुआत है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जागरूकता की बेहद आवश्यकता है। सरकार को साइबर सुरक्षा शिक्षा और प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर लागू करना होगा, कड़े कानून बनाने होंगे, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना होगा ताकि अपराधियों की जड़ें कमजोर हों। सकारात्मक पहल के रूप में, इंश्योरेंस कंपनियां अब साइबर फ्रॉड कवर देने लगी हैं, जो पीड़ितों के लिए राहत और सुरक्षा का जरिया बन सकता है।

मप्र के बड़वानी जिले के घटवा गांव की घटना एक गंभीर चेतावनी है, साइबर ठगी अब जामताड़ा की मोनोपॉली नहीं रही। यह पूरे देश में फैल चुकी है, और अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह एक महामारी का रूप ले सकती है। इस जाल से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है – व्यापक जागरूकता, साइबर शिक्षा और वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करना। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना अब हर नागरिक की जिम्मेदारी बन गई है। जामताड़ा अब इतिहास बन चुका है, और साइबर ठगी का नया ठिकाना अब आपका अपना गांव है। यदि हम अभी नहीं चेते, तो बहुत देर हो जाएगी, और कीमत हमारी सुरक्षा और भविष्य को चुकानी पड़ेगी।

आज भारतीय लाइब्रेरियन कई तरह के डिजिटल दक्षताओं के बिना आगे नहीं बढ़ सकता

डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

इसलिए आज के लाइब्रेरियन के पास डिजिटल रिपॉजिटरी मैनेजमेंट, डेटा माइग्रेशन, मेटा डेटा स्कीम और क्लाउड आधारित लाइब्रेरी सिस्टम, जिनमें कौशल होना आवश्यक है। ऐसे ज्ञान से लैस पेशेवरों की मांग विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थानों, शोध केंद्रों और कार्पोरेट सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ी है। आधुनिक लाइब्रेरी अब आईएलएस (इंटीग्रेटिड लाइब्रेरी सिस्टम) आरएफआईडी, एआई आधारित सर्च सिस्टम और ऑटोमेटिक कैटलॉगिंग का उपयोग करती है। इस बदलाव के कारण लाइब्रेरियन अब केवल रिकॉर्ड दर्ज करने वाले व्यक्तिभर नहीं हैं बल्कि एआई फ्रेंडली, नॉलेज आर्किटेक्ट बन गये हैं। आज की दुनिया में इनका काम नये-नये आयाम हासिल कर चुका है। मसलन- ऑटोमेशन सिस्टम सेटअप करना, डेटा की सटीकता और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, उपयोगकर्ताओं को डिजिटल लर्निंग गाइडेंस देना

लाइब्रेरियन अब सिर्फ पुस्तकों के संरक्षक नहीं उनका पेशा अब आधुनिक टेक संचालित हो चुका है। ई-रिसोर्सेज़ की उपलब्धता, ऑनलाइन जर्नल की सदस्यता और ई-गवर्नेंस ने उसकी भूमिका स्मार्ट और वर्सेटाइल बना दी। वह अब स्कूल, कॉलेज तक सीमित नहीं बल्कि कंपनियों के नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में लाइब्रेरियन की डिजिटल दक्षता, डेटा इंडेक्सिंग, कंटेंट क्यूरेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आदि काम आती हैं। एक समय था, जब लाइब्रेरियन का काम केवल किताबों की अलमारियों में किताबों को व्यवस्थित रखना, कैटलॉग तैयार करना और पाठकों को आवश्यक पुस्तक तक पहुंचानाभर समझा जाता था। लेकिन पिछले एक दशक में भारत में जो डिजिटल क्रांति हुई है, उसके चलते अब लाइब्रेरियनशिप एक पारंपरिक सेवा से बदलकर अत्यंत आधुनिक, टेक संचालित और रणनीतिक कैरियर बन चुका है। आज लाइब्रेरियन सिर्फ पुस्तकों के संरक्षक नहीं बल्कि डिजिटल नॉलेज मैनेजर हैं। इन्हें डाटा क्यूरेटर, लर्निंग टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और इंफार्मेशन नेविगेटर भी कह सकते हैं। वास्तव में भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी पहल ने विश्वविद्यालयों में ई-रिसोर्सेज़ की उपलब्धता, ऑनलाइन जर्नल की सदस्यता और ई-गवर्नेंस ने लाइब्रेरियन की भूमिका को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और वर्सेटाइल बना दिया है। लाइब्रेरियन केवल भौतिक पुस्तकों को ही नहीं बल्कि ई-बुक, ई-जर्नल, डेटा बेस, ओपन सोर्स रिपॉजिटरी, डिजिटल आर्काइव्स आदि का भी संचालन करता है। इसलिए आज के लाइब्रेरियन के पास डिजिटल रिपॉजिटरी मैनेजमेंट, डेटा माइग्रेशन, मेटा डेटा स्कीम और क्लाउड आधारित लाइब्रेरी सिस्टम, जिनमें कौशल होना आवश्यक है। ऐसे ज्ञान से लैस पेशेवरों की मांग विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थानों, शोध केंद्रों और कार्पोरेट सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ी है। आधुनिक लाइब्रेरी अब आईएलएस (इंटीग्रेटिड लाइब्रेरी सिस्टम) आरएफआईडी, एआई आधारित सर्च सिस्टम और ऑटोमेटिक कैटलॉगिंग का उपयोग करती है। इस बदलाव के कारण लाइब्रेरियन अब केवल रिकॉर्ड दर्ज करने वाले व्यक्तिभर नहीं हैं बल्कि एआई फ्रेंडली, नॉलेज आर्किटेक्ट बन गये हैं। आज की दुनिया में इनका काम नये-नये आयाम हासिल कर चुका है। मसलन- ऑटोमेशन सिस्टम सेटअप करना, डेटा की सटीकता और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, उपयोगकर्ताओं को डिजिटल लर्निंग गाइडेंस देना, खोज परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एआई टूल्स के पैरामीटर्स को समझना, इन तमाम तकनीकों ने लाइब्रेरियन के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया है।

डिजिटल स्किल्स ने खोले नये रोजगार क्षेत्र

डिजिटल कुशल लाइब्रेरियन अब केवल स्कूल, कॉलेज तक सीमित नहीं बल्कि कई कंपनियां अब नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम चलाती हैं। यहां लाइब्रेरियन डिजिटल दक्षता, डेटा इंडेक्सिंग, कंटेंट क्यूरेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आदि बहुत काम आती हैं। लाइब्रेरियन आज ई-लर्निंग कंटेंट स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। वो ऑनलाइन शिक्षा, एलएमएस प्लेटफॉर्म आदि के बढ़ने से कंटेंट टैगिंग,डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेस की मैपिंग और यूजर बिहेवियर एनालिसिस आदि का भी काम करते हैं। आजकल लाइब्रेरियन को डिजिटल आर्किविस्ट भी कहा जाता है। ये अखबारों, सरकारी दफ्तरों और संग्रहालयों आदि में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटाइज करने का काम करते हैं। यहां लाइब्रेरियन की मेटा डेटा और डॉक्यूमेंट पिजर्वेशन स्कीम काम आती है। रिसर्च डेटा मैनेजर जैसी पोस्ट भी आजकल लाइब्रेरियन को मिल रही हैं, जिससे वो शोध संस्थानों में डेटा संग्रह, वर्गीकरण, सांख्यिकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और ओपन एक्सेस नीतियों का पालन कराते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में लाइब्रेरियन छात्रों को डिजिटल साक्षरता, रिसर्च मेथ्डोलॉजी, प्लेजरिज्म अवेयरनेस और डेटा बेस नेविगेशन जैसे विषयों पर मुख्य मार्गदर्शक बनकर उभरे हैं। ये परिवर्तन लाइब्रेरियन को शिक्षा व्यवस्था का सक्रिय सहयोगी बनाते हैं। इससे लाइब्रेरियन की प्रतिष्ठा और भूमिका दोनों मजबूत हुई हैं। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट लाइब्रेरी के इस नये युग में स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल ग्राम लाइब्रेरी आदि के बढ़ने से लाइब्रेरियन के रोजगार में क्षेत्रीय विस्तार हुआ है। ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर लाइब्रेरियन का रूप बदल गया है। आईटी आधारित, सेल्फ चेक इन/आउट स्टेशन, क्लाउड कैटलॉग और मोबाइल ऐप-बेस्ड लाइब्रेरी सेवाएं- ये सब डिजिटल दक्षता की वजह से संभव हुआ है। आज भारतीय लाइब्रेरियन कई तरह के डिजिटल दक्षताओं के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। मसलन कोहा, डी-स्पेस, ई-ग्रंथालय जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। मसलन -मेटा डेटा की विशेषज्ञता, डिजिटल प्रिजर्वेशन, वेब डिजाइन की समझ, साइबर सुरक्षा और गोपनीयता व कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन। ये कुशलताएं आज लाइब्रेरियन में होनी ही चाहिए। लाइब्रेरियन का वेतन भी अब पहले से बेहतर हुआ है। सरकारी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान 45 हजार से 1 लाख 20 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देते हैं। कारपोरेट सेक्टर में यह 60 हजार से 1 लाख 50 हजार रुपये प्रतिमाह हो सकता है। डिजिटल आर्किविस्ट/कंटेंट क्यूरेटर को 40 हजार से 1 लाख रुपये प्रतिमाह और रिसर्च डेटा मैनेजर को 70 से 1 लाख 40 हजार रुपये तक का प्रतिमाह वेतन आसानी से मिल जाता है। इस तरह डिजिटल तकनीक ने लाइब्रेरियन का प्रोफेशन विकसित, प्रतिष्ठित और बहुआयामी बना दिया है।

आत्मनिर्भर बनने का सही रास्ता

बीते दिनों जब दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से भेंट की थी तो उन्होंने इस भेंट को जी-2 का नाम दिया था। यानी उन्होंने एक तरह से मान लिया कि अमेरिका के बाद चीन दूसरी विश्व महाशक्ति बन चुका है, जिसे रोकना अब उसके वश की बात नहीं है और सोवियत संघ के विघटन के बाद एकध्रुवीय विश्व अब फिर से द्विध्रुवीय है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप चीन को सबक सिखाने की बातें किया करते थे, पर अब उनके सुर पूरी तरह बदल चुके हैं।

वैसे ट्रंप इस वार्ता से पहले ही चीनी उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की योजना को एक साल के लिए स्थगित कर चुके थे। फिलहाल चीनी उत्पादों पर अमेरिका 47 प्रतिशत का ही टैरिफ लगा रहा है। भारत जिसके साथ सामरिक साझेदारी को अमेरिकी नेता पिछले दो दशक से 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बताते नहीं थकते, उसके उत्पादों पर 50 प्रतिशत का टैरिफ है, जबकि अमेरिका अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी देश चीन पर उससे कम टैरिफ लगा रहा है।

ट्रंप से जब ताइवान पर चीनी हमले के खतरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह जब होगा, तब देखेंगे। ट्रंप ने यह नहीं कहा कि वे ट्रेड डील का भय दिखाकर ताइवान को चीनी हमले से बचा लेंगे। इससे उलट ट्रंप हर तीन-चार दिन में भारत को लज्जित करने के लिए आपरेशन सिंदूर रुकवाने का झूठा दावा यह कहकर करते हैं कि उन्होंने व्यापारिक समझौता न करने का भय दिखाकर संभावित परमाणु युद्ध रुकवा दिया। रूस से कच्चा तेल भारत और चीन, दोनों ही आयात कर रहे हैं, पर ट्रंप प्रशासन हाथ धोकर भारत के ही पीछे पड़ा है। इस सबसे समझा जा सकता है कि चीन के सामने नतमस्तक अमेरिकी शासन तंत्र ने अब यह ठाना है कि अगर चीन विश्व की दूसरी महाशक्ति बन ही गया है और उसे रोकना उसके वश की बात नहीं रही है तो कम से कम भारत और रूस का उभार तो रोका ही जाए।

चीन की इस मजबूत स्थिति के पीछे उसकी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण तकनीक के अनुसंधान और उत्पादन में पहल करने की दशकों की नीति रही है। चीनी रणनीतिकारों ने ऐसे सेक्टरों और तकनीकी उत्पादों को चिह्नित किया, जिनके माध्यम से अमेरिका और विश्व को अपने ऊपर निर्भर बनाया जा सके। परिणामस्वरूप चीन आज ऐसे कई उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को नियंत्रित करता है और उनके माध्यम से उसने ट्रंप के टैरिफ युद्ध का मुंहतोड़ जवाब दिया है। ट्रंप ने चीन के

उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी तो उसने अमेरिका को रेयर अर्थ मैगनेट्स की आपूर्ति रोक दी, जिससे अमेरिका का उद्योग जगत परेशान हो उठा और ट्रंप को टैरिफ लगाने की अपनी योजना को स्थगित करना पड़ा। दुर्लभ भूगर्भीय खनिज आज अंतरिक्ष यानों, रक्षा उपकरणों, इलेक्ट्रिक कारों से लेकर हेडफोन बनाने के लिए आवश्यक हैं और ये आवश्यक होंगी, यह चीन बहुत पहले पहचान चुका था।

चीन ने 1960 के दशक में ही इन दुर्लभ खनिजों के बारे में जानने-समझने के लिए अपने लोगों को अमेरिका भेजना प्रारंभ कर दिया था। 1970 के दशक में चीनी सरकार ने इन खनिजों का औद्योगिक उत्पादन प्रारंभ कराया और 1980 के दशक में दुर्लभ खनिजों से जुड़े उद्योगों को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सेक्टर का दर्जा दे दिया। जिसके चलते इस सेक्टर को चीन में सरकारी सब्सिडी और निवेश मिलने लगा। इसका प्रभाव यह हुआ कि 1990 के दशक में ही चीन ने दुर्लभ खनिज उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। आज चीन विश्व के 85 प्रतिशत दुर्लभ खनिज शोध उद्योग को नियंत्रित करता है।

ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें अमेरिका और यूरोप आज चीन पर निर्भर हैं। चीन आज विश्व के 60 प्रतिशत सेमीकंडक्टर चिप्स, 75 प्रतिशत लिथियम बैटरियां, 80 प्रतिशत सोलर पैनल, 95 प्रतिशत पोलिसिलिकान वैफर बनाता है। भविष्य की क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए आवश्यक 60 प्रतिशत घटक चीन ने अभी से बनाने शुरू कर दिए हैं। इसलिए ट्रंप चीन के सामने नतमस्तक हैं। अमेरिका चीन पर प्रतिबंध लगा सकता है तो चीन भी जवाब में अमेरिका को ऐसी वस्तुओं का निर्यात रोक सकता है, जिनके चलते अमेरिका की अर्थव्यवस्था डूब सकती है। इसकी तुलना में भारत के पास ऐसा क्या है, जो अमेरिका से सौदेबाजी के लिए उपयोग किया जा सके? हमने ऐसे कौन से सामरिक उद्योग विकसित किए हैं, जो विश्व को हम पर निर्भर बनाते हों?

मेरा दुश्मन

वह इस समय दूसरे कमरे में बेहोश पड़ा है। आज मैंने उसकी शराब में कोई चीज़ मिला दी थी कि ख़ाली शराब वह शरबत की तरह गट-गट पी जाता है और उस पर कोई ख़ास असर नहीं होता। आँखों में लाल ढोरे-से झूलने लगते हैं, माथे की शिकनें पसीने में भीगकर दमक उठती हैं, होंठों का ज़हर और उजागर हो जाता है, और बस–होश-ओ-हवास बदस्तूर क़ायम रहते हैं। हैरान हूँ कि यह तरकीब मुझे पहले कभी क्यों नहीं सूझी। शायद सूझी भी हो, और मैंने कुछ सोचकर इसे दबा दिया हो। मैं हमेशा कुछ-न-कुछ सोचकर कई बातों को दबा जाता हूँ। आज भी मुझे अंदेशा तो था कि वह पहले ही घूँट में ज़ायक़ा पहचान कर मेरी चोरी पकड़ लेगा। लेकिन गिलास ख़त्म होते-होते उसकी आँखें बुझने लगी थीं और मेरा हौसला बढ़ गया था। जी में आया था कि उसी क्षण उसकी गरदन मरोड़ दूँ, लेकिन फिर नतीजों की कल्पना से दिल दहलकर रह गया था। मैं समझता हूँ कि हर बुज़दिल आदमी की कल्पना बहुत तेज़ होती है, हमेशा उसे हर ख़तरे से बचा ले जाती है। फिर भी हिम्मत बाँधकर मैंने एक बार सीधे उसकी ओर देखा ज़रूर था। इतना भी क्या कम है कि साधारण हालात में मेरी निगाहें सहमी हुई-सी उसके सामने इधर-उधर फड़फड़ाती रहती हैं। साधारण हालात में मेरी स्थिति उसके सामने बहुत असाधारण रहती है।

ख़ैर, अब उसकी आँखें बंद हो चुकी थीं और सर झूल रहा था। एक ओर लुढ़ककर गिर जाने से पहले उसकी बाँहें दो लदी हुई ढीली टहनियों की सुस्त-सी उठान के साथ मेरी ओर उठ आई थीं। उसे इस तरह लाचार देखकर भ्रम हुआ था कि वह दम तोड़ रहा है।

लेकिन मैं जानता हूँ कि वह मूज़ी किसी भी क्षण उछलकर खड़ा हो सकता है। होश सँभालने पर वह कुछ कहेगा नहीं। उसकी ताक़त उसकी ख़ामोशी में है। बातें वह उस ज़माने में भी बहुत कम किया करता था, लेकिन अब तो जैसे बिलकुल गूँगा हो गया हो। उसकी गूँगी अवहेलना की कल्पना-मात्र से मुझे दहशत हो रही है। कहा न, कि मैं एक बुज़दिल इंसान हूँ। वैसे मैं न जाने कैसे समझ बैठा था कि इतने अर्से की अलहदगी के बाद अब मैं उसके आतंक से पूरी तरह आज़ाद हो चुका हूँ। इसी खुशफ़हमी में शायद उस रोज़ उसे मैं अपने साथ ले आया था। शायद मन में कहीं उस पर रोब गाँठने, उसे नीचा दिखाने की दुराशा भी रही हो। हो सकता है कि मैंने सोचा हो कि वह मेरी जीती-जागती ख़ूबसूरत बीवी, चहकते-मटकते तंदुरुस्त बच्चों और आरास्ता-पैरास्ता आलीशान कोठी को देखकर खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाएगा और हमेशा के लिए मुझे उससे निजात मिल जाएगी। शायद मैं उस पर यह साबित कर दिखाना चाहता था कि उससे पीछा छुड़ा लेने के बाद किस खुशगवार हद तक मैंने अपनी ज़िंदगी को सँभाल-सँवार लिया है। लेकिन ये सब लँगड़े बहाने हैं। हक़ीक़त शायद यह है कि उस रोज़ मैं उसे अपने साथ नहीं लाया था, बल्कि वह खुद ही मेरे साथ चला आया था, जैसे मैं उसे नहीं बल्कि वह मुझे नीचा दिखाना चाहता हो। ज़ाहिर है कि उस समय यह बारीक बात मेरी समझ में नहीं आई होगी। मौक़े पर ठीक बात मैं कभी नहीं सोच पाता। यही तो मुसीबत है। वैसे मुसीबतें और भी बहुत हैं, लेकिन उन सबका ज़िक्र यहाँ बेकार होगा। ख़ैर, माला के सामने उस रोज़ मैंने इसी क़िस्म की कोई लँगड़ी सफ़ाई पेश करने की कोशिश की थी और उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वह उसे देखते ही बिफर उठी थी। सबसे पहले अपनी बेवक़ूफ़ी और सारी स्थिति का एहसास शायद मुझे उसी क्षण हुआ था। मुझे उस कमबख़्त से वहीं घर से दूर, उस सड़क के किनारे किसी-न-किसी तरह निपट लेना चाहिए था। अगर अपनी उस सहमी हुई ख़ामोशी को तोड़कर मैंने अपनी तमाम मजबूरियाँ उसके सामने रख दी होतीं, माला का एक ख़ाका-सा खींच दिया होता, साफ़-साफ़ उससे कह दिया होता–देखो गुरु, मुझ पर दया करो और मेरा पीछा छोड़ दो–तो शायद वहीं हम किसी समझौते पर पहुँच जाते। और नहीं तो वह मुझे कुछ मोहलत तो दे ही देता। छूटते ही दो मोरचों को एक साथ सँभालने की दिक़्क़त तो पेश न आती। कुछ भी हो, मुझे उसे अपने घर नहीं लाना चाहिए था। लेकिन अब यह सारी समझदारी बेकार थी। माला और वह एक-दूसरे को यूँ घूर रहे थे जैसे दो पुराने और जानी दुश्मन हों। एक क्षण के लिए मैं यह सोचकर आश्वस्त हुआ था कि माला सारी स्थिति खुद सँभाल लेगी और फिर दूसरे ही क्षण मैं माला की लानत-मलामत की कल्पना कर सहम गया था। बात को मज़ाक में घोल देने की कोशिश में मैंने एक ख़ास गिलगिले लहज़े में–जो मेरे पास ऐसे नाजुक मौक़ों के लिए सुरक्षित रहता है–कहा था, डार्लिंग, ज़रा रास्ता तो छोड़ो, कि हम बहुत लंबी सैर से लौटे हैं, ज़रा बैठ जाएँ तो जो सज़ा जी में आए, दे देना।

वह रास्ते से तो हट गई थी, लेकिन उसके तनाव में कोई कमी नहीं हुई थी, और न ही उसने मुझे बैठने दिया था। साथ ही उस मुरदार ने मेरी तरफ़ यूँ देखा था जैसे कह रहा हो–तो तुम वाक़ई इस औरत के ग़ुलाम बनकर रह गए हो। और खुद मैं उन दोनों की तरफ़ यूँ देख रहा था जैसे एक की नज़र बचाकर दूसरे से कोई साज़िशी संबंध पैदा कर लेने की ख़्वाहिश हो।

फिर माला ने मौक़ा पाते ही मुझे अलग ले जाकर डाँटना-डपटना शुरू कर दिया था–मैं पूछती हूँ कि यह तुम किस आवारागर्द को पकड़कर साथ ले आए हो? ज़रूर कोई तुम्हारा पुराना दोस्त होगा? है न? इत्ते बरस शादी को हो चले लेकिन तुम अभी तक वैसे-के-वैसे ही रहे। मेरे बच्चे उसे देखकर क्या कहेंगे? पड़ोसी क्या सोचेंगे? अब कुछ बोलोगे भी?

मैं हैरान था कि क्या बोलूँ! माला के सामने मैं बोलता कम हूँ, ज़्यादा समय तोलने में ही बीत जाता है और उसका मिजाज़ और बिगड़ जाता है। वैसे उसका ग़ुस्सा बजा था। उसका ग़ुस्सा हमेशा बजा होता है। हमारी कामयाब शादी की बुनियाद भी इसी पर क़ायम है–उसकी हर बात हमेशा सही होती है और मैं अपनी हर ग़लती को चुपचाप और फ़ौरन क़बूल कर लेता हूँ। ऊपर से वह कुछ भी क्यों न कहे, उसे मेरी फ़रमाँ-बरदारी पर पूरा भरोसा है। बीच-बीच में महज़ मुझे खुश कर देने के ख़याल से वह इस क़िस्म की शिकायतें ज़रूर कर दिया करती है–तुम्हें न जाने हर मामूली-से-मामूली बात पर मेरे ख़िलाफ़ डट जाने में क्या मज़ा आता है? मानती हूँ कि तुम मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हो, लेकिन कभी-कभी मेरी बात रखने के लिए ही सही...वग़ैरा-वग़ैरा।

मुझे उसके ये झूठे उलाहने बहुत पसंद हैं, गो मैं उनसे ज़्यादा खुश नहीं हो पाता। फिर भी वह समझती है कि इनसे मेरा भ्रम बना रहता है और मैं जानता हूँ कि बाग़डोर उसी के हाथ में रहती है और यह ठीक ही है।

तो माला दाँत पीसकर कह रही थी–अब कुछ बोलोगे भी? मेरे बच्चे पार्क से लौटकर इस मनहूस आदमी को बैठक में बैठा देखेंगे, तो क्या कहेंगे? उन पर क्या असर होगा? उफ़, इतना गंदा आदमी! सारा घर महक रहा है। बताओ न, मैं अपने बच्चों से क्या कहूँगी?

अब ज़ाहिर है कि माला को कुछ भी नहीं बता सकता था। सो मैं सर झुकाए खड़ा रहा और वह मुँह उठाए बहुत देर तक बरसती रही।

संपादकीय

भारत की डिजिटल जनगणना 2027 : एक युग का परिवर्तन, चुनौतियाँ और अवसर

भारत की 2027 की जनगणना की घोषणा एक साधारण प्रशासनिक कार्य से कहीं अधिक है; यह देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। 11,718 करोड़ रुपये के मंजूर बजट के साथ, यह पहली 'पूरी तरह डिजिटल' जनगणना न केवल डेटा संग्रह के तरीके को बदल देगी, बल्कि राष्ट्र के भविष्य के नीति-निर्धारण और लोकतांत्रिक संरचना को भी पुनः परिभाषित करेगी। यह डिजिटल पहल, जिसकी परिकल्पना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है, आंकड़ों की दुनिया में एक बड़ा कदम है। अब तक, कागजी फॉर्म के कारण जनगणना की प्रक्रिया वर्षों ले लेती थी, लेकिन अब रियल-टाइम डेटा अपलोड होगा, जिससे शुरुआती आंकड़े 10 दिन में और अंतिम रिपोर्ट 6-9 महीनों में उपलब्ध होने का अनुमान है। यह तीव्र गति 2029 के लोकसभा सीटों के सटीक निर्धारण, सरकारी फंडों के न्यायसंगत वितरण और विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगी। 'हाउस लिस्टिंग' (अप्रैल-सितंबर 2026) और 'जनसंख्या गणना' (फरवरी 2027) के दो चरणों में होने वाली यह प्रक्रिया, जियो-टैगिंग, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल पर खुद जानकारी भरने के विकल्प के साथ, गलतियों और छूटे हुए घरों की संख्या को कम करने का वादा करती है। यह पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने की दिशा में एक स्वागत योग्य प्रयास है। इस जनगणना का एक सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू है 1931 के बाद पहली बार सभी समुदायों की जाति से जुड़े विस्तृत आंकड़े जुटाना, जो अब तक SC/ST तक सीमित थे। साथ ही, प्रवास से जुड़े विस्तृत प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इन आंकड़ों के अभाव में, जाति-आधारित सामाजिक न्याय और विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन अक्सर अटक जाता था। यह नया डेटा सरकार को गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समुदायों की वास्तविक स्थिति को समझने और अधिक समावेशी नीतियां बनाने में मदद करेगा। यह भारतीय समाज के एक गहरे और व्यापक चित्र को सामने लाएगा। जहाँ यह पहल अवसरों का द्वार खोलती है, वहीं भारत जैसे डिजिटल रूप से असमान देश में चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं।

मुकेश वत्स,
प्रधान संपादक

डिजिटल विभाजनः देश की लगभग 65% आबादी ही ऑनलाइन है। पहाड़ी, जंगल और दूर-दराज के क्षेत्रों में कमजोर नेटवर्क और निम्न डिजिटल साक्षरता दर एक बड़ी बाधा है। यह खतरा बना रहेगा कि गरीब, बुजुर्ग, ग्रामीण महिलाएं या प्रवासी मजदूर डिजिटल प्रक्रिया से छूट सकते हैं, जिससे डेटा की सटीकता प्रभावित होगी।

कर्मचारी प्रशिक्षणः लगभग 30 लाख गणना कर्मचारियों (जिनमें ज्यादातर शिक्षक हैं) को ऐप के उपयोग के लिए प्रभावी और गहन प्रशिक्षण देना होगा। यदि प्रशिक्षण में कमी हुई, तो वे जमीनी स्तर पर तकनीकी समस्याओं का सामना करेंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया धीमी हो जाएगी।

साइबर सुरक्षाः जाति और माइग्रेशन जैसी संवेदनशील जानकारी मोबाइल नेटवर्क के जरिए भेजी जाएगी। ऐसे में, डेटा की साइबर सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता है। किसी भी प्रकार की डेटा सेंधमारी जनता के विश्वास को गंभीर रूप से ठेस पहुंचा सकती है।

जनगणना 2027 सिर्फ आंकड़े जुटाने का काम नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर और डिजिटल इंडिया की नींव को मजबूत करने का एक माध्यम है। सरकार को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे। नेटवर्क-विहीन क्षेत्रों में बैकअप के तौर पर कागजी फॉर्म के उपयोग की योजना प्रशंसनीय है, लेकिन डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल देना होगा।

मुफ्त शिक्षा की आड़ में 'बच्चों का सौदा': क्या यह धर्मांतरण की साज़िश है?

झारखंड के गरीब आदिवासी बच्चों को बेहतर भविष्य और मुफ्त शिक्षा का प्रलोभन देकर नेपाल के बौद्ध मठों में ले जाए जाने का मामला अत्यंत चौंकाने वाला और हृदय विदारक है। पश्चिमी सिंहभूम जिले से 27 बच्चों को नेपाल ले जाने और उनमें से 11 बच्चों के भागकर लौटने के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, वे न सिर्फ मानव तस्करी की ओर इशारा करते हैं, बल्कि यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या यह सब गरीबी का लाभ उठाकर सुनियोजित धर्मांतरण की एक बड़ी साज़िश का हिस्सा है?

निशान्त वत्स
संपादक

मानव तस्करी एक जघन्य अपराध है, लेकिन जब इसका उपयोग किसी समुदाय की संस्कृति और धार्मिक पहचान को बदलने के लिए किया जाए, तो यह राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाता है।

गरीबी और अशिक्षा का फायदा : यह त्रासदी आदिवासी बहुल इलाकों में व्याप्त गरीबी और शिक्षा के अभाव का सीधा परिणाम है। तस्करों और इस साज़िश के पीछे के तत्वों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। जहां सरकारें और समाज कल्याण संगठन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में विफल रहे हैं, वहीं इन असामाजिक तत्वों ने मुफ्त भोजन, आवास और एक 'उज्जवल भविष्य' का सब्जबाग दिखाकर माता-पिता की मजबूरी का फायदा उठाया। बच्चों की आपबीती, जिसमें कोई औपचारिक स्कूल न होने, किताबों की अनुपलब्धता, बाल मुंडवाने, धार्मिक वेशभूषा पहनने, ध्यान कराने और बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध की बात है, स्पष्ट रूप से बताती है कि यह शिक्षा नहीं, बल्कि एक विशेष धार्मिक ढाँचे में ढालने की प्रक्रिया थी। यदि उद्देश्य केवल शिक्षा होता, तो उन्हें मठ के बजाय किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में भेजा जाता।

सहमति या छल? गंभीर सवाल : यह ध्यान देने योग्य है कि 27 में से 11 बच्चों के माता-पिता स्पष्ट रूप से छल का आरोप लगा रहे हैं, जबकि 16 अन्य ने लिखित सहमति दी है। यह अंतर दिखाता है कि सहमति भी कई बार अज्ञानता, मजबूरी, या आर्थिक प्रलोभन का परिणाम हो सकती है। पुलिस को उन 16 मामलों में भी गहराई से जांच करनी चाहिए कि कहीं यह सहमति धोखे से तो नहीं ली गई, या कहीं यह आर्थिक लालच का परिणाम तो नहीं है। किसी भी सूरत में, बिना उचित दस्तावेज़ों और सत्यापन के बच्चों को एक विदेशी धार्मिक केंद्र में भेजना भारत और नेपाल दोनों के कानूनों का उल्लंघन है।

धर्मांतरण के एंगल से जांच जरूरी : स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों द्वारा उठाया गया सवाल जायज हैः क्या यह धर्मांतरण की साज़िश है? जिस प्रकार बच्चों को जबरन धार्मिक अनुष्ठानों (ध्यान, बाल मुंडन, विशेष वेशभूषा) में शामिल किया जा रहा था, वह इस संदेह को पुख्ता करता है। आदिवासी समाज की अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। यदि शिक्षा के नाम पर उनके बच्चों को किसी अन्य धर्म में दीक्षित किया जा रहा है, तो यह उनके मौलिक अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा पर सीधा हमला है। पुलिस द्वारा मानव तस्करी का केस दर्ज करना एक सही कदम है, लेकिन अब जांच को अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी, धर्म परिवर्तन की साज़िश और विदेशी फंडिंग के कोण से विस्तार देना होगा।

आगे की राह : तत्काल सुरक्षित वापसीः शेष सभी बच्चों को तत्काल और सुरक्षित रूप से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार को नेपाल सरकार से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करनी चाहिए।

दोषियों पर कठोर कार्रवाई : इस रैकेट में शामिल सभी आरोपियों - स्थानीय एजेंटों से लेकर मठ के संचालकों तक - पर मानव तस्करी, धोखाधड़ी और धर्मांतरण से संबंधित धाराओं के तहत कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए।

सोशल मीडिया का बढ़ता वर्चस्व और खोता हुआ बचपन

ललित गर्ग

भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। ऑनलाइन बुलिंग, ऑनलाइन ठगी, व्यभिचार से जुड़ी सामग्री, गुमराह करने वाले 'इन्फ्लुएंसर', फर्जी पहचान, ऑनलाइन हिंसा और डिजिटल व्यसन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार बच्चे अपराधों में नहीं, बल्कि अपराधों के शिकार के रूप में फंसते हैं-लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं दिखता। सोशल मीडिया कंपनियों का रवैया लापरवाह रहा है, क्योंकि उनका लक्ष्य बच्चों की सुरक्षा नहीं, बच्चों का उपयोग करके मुनाफा कमाना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में भी ऑस्ट्रेलिया जैसे कठोर कदम उठाए जाने चाहिए? उत्तर है-बिल्कुल होना चाहिए।

पिछले एक दशक में जिस सोशल मीडिया को आधुनिकता की उपलब्धि, अभिव्यक्ति की आजादी और वैश्विक संपर्क का सबसे बड़ा माध्यम माना गया था, उसी सोशल मीडिया ने अब अपने छिपे डरावने एवं वीभत्स चेहरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी देश, जो कल तक इसके गुणगान करते नहीं थकते थे, अब उसके दुष्परिणामों से भयभीत होने लगे हैं। यह भय यूं ही नहीं है-अनेक देशों में बच्चों की आत्महत्याओं, हिंसक व्यवहार, मानसिक विकारों, नशे जैसे डिजिटल व्यसनों और सामाजिक विकृतियों के बढ़ते आंकड़ों ने सोशल मीडिया की वास्तविकता का पर्दाफाश किया है। इसी पृष्ठभूमि में आस्ट्रेलिया की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाकर विश्व-समुदाय को चेताया भी है और झकझोर भी दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया कंपनियों से वह अधिकार वापस ले लिए हैं, जिनके दुरुपयोग ने बच्चों के जीवन और अभिभावकों की मानसिक शांति को संकट में डाल दिया था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह सुधार बच्चों को 'बचपन जीने का अधिकार' लौटाने के लिए है-उन जिंदगियों को नया मोड़ देने के लिए है जो सोशल मीडिया ने समय से पहले वयस्कता, अस्वस्थता, तनाव और विकृतियों में धकेल दी थीं। इतना ही नहीं, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट नहीं हटाने पर लगभग पाँच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान देश का रुख साफ करता है कि अब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस पहल के बाद पश्चिमी जगत में सुगबुगाहट बढ़ी है। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक सवाल उठ रहे हैं कि यदि ऑस्ट्रेलिया यह साहस दिखा सकता है तो वे क्यों नहीं? यह सुगबुगाहट केवल सरकारों में ही नहीं है-उन अभिभावकों में भी है जिन्होंने सोशल मीडिया को अपने बच्चों की आत्महत्या, अवसाद और चरित्र-भंग का मूल कारण मानना शुरू कर दिया है। वास्तव में, इस संकट की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों ने बच्चों को आकर्षित करने के लिए ऐसे एल्गोरिद्म बनाए, जो उनका अधिकतम समय खाएं, उनकी जिज्ञासाओं को उकसाएं और उनके भीतर छिपी संवेदनशीलता का दोहन करके उन्हें सोशल मीडिया निर्भरता की स्थिति तक ले जाएं। इन प्लेटफॉर्मों पर वयस्क सामग्री, द्विअर्थी वीडियोज, हिंसक गेम्स, 'लाइक-फॉलोअर' जैसे डिजिटल भ्रमों का ऐसा सैलाब है जिसने बच्चों की मनोवैज्ञानिक संरचना को गहरी चोट पहुंचाई है। नतीजा यह है कि आज बच्चे समय से पहले वयस्क हो रहे हैं-शरीर से नहीं, मानसिकता से।

भारतीय परिवार-व्यवस्था, संस्कार और मूल्य-व्यवस्था इस संकट की चपेट में और तेजी से आए हैं। पहले जहां बच्चे माता-पिता, शिक्षक और संस्कारों से सीखते थे, आज वे 'रील्स' और 'शॉर्ट वीडियोज' एवं अश्लील सामग्री से सीख रहे हैं। जो सामग्री

उनके सामने आ रही है, वह न भारतीय चरित्र से मेल खाती है न जीवन-मूल्यों से। निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा तैयार ये सामग्री बच्चों के मन में गलत आदर्श, गलत नायक और गलत आकांक्षाएं भर रही है। सवाल यह है कि क्या बच्चे स्वयं सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, या सोशल मीडिया उन्हें एक सुनियोजित तरीके से अपनी गिरफ्त में ले रहा है? सच्चाई का उत्तर दूसरा है। इन प्लेटफॉर्मों पर अमर्यादित सामग्री की भरमार है-जिसे देखकर किशोरों में अपराधी प्रवृत्तियों की ओर उन्मुखता बढ़ रही है। ब्रह्मचर्य, संयम, अनुशासन और चरित्र जैसे भारतीय मूल्य हाशिये पर जा रहे हैं। इसके साथ-साथ एक गंभीर स्वास्थ्य-संकट जन्म ले रहा है। घंटों मोबाइल पकड़े बैठने से बच्चे शारीरिक सक्रियता से दूर हो रहे हैं। मोटापा, नींद की कमी, सिरदर्द, रीढ़ संबंधी विकार और यहां तक कि किशोरावस्था में मधुमेह जैसे रोगों के मामले बढ़ रहे हैं।

मानसिक रूप से स्थिति और भी भयावह है। लगातार स्क्रॉल करने की आदत बच्चों की एकाग्रता को चकनाचूर कर रही है। शिक्षा पर इसका सीधा दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है। जो बच्चे घंटों कल्पना-लोक में विचरण करते हैं, वे वास्तविकताओं से जूझते समय टूटने-बिखरने लगते हैं। उनकी सहनशक्ति कम हो रही है, आत्मविश्वास टूट रहा है, और असफलताओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है-जो कई बार आत्महत्या जैसी भयावह प्रवृत्तियों को जन्म देती है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। ऑनलाइन बुलिंग, ऑनलाइन ठगी, व्यभिचार से जुड़ी सामग्री, गुमराह करने वाले 'इन्फ्लुएंसर', फर्जी पहचान, ऑनलाइन हिंसा और डिजिटल व्यसन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार बच्चे अपराधों में नहीं, बल्कि अपराधों के शिकार के रूप में फंसते हैं-लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं दिखता। सोशल मीडिया कंपनियों का रवैया लापरवाह रहा है, क्योंकि उनका लक्ष्य बच्चों की सुरक्षा नहीं, बच्चों का उपयोग करके मुनाफा कमाना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में भी ऑस्ट्रेलिया जैसे कठोर कदम उठाए जाने चाहिए? उत्तर है-बिल्कुल होना चाहिए। और वह भी तुरंत।

भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किशोरों और युवाओं का है। यदि यह पीढ़ी सोशल मीडिया के अंधाधुंध प्रभाव में ढल गई, तो भविष्य में हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत की वह पहचान, जहां दुनिया भर में भारतीय प्रतिभा, अनुशासन और बुद्धिमत्ता की मिसाल दी जाती थी, वह धूमिल पड़ने लगेगी। यह संकट केवल सरकार का नहीं है-यह समाज, विद्यालयों, अभिभावकों और मीडिया-संस्थानों का संयुक्त संकट है। अभिभावकों को बच्चों को मोबाइल देना उनकी 'मांग' समझ में आता है, लेकिन उनको दिशा देना उनका कर्तव्य है। विद्यालयों को बच्चों को डिजिटल शिष्टाचार, डिजिटल योग्यता और डिजिटल अनुशासन के बारे में शिक्षित करना चाहिए। सरकार को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ ऐसे नियम बनाने चाहिए, जिनमें सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना पड़े। ऑस्ट्रेलिया ने यह कर दिखाया। और दुनिया सहम गई। अब बारी भारत और अन्य देशों की है। क्योंकि बच्चों का बचपन सिर्फ उनका अधिकार नहीं-पूरे समाज का भविष्य है। यदि यह बचपन सोशल मीडिया के हाथों बर्बाद होता रहा, तो आने वाले दौर में जो विकृतियां जन्म लेंगी, वे केवल सामाजिक नहीं, राष्ट्रीय संकट बन जाएंगी। यह समय निर्णायक है। थोड़ी-सी भी देर-और समाज को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलियाई पहल ने दुनिया को एक संदेश दे दिया है कि बच्चों को बचाने का समय अब आ गया है। भारत को भी साहसिक कदम उठाकर यह साबित करना होगा कि वह डिजिटल युग के दुष्परिणामों को समझता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और संस्कारित वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। बचपन को बचाइए-क्योंकि यही वह आधार है जिस पर समाज, संस्कृति और सभ्यता खड़ी होती है। और यदि यह आधार कमजोर पड़ गया, तो भविष्य की कोई भी इमारत स्थायी नहीं रह सकती।

जामताड़ा अब इतिहासः साइबर ठगी का नया अड्डा आपके आसपास

साइबर अपराध अब किसी शहर या जिले तक सीमित नहीं रहा। कभी झारखंड का जामताड़ा साइबर ठगी का पर्याय बन चुका था। वहां से निकलने वाली फिशिंग कॉल्स, फर्जी निवेश योजनाओं और बैंक डिटेल्स चुराने के मामलों की खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनती थीं। लेकिन आज यह खतरा केवल बड़े शहरों या साइबर हब तक सीमित नहीं रहा। ग्रामीण भारत में भी इसका दायरा तेजी से बढ़ गया है। हाल ही में मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के छोटे से घटवा गांव से दो युवकों की गिरफ्तारी ने यह सच फिर साबित कर दिया कि साइबर ठगी अब शहरों और बड़े कस्बों तक सीमित नहीं है। दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ये युवक कथित रूप से बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा थे। यह घटना न केवल स्थानीय स्तर पर चिंता का विषय है, बल्कि पूरे देश में साइबर अपराध के विकेंद्रीकरण का भी संकेत देती है।

प्रो. आरके जैन

जामताड़ा, जो कभी साइबर फ्रॉड का हब माना जाता था, अब पांचवें स्थान पर खिसक चुका है। पहले यहां युवा लोगों को लुभाकर बैंक डिटेल्स मांगते, फर्जी निवेश योजनाओं या लॉटरी जीत का झांसा देकर ठगते थे। लेकिन अब यह प्रवृत्ति बदल गई है। उत्तरी भारत के छोटे कस्बे और जिले, जैसे हरियाणा का मेवात, राजस्थान के भारतपुर और मथुरा, बिहार के गोपालगंज, झारखंड के देवघर और धनबाद, अब साइबर ठगी के नए हब बन गए हैं। यहां तक कि आईटी और कॉरपोरेट हब गुरुग्राम में भी यह अपराध तेजी से फैल रहा है।

ये नए हब जामताड़ा मॉडल की तरह काम करते हैं। युवा समूह बनाकर, फर्जी ऐप्स, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे गरीबी और बेरोजगारी का फायदा उठाकर युवाओं को ठगी के नेटवर्क में शामिल कर लेते हैं। देवघर जिले में फर्जी कॉल सेंटर्स की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और यह जामताड़ा को पीछे छोड़ चुका है। अब ग्रामीण क्षेत्र भी इस जाल में फंस रहे हैं, जहां कई लोग अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करके आसानी से अपराध में शामिल हो जाते हैं।

ग्रामीण भारत में साइबर ठगी का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका है। मप्र के बड़वानी जिले के घटवा गांव की हालिया घटना ग्रामीण भारत में साइबर ठगी के बदलते चेहरे का ताजा उदाहरण है। यह गांव ठीकरी तहसील में स्थित है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आता है। यहां के दो युवकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कथित रूप से साइबर फ्रॉड नेटवर्क में शामिल थे। इनके अपराध केवल स्थानीय नहीं थे; इनके झांसे में आए पीड़ितों का प्रभाव दिल्ली और अन्य बड़े शहरों तक फैला था। मध्यप्रदेश में 2021 से 2025 तक साइबर ठगी के मामलों का आंकड़ा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, जबकि रिकवरी रेट केवल 0.2% है। बड़वानी जिले में हाल ही में 82,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें ठग ने खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर पीड़ित को डराया।

साइबर ठगी अब शहरों से बाहर निकलकर गांवों में भी फैल चुकी है। ग्रामीण युवा स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए इसमें आसानी से शामिल हो रहे हैं, लेकिन कानूनी जागरूकता की कमी उन्हें गंभीर जोखिम में डाल रही है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में यह भी सामने आया कि कई नेटवर्क विदेशों तक फैले हुए हैं, जैसे म्यांमार, जहां युवाओं को फ्रॉड नेटवर्क में ट्रैफिक किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की सफलता ने इंटरनेट को हर कोने तक पहुंचा दिया, लेकिन साइबर सुरक्षा शिक्षा पीछे रह गई। ई-कॉमर्स, डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो जैसी नई तकनीक ने ठगों को नए अवसर दिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में साइबर क्राइम में 31.2% की वृद्धि हुई। बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में 17,000 से अधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन छोटे कस्बे जैसे भरतपुर और नूह अब शीर्ष स्थान पर हैं। साइबर ठगी के प्रभाव अब केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहे। लाखों लोग अपनी मेहनत की कमाई खो रहे हैं, उनके सपने, भविष्य और आर्थिक सुरक्षा खतरे में हैं। नए स्कैम्स, जैसे 'डिजिटल अरेस्ट', अब लोगों को घर पर 'अरेस्ट' दिखाकर डराने की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मानसिक तनाव और सामाजिक कलंक बढ़ रहा है। यह केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, बल्कि समाज और देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर भी गंभीर असर डाल रहा है।

समाधान की दिशा में पुलिस सक्रिय हो रही है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 800 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया और कई फर्जी कॉल सेंटर्स को बंद किया। लेकिन यह केवल शुरुआत है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जागरूकता की बेहद आवश्यकता है। सरकार को साइबर सुरक्षा शिक्षा और प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर लागू करना होगा, कड़े कानून बनाने होंगे, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना होगा ताकि अपराधियों की जड़ें कमजोर हों। सकारात्मक पहल के रूप में, इंश्योरेंस कंपनियां अब साइबर फ्रॉड कवर देने लगी हैं, जो पीड़ितों के लिए राहत और सुरक्षा का जरिया बन सकता है।

मप्र के बड़वानी जिले के घटवा गांव की घटना एक गंभीर चेतावनी है, साइबर ठगी अब जामताड़ा की मोनोपॉली नहीं रही। यह पूरे देश में फैल चुकी है, और अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह एक महामारी का रूप ले सकती है। इस जाल से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है – व्यापक जागरूकता, साइबर शिक्षा और वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करना। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना अब हर नागरिक की जिम्मेदारी बन गई है। जामताड़ा अब इतिहास बन चुका है, और साइबर ठगी का नया ठिकाना अब आपका अपना गांव है। यदि हम अभी नहीं चेते, तो बहुत देर हो जाएगी, और कीमत हमारी सुरक्षा और भविष्य को चुकानी पड़ेगी।

आज भारतीय लाइब्रेरियन कई तरह के डिजिटल दक्षताओं के बिना आगे नहीं बढ़ सकता

लाइब्रेरियन अब सिर्फ पुस्तकों के संरक्षक नहीं उनका पेशा अब आधुनिक टेक संचालित हो चुका है। ई-रिसोर्सेज़ की उपलब्धता, ऑनलाइन जर्नल की सदस्यता और ई-गवर्नेंस ने उसकी भूमिका स्मार्ट और वर्सेटाइल बना दी। वह अब स्कूल, कॉलेज तक सीमित नहीं बल्कि कंपनियों के नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में लाइब्रेरियन की डिजिटल दक्षता, डेटा इंडेक्सिंग, कंटेंट क्यूरेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आदि काम आती हैं।

डॉ विजय गर्ग

एक समय था, जब लाइब्रेरियन का काम केवल किताबों की अलमारियों में किताबों को व्यवस्थित रखना, कैटलॉग तैयार करना और पाठकों को आवश्यक पुस्तक तक पहुंचानाभर समझा जाता था। लेकिन पिछले एक दशक में भारत में जो डिजिटल क्रांति हुई है, उसके चलते अब लाइब्रेरियनशिप एक पारंपरिक सेवा से बदलकर अत्यंत आधुनिक, टेक संचालित और रणनीतिक कैरियर बन चुका है। आज लाइब्रेरियन सिर्फ पुस्तकों के संरक्षक नहीं बल्कि डिजिटल नॉलेज मैनेजर हैं। इन्हें डाटा क्यूरेटर, लर्निंग टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और इंफार्मेशन नेविगेटर भी कह सकते हैं। वास्तव में भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी पहल ने विश्वविद्यालयों में ई-रिसोर्सेज़ की उपलब्धता, ऑनलाइन जर्नल की सदस्यता और ई-गवर्नेंस ने लाइब्रेरियन की भूमिका को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और वर्सेटाइल बना दिया है। लाइब्रेरियन केवल भौतिक पुस्तकों को ही नहीं बल्कि ई-बुक, ई-जर्नल, डेटा बेस, ओपन सोर्स रिपॉजिटरी, डिजिटल आर्काइव्स आदि का भी संचालन करता है। इसलिए आज के लाइब्रेरियन के पास डिजिटल रिपॉजिटरी मैनेजमेंट, डेटा माइग्रेशन, मेटा डेटा स्कीम और क्लाउड आधारित लाइब्रेरी सिस्टम, जिनमें कौशल होना आवश्यक है। ऐसे ज्ञान से लैस पेशेवरों की मांग विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थानों, शोध केंद्रों और कार्पोरेट सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ी है।

ऑटोमेशन और एआई का असर : आधुनिक लाइब्रेरी अब आईएलएस (इंटीग्रेटिड लाइब्रेरी सिस्टम) आरएफआईडी, एआई आधारित सर्च सिस्टम और ऑटोमेटिक कैटलॉगिंग का उपयोग करती है। इस बदलाव के कारण लाइब्रेरियन अब केवल रिकॉर्ड दर्ज करने वाले व्यक्तिभर नहीं हैं बल्कि एआई फ्रेंडली, नॉलेज आर्किटेक्ट बन गये हैं। आज की दुनिया में इनका काम नये-नये आयाम हासिल कर चुका है। मसलन- ऑटोमेशन सिस्टम सेटअप करना, डेटा की सटीकता और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, उपयोगकर्ताओं को डिजिटल लर्निंग गाइडेंस देना, खोज परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एआई टूल्स के पैरामीटर्स को समझना, इन तमाम तकनीकों ने लाइब्रेरियन के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया है।

डिजिटल स्किल्स ने खोले नये रोजगार क्षेत्र : डिजिटल कुशल लाइब्रेरियन अब केवल स्कूल, कॉलेज तक सीमित नहीं बल्कि कई कंपनियां अब नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम चलाती हैं। यहां लाइब्रेरियन डिजिटल दक्षता, डेटा इंडेक्सिंग, कंटेंट क्यूरेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आदि बहुत काम आती हैं। लाइब्रेरियन आज ई-लर्निंग कंटेंट स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। वो ऑनलाइन शिक्षा, एलएमएस प्लेटफॉर्म आदि के बढ़ने से कंटेंट टैगिंग,डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेस की मैपिंग और यूजर बिहेवियर एनालिसिस आदि का भी काम करते हैं। आजकल लाइब्रेरियन को डिजिटल आर्किविस्ट भी कहा जाता है। ये अखबारों, सरकारी दफ्तरों और संग्रहालयों आदि में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटाइज करने का काम करते हैं। यहां लाइब्रेरियन की मेटा डेटा और डॉक्यूमेंट पिजर्वेशन स्कीम काम आती है। रिसर्च डेटा मैनेजर जैसी पोस्ट भी आजकल लाइब्रेरियन को मिल रही हैं, जिससे वो शोध संस्थानों में डेटा संग्रह, वर्गीकरण, सांख्यिकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और ओपन एक्सेस नीतियों का पालन कराते हैं।

शिक्षण सहायक भी

नई शिक्षा नीति 2020 के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में लाइब्रेरियन छात्रों को डिजिटल साक्षरता, रिसर्च मेथ्डोलॉजी, प्लेजरिज्म अवेयरनेस और डेटा बेस नेविगेशन जैसे विषयों पर मुख्य मार्गदर्शक बनकर उभरे हैं। ये परिवर्तन लाइब्रेरियन को शिक्षा व्यवस्था का सक्रिय सहयोगी बनाते हैं। इससे लाइब्रेरियन की प्रतिष्ठा और भूमिका दोनों मजबूत हुई हैं। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट लाइब्रेरी के इस नये युग में स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल ग्राम लाइब्रेरी आदि के बढ़ने से लाइब्रेरियन के रोजगार में क्षेत्रीय विस्तार हुआ है। ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर लाइब्रेरियन का रूप बदल गया है। आईटी आधारित, सेल्फ चेक इन/आउट स्टेशन, क्लाउड कैटलॉग और मोबाइल ऐप-बेस्ड लाइब्रेरी सेवाएं- ये सब डिजिटल दक्षता की वजह से संभव हुआ है।

कौशल और तकनीक का संगम

आज भारतीय लाइब्रेरियन कई तरह के डिजिटल दक्षताओं के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। मसलन कोहा, डी-स्पेस, ई-ग्रंथालय जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। मसलन -मेटा डेटा की विशेषज्ञता, डिजिटल प्रिजर्वेशन, वेब डिजाइन की समझ, साइबर सुरक्षा और गोपनीयता व कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन। ये कुशलताएं आज लाइब्रेरियन में होनी ही चाहिए। लाइब्रेरियन का वेतन भी अब पहले से बेहतर हुआ है। सरकारी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान 45 हजार से 1 लाख 20 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देते हैं। कारपोरेट सेक्टर में यह 60 हजार से 1 लाख 50 हजार रुपये प्रतिमाह हो सकता है। डिजिटल आर्किविस्ट/कंटेंट क्यूरेटर को 40 हजार से 1 लाख रुपये प्रतिमाह और रिसर्च डेटा मैनेजर को 70 से 1 लाख 40 हजार रुपये तक का प्रतिमाह वेतन आसानी से मिल जाता है। इस तरह डिजिटल तकनीक ने लाइब्रेरियन का प्रोफेशन विकसित, प्रतिष्ठित और बहुआयामी बना दिया है।

पब्लिक एशिया : पत्र पंजीकरण संख्या : 49329/1989, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, मुकेश वत्स ने पब्लिक एशिया E-33, सेक्टर-7 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित कराया व 302, ||| फ्लोर नेशनल आर्केट बिल्डिंग एल.एस.सी. गाजीपुर दिल्ली 96 से प्रकाशित किया है। संपादकीय कार्यालय : 302 ||| फ्लोर नेशनल आर्केट बिल्डिंग एल.एस.सी. गाजीपुर दिल्ली-96। मुख्य कार्यालय पब्लिक एशिया हाउस 686 जी, न्याय खंड-2, इन्दरापुरम, गाजियाबाद (उ.प्र.), Mob. 9891945513, Web-www.publicasia.in, E-mail ID: publicasia1989@gmail.com
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगें। वैधानिक सूचना-पाठकों को सलाह दी जाती है की किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच- पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापन के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। संपादकीय पेज पर प्रिंट होने वाले लेख की जिम्मेदारी लेखक की होगी, इससे समाचार पत्र का कोई लेना-देना नहीं है।

सम्पादकीय

वंदे मातरम को पूर्ण करो

क्या राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को गाना अथवा बोलना बाध्यकारी है? क्या उसे जबरन किसी समुदाय पर थोपा जा सकता है? क्या 'वंदे मातरम' को काट-छांट कर उसके साथ विश्वासघात किया गया? 'राष्ट्रगीत' को अपमानित किया गया? क्या 'राष्ट्रगीत' की आत्मा को खंडित किया गया? मौजूदा संदर्भों में सरकार और संसद क्या 'राष्ट्रगीत' की मौलिक गरिमा बहाल कर सकती हैं? क्या 'वंदे मातरम' को अब संपूर्ण रूप दिया जा सकता है और उसे संवैधानिक मान्यता मिल सकती है? हमें लगता है कि आज का प्रासंगिक सवाल यही है। गीत की संपूर्णता ही 'वंदे मातरम' को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संसद में 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चर्चा की गई थी। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी और राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने चर्चा का आगाज किया। संविधान सभा ने 'वंदे मातरम' को 'राष्ट्रगीत' का दर्जा दिया और गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर के 'जन गण मन..' को 'राष्ट्रगान' का सम्मान दिया गया। दोनों की स्थिति संवैधानिक है, लिहाजा स्वीकार्य और अनिवार्य भी है। जबरन अथवा बाध्य करने का सवाल या संदेह नहीं किया जाना चाहिए। ये गीत राष्ट्रीय हैं, लिहाजा धार्मिक, मजहबी आस्थाओं से ऊपर हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में हमें 'अभिव्यक्ति की आजादी' का अधिकार मिला है, तो अनुच्छेद 25 'धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार' प्रदान करता है। ये दोनों गीत भी संवैधानिक उसी तरह हैं, जिस तरह 'तिरंगा' भारत के प्रत्येक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, तमिल, कन्नड़, तेलुगू से लेकर पूर्वोत्तर के निवासी तक के लिए 'राष्ट्रीय ध्वज' है। 'वंदे मातरम' हमारे देश की आजादी के आंदोलन का गीत था। महात्मा गांधी ने उसे एकता, प्रेरणा और ऊर्जा का गीत माना था। आजादी के आंदोलनों के दौरान 'वंदे मातरम' मुस्लिम क्रांतिवीरों का भी गीत था। उर्दू अखबारों ने भी 'वंदे मातरम' की स्तुति में बहुत कुछ लिखा और छापा था। यदि मुस्लिमवादी नेता जिन्ना ने 'वंदे मातरम' को मुसलमानों की भावनाओं के खिलाफ करार दिया और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू को उनकी मांग के सामने झुकना पड़ा और 'वंदे मातरम' के छंद काट दिए गए। हमारा मानना है कि उस अध्याय को आज विस्मृत कर देना चाहिए। वह आज प्रासंगिक भी नहीं है। भारत को आजाद हुए 78 लंबे साल बीत चुके हैं। भारत का अपना संविधान, संवैधानिक व्यवस्था, संसद और केंद्र-राज्य सरकारें हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा कि 'वंदे मातरम' के साथ विश्वासघात किया गया। तत्कालीन मुस्लिम लीग के सामने कांग्रेस ने घुटने टेक दिए। 'वंदे मातरम' के टुकड़े कर दिए गए, वहीं से देश के विभाजन का बीज बो दिया गया। जिन्ना की आपत्ति पर आजादी के आंदोलन, बलिदान, त्याग, तपस्या, एकता, प्रेरणा और ऊर्जा के गीत को खंडित कर दिया गया। नई पीढ़ी को यह विभाजनकारी और नकारात्मक इतिहास पढ़ाने से भी हासिल क्या होगा? उस अतीत पर प्रलाप करके भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने सभापति सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिख कर यह खुलासा किया कि कौन सांसद और राजनीतिक दल 'वंदे मातरम' को गाने के खिलाफ हैं। वे धार्मिक तौर पर इस गीत को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें देवी-देवताओं और कमल के फूल का उल्लेख है।

साइबर अपराध का विकेंद्रीकरण: शहरों से गांव तक

प्रो. आरके जैन

जामताड़ा, जो कभी साइबर फ्रॉड का हब माना जाता था, अब पांचवें स्थान पर खिसक चुका है। पहले यहां युवा लोगों को लुभाकर बैंक डिटेल्स मांगते, फर्जी निवेश योजनाओं या लॉटरी जीत का झांसा देकर ठगते थे। लेकिन अब यह प्रवृत्ति बदल गई है। उत्तरी भारत के छोटे कस्बे और जिले, जैसे हरियाणा का मेवात, राजस्थान के भारतपुर और मथुरा, बिहार के गोपालगंज, झारखंड के देवघर और धनबाद, अब साइबर ठगी के नए हब बन गए हैं। यहां तक कि आईटी और कॉरपोरेट हब गुरुग्राम में भी यह अपराध तेजी से फैल रहा है। ये नए हब जामताड़ा मॉडल की तरह काम करते हैं।

साइबर अपराध अब किसी शहर या जिले तक सीमित नहीं रहा। कभी झारखंड का जामताड़ा साइबर ठगी का पर्याय बन चुका था। वहां से निकलने वाली फिशिंग कॉल्स, फर्जी निवेश योजनाओं और बैंक डिटेल्स चुराने के मामलों की खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनती थीं। लेकिन आज यह खतरा केवल बड़े शहरों या साइबर हब तक सीमित नहीं रहा। ग्रामीण भारत में भी इसका दायरा तेजी से बढ़ गया है। हाल ही में मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के छोटे से घटवा गांव से दो युवकों की गिरफ्तारी ने यह सच फिर साबित कर दिया कि साइबर ठगी अब शहरों और बड़े कस्बों तक सीमित नहीं है। दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ये युवक कथित रूप से बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा थे। यह घटना न केवल स्थानीय स्तर पर चिंता का विषय है, बल्कि पूरे देश में साइबर अपराध के विकेंद्रीकरण का भी संकेत देती है।

जामताड़ा, जो कभी साइबर फ्रॉड का हब माना जाता था, अब पांचवें स्थान पर खिसक चुका है। पहले यहां युवा लोगों को लुभाकर बैंक डिटेल्स मांगते, फर्जी निवेश योजनाओं या लॉटरी जीत का झांसा देकर ठगते थे। लेकिन अब यह प्रवृत्ति बदल गई है। उत्तरी भारत के छोटे कस्बे और जिले, जैसे हरियाणा का मेवात, राजस्थान के भारतपुर और मथुरा, बिहार के गोपालगंज, झारखंड के देवघर और धनबाद, अब साइबर ठगी के नए हब बन गए हैं। यहां तक कि आईटी और कॉरपोरेट हब गुरुग्राम में भी यह अपराध तेजी से फैल रहा है। ये नए हब जामताड़ा मॉडल की तरह काम करते हैं। युवा समूह बनाकर, फर्जी ऐप्स, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे गरीबी और बेरोजगारी का फायदा उठाकर युवाओं को ठगी के नेटवर्क में शामिल कर लेते हैं। देवघर जिले में फर्जी कॉल सेंटर्स की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और यह जामताड़ा को पीछे छोड़ चुका है। अब ग्रामीण क्षेत्र भी इस जाल में फंस रहे हैं, जहां कई लोग अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करके आसानी से अपराध में शामिल हो जाते हैं। ग्रामीण भारत में साइबर ठगी का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका है। मप्र के बड़वानी जिले के घटवा गांव की हालिया घटना ग्रामीण भारत में साइबर ठगी के बदलते चेहरे का ताजा उदाहरण है। यह गांव ठीकरी तहसील में स्थित है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आता है। यहां के दो युवकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कथित रूप से साइबर फ्रॉड नेटवर्क में शामिल थे। इनके अपराध केवल स्थानीय नहीं थे; इनके झांसे में आए पीड़ितों का प्रभाव दिल्ली और अन्य बड़े शहरों तक फैला था। मध्यप्रदेश में 2021 से 2025 तक साइबर ठगी के मामलों का आंकड़ा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, जबकि रिकवरी रेट केवल 0.2त्न है। बड़वानी जिले में हाल ही में 82,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें ठग ने खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर पीड़ित को डराया। साइबर ठगी अब शहरों से बाहर निकलकर गांवों में भी फैल चुकी है। ग्रामीण युवा स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए इसमें आसानी से शामिल हो रहे हैं, लेकिन कानूनी जागरूकता की कमी उन्हें गंभीर जोखिम में डाल रही है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में यह भी सामने आया कि कई नेटवर्क विदेशों तक फैले हुए हैं, जैसे म्यांमार, जहां युवाओं को फ्रॉड नेटवर्क में ट्रैफिक किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की सफलता ने इंटरनेट को हर कोने तक पहुंचा दिया, लेकिन साइबर सुरक्षा शिक्षा पीछे रह गई। ई-कॉमर्स, डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो जैसी नई तकनीक ने ठगों को नए अवसर दिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में साइबर क्राइम में 31.2त्न की वृद्धि हुई। बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में 17,000 से अधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन छोटे कस्बे जैसे भरतपुर और नूह अब शीर्ष स्थान पर हैं। साइबर ठगी के प्रभाव अब केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहे। लाखों लोग अपनी मेहनत की कमाई खो रहे हैं, उनके सपने, भविष्य और आर्थिक सुरक्षा खतरे में हैं। नए स्कैम्स, जैसे 'डिजिटल अरेस्ट', अब लोगों को घर पर 'अरेस्ट' दिखाकर डराने की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मानसिक तनाव और सामाजिक कलंक बढ़ रहा है। यह केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, बल्कि समाज और देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर भी गंभीर असर डाल रहा है। समाधान की दिशा में पुलिस सक्रिय हो रही है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 800 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया और कई फर्जी कॉल सेंटर्स को बंद किया। लेकिन यह केवल शुरुआत है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जागरूकता की बेहद आवश्यकता है। सरकार को साइबर सुरक्षा शिक्षा और प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर लागू करना होगा, कड़े कानून बनाने होंगे, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना होगा ताकि अपराधियों की जड़ें कमजोर हों। सकारात्मक पहल के रूप में, इंश्योरेंस कंपनियां अब साइबर फ्रॉड कवर देने लगी हैं, जो पीड़ितों के लिए राहत और सुरक्षा का जरिया बन सकता है।

मप्र के बड़वानी जिले के घटवा गांव की घटना एक गंभीर चेतावनी है, साइबर ठगी अब जामताड़ा की मोनोपॉली नहीं रही। यह पूरे देश में फैल चुकी है, और अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह एक महामारी का रूप ले सकती है। इस जाल से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है — व्यापक जागरूकता, साइबर शिक्षा और वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करना। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना अब हर नागरिक की जिम्मेदारी बन गई है। जामताड़ा अब इतिहास बन चुका है, और साइबर ठगी का नया ठिकाना अब आपका अपना गांव है। यदि हम अभी नहीं चेते, तो बहुत देर हो जाएगी, और कीमत हमारी सुरक्षा और भविष्य को चुकानी पड़ेगी।

यह जाति की राजनीति खतरनाक खेल महाराष्ट्र राज्य को गिराने वाला नहीं है, तो और क्या?

अशोक भाटिया

जाति की राजनीति लोकतंत्र के लिए रक्षक है या रक्षक, इस पर अक्सर बहस होती रहती है कि संसदीय लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखनी है तो इस तरह के खेल खेलना ठीक नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, वो इस खेल में डूबे हुए हैं, एक बार आदत पड़ गई तो आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। चुनावी राजनीति सफल होनी है तो सब कुछ माफ किया जा सकता है। लेकिन जो खेल शुरू किया गया था, उसे पूरा नहीं किया जाना चाहिए। इसका ताजा उदाहरण महायुति सरकार द्वारा चुनाव से पहले घोषित विभिन्न जातियों के आर्थिक विकास निगम हैं। हालांकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना समय लिया है, लेकिन जातिगत तुष्टिकरण की यह राजनीति कई नए सवालों को जन्म देती है।

भारत में कई राजनीतिक दल, खासकर क्षेत्रीय दल, अपनी वोट बैंक रणनीति के लिए जातीय समीकरणों पर निर्भर रहते हैं। राज्यों में विधानसभा से लेकर मुखिया चुनाव तक में जातिगत समीकरणों के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया जाता है। यह बात सर्वविदित है कि जातीय ध्रुवीकरण सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाता है और लंबे समय में अस्थिरता पैदा कर सकता है।ऐसे में शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी में संदेश है कि राजनीतिक दलों को दलगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना जरूरी है। यह बात गौर करने वाली है कि जातीय आधार पर वोट मांगने से समाज में विभाजन बढ़ता है, जो सामाजिक समरसता के लिए खतरा है। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि कई दल जातीय गणित के आधार पर टिकट वितरण, प्रचार, और नीतियां बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इशारा करती है कि यह रणनीति न केवल समाज के लिए हानिकारक है, बल्कि दीर्घकाल में दलों की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसका एक संदेश यह भी है कि राजनीतिक दलों को जाति आधारित रणनीति के बजाय योग्यता, विकास, और समग्र सामाजिक कल्याण पर आधारित रणनीति अपनानी चाहिए।

जाति की राजनीति लोकतंत्र के लिए रक्षक है या रक्षक, इस पर अक्सर बहस होती रहती है कि संसदीय लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखनी है तो इस तरह के खेल खेलना ठीक नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, वो इस खेल में डूबे हुए हैं, एक बार आदत पड़ गई तो आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। चुनावी राजनीति सफल होनी है तो सब कुछ माफ किया जा सकता है। लेकिन जो खेल शुरू किया गया था, उसे पूरा नहीं किया जाना चाहिए। इसका ताजा उदाहरण महायुति सरकार द्वारा चुनाव से पहले घोषित विभिन्न जातियों के आर्थिक विकास निगम हैं। हालांकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना समय लिया है, लेकिन जातिगत तुष्टिकरण की यह राजनीति कई नए सवालों को जन्म देती है। इन नए निगमों की क्या आवश्यकता थी जब राज्य पहले से ही असंख्य निगमों से भरा हुआ था और उनमें से पचास पूरी तरह से जर्जर थे? इसके जवाब में सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने बुधवार को विधानसभा में दिखाया कि

वे कंपनियों के रूप में पंजीकृत होंगे, भले ही उनके नाम में %निगम% शब्द हो, और उन्हें उसी के अनुसार चलाया जाएगा। चर्चा में भाग लेने वाले सभी विधायकों ने कहा कि खूब दान करने वाले दादा ओबीसी के इन निगमों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। जब तीन दलों का गठबंधन होता है तो ऐसे बर्तन टकराते रहते हैं, इसलिए इस बात को एक पल के लिए नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जातियों के उत्थान के लिए बने इन मंडलों का क्या?क्या वह धन की कमी के कारण केवल कागज के घोड़ों पर नृत्य करेगी?

ओबीसी श्रेणी के मामले में, जो महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का वोट बैंक है, लोकसभा चुनाव के नतीजों से पता चला कि वह उनसे हार गई है, भाजपा हमेशा जातीय समीकरणों के छोटे वर्गों पर सचेत रूप से ध्यान देती रही है। कुनबी, माली आदि बड़ी जातियां हैं, लेकिन इन निगमों को इस बात को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था कि अगर उन्हें एक ही श्रेणी में सैकड़ों लेकिन कम आबादी वाली छोटी जातियों के करीब लाया जाए तो यह अधिक फायदेमंद होगा। यह मॉडल चुनावी सफलता के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन अब क्या? क्या इन निगमों को अपने हाल पर रखने के लिए मरना नहीं है? एक साल पहले, सरकार ने घोषणा की थी कि उद्योगों और व्यवसायों के लिए ऋण के वितरण के लिए प्रत्येक निगम को 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, और सरकार इस पर ब्याज का भुगतान करेगी। वास्तव में, इनमें से केवल चार से पांच निगमों ने ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की और 29,000 लाभार्थियों को केवल 4 करोड़ रुपये वितरित किए गए। न तो लाभार्थी निर्धारित किया गया था। सरकार ने घोषणा के समय यह भी तय किया था कि इन प्रतिष्ठानों को कैसे शासित किया जाएगा। दरअसल, इनमें से हर एक निगम अतिरिक्त प्रभार रखने वाले अधिकारियों के बल पर कागजों पर चल रहा है। कोई कार्यालय नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। जिस ओबीसी निगम की संरक्षकता में ये मंडल काम कर रहे हैं, उसके राज्य भर में कार्यालय नहीं हैं। इससे पता चलता है कि कैसे वोट पाने का खेल आधा ही रह गया है। अब जब यह सब गड़बड़ सामने आती है तो सरकार कह रही है कि वह सभी को फंड देगी और हर निगम में एक ही जाति के तीन गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करेगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वह दिन वास्तव में कब आएगा। आम चुनाव से पहले सरकार ने घोषणा की थी कि वह हर जाति के संत के नाम पर पुरस्कार देगी, पुरस्कार तो दूर की बात है, अब समय आ गया है कि इन छोटे जाति समूहों को यह कहे कि उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक वित्तपोषण पर ध्यान देना चाहिए, पुरस्कार की तो बात ही छोड़ दें। एक तरफ पार्टी को न्यूनतम शासन और अधिकतम जनकल्याण के आकर्षक नारे लगाने चाहिए और दूसरी तरफ वही प्रशासन वोट के लिए जोखिम बढ़ाने की नीति क्या है? यह जानते हुए कि निगम का यह खेल खतरनाक था, यह जानबूझकर खेला गया था। अब अजीत दादा को दोष देना कितना सही है कि उन्होंने देखते ही फंड नहीं दिया? इन सभी निगमों के पदेन अध्यक्ष अतुल सावे बहुजन कल्याण मंत्री हैं। पिछले एक साल से वे क्या कर रहे हैं? धन प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए? बेशक, जवाब कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इस मौके पर सरकार को जो प्यार मिला है, उसका क्या?

भीड़ तंत्र का उदय और सामाजिक शांति को खतरा लोकतंत्र के लिए चिंतनीय

संजीव ठाकुर

आज का भारतीय समाज एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहा है जहाँ लोकतंत्र की नींव भीड़ की सनक और भीड़ के न्याय के बोझ से चरमराने लगी है, राज्य और समाज के बीच की वह महीन रेखा जिसे कानून और नैतिकता सँभालते थे, धीरे-धीरे धुंधली पड़ रही है, और भीड़ का उग्र निर्णय—जिसमें न विधि का लेखा है, न तर्क का आधार सामाजिक शांति के लिए भयावह खतरा बन चुका है। देश के कई राज्य हिंसा, राजनीतिक स्पर्धा और सामूहिक उन्माद की ज्वालाओं में झुलस रहे हैं, कहीं चुनावी वर्चस्व की लड़ाई है, कहीं जातीय विभाजन, कहीं सांप्रदायिक तनाव और कहीं राजनीतिक संरक्षण में उभरता उन्माद; इन सबके बीच मानवता की आवाज़ कराहते हुए सुनाई देती है। मणिपुर और पश्चिम बंगाल की घटनाओं ने यह विश्वास कमजोर कर दिया है कि जब मंत्रियों के घरों पर आगजनी हो सकती है, तब आम नागरिक की सुरक्षा और गरिमा का क्या मूल्य रह जाता है, राज्य सरकारें कई बार हाथ पर हाथ धरे खड़ी दिखती हैं और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, परंतु तब तक आग के विस्तार को रोकना कठिन हो चुका होता है। यह केवल कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक ताने-बाने के विघटन का संकेत है क्योंकि जिस न्याय का अधिकार राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका को था, वह आज भीड़ के हाथों में चला गया है, जिससे राज्य की संप्रभुता पर सीधा आघात होता है। यह सार्वभौमिक सत्य है कि भीड़ स्वत: उत्पन्न नहीं होती; उसे राजनीति, सत्ता, असंतोष और दुर्भावनापूर्ण प्रचार मिलकर जन्म देते हैं, और वही भीड़ एक क्षण में नायक गढ़ती है और अगले ही क्षण उसी नायक की बलि ले लेती है। इतिहास गवाह है कि भीड़ की न अपनी पहचान होती है, न मूल्य; फ्रांस के रोबेस्पीयर जैसी कड़वी मिसालें बताती हैं कि भीड़ जिसको सिर पर उठाती है, उसी को गिराने में भी देर नहीं लगाती। सिगमंड फ्रायड का कथन आज सत्य प्रतीत होता है कि भीड़ में व्यक्ति अपनी चेतना, विवेक और संस्कार खोकर आदिम प्रवृत्तियों की ओर लौट जाता है, जहाँ न धर्म बचता है, न तर्क, न नैतिकता सिर्फ उत्तेजना रहती है और उसका परिणाम हिंसा होता है। आज का उपभोक्तावादी समाज 'हम' की जगह 'मैं' के इर्द-गिर्द घूमने लगा है; सहयोग, सहिष्णुता और सामुदायिक भावनाएँ क्षीण हो रही हैं, व्यक्ति-केंद्रित विकास ने समाज के एक बड़े वर्ग को पीछे धकेल दिया है। वैश्वीकरण के असंतुलित स्वरूप ने साधनों का केंद्रीकरण बढ़ाया है; भारत में 10प्रतिशत लोगों के पास देश की 58% संपत्ति और 1% के पास 70% पूंजी है, जो सामाजिक तनाव, अविश्वास और क्रांति जैसी परिस्थितियों को जन्म देती है। शिक्षा व्यवस्था भीड़ तंत्र को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रही है; डिग्रियाँ बढ़ीं हैं, पर रोजगार घटा है, जिससे युवा कुंठा और निराशा में डूबकर किसी भी क्षुद्र घटना को सामूहिक उन्माद में बदलने लगते हैं और यही कुंठा माब लिंचिंग का ईंधन बन जाती है। न्याय व्यवस्था में विलंब भीड़ को और उन्मादित करता है, क्योंकि जब हत्यारे और बलात्कारी को सजा तब मिलती है जब वह बूढ़ा हो चुका होता है, तो नागरिक का भरोसा न्याय पर नहीं, बल्कि त्वरित प्रतिशोध पर टिकने लगता है, और यही मानसिकता भीड़ को कानून से बड़ा बना देती है।धर्म की स्वतंत्रता का दुरुपयोग आज ऐसे स्तर पर पहुँच गया है जहाँ खान-पान, पहनावे और परंपराओं के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है; अफवाहें, व्हाट्सऐप संदेश, फर्जी वीडियो और राजनीतिक एजेंडा किसी भी निर्दोष जीवन को निगल लेते हैं, जिससे राष्ट्र की छवि धूमिल होती है। सोशल मीडिया आधुनिक भीड़ का सबसे तेज और सबसे खतरनाक हथियार बन गया है; फर्जी खबरें और भड़काऊ पोस्ट कुछ ही मिनटों में भीड़ खड़ी कर देती हैं, चौथा स्तंभ माना जाने वाला मीडिया भी कई बार निष्पक्षता छोड़ राजनीतिक और धार्मिक झुकाव के साथ काम करता है, जिससे समाज में भ्रम और विभाजन गहराता है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग विकास की जगह विनाश की ओर मुड़ जाता है। माब लिंचिंग समाज की संस्कृति, सद्भाव और विश्वास को दीर्घकालिक क्षति पहुँचा रही है; इससे आर्थिक निवेश प्रभावित होता है, पलायन बढ़ता है, संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख को आघात पहुँचता है।

क्या प्रतिबंध ही समाधान? ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया कानून पर बहस

सुनील कुमार महला

सोशल मीडिया पर न्यूनतम आयु को लेकर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों और किशोरों के सोशल मीडिया उपयोग से जुड़े नियम/कानून (सोशल मीडिया राज फोर चिल्ड्रेन) में एक अद्भुत और दुनिया-भर में चर्चित बदलाव किया है। दरअसल,ऑस्ट्रेलियाई संसद ने आनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम ऐज) एक्ट-2024 पास किया है, जो वास्तव में आनलाइन सेफ्टी एक्ट -2021 में एक संशोधन है?। पाठकों को बताता चलूं कि इस कानून के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए खाता (अकाउंट) रखना या बनाना प्रतिबंधित होगा। वास्तव में आस्ट्रेलिया का यह कानून सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बाध्य करता है कि वे %जिम्मेदार कदम% उठाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 16-साल से छोटे बच्चे उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खाते(अकाउंट) नहीं रख सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनियों पर जिम्मेदारी है कि वे 16 से कम उम्र के बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म पर रखने से रोकें और अगर वे ये %रेस्पान्सिबल स्टेप्स%(जिम्मेदार कदम) नहीं उठाते हैं, तो उन्हें सीधे अदालत द्वारा भारी जुर्माने (सिविल पेनल्टीज) यानी कि लगभग 49.5 मिलियन आस्ट्रेलियाई डॉलर(लगभग ?30-35 करोड़ तक) का सामना करना पड़ सकता है,जो बहुत बड़ी धनराशि है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन विभिन्न प्लेटफार्म्स में क्रमश: फेसबुक, इंस्टाग्राम,टिकटोक, स्नैपचैट,रेडिट, थ्रेड्स,ट्विच,एक्स(पूर्व में जिसे ट्विटर कहा जाता था), यू-ट्यूब,किक जैसे कई मुख्य सामाजिक नेटवर्क(ऐज रेस्ट्रिक्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स) में शामिल हैं।कुछ एप/सेवाएं जिन्हें प्राथमिक रूप से संदेश भेजने, गेमिंग या शिक्षा/सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है (जैसे यू-ट्यूब किड्स, व्हाट्स एप, डिस्कार्ड इत्यादि), फिलहाल अलग हैं। गौरतलब है कि यह नियम आस्ट्रेलिया में 10 दिसंबर 2025 से लागू हो गया है। अच्छी बात यह है कि यह कानून सीधे बच्चों या उनके माता-पिता/संरक्षकों को दंडित नहीं करता है तथा इसका लक्ष्य बच्चों को सजा देना नहीं, बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों को जिम्मेदार बनाना है।इस संबंध में सरकार का यह कहना है कि यह कदम बच्चों को ऑनलाइन नुकसान, मानसिक दबाव, अवरुद्ध/हानिकारक सामग्री और अत्यधिक इंटरनेट उपयोग से सुरक्षित रखेगा। कहना ग़लत नहीं होगा कि यह कानून बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल कल्याण, और ऑनलाइन खतरों से सुरक्षा पर केंद्रित है। बहरहाल,यह बात बिल्कुल सही है कि आज इंटरनेट के कारण पूरी दुनिया बहुत ही छोटी हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरनेट ने दुनिया को जितना नज़दीक लाया है, उतना ही लोगों को वास्तविक रिश्तों से दूर भी कर दिया है,इसमें कोई दो राय नहीं है।

आभासी दुनिया(वर्चुअल वर्ल्ड) की अनगिनत सोशल मीडिया साइटों ने सीमाओं से परे संवाद का दायरा तो निश्चित ही बढ़ाया है, लेकिन इसके समानांतर यह भी एक कड़वा सच है कि वास्तविक जीवन में लोग एक-दूसरे से कटते गए हैं। आज यदि हम स्वयं अपने घरों में ही देखें तो चार लोग अपने अपने एंड्रॉयड फोन या लैपटॉप पर व्यस्त रहते हैं और एक-दूसरे से बातचीत या संवाद तक नहीं करते, जबकि पूरी दुनिया से वे लगातार आभासी रूप से जुड़े होते हैं। स्थिति यहां तक है कि पड़ोस के बच्चे ऑनलाइन दोस्त भी हों, चैट करते हों या साथ में गेम खेलते हों, फिर भी संभव है कि वे आमने-सामने कभी न मिले हों। यानी वर्चुअल दुनिया में बच्चों का दायरा बढ़ता है, पर ज़मीन पर उनका अकेलापन गहराता जाता है। यही अकेलापन धीरे-धीरे उनके मन में घर कर जाता है और उन्हें बहुत बार अवसाद, तनाव और कभी-कभी तो आत्मघाती प्रवृत्ति(सुसाइड) तक पहुंचा देता है।

संपादकीय

गोवा हादसा: झुलसती संवेदनाएं और नाकाम होती व्यवस्था

एक बार फिर एक भीषण आग ने 25 मासूम जिंदगियों को छीन लिया। गोवा के नाइट क्लब में हुई यह त्रासदी केवल आगजनी नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की जड़ता, गैर-जिम्मेदारी और नैतिक पतन की ज्वलंत मिसाल है। गोवा का जो नाइट क्लब आग की चपेट में आया, वह नियमों की अनदेखी करके तो चलाया ही जा रहा था, उसमें आग से बचाव के उपाय भी नहीं किए गए थे। रही-सही कसर इससे पूरी हो गई कि नाइट क्लब में आने और जाने का रास्ता बेहद संकरा था। आग की चपेट में आने वालों की संख्या इसलिए अधिक बढ़ गई, क्योंकि बचने के लिए उन्होंने जिस रास्ते को सुरक्षित समझा, वहां पहले से ही लोग फंसे हुए थे। इस तरह से आनंद और उत्सव का स्थल अचानक जीवन समाधि में बदल गया, वह अनेक सवाल हमारे सामने खड़े करता है, क्या हम सीखने की क्षमता खो चुके हैं? क्यों हर हादसे के बाद जांच समितियां बनती हैं, मुआवजा घोषित होता है, कुछ दिन हंगामा होता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है? पूर्व में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सूरत और अनेक शहरों में समान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। होटल, मॉल, थिएटर, अस्पताल, फैक्ट्री, कोचिंग सेंटर-लापरवाही की आग में झूलसनों वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारी संवेदनशीलता का स्तर छोटा होता जा रहा है। आगजनी की घटनाओं का सिलसिला तो लगातार है, परंतु सुरक्षा मानकों के प्रति हमारी उदासीनता और घोर लापरवाही भी उतनी ही स्थायी है। यह बात स्पष्ट है कि हादसे किसी तकनीकी गलती का परिणाम भर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक मिलीभगत की देन भी हैं।गोवा अपनी पहचान पर्यटन से बनाता है। नाइट लाइफ, समुद्री तटों का आनंद, मनोरंजन गतिविधियां और विदेशी पर्यटक इसका स्वाभाविक आकर्षण हैं। ऐसे प्रदेश में इस प्रकार का हादसा केवल मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि छवि और अर्थव्यवस्था का गहरा नुकसान भी है। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री पहले ही प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा को लेकर चुनौतियों से जूझ रही है। यह घटना विश्व के सामने एक सवाल बनकर खड़ी है-क्या भारत सुरक्षित पर्यटन देश है? क्या यहां गैर-जिम्मेदाराना ढांचे और भ्रष्ट तंत्र के बीच किसी का जीवन सुरक्षित रखा जा सकता है? इस प्रकार के हादसों में दो बड़े चरित्र सामने आते हैं-सरकार की सुस्ती और आयोजकों की लालचपूर्ण मानसिकता। अधिकांश नाइट क्लब, बार, पार्क या मनोरंजन स्थल ऐसे होते हैं जहां प्रवेश शुल्क, अवैध संचालन और आर्थिक लाभ का बड़ा खेल चलता है। इमारतों की मंजूरी, फायर सुरक्षा की अनुमति, बिजली के तारों का रखरखाव, निकास मार्ग-ये सभी चीजें फाइलों में तो दर्ज होती हैं, लेकिन जमीन पर गायब रहती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की सजगता की जगह 'संबंध' और 'सुविधा शुल्क' काम करता है। निरीक्षण के नाम पर औपचारिकता ढहती है और बीते हुए हादसे केवल याद बनकर रह जाते हैं।नाइट क्लब तक पहुंचने का रास्ता इतना संकरा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 400 मीटर दूर खड़ा होना पड़ा। सजावट के लिए ताड़ के सूखे पत्तों का इस्तेमाल किया गया था, जिसने आग और भड़का दी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर एंट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इस क्लब में लगता है कि इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कई लोग भटक कर किचन

शिक्षा की लौ जलाता अक्षय पात्र

बहरहाल दीन-दुखियों, बच्चों, विधवा और बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरूषों, स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को भोजन मुहैया कराने के लिए इस्कॉन से जुड़े दो संतों ने अक्षय पात्र की साल 2000 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में की। इस्कॉन से जुड़े मधु पंडित दास और चंचलापति दास ने मिलकर अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थापना की। महाभारत में एक कथा आती है..जुए में अपना सबकुछ हारने के बाद पांडव वनवास काट रहे हैं..उसी दौरान वे सूर्य की उपासना करते हैं..सूर्य देव प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को एक पात्र देते हैं..उस पात्र की विशेषता है कि उसमें रखा भोजन कभी खत्म ही नहीं होता...वह सदा भरा ही रहता है। अक्षय का अर्थ ही होता है, जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जिसमें कभी कोई कमी ना हो..कहना न होगा कि इस्कॉन का अक्षय पात्र भी पांडवों के अक्षय पात्र की तरह हो गया है..भूखे, बेसहारा, गरीब, बेघर बुजुर्ग माताओं, आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चों की भूख मिटाने का आज यह बड़ा सहारा बन गया है। साल 2000 में शुरू इस संकल्प ने चौथाई सदी की यात्रा पूरी कर ली है। अक्षय पात्र सोलह राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 24 लाख बच्चों को नियमित रूप से उनके स्कूलों में भोजन करा रहा है। साल 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना को लागू करने का आदेश दिया। देश की सर्वोच्च अदालत में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया था कि खाद्य निगम के गोदामों में काफी मात्रा में अन्न सड़ जाता है। उस अन्न के जरिए मध्यान्ह भोजन योजना लागू की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को यह तर्क जंचा और उसके ही आदेश पर समूचे देश के स्कूलों में दोपहर में बना हुआ भोजन देना जरूरी कर दिया गया। इसके पहले केंद्र की नरसिंह राव सरकार ने 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय पोषण योजना की चुने हुए ब्लॉकों में शुरूआत की, जिसके तहत स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन मुहैया कराना शुरू हुआ । बाद में इसके तहत बच्चों को मुफ्त चावल दिया जाने लगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब पका हुआ खाना देना अनिवार्य कर दिया गया। अब इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम कर दिया गया है। अक्षय पात्र फाउंडेशन की शुरुआत के पीछे अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद का भी एक संकल्प कार्य कर रहा है। स्वामी प्रभुपाद पश्चिम बंगाल के मायापुर में भगवान कृष्ण के भजन में लीन रहते थे। एक बार उन्होंने अपनी खिड़की से देखा, कूड़े में फेंके भोजन को लेकर कुत्ते और कुछ बच्चों में खींचतान चल रही थी। यह कारूणिक दृश्य देखकर प्रभुपाद परेशान हो गए। उन्होंने तब संकल्प लिया कि वे ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिसकी वजह से उनके आसपास कोई भूखा रहने को मजबूर ना हो सके। इस्कॉन के मंदिरों में यह व्यवस्था अहर्निश अब तक जारी है। उनके यहां भोजन के वक्त कोई भूखा नहीं रहता। बहरहाल दीन-दुखियों, बच्चों, विधवा और बुजुर्ग महिलाओं एवं

बहरहाल दीन-दुखियों, बच्चों, विधवा और बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरूषों, स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को भोजन मुहैया कराने के लिए इस्कॉन से जुड़े दो संतों ने अक्षय पात्र की साल 2000 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में की। इस्कॉन से जुड़े मधु पंडित दास और चंचलापति दास ने मिलकर अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थापना की। महाभारत में एक कथा आती है..जुए में अपना सबकुछ हारने के बाद पांडव वनवास काट रहे हैं..उसी दौरान वे सूर्य की उपासना करते हैं..सूर्य देव प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को एक पात्र देते हैं..उस पात्र की विशेषता है कि उसमें रखा भोजन कभी खत्म ही नहीं होता...वह सदा भरा ही रहता है।

पुरूषों, स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को भोजन मुहैया कराने के लिए इस्कॉन से जुड़े दो संतों ने अक्षय पात्र की साल 2000 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में की। इस्कॉन से जुड़े मधु पंडित दास और चंचलापति दास ने मिलकर अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थापना की। पहले साल साल इस योजना के तहत बेंगलुरू के पांच स्कूलों के 1,500 बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया गया। तब से यह फाउंडेशन लगातार कार्य कर रहा है और आज स्थिति यह है कि अक्षय पात्र सोलह राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी विद्यालयों के करीब चौबीस लाख बच्चों को रोजाना दोपहर का भोजन मुहैया करा रहा है। अक्षय पात्र का उद्देश्य भूख की वजह से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को भोजन मुहैया कराना और उन्हें शिक्षा हासिल करने में सहयोगी बनना है। शुरुआत में सीमित पैमाने पर काम करने के बाद, संस्था का विस्तार तेजी से हुआ। आज यह भारत में सबसे बड़े मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों में से एक का संचालन करता है, जिसके दायरे में अब करीब चौथाई करोड़ बच्चे आ चुके हैं।अक्षय पात्र के जरिए अब तक चार अरब से ज्यादा थालियां खिलाई जा चुकी हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो चार अरब लोगों को अब तक भोजन मुहैया कराया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि भारत की आबादी के करीब ढाई गुना ज्यादा लोगों को अब तक यह गैरलाभकारी संगठन खाना खिला चुका है। अक्षय पात्र की पहुंच आज 23,978 से अधिक स्कूलों तक हो गई है। इस साल मार्च में अक्षय पात्र ने अपना 78वां रसोईघर स्थापित किया। बहुत लोगों को जानकर हैरत होगी कि इनमें से 47 रसोईघरों को आईएसओ प्रमाण पत्र हासिल है। सरकारी स्कूलों में जारी मध्यान्ह भोजन योजना पर दो तरह के आरोप लगते रहे हैं। पहला भ्रष्टाचार का होता है, जबकि दूसरा परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर रहा है। कमोबेश ये शिकायतें अभी तक बनी हुई हैं। लेकिन अक्षय पात्र की ओर से जिन स्कूलों, आंगनबाड़ियों आदि में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, वहं ऐसी कोई शिकायत नहीं है। इसकी वजह यह है कि अक्षय पात्र सिर्फ सरकार से मिलने वाले चावल, दाल और गेहूं और दूसरी सहूलियतों पर ही निर्भर नहीं है।

प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ता भारत

इसी साल तमिलनाडु के किसानों का एक समूह मुझसे मिलने आया। बातचीत के दौरान उन किसानों ने खेती में उत्पादकता व निरंतरता बढ़ाने के लिए वे कैसे नई-नई तकनीक अपना रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कोयंबटूर में प्राकृतिक खेती पर आयोजित एक सम्मेलन का मुझे न्योता दिया। न्योता स्वीकार करते हुए मैंने उनसे वादा किया कि मैं अवश्य आपके बीच आऊंगा। इसलिए, 19 नवंबर को मैं 'साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025' में शामिल होने के लिए मनोरम शहर कोयंबटूर में था। एक ऐसा शहर, जिसे एमएसएमई की रीढ़ माना जाता है, प्राकृतिक खेती पर एक बड़े सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्राकृतिक खेती भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और आधुनिक पारिस्थितिकीय सिद्धांतों से प्रेरित है, ताकि कृत्रिम रसायनों के इस्तेमाल के बिना फसलें उगाई जा सकें। यह प्रणाली अलग तरह के खेतों को बढ़ावा देती है, जिनमें पेड़-पौधे और जानवर एक साथ रहते हैं, ताकि प्राकृतिक जैव-विविधता को मदद मिल सके। यह तरीका कृषि अपशिष्ट को रीसाइकिल करने और मल्चिंग व एरेशन (खर-पतवार की परत से खुली मिट्टी को ढकने व छोटे-छोटे छेदों के जरिये जड़ों तक हवा-पानी पहुंचाने की विधि) के जरिये मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाने पर आधारित है।कोयंबटूर का वह सम्मेलन हमेशा मेरी यादों का हिस्सा रहेगा! इसने मुझे बताया कि हमारे किसानों की सोच में, उनकी कल्पनाओं में और उनके आत्मविश्वास में जबर्दस्त बदलाव आया है और इनकी सहायता से हमारे किसान और कृषि उद्यमी खेती-किसानी का भविष्य संवार रहे हैं। इस सम्मेलन में तमिलनाडु के किसानों के साथ बातचीत करने का मौका भी मिला। प्राकृतिक खेती के लिए वे जैसी कोशिशें कर रहे हैं, उनको सुनकर मैं हैरान रह गया! इसमें अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग, जिनमें कृषि विज्ञानी, कृषि उत्पादक संगठन के नेता, पहली पीढ़ी के ग्रेजुएट, पारंपरिक किसान और कई ऐसे खास लोग शामिल थे, जिन्होंने कॉरपोरेट जगत के ऊंचे वेतन वाली नौकरियां छोड़कर अपनी जड़ों की ओर लौटने व प्राकृतिक खेती करने का फैसला किया है। इस सम्मेलन में मैं ऐसे-ऐसे लोगों से मिला, जिनकी जिंदगी का सफर और कुछ नया करने का जज्बा देखने लायक था। वहां मुझे एक ऐसा किसान मिला, जो लगभग 10 एकड़ के भूखंड में केले, नारियल, पपीता, मिर्च और हल्दी उगाता है।

वास्तु टिप्स: घर की ये 5 जगहें कभी ना रखें गंदी वरना लगेगा वास्तु दोष

वास्तु शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी का वहीं वास करती हैं, जहां पर साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखा गया हो। ऐसे में घर की कुछ जगहों को हमेशा साफ-सुथरा रखना जरूरी माना गया है, क्योंकि इन्हें गंदा छोड़ देने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, बल्कि मानसिक और घरेलू तनाव भी बढ़ जाता है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, गंदगी या बदबू राहु को प्रभावित करती है, जिसके कारण धन रुकने लगता है, खर्च बढ़ते हैं और बरकत कम होने लगती है। ऐसे में आज हम आपको वास्तु मान्यताओं के अनुसार बताएंगे कि घर किन 5 जगहों को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए।

मुख्य द्वार-वास्तु के मुताबिक घर का मुख्य द्वार सिर्फ प्रवेश का स्थान नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। ऐसे में इस स्थान को हमेशा साफ-सुथरा रखें। यदि यहां गंदगी या अव्यवस्था हो तो यह घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को रोकती है। ऐसे में दरवाजे के पास जूते-चप्पल, कचरा, पुराने अखबार या टूटी वस्तुएं न छोड़ें। ध्यान रहे की मुख्य द्वार हमेशा रोशन और हवादार होना चाहिए।

रसोईघर-धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रसोई को घर का ÷अन्नपूर्णा स्थान÷ कहा गया है। यहां मौजूद वातावरण का सीधा असर घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। ऐसे में इस स्थान को कभी भी गंदा ना रखें। यहां हमेशा जूठे बर्तन रातभर न छोड़ें। साथ ही गैस स्टोव और किचन काउंटर हमेशा साफ रखें। कुछ लोग रसोई घर में कुड़ा छोड़ देते हैं, ऐसा ना करें। क्योंकि भरा हुआ या बदबूदार कूड़ादान घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है।

पूजा घर-ज्यादातर लोग अपने घरों में पूजा घर बननाते हैं। घर का मंदिर या पूजा स्थान वह जगह है जहा लोग मानसिक शांति और सकारात्मक सोच के लिए समय बिताते हैं। यहां पवित्रता का वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में मूर्तियों पर धूल जमा न होने दें। पूजा सामग्री जैसे फूल, कपूर, अगरबत्ती आदि सजी-धजी रखें। टूटे या फटे पूजा के कपड़े और पुराने फूल तुरंत हटा दें। मान्यता है कि अगर यह स्थान गंदा हो जाए तो मन में बेचैनी बढ़ सकती है। लोगों ने अक्सर अनुभव किया है कि साफ-सुथरे पूजा स्थान पर बैठकर ध्यान और पूजा करने से मन जल्दी शांत होता है ।

आखिर क्या है पद्मनाभस्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे का रहस्य? जानिए इसकी सच्चाई

केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर दुनिया के सबसे रहस्यमयी और धनवान मंदिरों में से एक है। यहां भगवान विष्णु शयन मुद्रा में विराजमान हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से इस मंदिर की चर्चा सिर्फ भक्ति के लिए नहीं, बल्कि इसके गुप्त तहखानों और खजाने के लिए भी होती है। खासकर सातवें दरवाजे (वॉल्ट B) का रहस्य आज भी अनसुलझा है।

2011 में खुला खजाना और 7वें दरवाजे का विवाद

साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के तहखानों को खोला गया। इनमें से से सोने-चांदी के आभूषण, हीरे-मोती, मुकुट, सोने की मूर्तियां और प्राचीन सिक्कों का इतना बड़ा खजाना निकला कि आज इसकी कीमत 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपये तक आंकी जाती है। लेकिन जब सातवें तहखाने (वॉल्ट क्र) को खोलने की कोशिश हुई, तो दरवाजे पर बने विशाल नाग के फण ने हर किसी को डरा दिया। मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि इसे खोलना भारी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरक्षा कारणों से इसे न खोलने का आदेश दिया और आज तक यह बंद है।

केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर दुनिया के सबसे रहस्यमयी और धनवान मंदिरों में से एक है। यहां भगवान विष्णु शयन मुद्रा में विराजमान हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से इस मंदिर की चर्चा सिर्फ भक्ति के लिए नहीं, बल्कि इसके गुप्त तहखानों और खजाने के लिए भी होती है। खासकर सातवें दरवाजे (वॉल्ट B) का रहस्य आज भी अनसुलझा है।

सातवां दरवाजा क्यों नहीं खुलता?

मान्यता है कि इस दरवाजे की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु के अनंत शेषनाग और नाग देवता करते हैं। दरवाजा लकड़ी का है, उस पर दो विशाल नाग उकेरे हुए हैं और कोई ताला-चाबी नहीं है। इसे केवल %गरुड़ मंत्र% के सटीक जाप से ही खोला जा सकता है। गलत तरीके से खोलने पर सुनामी आ सकती है, भूकंप या भयानक अनहोनी हो सकती है। 1930 के दशक में भी जब इसे खोलने की कोशिश की गई थी, तो अचानक सांपों का झुंड निकला था और प्रयास रोकना पड़ा था।

त्रावणकोर राजपरिवार का समर्पण

1750 में त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने अपना पूरा राज्य और सारी संपत्ति भगवान पद्मनाभस्वामी को समर्पित कर दिया था और खुद को %पद्मनाभ दास% घोषित किया था। तब से यह मंदिर राजपरिवार के ट्रस्ट के अधीन है। मान्यता है कि राजाओं ने सैकड़ों सालों में जो अपार धन एकत्र किया, उसे भगवान की सेवा के लिए इन तहखानों में रखा गया। सातवां दरवाजा सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जिसमें भगवान की अलौकिक शक्ति स्वयं विराजमान हैं।

भगवान विष्णु की अलौकिक शक्ति का प्रतीक

2011 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और एक कमेटी बनाई गई है। छह तहखानों का ऑडिट हो चुका है, लेकिन सातवाँ दरवाजा आज भी बंद है। कई विद्वान और संत कहते हैं कि इसे खोलना मानव के बस की बात नहीं। यह भगवान की इच्छा पर निर्भर है। जो भी इसके साथ छेड़छाड़

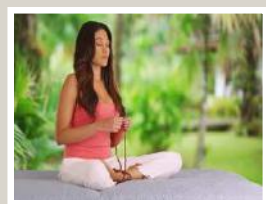

गायत्री मंत्र का जाप किस दिशा में बैठकर नहीं करना चाहिए? जानिए नियम व लाभ

हिंदू शास्त्रों और पुराणों में कई शक्तिशाली मंत्रों की जिक्र किया गया है। इन्हीं में से एक मंत्र गायत्री मंत्र। शास्त्रों में इसका खास महत्व बताया गया है। इस मंत्र को लेकर मान्यता है कि इसके जाप से व्यक्ति के सारे पाप और सारे दुख खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस मंत्र का जाप करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र के जाप का सही नियम क्या है।

गायत्री मंत्र क्या है?

गायत्री मंत्र के जाप के नियम जानने से पहले जानते हैं कि गायत्री मंत्र क्या है और इस मंत्र का मतलब क्या है। गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहते हैं। सावित्री पांच तत्वों की देवी हैं। इस मंत्र को स्वयं माता गायत्री ने महर्षि विश्वामित्र को बताया था। मंत्र है -

भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात।

इस मंत्र का मतलब है कि । मैं पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग में सूर्य के तेज में चमकने वाले ईश्वर की सुंदरता का ध्यान करता हूं और उसे अपने अंदर धारण करता हूं।

नियम

गायत्री मंत्र का जाप आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम इस मंत्र का जाप करना लाभकारी माना जाता है। जाप करते सही समय के साथ-साथ दिशा का भी ख्याल रखना चाहिए। गायत्री मंत्र के जाप के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके जाप करना सबसे अच्छा माना जाता है। पूर्व दिशा को सूर्य की दिशा माना जाता है और गायत्री मंत्र मुख्य रूप से सूर्य देवता की उपासना का प्रतीक है। इसके अलावा पूर्व दिशा ऊर्जा, प्राण शक्ति और आध्यात्मिक जागृति का भी प्रतीक है।

इस दिशा से बचें

इसके अलावा उत्तर दिशा के तरफ मुख कर भी गायत्री मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि गायत्री मंत्र का जाप दक्षिण दिशा में मुख करके नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है। पश्चिम दिशा भी सही नहीं है।

संपादकीय

नप्रतिनिधित्व कानून’

कसभा में चुनाव सुधार के मुद्दे पर बहस किन कोई सुधार या संवैधानिक संशोधन नहीं आया। सरकार की ओर से भी कोई नहीं रखा गया कि अमुक सुधार किए जा हैं। यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक बहस चुनाव सुधार की आड़ में ‘वोट चोरी’ का संसद के भीतर गूंजता रहा। नेता प्रतिपक्ष गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग की गत, सांठगांठ से चुनाव जीते जाने का ंभीर आरोप चस्पां किया। उन्होंने मौजूदा आयुक्तों को लगभग धमकी दी कि जब त्ता में आएंगे, तो आपको ढूंढ कर दंडित जाएगा, क्योंकि ‘वोट चोरी’ के जरिए आपने ंत्र-चोरी’ का काम कराया है। नेता प्रतिपक्ष कानूनी संशोधन पर भी सवाल उठाया है नाव आयुक्तों की नियुक्ति तय करने वाले में से देश के प्रधान न्यायाधीश को क्यों गया? चुनाव आयुक्तों के किसी भी फैसले काम के मद्देनजर उन्हें इम्युनिटी, कानूनी क्यों दी गई है? उनके खिलाफ कोई भी केस दायर क्यों नहीं किया जा सकता? टीवी की फुटेज चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने दिन बाद नष्ट क्यों की जाए? यह कानून और भ्रामक है। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेसी के इतिहास को नहीं जानते, जब सरकार, प्रधानमंत्री ही, मुख्य चुनाव आयुक्त का और नियुक्ति करते थे। बाद में उन्हें मंत्री ा दिया जाता था अथवा किसी उच्च ओहदे ठा दिया जाता था। तब सत्ता न तो संसद ही देश के प्रति जवाबदेह होती थी। तब तिपक्ष को इतना भी अधिकार नहीं था कि पनी ‘असहमति’ जता सकता। कमोबेश प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और नेता के चयन-पैनल में विपक्ष का प्रतिनिधि असहमति का नोट तो दर्ज करा सकता ग्रेस के ही वरिष्ठ सांसद मनीष तिवारी ने ा की कि एक साथ कई राज्यों में या एक राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन क्षण (एसआईआर) नहीं कराया जा सकता। आयोग को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त जहां उसे मतदाता सूची में विसंगति लगे, सी क्षेत्र में एसआईआर का अभियान शुरू कता है। यह बहस सर्वोच्च अदालत में भी कर सामने आई है। एसआईआर को देश नप्रतिनिधित्व कानून’ का उल्लंघन करार गया है। आज 2025 में कई राज्यों में ाओं से पूछा जा रहा है कि उनका नाम की मतदाता सूची में था अथवा नहीं। मतदाता को पुष्टि करनी है कि अतीत में तदाता रहा था। दरअसल मतदाताओं को पुरानी मतदाता सूची उपलब्ध है और न ही आयोग के पोर्टल और वेबसाइट काम कर । यह पुष्टि देश का औसत मतदाता कैसे कता है? 2003 या इतने पुराने मतदाता ष्टि सिर्फ चुनाव आयोग ही कर सकता है, उसके पास तमाम रिकॉर्ड हैं और वह मतदान आया है। लिहाजा सर्वोच्च अदालत में वरिष्ठ का अभिषेक मनु सिंघवी ने एसआईआर को एक ानिक प्रक्रिया’ करार दिया है। सर्वोच्च अदालत संदर्भ में अपनी व्याख्या देनी है। चूंकि संसद में री’ का गंभीर आरोप गूंजा है, लिहाजा सवाल है का जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग संसद में जवाब दे नहीं सकता। हालांकि कुछ मसलों पर आयोग को जवाब देना है।

बंगाल में उभरते हिन्दू स्वरों में बदलते राजनीतिक समीकरण

निश्चित ही बाबरी मस्जिद विवाद को हवा देकर कुछ मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक वर्गों ने तनाव का वातावरण खड़ा किया है। इन दो समानांतर धाराओं की टकराहट ने बंगाल को विमर्श के केंद्र में ला दिया है कि क्या राज्य में हिंदू संगठित होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हिन्दू-विरोधी साजिशों एवं षडयंत्रों का अंत चाहते हैं?पश्चिम बंगाल इन दिनों धार्मिक और राजनीतिक उफान का केंद्र बना हुआ है। बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक समूहों की सक्रियता के बीच हिन्दू धर्मगुरुओं एवं संगठनों की मोर्चाबंदी ने क्या हिंदू क्रांति का शंखनाद किया है? क्या यह आगामी विधानसभा चुनावों में हिंदू वोटों को एकत्र करने का नया एजेंडा है, या पश्चिम बंगाल में लगातार हिन्दुओं पर हो रहे हमलों, उनको कुचलने की कुचेष्टाओं एवं मुस्लिम तुष्टीकरण का माकुल जबाव है। बाबा बागेश्वर धाम-धीरेन्द्र शास्त्री सहित अनेक हिंदू धर्मगुरुओं के प्रवचनीय हस्तक्षेप, लाखों लोगों द्वारा सामूहिक गीता पाठ और संतों की हुंकार से एक नई चेतना आकार लेती दिखाई दे रही है। यह उभार महज आस्था का नहीं, बल्कि पहचान, सुरक्षा और गौरव के भावों का उभार है।

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाना मानो एक सोए हुए राक्षस को जगाने जैसा है, क्योंकि यह केवल एक मस्जिद का प्रशन्न नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द की कसौटी है। सदियों से चला आ रहा बाबरी विवाद भारत की सामाजिक चेतना पर गहरे जख्म छोड़ चुका है-जिसने राजनीति को उग्र बनाया, समुदायों को बाँटा और नफरत व हिंसा के बीज बोए। ऐसे समय में जब राष्ट्र विभिन्न संकटों से जूझ रहा है, इस विवाद को नए भूगोल में स्थानांतरित कर हवा देना सामाजिक सामंजस्य एवं राष्ट्रीय एकता के लिए घातक हो सकता है। सद्भाव और शांति की बुनियाद पर खड़े भारत को ऐसे मुद्दों की आवश्यकता है जो एकता को मजबूत करें, न कि पुराने घाव कुरेदकर समाज में तनाव और अविश्वास पैदा करें। अतः आवश्यक है कि नेतृत्व इस संवेदनशील विषय को विवेक, संवाद और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर संभाले, ताकि भारत का बहुलतावादी चरित्र और साझा सभ्यता सुरक्षित रह सके।निश्चित ही बाबरी मस्जिद विवाद को हवा देकर कुछ मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक वर्गों ने तनाव का वातावरण खड़ा किया है। इन दो समानांतर धाराओं की टकराहट ने बंगाल को विमर्श के केंद्र में ला दिया है कि क्या राज्य में हिंदू संगठित होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हिन्दू-विरोधी साजिशों एवं षडयंत्रों का अंत चाहते हैं? बंगाल परंपरा से बौद्धिक और सांस्कृतिक बहुलता का प्रदेश रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में हिंदू सामाजिक मानस में एक बदलाव दिख रहा है। ‘गजवा हिंद’ के प्रलापों के प्रतिकार में ‘भगवा हिंद’ का संकल्प उभर रहा है। पांच लाख से अधिक हिंदुओं द्वारा एक साथ गीता पाठ करना इसी उभार का संकेत है, जिसमें धर्म प्रदर्शन शक्ति और अस्मिता के रूप में सामने आता है। साध्वी ऋतंभरा के वक्तव्यों ने इस उभार को एक नया स्वर दिया है। उनका स्पष्ट कथन कि ‘यह धरती प्रभु श्रीराम की है और श्रीराम की ही रहेगी’ बंगाल सहित पूरे देश के हिंदू मानस में गूंज रहा है। यह कथन सिर्फ आस्था की घोषणा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अधिकार और आधिपत्य की अनुभूति का उद्घोष है। उनके भाषणों में उभरती चेतावनी है कि यदि हिंदू अपनी संस्कृति, परंपरा और मंदिरों की रक्षा के लिए नहीं उठे तो इतिहास स्वयं उनसे जवाब मांगेगा।इस पृष्ठभूमि में बाबरी विवाद का पुनर्स्मरण राजनीति का साधन भी प्रतीत होता है। मुस्लिम संगठनों द्वारा इसकी मांगों को आगे बढ़ाना और नेताओं द्वारा इसे मुद्दा बनाना निश्चित ही सामाजिक भावना को चुनौती देता है। इसका प्रतिउत्तर धार्मिक मंचों से आया है, जहां प्रवचनों और सभाओं ने इसे हिंदू गौरव और अस्तित्व के प्रशन्न के रूप में चित्रित किया है। ऐसे में यह कहना असंगत नहीं कि बंगाल की जमीन पर हिंदू पहचान की राजनीति तेजी से आकार ले रही है और हिन्दू धर्मगुरुओं के स्वर इसे वैचारिक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। उनका यह कथन कि ‘राम का नाम अनंत है, पर पुरुषार्थ के बिना सिर्फ नाम से रामराज्य नहीं आएगा’ एक सीधा संकेत है कि हिंदू समाज को संगठित, सक्रिय और आत्मनिर्भर होना होगा।

इस व्यापक परिदृश्य का मुख्य केंद्रबिंदु राजनीति है। क्या यह सब आगामी विधानसभा चुनावों का संकेत है? बंगाल की राजनीति लंबे समय से मुस्लिम मतदाताओं की निर्णायक भूमिका के आसपास घूमती रही है और ममता बनर्जी ने मुस्लिम समाज के भरोसे को अपने समर्थन की नींव बनाया है। परंतु यदि हिंदू मतदाता नए सांस्कृतिक उभार से प्रेरित होकर एकजुट होते हैं, तो पहली बार बंगाल की सत्ता-समीकरण बदल सकते हैं। भाजपा और संघ परिवार का प्रयास भी इसी दिशा में है कि धार्मिक सम्मेलनों को राजनीतिक चेतना का मंच बनाकर हिंदू अस्मिता को वैचारिक शक्ति प्रदान करना। भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और धार्मिक प्रवचनीय हस्तक्षेपों द्वारा बंगाल में हिंदू एकता और पहचान को जागृत करने की रणनीति अपनाई जा रही है। इस राजनीतिक परिपाटी में बाबा बागेश्वर जैसे मंच प्रभावी भूमिका निभा रहे है, धर्म-सम्मेलनों को राजनीतिक चेतना की पाठशाला में बदला जा रहा है। साध्वी ऋतंभरा का बंगाल में सक्रिय होना उसी रणनीति की कड़ी है, क्योंकि उनका सशक्त भाषण हिंदू भावनाओं को झकझोरता है। बंगाल जिसकी पहचान बौद्धिक विनम्रता, कविता, महात्म्य और सहिष्णुता से जुड़ी रही है, वह अब टकराव, ध्रूवीकरण और प्रतिआक्रामकता की ओर बढ़ता दिख रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में भावनात्मक आवेश बढ़ रहा है और नेताओं द्वारा इस माहौल को चुनावी लाभ के लिए साधने की त्रासद कोशिशें तेज है। यह परिस्थिति बंगाल के सामाजिक ताने-बाने के लिए चुनौतीपूर्ण है।फिर भी एक बात निर्विवाद है-बंगाल में एक नई चेतना, एक नई आकांक्षा जन्म ले रही है। यह पूर्ण क्रांति है या क्रांति का शंखनाद, यह कहना अभी जल्दबाजी होगा, परन्तु प्रारंभिक संकेत स्पष्ट है। हिंदू पहचान की राजनीति बंगाल में निर्णायक होती जा रही है, मुस्लिम वोट-बैंक की राजनीति पहली बार चुनौती में दिखाई दे रही है और ममता बनर्जी की सत्ता को सांस्कृतिक विरोध का नया मोर्चा मिला है।

अब यह समय बताएगा कि यह उभार सत्ता बदलता है या सामाजिक संवाद को बदलता है। लेकिन इतना तो तय है कि बंगाल की राजनीति अब केवल विकास, योजनाओं और नेतृत्व की नहीं, बल्कि पहचान, इतिहास और प्रभुत्व की राजनीति बन चुकी है। यही कारण है कि धार्मिक मंचों की आवाज़ें चुनावी मैदान की धड़कन बन रही है। बंगाल अपने निर्णायक मोड़ पर खड़ा है-जहाँ राम का दावा और राम की भूमि का संकल्प राजनीति, समाज और भविष्य तीनों को प्रभावित करने वाला तत्व बन चुका है।

न केवल मुस्लिम तुष्टिकरण बल्कि भ्रष्टाचार से लेकर मनमर्जी एवं तानाशाही का शासन चलाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रक्रिया बन गयी है। ममता वोट बैंक की राजनीति के लिये कानून की धज्जियां बार-बार उड़ाती रही है। ममता बनर्जी का एकमात्र लक्ष्य मुसलमानों के वोट बैंक को बरकरार रखना रह गया है। मुद्दा चाहे रोहिंग्या मुसलामानों के अवैध प्रवेश का हो या फिर बांग्लादेशियों का या अब बाबरी मस्जिद का। इसके लिए ममता ने देश की एकता-अखंडता और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज किया है, कानून से खिलवाड़ जितना पश्चिमी बंगाल में हुआ है उतना शायद ही देश के किसी दूसरे राज्यों में हुआ हो। तृणमूल कांग्रेस हिन्दुओं को पश्चिम बंगाल में सेकेंड क्लास सिटिज़न एवं अल्पसंख्यक बनाना चाह तुष्टीकरण की उसकी सोच केवल उनके घोषणा-पत्रों में बयानों में स्पष्ट झलकती रही मुस्लिम तुष्टीकरण की राज तृणमूल कांग्रेस का एकतरफा से समाज को दो वर्गों में बांट सामाजिक असंतुलन तथा रो रहा है। बदले हुए राजनीतिक बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है एक वर्ग की अनदेखी कर राजसत्ता का आनंद नहीं पश्चिम बंगाल में जो चल रहा ‘बागेश्वर बनाम बाबरी विव यह सांस्कृतिक-धार्मिक पुन कोशिश बनाम राजनीतिक मु की प्रतिस्पर्धा है। अभी के की जमीन पर धर्म, राजनीति का नया त्रिकोण उभर चुका आने वाले समय में बंगाल की दिशा, सामाजिक संबंधों अ समीकरणों को आकार देगा।

बंगाल में चिंतित करने वाला घटनाक्रम, बाबर के नाम से मस्जिद बनाना कर हिंदुओं-सिखों की भावनाओं को चोट पहुंचाना

इस तस्वीर की हमने शायद ही कल्पना की हो कि देश में कहीं पर फिर से बाबरी मस्जिद की नींव डाली जाएगी और उसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांगा इलाके में प्रतीकात्मक तौर पर फीता काटकर मस्जिद की नींव रख दी। हुमायूं कबीर पश्चिम मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर से विधायक हैं। वे लंबे समय से सार्वजनिक वक्तव्य दे रहे थे कि छह दिसंबर को बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत करेंगे। इस कारण बंगाल के अंदर और देश में असहजता का माहौल कायम हो रहा था। अलग-अलग मंचों से इसे रोकने की मांग भी की गई, किंतु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। केवल हुमायूं कबीर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

कानून-व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कोई भी राज्य सांप्रदायिकता भड़काने और तनाव फैलाने की योजना वाले हुमायूं कबीर जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करता, हिरासत में लेता या कम से कम उसे नजरबंद करता। इसके साथ ऐसे कार्यक्रम पर रोक भी लगाता। मुर्शिदाबाद का दृश्य इसके विपरीत था। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस उस कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए वहां तैनात है। जब पुलिस-प्रशासन को राजनीतिक नेतृत्व से रोकने का कोई आदेश नहीं था तो वह ऐसी ही भूमिका निभाएगा।किसी को भी कानूनी रूप से वैध जमीन पर मंदिर या मस्जिद बनाने का अधिकार है, लेकिन बाबर के नाम से मस्जिद बनाना करोड़ों हिंदुओं-सिखों की भावनाओं को चोट पहुंचाना और उनके जख्मों को कुरेदना है। यह हर दृष्टि से अस्वीकार्य है। 1529 में बाबर के सेनापति मीर बकी द्वारा अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद निर्माण के विरुद्ध वर्षों का संघर्ष अब सबको पता है। अंततः स्वतंत्रता के बाद आंदोलन

और फिर आगे न्यायिक संघर्ष से उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद मंदिर निर्माण किया गया। बावजूद इसके देश का एक वर्ग म बाबर के साथ उसका जुड़ा प्रेरणा मिलती है और इस नाम की मस्जिद बनानी है की एकता-अखंडता और सद्भाव की दृष्टि से अ है।इससे बड़ी विडंबना क्य जिस बाबर को उसके मू कई इतिहासकार लुटेरा कह भारतीय मुसलमान स्वयं जोड़ते हैं? हुमायूं कबीर के मुस्लिम शब्बन नामक संग हैदराबाद में बाबरी मस्जिद और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन एलान किया है।

देश की राजधानी किसी बुरे सपने से कम नहीं है

सरकारी नजरिए से देखें तो राजधानी दिल्ली और आस–पास के क्षेत्रों में प्रदूषण लाइलाज समस्या बन चुका है। हर साल सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली का इलाका गैस चैंबर बन जाता है। इस बात से सत्तारुढ़ और विपक्षी दल अनजान नहीं हैं। इसके बावजूद कोरी बयानबाजी के अलावा लोगों को उनके हाल पर छोड़ रखा है।देश में वोट बैंक की राजनीतिक के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण जैसे मुद्दे हाशिए पर धकेले जाते रहे हैं। राजनीतिक दल इसे समस्या तो मानते हैं किन्तु इसके स्थायी निदान के लिए न तो कोई कायन्योजना है और न ही इच्छाशक्ति। देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र भीषण प्रदूषण की मार झेल रहा है। यही वजह है कि प्रदूषण की भयावहता तमाम क्षेत्रों में तरक्की को मुंह चिढ़ा रही है। सरकारों और राजनीतिक दलों की बला से प्रदूषण प्रभावित इन क्षेत्रों के करोड़ों लोगों बेशक तिल–तिल करके मरते रहें। इसके विपरीत नेताओं का सरोकार सिर्फ चुनाव जीतने भर तक सीमित रह गया है। सत्तारुढ़ और विपक्षी दल इस मुद्दे पर चिंता जताने तक सीमित हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में विपक्ष के कुछ सांसदों ने अपने चेहरों पर मॉस्क लगाया और प्रदूषण के खिलाफ नारे लिखे तख्खियां और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया। एक बैनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी जिस पर लिखा था ‘मौसम का मजा लीजिए’।

सरकारी नजरिए से देखें तो राजधानी दिल्ली और आस–पास के क्षेत्रों में प्रदूषण लाइलाज समस्या बन चुका है। हर साल सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली का इलाका गैस चैंबर बन जाता है। इस बात से सत्तारुढ़ और विपक्षी दल अनजान नहीं हैं। इसके बावजूद कोरी बयानबाजी के अलावा लोगों को उनके हाल पर छोड़ रखा है। दिल?ली का औसत एक?यूआई लेवल 377 तक दर्ज हो चुका है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में दिक?कत और आंखों में जलन की समस्?या देखने को मिल रही है। आनंद विहार, बवाना, चांदनी चौक जहांगीर पुरी, जवाहरलाल नेहरू स्?टेडियम और नेहरू नगर में एक?यूआई लेवल 400 के पार तक पहुंच गया। दिल?ली की हवा में घुला जहर कम कब होगा। इस सवाल का जवाब इस समय शायद किसी के पास नहीं है। शायद इसीलिए डॉक?टरों ने साफ कह दिया है कि बच?चों की सेहत ठीक रखना चाहते हैं, तो कुछ दिनों के लिए दिल?ली छोड़ दीजिए।

दिल्ली में एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में प्रदूषण के बड़े कारण ट्रांसपोर्ट, पराली है। गाडि़यों से फैले प्रदूषण का हिस्सा 18.42इ था। आंकड़ों के हिसाब से 16.31इ प्रदूषण के अन्य सोर्स हैं, जिसमें आतिशबाजी, डीजल जनरेटर जैसे सोर्स शामिल है। शादियों के सीजन की वजह से आतिशबाजी हो भी रही है। अगले तीन दिन इन अन्य सोर्स का प्रदूषण का हिस्सा और बढ़कर 43.4इ तक जाने का अनुमान है। दिल्ली में एक्यूआई 400 तक के खतरानक स्तर को छू चुका है, जो वायु प्रदूषण की गंभीर हालत दिखाता है। वहीं मुंबई में भी ये 200 के करीब पहुंच गया था, जिसके बाद वहां ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप 4) लागू किया गया। हालांकि दिल्ली में अभी ग्रैप 4 लागू नहीं किया गया। उल्टे दिल्ली एनसीआर में 26 नवंबर को ग्रैप 3 की पाबंदियां भी वापस ले ली गई थीं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने शहर में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी। देवनार, मलाड, बोरीवली, अंधेरी ईस्ट, नेवी नगर, पवई और मुलुंड जैसे इलाकों में प्रदूषण की खराब स्थिति के बाद ये फैसला लिया गया था।

दिल्ली में प्रदूषण पराली जलने, वाहनों के धुएं और कारखानों से निकलने वाला कार्बन उत्सर्जन जिम्मेदार है। हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से हालात और खराब हो जाते हैं। हालांकि मुंबई और अन्य समुद्री इलाकों में प्रदूषण की स्थिति बेहतर रहती है, क्योंकि वहां हवा चलने के कारण प्रदूषणकारी तत्व शहर से दूर चले जाते हैं। मुंबई में मेट्रो, फ्लाईओवर जैसे बड़े निर्माण कार्य, वाहनों की बढ़ती तादाद और कचरा जलाने जैसी वजहों से हालत बिगड़ी है। मुंबई जैसे समुद्री इलाकों में एक्यूआई बढ़ना खतरे की घंटी है। मुंबई में ग्रैप-4 की पाबंदियों के बाद एक्यूआई 150 से नीचे आ गया, जबकि दिल?ली की हवा में अब भी दम घुट रहा है। मुंबई की हवा अब सांस लेने लायक हो गई है। यहां कई जगह एक?यूआई लेवल 100 के आसपास हो गई। हालांकि, दिल?ली में एक?यूआई लेवल अब भी कई जगह 400 के पार है। हवा की गति बढ़ने और पानी छिड़काव जैसे उपायों से मुंबई में हवा की गति बढ़ने और पानी छिड़काव जैसे उपायों से मुंबई में एक्यूआई स्तर 150 से नीचे आने में मदद मिली।

दुनिया भर में वायु प्रदूषण को मापने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था आईक्यूएआईआर की नवीनतम लाइव रैंकिंग में भारत की राजधानी दिल्ली इस सूची में पहले स्थान पर रही। जबकि दूसरे स्थान पर उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद 251 के एक्यूआइ के साथ दर्ज है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का लाहौर (एक्यूआइ 215), चौथे पायदान पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका 211, एक्यूआइ के साथ है। भारत का कोलकाता भी 211 के एक्यूआइ के साथ पांचवें स्थान पर है। देश की राजधानी दिल्ली में एयर इमरजेंसी है। राजधानी दिल्ली गैस चैंबर बन गई है। राजधानी दिल्ली हांफ़ रही है, खांस रही है। दिल्ली की हवा ज़हरीली हो गई है। दिल्ली में हर व्यक्ति हर पल अपने फेफड़ों में ज़हर भर रहा है। दिल्ली को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। दिल्ली-एनसीआर इलाके की इन दिनों जैसे बस यही पहचान बन गई है। देश ही नहीं दुनिया भर के अख़बारों-समाचार चैनलों, वेबसाइट्स में दिल्ली की हवा सुर्खि़यों में है। दिल?ली एनसीआर में इस समय धुंध नहीं बल्कि, हवा में मौजूद धूल के कारण है, वो धूल जो कभी कंस्ट्रक्शन की वजह से कभी पोल्यूशन की वजह से कभी पराली की वजह से घटना हो रही है। ये लटके हुए कण जो धूल के हैं ये पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे महीन कण इसमें शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि एक दिन की दिल्ली की हवा में सांस लेना करीब 50 सिगरेट के पीने के बराबर है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली की हवा का क्या हाल है। रोज पीने-उपयोग करने वाला भूजल भी अब दिल्ली में सुरक्षित नहीं बचा है। केंद्रीय भूमिजल बोर्ड की नई रिपोर्ट बताती है कि इस पानी में यूरेनियम जैसे खतरनाक तत्वों के साथ नाइट्रेट, फ्लोराइड, लेड और ज्यादा नमक तक मिला हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि राजधानी के कई हिस्सों से लिए गए भूजल के नमूनों में यूरेनियम की मात्रा सामान्य सीमा से कहीं अधिक पाई गई। यूरेनियम धीरे-धीरे शरीर में जमा होता है और गुर्दों, हड्डियों और शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुँचा सकता है।

रिपोर्ट में साफ हुआ कि पानी में नाइट्रेट, फ्लोराइड, लेड और ज्यादा नमक भी पाया गया है। नाइट्रेट ज़्यादातर गंदे पानी और खाद से जमीन में रिसकर आता है। फ्लोराइड बढ़ने से दाँत और हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। लेड शरीर के दिमागी विकास पर भारी असर डालता है और बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक है। नमक और घुले पदार्थ ज्यादा होने से पानी पीने लायक नहीं रह जाता और पाचन व गुर्दों पर दबाव पड़ता है। दिल्ली में लगातार ज़्यादा गहराई तक बोरिंग होने लगी है, जिससे ऐसे हिस्सों का पानी ऊपर आ रहा है जहाँ मिट्टी में खुद ही खनिज और भारी तत्व मौजूद रहते हैं। दूसरी ओर, सीवर रिसाव, गंदे पानी का जमीन में घुसना और रासायनिक कचरे का सही निस्तारण न होना भी भूजल को ज़हरीला बना रहा है। जमीन रिचार्ज होने की जगह घट गई है और पानी अपन संतुलन खो रहा है। दिल्ली पानी दोनों ही गंभीर रूप से रहे हैं। वायु प्रदूषण के साथ प्रदूषण भी लोगों के लिए ब बन रहा है। दिल्ली में हर स में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है में झाग भी बनने लगते है कुंज इलाके में यमुना नद झाग दिखाई दिए। विशेषज्ञ है कि यह झाग पानी में मौज डिटर्जेंट और औद्योगिक अ कारण बनता है। यह न सि पारिस्थितिक तंत्र को नुक रहा है, बल्कि लोगों के स्वा भी बेहद खतरनाक है। स कि आखिर देश की राजधानी जल प्रदूषण को लेकर अ रसातल तक जाएगी। आ और सरकारों की कुंभकर्ण खुलेगी। चुनी हुई सरकारों जाती है कि जनहित का ख इस लिहाज से दिल्ली किसी कम नहीं है।

हुक्मनामा समाचार

सम्पादकीय...

कोर्ट केसों का अंबार

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में गुरुवार को बताया कि देशभर की अदालतों में कुल 5 करोड़ 49 लाख से ज्यादा मामले लंबित है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक लिखित उत्तर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 90 897 मामले, देश के 25 हाईकोर्ट में 63 लाख 63406 मामले और निचली अदालत में 4 करोड़ 84 लाख 57343 मामले लंबित हैं यह आंकड़े 8 दिसंबर तक के हैं। सरकार ने कहा कि न्यायिक देरी कई वजह से होती है मामलों की जटिलता, सबूत की प्रकृति, वकीलों जांच एजेंसीओ का असहयोग तथा अदालतों में पर्याप्त ढांचे और स्टाफ की अन उपलब्धता जैसे कारक लंबीत मामलों को बढ़ाते हैं। सरकार ने यह नहीं बताया कि अदालतों में न्यायाधीशों की कमी भी पेंडिंग केस बढ़ने का एक बड़ा कारण है किसी भी अदालत में पर्याप्त न्यायिक स्टाफ नहीं है। पेंडिंग केस का अंबार उसे स्थिति में है जब देश में लगातार लोक अदालतों के जरिए मामले निपटाए जा रहे हैं। लंबित मामलों में आधे मामले तो ऐसे हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं और उनका महत्व भी खत्म हो गया है इनमें सरकारी मामलों की संख्या ज्यादा है। सरकार को सरकारी मामलों को निपटने के लिए कमेटी बनाकर कार्य करना चाहिए और इन्हें लोक अदालत की तरह निपटना चाहिए ताकि मामलों में कमी आए इनमें जुर्माना सरकारी नियमों की अनदेखी चालान जैसे मामले ज्यादा है। जिन मामलों में आर्थिक दंड लग सकता है उन्हें आर्थिक दंड लगाकर निपटना चाहिए सरकार को किसी भी मामले को निपटने के लिए निर्धारित तारीख और बहस का समय अदालत की मंशा के अनुरूप तय करना चाहिए किसी भी मामले में तारीख लेने का सिस्टम भी निश्चित होना चाहिए कई वकीलों ने तो इससे धंधा बना लिया है खाली तारीख लेकर चले जाते हैं और कैस को लंबा खींच रहे हैं। किसी भी केस का नंबर कितना कानून का मजाक बन जाता है और कैसे लंबा खींचने पर पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलता है न्याय मिलता है तो उसका महत्व खत्म हो जाता है।

वैभव लोढ़ा...

इतिहास में आज

1921 – बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का उद्घाटन 'प्रिंस ऑफ वेल्स' ने किया था।
1955 – भारत और सोवियत संघ ने पंचशील समझौते को स्वीकार किया।
2001 – दिल्ली स्थित भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला।
2012– नेत्रहीन ट्वेंटी-20 विश्वकप के फ़ाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 30 रनों से हराकर विश्व विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया।

-धर्म चंद मेहता

क्रॉस फायर

❑प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की।
◆सीजफायर किसने कराया यह भी बात हुईहोगी।
❑अमेरिका के बाद अब मेक्सिको ने भी भारत पर 50% टैरिफ लगाया।
◆एक से ही नहीं सुलझा रहे थे अब दूसरी बीमारी।
❑राहुल ने की इनफॉरमेशन कमिश्नर की नियुक्ति पर सवाल उठाए।
◆राहुल गांधी की सुनवाई नहीं हो रही है तो किसकी होगी।
❑ममता बनर्जी बोली शाह खतरनाक वे दुर्योधन दुशासन जैसे।
◆यह तो ममता ही बोल सकती है।
❑इंडिगो मुआवजे में यात्रियों को 10000 का ट्रेवल वाउचर देगा।
◆कंपनी को डर है यह यात्री कंपनी से तौबा ना कर ले।
❑मुख्यमंत्री बोले प्रदेश में निवेश कर प्रवासी राजस्थानी विकास में बन रहे सहभागी।
◆यह तो सच सामने आने दो।
❑हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद पर सरकार ने कहा आंदोलन प्रायोजित था बाहरी तत्वों ने माहौल बिगाड़ा।
◆फैक्ट्री गलत लग रही है या सही यह बताओ।
❑जयपुर में मेट्रो के दूसरे फेज को सरकार ने दी मंजूरी।
◆देर आए दुरुस्त आए।

.............अंजू लोढ़ा

आज का राशिफल

शनिवार 13 दिसम्बर, 2025

मेष राशि : घर के माहौल में सुधार हो सकता है। पति-पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी। काम-धंधा और नौकरी भी बेहतर स्थिति में पहुंच जाएगी। काम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे।

वृषभ राशि : कोई महत्वपूर्ण इंसान आपकी खासियत को पहचान लेगा। मदद मिलती रहेगी। माता से प्रेम बढ़ेगा। सहयोग भी मिलेगा। माता के प्रभाव से कोई बड़ा काम आपके फेवर में हो सकता है।

मिथुन राशि : पुरानी समस्या खत्म हो सकती है। दोस्तों के किसी विवाद में आपको बीच-बचाव करना पड़ सकता है। आपकी प्रतिभा चरम पर होगी और आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं।

कर्क राशि : अपनी बात पर डटे रहें। परिस्थितियां आपके फेवर में हो सकती हैं। जो काम करने का मन है, वह समय पर हो सकता है। आपको उससे फायदा भी होगा। आपका आकर्षण बढ़ सकता है।

सिंह राशि : उत्साह के साथ आपके काम पूरे हो जाएंगे। सफलता मिल सकती है। लोगों का मन और मूड समझकर काम करेंगे तो सफल हो सकते हैं। आप किसी नए या अनजान व्यक्ति की मदद करेंगे।

कन्या राशि : कन्या राशि वालों का समय ठीक है। आप अपना टैलेंट भी दिखा सकते हैं। कोई बड़ी समस्या सुलझाने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। बहस और उलझन भरी स्थितियों से दूर रहने की कोशिश करें।

तुला राशि : दिन के शुरुआती समय में बड़े फायदे का कोई काम या सौदा आपके सामने आ सकता है। बड़ी जरूरत पर कोई न कोई मदद मिल सकती है। पैसों के संबंध में बड़े फैसले के लिए सलाह लेनी पड़ सकती है।

वृश्चिक राशि : आप धैर्य और संयम रखें। दौड़-भाग भी बढ़ सकती है। उसका पूरा सकारात्मक फल आपको मिल सकता है। पैसों का कोई मामला उलझा हुआ है, तो वह ठीक होने लगेगा।

धनु राशि : आज आप जैसे हैं, वैसे ही रहें। किस्मत का साथ भी आपको मिल सकता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। कई तरह की बातें दिमाग में चलती रहेंगी। कुछ कर दिखाने की इच्छा तेज हो सकती है।

मकर राशि : रूटीन लाइफ में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें तो आपको अच्छा लगेगा। पुराने दोस्त और रिश्तेदारों से बातचीत होने के योग हैं। आप उनसे मिल भी सकते हैं।

कुम्भ राशि : रोजमर्रा के काम समय से पूरे हो जाएंगे। पार्टनर से भी सहयोग मिल सकता है। किसी काम के लिए सीमा तय करें और खुद पर कंट्रोल करें। कई मामलों में प्रगति होगी। पैसों के मामलों में कोई कदम बढ़ाने के पहले अच्छी तरह जांच लें।

मीन राशि : बड़े काम के लिए शांति से कोई फैसला लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी नजदीकी दोस्त से खुली बात करें तो आपको राहत मिल सकती है। बेचैनी से मुक्ति के लिए आने वाले दिनों में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं।

राजेन्द्र गुप्ता
ज्योतिषी और हस्तरेखाविद, मो. 9611312076

नोट- अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके या इसी व्हाट्स एप नम्बर पर मैसेज भेजकर पहले शर्तें जान लेवें, इसी के बाद अपनी बर्थ डिटेल और हैंडप्रिंट्स भेजें।

क्या प्रतिबंध ही समाधान? ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया कानून पर बहस

-सुनील कुमार महला

सोशल मीडिया पर न्यूनतम आयु को लेकर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों और किशोरों के सोशल मीडिया उपयोग से जुड़े नियम/कानून (सोशल मीडिया राज फोर चिल्ड्रेन) में एक अद्भुत और दुनिया-भर में चर्चित बदलाव किया है। दरअसल,ऑस्ट्रेलियाई संसद ने आनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम ऐज) एक्ट-2024 पास किया है, जो वास्तव में आनलाइन सेफ्टी एक्ट -2021 में एक संशोधन है?। पाठकों को बताता चलूं कि इस कानून के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए खाता (अकाउंट) रखना या बनाना प्रतिबंधित होगा। वास्तव में आस्ट्रेलिया का यह कानून सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बाध्य करता है कि वे 'जिम्मेदार कदम' उठाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 16-साल से छोटे बच्चे उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खाते(अकाउंट) नहीं रख सकें।

दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनियों पर जिम्मेदारी है कि वे 16 से कम उम्र के बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म पर रखने से रोकें और अगर वे ये 'रेस्पान्सिबल स्टेप्स'(जिम्मेदार कदम) नहीं उठाते हैं, तो उन्हें सीधे अदालत द्वारा भारी जुर्माने (सिविल पेनल्टीज) यानी कि लगभग 49.5 मिलियन आस्ट्रेलियाई डॉलर(लगभग ?30-35 करोड़ तक) का सामना करना पड़ सकता है,जो बहुत बड़ी धनराशि है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन विभिन्न प्लेटफार्म्स में क्रमशः फेसबुक, इंस्टाग्राम,टिकटोक, स्नैपचैट,रेडिट, थ्रेड्स,ट्विच,एक्स(पूर्व में जिसे ट्विटर कहा जाता था), यू-ट्यूब,किक जैसे कई मुख्य सामाजिक नेटवर्क(ऐज रेस्ट्रिक्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स) में शामिल हैं।कुछ एप/सेवाएं जिन्हें प्राथमिक रूप से संदेश भेजने, गेमिंग या शिक्षा/सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है (जैसे यू-ट्यूब किड्स, व्हाट्स एप, डिस्कार्ड इत्यादि), फिलहाल अलग हैं। गौरतलब है कि यह नियम आस्ट्रेलिया में 10 दिसंबर 2025 से लागू हो गया है। अच्छी बात यह है कि यह कानून सीधे बच्चों या उनके माता-पिता/संरक्षकों को दंडित नहीं करता है तथा इसका लक्ष्य बच्चों को सजा देना नहीं, बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों को जिम्मेदार बनाना है।इस संबंध में सरकार का यह कहना है कि यह कदम बच्चों को ऑनलाइन नुकसान, मानसिक दबाव, अवरुद्ध/हानिकारक सामग्री और अत्यधिक इंटरनेट उपयोग से सुरक्षित रखेगा।

कहना ग़लत नहीं होगा कि यह कानून बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल कल्याण, और ऑनलाइन खतरों से सुरक्षा पर केंद्रित है। बहरहाल,यह बात बिल्कुल सही है कि आज इंटरनेट के कारण पूरी दुनिया बहुत ही छोटी हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरनेट ने दुनिया को जितना नज़दीक लाया है, उतना ही लोगों को वास्तविक रिश्तों से दूर भी कर दिया है,इसमें कोई दो राय नहीं है। आभासी दुनिया(वर्चुअल वर्ल्ड) की अनगिनत सोशल मीडिया साइटों ने सीमाओं से परे संवाद का दायरा तो निश्चित ही बढ़ाया है, लेकिन इसके समानांतर यह भी एक कड़वा सच है कि वास्तविक जीवन में लोग एक-दूसरे से कटते गए हैं। आज यदि हम स्वयं अपने घरों में ही देखें तो चार लोग अपने अपने एंड्रॉयड फोन या लैपटॉप पर व्यस्त रहते हैं और एक-दूसरे से बातचीत या संवाद तक नहीं करते, जबकि पूरी दुनिया से वे लगातार आभासी रूप से जुड़े होते हैं। स्थिति यहां तक है कि पड़ोस के बच्चे ऑनलाइन दोस्त भी हों, चैट करते हों या साथ में गेम खेलते हों, फिर भी संभव है कि वे आमने-सामने कभी न मिले हों। यानी वर्चुअल दुनिया में बच्चों का दायरा बढ़ता है, पर ज़मीन पर उनका अकेलापन गहराता जाता है। यही अकेलापन धीरे-धीरे उनके मन में घर कर जाता है और उन्हें बहुत बार अवसाद, तनाव और कभी-कभी तो आत्मघाती प्रवृत्ति(सुसाइड) तक पहुंचा देता है। कई बार किसी ऐप में उलझे बच्चों के मानसिक संकट, व्यवहारिक बदलाव और आत्महत्या जैसी दुखद खबरें आए दिन मीडिया की सुर्खियों में हमारे सामने आती रहती हैं। सोशल मीडिया पर अत्यधिक सक्रियता के मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभावों को देखते हुए दुनिया भर में बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित या प्रतिबंधित करने की मांग समय-समय पर उठती रही है। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर 10 दिसंबर 2025 यानी कि बुधवार से पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। हालांकि, संदेश भेजने और गेम खेलने वाले कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स को इस नियम से बाहर रखा गया है। इस सख्त कानून से अब यह उम्मीद की जा रही है कि बच्चों को उनका खो रहा बचपन वापस मिल सकेगा।लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह प्रतिबंध लागू कैसे किया जाता है और बच्चे वास्तव में सोशल मीडिया के जाल से दूर रह पाते हैं या नहीं, क्योंकि डिजिटल माहौल में बच्चे अक्सर वैकल्पिक, और कई बार अनुचित, रास्ते ढूंढकर किसी भी ऑनलाइन मंच तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह पाबंदी कितनी प्रभावी साबित होती है। साथ ही, अगर उम्र की पुष्टि के लिए बच्चों से कोई पहचान-पत्र या अन्य दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो उसकी सुरक्षा, गोपनीयता और संभावित दुरुपयोग से जुड़े नए प्रश्न अनिवार्य रूप से खड़े होंगे। कुल मिलाकर, कदम ठोस जरूर है, पर उसके वास्तविक परिणाम समय और क्रियान्वयन ही तय करेंगे। यह भी कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए दुनिया का जो पहला कठोर कानून लागू किया है, उसका उद्देश्य उन्हें साइबर बुलिंग, फेक न्यूज़, हिंसक सामग्री, ऑनलाइन शोषण और मानसिक तनाव जैसी बढ़ती समस्याओं से बचाना है। आँकड़ों से यह बात स्पष्ट होती है कि आज 11-16 वर्ष के लगभग 40 प्रतिशत बच्चे रोज़ाना तीन घंटे से अधिक सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जिससे उनमें अवसाद, चिंता, नींद की कमी और आत्मघाती विचारों आदि का खतरा बढ़ता है। पहले ही दिन लाखों संदिग्ध अकाउंट बंद होना यह दिखाता है कि समस्या कितनी व्यापक थी। पहली नज़र में यह कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढाल की तरह है, लेकिन इसकी व्यावहारिक चुनौतियाँ भी कम नहीं। जैसा कि इस आलेख में ऊपर भी इस बात पर चर्चा कर चुका हूं कि उम्र सत्यापन के लिए आईडी या चेहरा पहचान जैसी व्यवस्था निजता पर प्रश्न खड़े करती है, और बच्चे फर्जी तरीकों से प्लेटफॉर्म तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विशेषज्ञों का यह तर्क है कि उम्र-सत्यापन जैसी तकनीकें अभी पर्याप्त विश्वसनीय नहीं हैं, जिससे इसे लागू करना मुश्किल होगा, और बच्चे वीपीएन या वैकल्पिक ऐप्स के जरिए प्रतिबंध को आसानी से पार कर सकते हैं। इससे वे उन प्लेटफॉर्मों पर पहुँच सकते हैं जो और भी कम सुरक्षित हैं, जो इस कानून के मूल उद्देश्य को ही कमजोर कर देता है।आस्ट्रेलिया का यह कानून भले ही बच्चों की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक साहसिक कदम हो, लेकिन इसे लागू करना सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बेहद महँगा और तकनीकी दृष्टि से जटिल होगा। इस कानून के संबंध में विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कई किशोरों, खासकर विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समूहों या हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों के लिए सोशल मीडिया केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सहारा और अभिव्यक्ति का माध्यम है। ऐसे में इस पर पूर्ण प्रतिबंध उन्हें और अधिक अकेलेपन और अलगाव की ओर धकेल सकता है। दरअसल, केवल कानून बनाकर बच्चों को डिजिटल दुनिया से काट देना न तो व्यावहारिक समाधान है और न लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आस्ट्रेलिया का यह कानून कहीं न कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुँच पर अनावश्यक अंकुश ही है। कई आलोचकों का यह भी कहना है कि सरकार ने शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और प्लेटफ़ॉर्म-स्तरीय सुधार जैसे संतुलित विकल्पों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। कुल मिलाकर, विशेषज्ञों का संदेश यह है कि इरादा भले ही सराहनीय हो, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध एक कठोर कदम है, जिसकी प्रभावशीलता संदिग्ध है और जो अनजाने में अधिक नुकसान भी पहुंचा सकता है। वास्तव में आज जरूरत इस बात की है कि बच्चों को डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार की समझ प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे खतरे पहचान सकें और सुरक्षित तरीके से इंटरनेट का उपयोग कर सकें।

हिन्दुओं की आस्था को रौंद कर आगे बढ़ने की कट्टरपंथी सोच

- संजय सक्सेना

हिन्दुस्तान मुसलमानों की जहनियत में पिछले चार-पाँच दशकों से काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान से चलता है, लेकिन अब देश के मुसलमानों में भारत के प्रति वैसी वफादारी नहीं दिखती जैसी उनके मन में शरीयत के प्रति है। कहने को तो शरीयत कुरान की ही सोच है, लेकिन हकीकत यह है कि कट्टरपंथियों ने शरीयत में कुरान के कई संदेशों को अनदेखा कर दिया है। इसलिए देश में कभी वंदेमातरम और भारत माता की जय पर बवाल होता है तो कभी हिन्दुओं के प्रति घृणा फैलाई जाती है।

उनकी भावनाओं को आहत किया जाता है।उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में, तीन साल पहले की वह सुबह भूलना मुश्किल है। ईद की नमाज़ के बाद सड़क पर उमड़ी भीड़ अचानक नारों से गूंज उठी। 'भारत माता की जय' बोलने वाले हिंदू पड़ोसियों को घेर लिया गया। पत्थर चले, गाड़ियां जलाई गईं। वजह? बस एक पुरानी मस्जिद के पास लगे राष्ट्रगान के पोस्टर। स्थानीय मुस्लिम युवाओं का कहना था कि वे 'काफिरों के नारे' नहीं बर्दाश्त करेंगे। पुलिस ने बाद में पकड़े गए 40 लोगों में से ज्यादातर को जमानत मिल गई, लेकिन वह घटना पूरे इलाके में दरार डाल गई। आज भी वह कस्बा दो खेमों में बंटा है। यह एक छोटी सी मिसाल है उस बदलाव की, जो आजादी के बाद भारत के मुसलमानों की सोच में आया है। बात 1947 की है, जब आजादी की दहलीज पर खड़ा भारत दो टुकड़ों में बंट गया। मुहम्मद अली जिन्ना की ज़िद्द ने पाकिस्तान को जन्म दिया, इस्लाम के नाम पर। हिंदुओं, सिखों के लिए बचा भारत। बंटवारे का सिद्धांत साफ़ था, मुसलमान पाकिस्तान जाएँगे। लेकिन लाखों मुसलमानों ने इनकार कर दिया। उनका तर्क था, हम भारत से मोहब्बत करते हैं। यहाँ लोकतंत्र है, संविधान बनेगा, कानून राज करेगा। शरीयत की हुकूमत नहीं चाहिए। नेहरू, पटेल जैसे नेताओं ने इन्हें आश्वासन दिया। नतीजा? 1947 में भारत में 3.5 करोड़ मुसलमान रह गए, जबकि पाकिस्तान चला आधा करोड़। आज यह संख्या 20 करोड़ के पार पहुँच चुकी है।तत्पश्चात पहले दो दशक शांतिपूर्ण गुज़रे। मुसलमानों ने भारतीय सेना में हिस्सा लिया, बॉलीवुड सितारे बने, खिलाड़ी हुए। लेकिन 1970 के बाद हवा बदली। खाड़ी युद्धों ने पैसे लाए, सऊदी से वहाबी विचारधारा घुस आई। मदरसों की संख्या 1981 में 900 से बढ़कर 2023 तक 2.7 लाख हो गई। इनमें से 25 हज़ार से ज़्यादा बिना पंजीकरण के चलते हैं। आजकल शरीयत की माँग, 'ग़ज़वा ए हिंद' के नारे सुनाई देते हैं। सोशल मीडिया पर हिंदू देवताओं के खिलाफ नफरत भरी पोस्टें वायरल होती हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे नारे तक असंवैधानिक बता दिए जाते हैं। तुष्टिकरण की सियासत करने वाले नेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह की गतिविधियों से मुंह मोड़ लिया जाता है। भारतीय राजनीति में यह सब कई दशकों तक साफ दिखता है। हिन्दू वोटरों को जाति के नाम पर बाँट दिया जाता था और मुस्लिमों को एकजुट किया जाता रहा, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से भारत की सियासत की तस्वीर काफी बदल गई। अब मुस्लिमों की तरह हिन्दू भी एकजुट होकर वोटिंग करने लगे हैं। यही वजह थी कि 2014 में देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। इसके बाद यही पैटर्न कई विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिया, जहाँ हिन्दू बहुमत में भाजपा को समर्थन देते हैं, वहाँ मुसलमान एकजुट होकर विरोध करते हैं।परंतु गैर भाजपाई दलों ने हिंदुओं को बांटने की कोशिश छोड़ी नहीं। कभी बीजेपी के खिलाफ यादव-मुस्लिमों को एकजुट करने की कोशिश होती तो कभी दलित-मुसलमानों को एक बैनर तले लाने की नाकाम कोशिश की जाती। 2019 लोकसभा में 27 फीसदी मुस्लिम बहुल सीटों पर विपक्ष ने सिर्फ़ इसलिए जीत हासिल की क्योंकि वोट ट्रांसफर हुआ। भाजपा को हराने का एकमात्र मकसद तुष्टिकरण वाली पार्टियां ही सत्ता में रहें। यही पैटर्न पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी के विधानसभाओं में दिखा। 2022 यूपी चुनाव में 17 फीसदी मुस्लिम वोटों ने भाजपा को 60 से ज़्यादा सीटें कम करा दीं। दुनिया भर के मुसलमानों से भारत के मुसलमानों की तुलना करें तो भारत का मुसलमान सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक जिंदगी जीता है।

पहला लोकतंत्र- भारत में हर नागरिक को वोट का हक़। पाकिस्तान में 2024 चुनावों में 40 फ़ीसदी वोटिंग हुई, सेना ने असल में सरकार बनाई। बांग्लादेश में हसीना की हुकूमत ने विपक्ष को कुचल दिया। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। भारत में मुस्लिम महिलाएँ चीफ जस्टिस तक बनीं।

दूसरा धार्मिक आज़ादी- संविधान के अनुच्छेद 25-28 हर मजहब को मानने, प्रचार करने का हक़ देते हैं। भारत में 4 लाख से ज्यादा मस्जिदें, 2.7 लाख मदरसे। केंद्र सरकार ने 2023 में 5 हज़ार करोड़ मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए दिए। सऊदी में गैर इस्लामी पूजा पर कोड़े लगते हैं। मिस्र में कॉप्टिक चर्च सीमित। भारत में हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, लेकिन वक्फ बोर्ड स्वायत्त।

तीसरा वक्फ संपत्ति- आज 32 राज्य के वक्फ बोर्डों के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन, करीब मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपये की है। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। पाकिस्तान का वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार में डूबा। भारत में यह संपत्ति मुस्लिम कल्याण के लिए आरक्षित। हालांकि, 58 हज़ार संपत्तियों पर विवाद, लेकिन कानूनी सुरक्षा बरकरार।

चौथा व्यक्तिगत कानून- भारतीय मुसलमानों को शरीयत आधारित विवाह, तलाक, उत्तराधिकार का हक़ है। हज सब्सिडी 2018 तक 7000 करोड़ खर्च होती है। ट्रिपल तलाक पर कानून बना, लेकिन बहुविवाह वैध है। हिंदुओं पर 1955 से साझा कानून। ईरान में शरीयत सख्त, लेकिन भारत जैसी छूट नहीं।

पाँचवाँ अभिव्यक्ति- भारत में मुसलमान सड़कों पर सीएए के विरोध में 100 दिन धरना देते हैं। 2020 दिल्ली दंगों में 50 से ज़्यादा प्रदर्शन होते हैं। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी कानून पर 1500 मुकदमे, 80 हत्याएँ। भारत में ओवैसी जैसे नेता संसद में सरकार को ललकारते हैं।

छठा शिक्षा और रोजगार- अल्पसंख्यक कोटा से एएमयू, जामिया में 50 फ़ीसदी आरक्षण। 2023 में यूपीएससी में 20 मुस्लिम आईएएस, भारतीय सेना में 3 फ़ीसदी मुस्लिम अधिकारी। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन जैसे उदाहरण। यूएई में हिंदू मंदिर 2023 में बना, लेकिन भारत जितनी आजादी नहीं।

सातवाँ न्यायपालिका- मुस्लिम जज सुप्रीम कोर्ट में। 2024 तक 10 फीसदी हाईकोर्ट जज। बाबरी मस्जिद केस में 10 साल सुनवाई, शांति से फैसला। तुर्की में आया सोफिया मस्जिद बनी, लेकिन भारत जैसा धैर्य नहीं। बहरहाल, इन सुविधाओं के बावजूद समस्या कहाँ? 2023 एनसीएपी डेटा में आतंकी मॉड्यूल में 80 फ़ीसदी भारतीय मुस्लिम। आईएसआई से फंडिंग वाले 500 से ज्यादा मदरसे। 'ग़ज़वा ए हिंद' के 10 हज़ार से ज़्यादा प्रचारक। पाकिस्तान के लिए सहानुभूति, 26/11 हमले पर भी कुछ मौलानाओं ने इसे विद्रोह कहा। संविधान कहता है, भारत सर्वोपरि। लेकिन जब पड़ोसी दुश्मन देशों के हित साधे जाते हैं, काफ़िरों से नफ़रत फैलाई जाती है, तो चिंता बढ़ती है। 75 सालों में भारत ने सब दिया, वोट, मस्जिदें, कानून। अब ज़िम्मेदारी मुस्लिम समाज की है। क्या वे शरीयत छोड़कर संविधान अपनाएँगे? या ग़ज़वा के ख़्वाब देखते रहेंगे? लब्बोलुआब यह है कि भारत के बहुसंख्यक समाज को भी सावधान रहना होगा। नफरत का जवाब नफरत नहीं। लेकिन तुष्टिकरण बंद। कट्टरपंथ पर जीरो टॉलरेंस। जब तक मुसलमान खुद न कहें, 'हम पहले भारतीय, फिर मुसलमान,' तब तक दरारें बढ़ेंगी। भारत का भविष्य एकता पर टिका है, नफरत पर नहीं। यह बात उन मुसलमानों को आगे बढ़कर बतानी होगी जो देश का भला चाहते हैं।

संसद में प्रतिबंधित ई-सिगरेट की गूंज

बाल मुकुन्द ओझा

ई-सिगरेट एक बार फिर चर्चा में है। भारत सरकार ने साल 2019 में ई-सिगरेट को देश में पूरी तरह से बैन कर दिया था और ई-सिगरेट से जुड़ी सभी गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित माना गया। इसके बावजूद देश में ई-सिगरेट का प्रयोग करने वालों की कमी नहीं है। पुलिस ने कई बार छापेमारी कर ई-सिगरेट को जब्त भी किया है। अब तो ई-सिगरेट देश की संसद में भी पहुँच गई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में यह कहकर सनसनी फैला दी की सदन में एक सांसद ई-सिगरेट पी रहा है। उन्होंने कहा सदन की कार्यवाही के दौरान तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद को ई-सिगरेट पीते हुए देखा गया है।. बीजेपी नेता ने पूछा कि क्या संसद के भीतर ऐसे उपकरणों के इस्तेमाल की इजाजत है? जैसे ही यह आरोप लगा, सदन में शोर मच गया।

ठाकुर ने सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से पूछा कि क्या ई-सिगरेट के इस्तेमाल की अनुमति उन्होंने दी है। स्पीकर ने स्पष्ट करते हुए कहा, नहीं, किसी को भी इसकी अनुमति नहीं है। इस बयान के बाद माहौल और गंभीर हो गया। ठाकुर ने मांग की कि जो भी सांसद इस प्रतिबंधित डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बाद में तृणमूल के एक वरिष्ठ सांसद सौगात राय को संसद परिसर में ई- सिगरेट के कश लेते हुए देखा गया। बीजेपी नेताओं द्वारा टोके जाने पर सौगत रॉय दिल्ली प्रदूषण की आड़ में अपने किए को जायज ठहराते सुने गए। उन्होंने कहा, आप लोगों ने दिल्ली को क्या बना दिया है। यहां तो सांस लेना 25 सिगरेट पीने के बराबर है। केंद्रीय मंत्रियों ने सार्वजनिक स्थल का हवाला देते हुए सिगरेट पीने पर टोका तो वे इसे नकारते हुए चले गए। यह उल्लेखनीय है देश में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक है। ऐसे में सवाल उठता है कि ई-सिगरेट आखिर है क्या? ये आम सिगरेट से कितना खतरनाक होता है। भारत में इसे कब बैन किया गया और इसे पीने और बेचे जाने पर किस तरह की सजा का प्रावधान है? ई-सिगरेट से कई प्रकार के विषैले पदार्थ निकलते हैं जिससे कई बीमारियां होती हैं और इसका जहर अचानक शरीर के किसी भी हिस्सों को प्रभावित करता है। ई-सिगरेट में निकोटिन पाया जाता है और अगर निकोटिन का सेवन शुद्ध रूप में किया जाय तो कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। ई सिगरेट स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हानिकारक है. इसमें फार्मेल्डिहाइड, भारी धातुएं, बेंजीन जैसे तत्व होते हैं जो कैंसरकारी होते हैं। इसमें मौजूद ई तरल पदार्थ में ग्लाइकोजेन और निकोटिन पाया है जो जहरीला होता है। लगभग 37 देशों में ई-सिगरेट पर बैन है। भारत भी इन्हीं देशों में से एक है। भारत सरकार ने साल 2019 में ई-सिगरेट को देश में पूरी तरह से बैन कर दिया था और ई-सिगरेट से जुड़ी सभी गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित माना गया है। बात की जाए सजा की तो इस कानून में पहली बार अपराध करने पर 1 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है । इसी के साथ दूसरी बार अपराध करने पर 3 साल तक की जेल के साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है । भारत सरकार ने देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबन्ध लगा दिया मगर सिगरेट पर नहीं। यह विवेचना का विषय हो सकता है की ई-सिगरेट ज्यादा खतरनाक है या सिगरेट। मगर यह बिलकुल सही है की हमारी सेहत के लिए दोनों ही खतरनाक है। एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ। महानगरों में ई-सिगरेट का प्रचलन बढ़ गया था।

महाराष्ट्र में लोकायुक्त पर टकराव की राजनीति

- महेन्द्र तिवारी

महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहाँ जनता की नैतिक अपेक्षाएँ और सत्ता की व्यावहारिक राजनीति आमने-सामने दिखाई देती हैं। 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन ने देश में जिस भ्रष्टाचार-विरोधी चेतना को जन्म दिया था, उसका असर वर्षों बाद भी खत्म नहीं हुआ है। आज, रालेगण सिद्धि से उठ रही आवाज़ उसी चेतना का पुनरावर्तन है, जहाँ 88 वर्षीय समाजसेवी अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 के क्रियान्वयन में हो रही देरी के विरोध में 30 जनवरी 2026 से आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया है। यह केवल एक कानून लागू न होने का प्रश्न नहीं है, बल्कि सरकारी इच्छाशक्ति, राजनीतिक पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही की एक कठिन परीक्षा बन गया है। कानून विधानसभा और विधान परिषद से पारित हो चुका है, राष्ट्रपति भी अपनी सहमति दे चुके हैं, फिर भी दो वर्ष बाद तक अधिसूचना जारी न होना केवल प्रशासनिक देरी नहीं माना जा सकता।

यह सत्ता संरचना और राजनीतिक स्वार्थों के बीच छिपे टकराव की ओर संकेत करता है, जिसे अब अन्ना का अनशन फिर से उजागर कर रहा है। महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 को राज्य में 1971 के पुराने और अप्रभावी कानून की जगह लागू करने की तैयारी की गई थी। इस नए कानून की अवधारणा यह थी कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और उच्च अधिकारियों को सीधे लोकायुक्त की जांच के दायरे में लाकर भ्रष्टाचार-नियंत्रण की एक प्रभावी संरचना विकसित की जाए। इसमें छापेमारी, दस्तावेज़ जब्ती और अवैध संपत्ति फ्रीज़ करने जैसी शक्तियाँ भी शामिल की गईं, जो किसी भी राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार-विरोधी संस्था को मजबूत बनाने के लिए अनिवार्य मानी जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतने महत्वपूर्ण कानून को लागू करने में आखिर देरी क्यों हो रही है? केंद्र सरकार ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है— विशेषकर उन पर, जिनके तहत राज्य लोकायुक्त केंद्र के अधिकारियों के विरुद्ध जांच शुरू कर सकता है। यह संवैधानिक जटिलता निस्संदेह एक तकनीकी बाधा है, लेकिन क्या यह देरी केवल कानूनी प्रक्रिया की वजह से है, या इसके पीछे राजनीतिक गणनाएँ भी शामिल हैं? सच तो यह है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में यह केवल तकनीकी विवाद नहीं है। सबसे बड़ा विवाद उस प्रावधान को लेकर है, जिसके तहत किसी वर्तमान या पूर्व मुख्यमंत्री की जांच तभी शुरू हो सकती है जब विधानसभा में दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित हो। सत्ता पक्ष इसे 'फर्जी और राजनीतिक रूप से प्रेरित शिकायतों से सुरक्षा' का उपाय बताता है, जबकि विपक्ष इसे साफ शब्दों में 'राजनीतिक ढाल' कह रहा है। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो सरकार के पास बहुमत होता है, ऐसे में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच की प्रक्रिया शुरू होना लगभग असंभव हो जाता है। इस प्रकार, कानून का यह प्रावधान लोकायुक्त जैसी संस्था की प्रभावी भूमिका को कमजोर करता है और उसकी स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। अन्ना हजारे की नाराजगी का असली कारण यही है।

वे 2011 से यह आग्रह करते आए हैं कि भ्रष्टाचार-विरोधी कानून बिना दांत वाला, बिना अधिकार वाला और बिना राजनीतिक स्वतंत्रता वाला नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने पुराने बिल को 'बिना दांत वाला लोकपाल' कहा था, तो उनकी चिंता यही थी कि कानून बन जाएगा, लेकिन वह न तो सत्ता को जवाबदेह बना पाएगा और न भ्रष्टाचार को रोक पाएगा। अन्ना और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच की यह टकराहट नई नहीं है। 2018 में भी लोकपाल और लोकायुक्त के क्रियान्वयन पर दोनों के बीच इसी प्रकार का विवाद उभरा था। इस बार भी फडणवीस ने फ़ोन पर तीन महीने में अधिसूचना जारी करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अन्ना हजारे इसे खोखला वादा मानते हैं। उनका पत्र बेहद भावनात्मक है— जिसमें उन्होंने लिखा कि 'हार्ट अटैक से मरने से बेहतर है कि देशहित में प्राण त्याग दिए जाएं।' यह केवल व्यक्तिगत प्रतिरोध का बयान नहीं, बल्कि राज्य सरकार पर डाले जा रहे नैतिक दबाव का प्रतीक है।